नवम माला, खंड 3, अंक 11

Tuesday, 26th February, 1991

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(नौवीं लोक सभा)



(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 26 फरवरी, 1991 / 7 फाल्गुन, 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
50	6	पंक्ति के प्रारम्भ में "(क)" पढिये तथा "(क्या)" से कोष्ठक हटा दीजिए ।
81	अंतिम पंक्ति	प्रश्न संख्या "*10" के स्थान पर "510" पढ़िये ।
94	12	प्रश्न संख्या "5 9" के स्थान पर "529" पढ़िये ।
152	नीचे से पंक्ति 3	"श्री पी·एस·सईद" के स्थान पर "श्री पी·एम·सईद" पढ़िये ।
168	नीचे से पंक्ति 8	"65 " के स्थान पर "652" पढ़िये ।
224	2 और 4	"श्री आर· मुथैया" के स्थान पर "श्री आर· मुथिया" पढ़िये ।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 14, सातवां सत्र, 1991/1912 (शक)
अंक 4, मंगलवार, 26 फरवरी 1991/7 फाल्गुन, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्र[illegible] के मौखिक उत्तर	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41, 43 और 46	
प्र[illegible] के लिखित उत्तर	19—181
तारांकित प्रश्न संख्या : 42, 44, 45 और 47 से 60	19—37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 433 से 502, 504 से 535, 537 से 602 और 604 से 662	37—181
सभा पटल पर रखे गए पत्र	207—209
नियम 377 के अधीन मामले	209—213
(एक) पश्चिम महाराष्ट्र के जागरी का उत्पादन करने वाले किसानों की सहायता के लिए महाराष्ट्र के शीर्ष सहकारी संगठनों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को निर्देश दिए जाने की मांग श्री उदय सिंह राव गायकवाड़	209
(दो) केरल में कोडुनगल्लूर टेलीफोन केन्द्र का विस्तार किए जाने की मांग प्रो० सावित्री लक्ष्मणन	210
(तीन) काकीनाडा को वायुसेवा से जोड़े जाने की मांग श्री एम० एम० पल्लम राजू	210

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 24 पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उसे उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के घनी आबादी वाले फरीदपुर कस्बे के बाहर से ले जाने की मांग श्री राजवीर सिंह	211
(पांच) गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद को नवीनतम उपकरण प्रदान किए जाने की मांग श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा	211
(छः) मध्य प्रदेश में रीवां जिले के माडो गांव में गैस भंडारों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों का दल भेजे जाने की मांग श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	212
(सात) उत्तर प्रदेश में घाटमपुर के बीहड़ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान किए जाने की मांग श्री केशरी लाल	212
(आठ) केरल के पालघाट जिले में कूरियारकुट्टी कारापाड़ा परियोजना को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की मांग श्री ए० विजयराघवन	213
उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा	213
सदस्य की गिरफ्तारी और जेल में रखा जाना	214
तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के संबंध में जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प	214—305
श्री जसवन्त सिंह	214
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	219
श्री सोमनाथ चटर्जी	233
श्री एम० सेल्वारासू	240
श्री आर० मुथिया	245
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	252
प्रो० राम गणेश कापसे	260
श्री बृज भूषण तिवारी	262

विषय	पृष्ठ
श्री चित्त बसु	265
श्री आर० प्रभु	269
श्री पीयूष तीरकी	275
श्री डी० पंडियन	275
श्री समरेन्द्र कुन्डू	282
श्री इन्द्रजीत	287
श्री आर० जीवरत्नम	289
डा० बिप्लव दासगुप्त	292
श्री गुमान मल लोढा	292
डा० तम्बि दुरै	294
श्री सी० के० कुप्पुस्वामी	301
श्री पी० सी० थामस	303
कार्य-मंत्रणा समिति	
बीसवां प्रतिवेदन	282

लोक सभा

मंगलवार, 26 फरवरी, 1991/7 फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयले के मूल्यों में संशोधन

[हिन्दी]

*41. श्री तेज नारायण सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने विभिन्न ग्रेडों के कोयले के मूल्यों में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) बिहार सरकार की ओर से कोयले की कीमतों में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संभवतः माननीय सदस्य कोयले की रायल्टी की दरों में वृद्धि किए जाने संबंधी बिहार सरकार के प्रस्ताव का उल्लेख कर रहे हैं।

(ख) कोयले की रायल्टी की दरों में पिछली बार संशोधन दिनांक 13.2.1981 को किया गया था और इस सम्बन्ध में आगामी संशोधन दिनांक 13.2.1985 को किया जाना था। किन्तु कोयला उत्पादन करने वाले अधिकांश राज्यों द्वारा कोयले पर काफी ऊंची दरों पर उपकर लगाए जाने के परिणामस्वरूप उक्त संशोधन अभी तक नहीं किया जा सका। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि राज्य सरकारों को इस प्रकार के उपकर लगाए जाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके परिणामस्वरूप कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से कोयले के उपकर से प्राप्त होने वाले राजस्व की क्षतिपूर्ति किए जाने के लिए रायल्टी की दरों में वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

(ग) इस सम्बन्ध में प्रस्ताव सरकार के जांचाधीन है।

श्री तेज नारायण सिंह : बिहार में इनकम का मुख्य स्रोत कोयला है। देश के और राज्यों

में जो पेट्रोलियम पदार्थ पैदा होता है उसकी रॉयल्टी इन्क्रीज की जाती है तीन या चार प्रदेशों में, जैसे असम और महाराष्ट्र में, लेकिन बिहार का जो मुख्य इनकम स्रोत है कोयला, उसकी रॉयल्टी इनक्रीज नहीं की जाती है। बिहार के मुख्य मंत्री ने कई बार लिख कर दिया कि 805 करोड़ रुपया बकाया है, उसे दिया जाए और कोयले का जो ग्रेड है, उसके मूल्य में संशोधन किया जाए, लेकिन भारत सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मालूम होता है भारत सरकार का काम बिहार राज्य के लिए बन्द हो गया है। इसलिए मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि आज भारत सरकार बिहार में जो कोयला पैदा होता है उसमें संशोधन के लिए कुछ बात सोच रही है या कुछ विचार कर रही है या उसके पास कोई प्रस्ताव है ? अगर हां, तो उसका ब्योरा प्रस्तुत करें, यह मैं मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं।

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार की ओर से कोयले की कीमत बढ़ाने के बारे में माननीय सदस्य ने जो चर्चा की है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों में जो एक फैसला हुआ और उस फैसले के आधार पर जिन राज्यों में कोयले के ऊपर सैस ली जा रही थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके बाद बिहार सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी उसका फैसला अभी नहीं हुआ है। उस स्थिति में रॉयल्टी को किस तरह से हम बढ़ाएंगे, यह हमारा विवाद है, उस पर चर्चा करनी है और उसे शीघ्र ही हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।

श्री तेज नारायण सिंह : इस मामले में हमारा कहना यह है कि अभी तक बिहार सरकार का 805 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास बकाया हो गया है। भारत सरकार इस राशि को कब तक बिहार सरकार को देने जा रही है और कोयले के रेट्स को बढ़ाने के बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पूर्व ही सर्वोच्च न्यायालय का इस सम्बन्ध में एक फैसला हुआ है जिसमें कहा गया है कि इस तरह सैस वसूल करने का राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद, पटना उच्च न्यायालय का 6.11.90 को एक और फैसला हुआ है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सैस के अन्तर्गत वसूल की गई जितनी भी रकम है, चाहे वह राज्य सरकार के पास है या भारत सरकार के पास है, उसे उपभोक्ताओं को वापस लौटा दिया जाए। यह तो सैस से सम्बन्धित स्थिति है। जहां तक 800 करोड़ के आसपास की राशि का सवाल है, जो बिहार सरकार सैस के रूप में वसूल करती थी, उसके सम्बन्ध में भी अपने चिन्ता जाहिर की है। हम भी चाहते हैं कि किसी राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इस कारण से डांवाडोल न हो। इस पर हम गम्भीरता से पुनर्विचार कर रहे हैं और रॉयल्टी की दरों को बढ़ाकर, राज्य सरकारों को वापस इमदाद करने की सोच रहे हैं। परन्तु एक्ट में संशोधन का काम माइन्स विभाग से सम्बन्धित है और यह मामला माइन्स विभाग के विचाराधीन है। ज्यों ही कोयले की रॉयलटी बढ़ जाती है, एक्ट में ज्यों ही संशोधन या अमेंडमेंट हो जाता है, उसके अनुसार हम एक्ट करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। श्री नीतीश कुमार।

श्री नीतीश कुमार : इस प्रश्न का माननीय मंत्री जी की ओर से जो उत्तर दिया गया है, उन्होंने अभी सप्लीमैंटरी के अन्त में कहा है कि किसी भी राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति खराब

न हो, इस सम्बन्ध में उन्होंने चिन्ता जतलाई है परन्तु बिहार में इस स्थिति के चलते, सैस के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, उसे ध्यान में रखते हुए, तथा माननीय सदस्य ने, प्रश्नकर्ता ने जैसा बताया है कि बिहार सरकार का जो 805 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार की ओर बकाया है, उससे स्टेट गवर्नमेंट का जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन होना था, इस साल उसमें 805 करोड़ रुपये की कमी होने जा रही है। वैसे तो मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में चिन्ता जाहिर की है कि किसी भी राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इस आधार पर हम खराब नहीं होने देंगे, परन्तु ऐसी हालत में बिहार सरकार के प्लान साइज पर जो असर पड़ेगा और फरवरी महीने से आगे, अभी से ही वहां जो क्राइसेज शुरू हो गया है उसे देखते हुए, मार्च के महीने में खर्च करने के लिए राज्य सरकार के पास कोई पैसा ही नहीं रहेगा, इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्या भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त कराने के लिए तत्काल कोई बिल लाना चाहती है या आर्डिनेंस जारी करने का विचार रखती है, इसी सत्र के बाद। यदि ऐसा नहीं है तो रॉयलटी से इस क्षति की पूर्ति के लिए, मेक-अप करने के लिए, सैस के कारण बिहार सरकार को जो घाटा हो रहा है, उस घाटे को पूरा करने के लिए, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए, क्या केन्द्रीय सरकार कोकिंग कोल और नानकोकिंग कोल, दोनों की अलग-अलग रॉयलटी की दरों में इतनी वृद्धि करके, उस घाटे की क्षतिपूर्ति करना चाहती है ताकि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति बिल्कुल ही डांवाडोल न हो जाए, यही मैं जानना चाहता हूं। यह भी स्पष्ट करें कि ऐसा आप कब तक करना चाहते हैं, कितने दिनों के अन्दर।

श्री कल्याण सिंह कालवी : सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि जहां तक एक्ट में संशोधन करने का सवाल है, एम० एम० आर० डी० एक्ट में वाली माइन्स एण्ड मिनरल्स रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट में कोई संशोधन माइन्स विभाग ही करने के लिए सक्षम है और माइन्स विभाग उस दिशा में काम कर रहा है, जैसी मुझे जानकारी है। इस एक्ट में केवल माइन्स विभाग ही कोई संशोधन कर सकता है। जहां तक रॉयलटी की दरों को बढ़ाने का सवाल है, यह मामला हमारे विचाराधीन है और अतिशीघ्र उसमें कोई निर्णय ले लिया जाएगा और राज्य सरकार को सैस के कारण, वित्तीय दृष्टि से जो हानि उठानी पड़ रही है, हम अतिशीघ्र उसे राहत पहुंचाने की कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी स्पष्ट कह रहे हैं कि बिहार सरकार को जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति करने के बारे में सोचा जा रहा है और शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैंने बड़ा स्पैसिफिक सवाल किया है जो इसी से जुड़ा हुआ है। रॉयलटी के मामले में सरकार कब तक फैसला ले लेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री नीतीश कुमार : मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि ऐसा प्रीसिडेंट है, पेट्रोलियम प्रोडक्टस के मामले में असम को, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य हैं, उसे गणना में

लेकर उनकी रॉयलटी तय की गई है। वैसे ही कोकिंग कोल के मामले में, क्योंकि यह भी एनर्जी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, वैसे ही मापदण्ड अपना कर, जैसे असम के मामले मे और दूसरे पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेटस के मामले में, आपने रॉयलटी बढ़ाकर सहायता की, क्या उसी तरह आप कोकिंग कोल के मामले में बिहार सरकार की सहायता करना चाहते हैं या नहीं। यह मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, इनका बड़ा स्पेसिफिक सवाल यह है कि कोकिंग कोल के बारे में भी आप बिहार को मदद देना चाहते हैं या नहीं, यह बता दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : और यह कब तक करेंगे।

श्री कल्याण सिंह कालवी : जहां तक, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि एम० एम० आर० डी० एक्ट में संशोधन करने का प्रश्न है, वह माइन्स विभाग का काम है और वह कर रहा है। परन्तु रॉयलटी तय करने का काम कोल विभाग का है रॉयलटी तय करने का मामला हमारे यहां पर विचाराधीन चल रहा है। यह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। कोकिंग कोल वगैरह पर अपने हिसाब से रॉयलटी बढ़ा कर के उस पैसे से राहत राज्यों को पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्यों मे सारा काम चौपट हो रहा है, कोई प्लान वगैरह नहीं चल रहा है। इसके लिए सेंटर स्टेट गवर्नमेण्ट को एक्सक्यूज करेगा जब कि गलती सेंटर की है, सेंटर निर्णय नहीं ले रहा है। अब मार्च बीतने को है। विभाग और मंत्रालय कब तक निर्णय करेंगे और मैं तो आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आज उनको यहां सदन में इस बात का आश्वासन देना चाहिए।

श्री कल्याण सिंह कालवी : अध्यक्ष महोदय, इसमें केन्द्र की नीतियों को दोष देने का प्रश्न नहीं उठता है। यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। उस फैसले के अनुसार सरकार और राज्य पाबन्द हैं। जहां तक रॉयलटी बढ़ाकर सहायता पहुंचाने का सवाल है, उसमे हम अतिशीघ्र निर्णय लेकर राज्यों को सहायता पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री आरिफ बेग : अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्री महोदय ने अभी कोल की रॉयलटी के बारे में यह फरमाया कि जिन-जिन राज्यों में कोयले का उत्पादन होता है उन सब की वे मदद करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा और पिछड़ा प्रान्त है, वहां पर कोयले की बहुत अधिक खदानें है और अध्यक्ष जी, मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र, बेतूल में भी कोयले की खदाने हैं, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जब कालवी जी जैसे न्यायप्रिय आदमी मंत्रालय मे बैठे हुए है, तो क्या सबसे गरीब और पिछड़े मध्य प्रदेश प्रान्त को यह आशा करनी चाहिए कि रॉयलटी तय करते समय उसके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा? जहां मध्यप्रदेश में कोयले के ऊपर कोई सेस नहीं है वहां हम यह चाहेंगे कि मध्यप्रदेश प्रान्त की तरफ आपका विशेष ध्यान जायेगा ताकि मध्यप्रदेश के गरीब और पिछड़े लोगों का जीवन भी ऊंचा हो सके?

श्री कल्याण सिंह कालवी : अध्यक्ष महोदय, यह जो सेस लग रहा था इसकी अलग-अलग

राज्यों में दरें भिन्न-भिन्न थीं और अलग-अलग अन्तर होने के कारण, राज्यों में एकरूपता कोयले के सम्बन्ध में नहीं थी। कहीं इस उप-कर की दर अधिक थी, तो किसी राज्य में कम।

इस असमानता को समाप्त करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब दरें समान हो जायेंगी तो जिस हिसाब से बिहार को मिलेगा, उसी हिसाब से मध्यप्रदेश को मिलेगा और जब मध्यप्रदेश को मिल जाएगा, तो आन्ध्र प्रदेश और बंगाल को भी उसी हिसाब से मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य अध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि राज्य सरकारों को कोयले पर उपकर लगाने का कोई अधिकार नहीं है और अब कोयले पर कोई उपकर नहीं लगाया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह आदेश जारी करने के पश्चात् कि राज्य सरकारों को कोयले पर उपकर लगाने का कोई अधिकार नहीं है क्या कोयले के मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ा है? इसकी रायल्टी सिर्फ एक राज्य से ही सम्बन्धित नहीं है क्योंकि अन्य राज्यों में भी कोयले का खनन किया जाता है। 1982 से रायल्टी में संशोधन नहीं किया गया है। यह कार्य काफी दिनों से लम्बित है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार शीघ्र ही रायल्टी की दरों में संशोधन करने पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी क्योंकि इससे राज्य के संसाधनों पर प्रभाव पड़ रहा है और मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश जारी कर दिये जाने के पश्चात् कोयले के मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ा है अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक रायल्टी का सवाल है, सभी राज्यों में रायल्टी की दरें समान होती हैं। उपकर अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होता है। उस सारे को समान करने के लिए विभाग विचार कर रहा है, उसको समान करने से रायल्टी रिवाइज होगा, वह बढ़ेगी ताकि सभी राज्यों को समान रूप से आर्थिक सहायता मिल सके या रायल्टी समान रूप से उनके लिए उपलब्ध करवा सकें, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। ... (व्यवधान) जहां तक कीमतों का सवाल है, कीमतों के ऊपर उसका थोड़ा-बहुत असर पड़ता है परन्तु रायल्टी को रिवाइज करके उसको नियमित करना चाहते हैं ताकि कोयले की कीमतों में कम से कम उतार-चढ़ाव आए, इस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार में कोयले की खान हैं और आज तक भारत सरकार से बिहार सरकार को रायल्टी कम दी गई है। अभी जो शेष 8.5 करोड़ की राशि बाकी है उसमें जैसा माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हम पाबन्द हैं बिहार में यदि तुरन्त भारत सरकार ने पैसा देने का कार्य नहीं किया तो वहां के सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी बन्द हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने बार-बार इनसे आग्रह किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप शेष बची हुई राशि बिहार सरकार को दो-तीन दिन में देने का विचार रखते हैं?

श्री कल्याण सिंह कालवी : जहां तक शेष राशि वापिस देने का सवाल है उसके लिए तो

हमको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पाबन्द रहना पड़ेगा। राज्य सरकार को भी और भारत सरकार को भी रहना पड़ेगा। जहां तक कीमतों के असर की बात कह रहे थे, हर चीज की कीमतों पर असर पड़ता है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह कालवी : बिहार की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो जाएगी और हमारी स्थिति यहां तक आ पहुंचेगी कि हम आने वाले समय में कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएंगे। इससे हम भी चिन्तित है। जैसा मैंने निवेदन किया, रॉयलटी का समानीकरण करके, रॉयलटी की बढ़ोतरी करके सब राज्य सरकारों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।...(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव : सरकारी कर्मचारियों का वेतन बन्द होने वाला है।... (व्यवधान) इन्टरिम सहायता तो करवाइए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठेंगे तो मैं बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सूर्य नारायण जी, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह कालवी : जहां तक ये वेतन देने की चिन्ता जाहिर कर रहे हैं मैं उनकी इस चिन्ता में अपने आप को भागीदार बना रहा हूं। हालांकि ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, हमारी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है। उसके अनुसार आपको भी ऐक्ट करना होगा, हमें भी ऐक्ट करना होगा। अगर उसके विपरीत ऐक्ट करेंगे तो परिणाम उसके आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मैं भी जानता हूं कि रॉयलटी के रेट्स को रिवाइव करना है और सारे राज्यों में उसको समान करना है। यह निर्णय हम को लेना है। हम इस बारे में अतिशीघ्र निर्णय लेंगे।

श्री बनवारीलाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, कोयले के भाव और रॉयलटी का जहां तक सवाल है, आपको मालूम होना चाहिए कि जिन लोगों या उद्योगों को कोयले की जरूरत रहती है उनको कोयला मिलता नहीं है। परन्तु मार्किट में 50 परसेंट से भी ज्यादा वैस्टन कोल फील्ड का कोयला 200-300 रुपये पर टन ब्लैक में मिल जाता है। इतना ही नहीं आपके विभाग के अधिकारियों की भी इसमें सांठ-गांठ रहती है। क्या आप इन सब का खत्म करने के लिए कोई कार्रवाई या उपाय कर रहे हैं?

श्री कल्याण सिंह कालवी : अध्यक्ष जी, जहां तक उन्होंने यह कहा कि 50 परसेंट कोयला ब्लैक में या दूसरी जगह जा रहा है, उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। हम जितना

कोयला उत्पादित करते हैं उसका 65 परसेंट कोयला हम बिजली विभाग और रेल विभाग को दे देते हैं। इसलिए माननीय सदस्य की बात में कोई तथ्य नहीं है। जहां तक उन्होंने यह कहा कि उसमें दूसरी तरह की हरकत भी चल रही है, अगर माननीय सदस्य कोई स्पैसिफिक उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे और जैसा कहेंगे मैं उस पर विचार करके कार्रवाई करूंगा।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : महोदय, माननीय मंत्री जी ने हमें बताया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के कारण राज्यों में उपकर की वसूली नहीं हो पाती है। मैं समझता हूं कि यह निर्णय दो वर्षों पूर्व दिया गया है और मुझे यह भी लगता है कि करीब एक वर्ष पूर्व राज्यों को उपकर की वसूली करने से मना किया गया है और यही कारण है कि उनकी आर्थिक स्थिति डावांडोल हो गई है। सरकार क्या कर रही है? वे कोयले के मूल्य में कोई कमी नहीं कर रहे हैं जबकि राज्यों ने उपकर की वसूली बन्द कर दी है। इस प्रकार उन्होंने राज्यों के बलबूते पर अपने को समृद्ध कर लिया है। यदि राज्यों में इस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो गई है तो एक या अन्य रूप में क्या नहीं वे सम्बन्धित राज्यों को कुछ रियायत प्रदान कर सकते हैं? सरकार ने राज्यों के इस दावे का खण्डन किया है कि उन्हें उपकर वसूल करने का अधिकार है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसके विपरीत निर्णय दिया है। इस हालत में इस दयनीय आर्थिक दशा जो कि दो वर्षों पूर्व हुई है, से राज्यों को बाहर निकालने में सरकार ने क्यों नहीं उनकी सहायता की?

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं सरकार शीघ्र ही उनकी सहायता करेगी।

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह कालवी : अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही मेरे पास यह मंत्रालय आया और सैस का प्रश्न आया मैंने आते ही सबसे पहले स्टडी ग्रुप कायम कर दिया। उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। हम उसको क्रियान्वित इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर कर देंगे।

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बिहार की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए, बिहार में जो खनिज तत्व पैदा होते हैं, उनकी मूल्य पर आधारित रॉयलटी देने के लिए वह कब से तैयार हैं, तभी बिहार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। ऐसी व्यवस्था न करने पर बिहार के साथ अन्याय होगा।

श्री कल्याण सिंह कालवी : अध्यक्ष महोदय, जब से कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ है, उस राष्ट्रीयकरण के बाद जितना राज्य सरकारों का कोयला उनके क्षेत्र में खनन हो रहा है, उनका उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए उतना वह मिल रहा है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उनको वह लाभ मिलना बन्द हो गया है। वह हम उन्हें किस रूप में वापिस पहुंचा सकते हैं, रॉयलटी की दरें बढ़ कर हम उस लाभ को वापस पहुंचाना चाहते हैं। मैंने जैसा निवेदन किया, इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर निर्णय लेकर इसको हम क्रियान्वित कर देंगे ताकि आपको लाभ मिलना शुरू हो जाए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने रॉयलटी के सम्बन्ध में आश्वासन

दिया है कि हम इसमें बढ़ाने और सरलीकरण करने की दिशा में कार्यवाही करेंगे। यह तो आश्वासन हुआ लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बिहार राज्य की आर्थिक स्थिति को, संकट को देखते हुए तत्काल इण्टरिम रिलीफ देने के विषय में सरकार कोई कार्रवाई करना चाहती है? (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह कालवी : सिर्फ बिहार की ही आर्थिक स्थिति इतनी विषम नहीं है कि उसकी बिगड़ी हुई वित्तीय स्थिति का सामना करने के लिए उनको रिलीफ दी जाए। जहां तक हमारी इमदाद का सवाल है, वह तो भारत सरकार का वित्त विभाग देगा। जहां तक कोल विभाग की मदद पहुंचाने का सवाल है, वह रायलटी की दरें बढ़ाकर और उसको समान रूप से लागू करके सारा का सारा जल्दी ही करने का मैंने आपको आश्वासन दिया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने इण्टरिम रिलीफ के सम्बन्ध में कहा है।

श्री कल्याण सिंह कालवी : जहां तक इण्टरिम रिलीफ देने का सवाल है, यह कोयला विभाग कैसे दे सकता है? मुझे इण्टरिम रिलीफ देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो रिलीफ कानून के दायरे में दे सकता हूं और वही मैंने कहा कि रॉयलटी की दरें बढ़ाकर देंगे। मैंने केवल इतना ही कहा है कि रॉयलटी की दरें बढ़ाकर और उन्हें समान रूप से देकर लाभ पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। (व्यवधान)

आठवीं पंचवर्षीय योजना में तेल की खोज

*43. श्री छविराम अर्गल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए तेल की खोज सम्बन्धी कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) जी, हां। हाईड्रोकार्बनों के करीब 1232 मिलियन टन के भूवैज्ञानिक भण्डार को स्थापित करने की दृष्टि से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने सर्वेक्षणों और अन्वेषक केन्द्रन को समाहित करते हुए तेल अन्वेषण योजनाएं प्रस्तुत की हैं।

(ग) और (घ) कच्चे तेल का देशी उत्पादन 989-90 में करीब 34 मिलियन टन से बढ़कर आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष तक करीब 50 मिलियन टन हो जाने का अनुमान है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन परियोजनाओं को इस अवधि में क्रियान्वित किया जाना है उनमें पश्चिमी अपतट में नीलम मुक्ता और पन्ना क्षेत्र, कृष्णा-गोदावरी अपतट में राव्वा क्षेत्र, पश्चिमी अपतट में गंधार क्षेत्र का विकास और बम्बई हाई तेल क्षेत्र में एल-II और एल-III

रिजर्वायरों का अतिरिक्त विकास शामिल है। क्रूड की मांग और देशी उत्पादन के बीच के अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया जाना जारी रहेगा, जैसा कि इस समय किया जा रहा है।

श्री छविराम अर्गल : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में हाइड्रो कार्बनों के 1232 मिलियन टन भण्डार को स्थापित करने की दृष्टि से प्राकृतिक गैस आयोग ने योजना प्रस्तुत की थी, तेल की कमी को देखते हुए सरकार का 1989-90 के करीब 34 मिलियन टन भण्डार को 50 मिलियन टन करने का अनुमान है तो जब आयोग ने आपके समक्ष योजनाएं प्रस्तुत की हैं और आपको तेल आयात करना पड़ता है, वह तेल आपको आयात नहीं करना पड़े और तेल एवं गैस में हम आत्मनिर्भर हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जायें इसके लिए कोई उपाय सरकार करने जा रही है ? दूसरा यह है कि···

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि 2 ही सवाल होते हैं।

श्री छविराम अर्गल : माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय में आपने यह कहा कि नीलम मुक्ता और पन्ना क्षेत्र, कृष्णा-गोदावरी अपतट में राव्वा क्षेत्र, पश्चिमी अपतट में बंधार क्षेत्र का विकास और बम्बई हाई तेल क्षेत्र में एल-II और एल-III रिजर्वायरों का अतिरिक्त विकास शामिल है तो क्या इसके अलावा भी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कोई योजनाएं प्रस्तुत की हैं, जिन पर आप विचार कर रहे है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी मैंने बतलाया कि ये जो पन्ना, नीलम, मुक्ता और गन्धार योजनायें हैं, इससे हम भविष्य में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी जो योजनायें चल रही हैं उस पर विचार हो रहा है, इसको अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री छविराम अर्गल : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके अलावा भी कौन-कौन सी योजनायें हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैंने अभी निवेदन किया है कि बम्बई जो योजनायें हैं उनको अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। (व्यवधान) जब तक योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जाएगा तब तक यह बताना उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, कौन-कौन सी योजनायें हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि यह बताना उचित नहीं है, यह कोई न्याय नहीं है।

श्री छविराम अर्गल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खाड़ी युद्ध के कारण तेल की सप्लाई पर भयंकर प्रभाव पड़ा है, देश में तेल एवं गैस की कमी आई है, वितरण ठीक नहीं होने से लोग परेशान हैं। क्या मंत्री जी ने जो आयात बन्द हुआ है, उस आयात के कारण देश पर जो इफेक्ट पड़ा है, इसकी पूर्ति के लिए आप कोई ठोस कदम उठाने जा रहे हैं और कौन-कौन से कदम अब तक उठाए गए हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय अध्यक्ष जी, जो खाड़ी युद्ध के कारण आयात में कमी हुई, उसके लिए मलेशिया, मास्को और अन्य देशों में कच्चे तेल की सप्लाई और पेट्रोलियम

उत्पादों की सप्लाई कराए जाने की संभावना का पता लगाने के लिए आफिसर्स भेजे गए थे। इसके फलस्वरूप अनुमान है कच्चे तेल का आयात अगस्त 1990 से मार्च 1991 तक अधिक हो सकेगा क्योंकि अगस्त में ही ये संकट शुरू हुआ था। ईरान से 1.66 मिलियन मीट्रीक टन, सउदी अरब से 2.74 मिलियन मीट्रिक टन, संयुक्त अरब अमिरात से 1.35 मिलियन मीट्रिक टन, अतिरिक्त आधार पर मलेशिया ने 0.5 मिलियन मीट्रीक टन कच्चे तेल की अतिरिक्त सप्लाई की।

[अनुवाद]

श्री सतीश मोहन देव : दुर्भाग्यवश भारत सरकार सम्पूर्ण पूर्वी भारत के प्रति पक्षपात-पूर्ण रवैया रखती है। मैं स्वयं माननीय पेट्रोलियम मंत्री महोदय से मिला था और इस सम्बन्ध में उन्हें एक पत्र दिया था। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और पूर्वी भारत के अन्य क्षेत्रों में आठवीं योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित धनराशि के आबंटन में भारी कमी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेरे क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में 'रिगों' को बन्द करने के आदेश जारी किये गये थे। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा असम के उन क्षेत्रों में नहीं किया गया जहां कि आन्दोलन हो रहे हैं और वहां काम करने नहीं दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि वे इन क्षेत्रों को महत्व देते हैं। इससे क्या संकेत मिलता है? यदि आप आन्दोलन शुरू करें, बन्द और हड़ताल करें, सिर्फ तब आपकी मांगों को पूरा किया जायेगा। यदि आप शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाते हैं तो आपकी मांगो को पूरा नहीं किया जायेगा। इस बात को और उन तथ्यों को ध्यान में रख कर जिन्हें मैंने माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार अपने रवैये में परिवर्तन करेगी और तेल की खुदाई हेतु पर्याप्त धन राशि दे कर और साथ ही 600.00 रुपये की दर पर त्रिपुरा और असम को गैस की बिक्री के लिए केलकर समिति की सिफारिशों पर निर्णय ले कर पूर्वी भारत पर ध्यान देगी। लेकिन इसके लिए 1000 रुपया लिया जा रहा है और दोनों ही राज्य सरकारों का कहना है कि वे इसका वहन नहीं कर सकते हैं। गैस की बरबादी हो रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से एक सुस्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इस देश के पूर्वी राज्य हैं, उनके साथ कोई सौतेला व्यवहार भारत सरकार की ओर से नहीं हो रहा है, इस तरह की नीति हमारी नहीं है।

जहां तक आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात है, इसको अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसके बारे में आपस में चर्चा चल रही है।

जहां तक केलकर कमेटी की रिपोर्ट का प्रश्न है, इसकी जो संस्तुतियां हैं, उनका परीक्षण हो रहा है और मैं माननीय सदस्य को पूरा आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने पूर्वी राज्य हैं उनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा, जिस प्रकार का व्यवहार देश के अन्य प्रदेशों से किया जाता है।

[अनुवाद]

डा० बिप्लव दासगुप्त : महोदय; माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये जवाब में मैंने पाया कि अल्प कालीन उपायों के सही कारणों के लिए बहुत अधिक जोर दिया गया है लेकिन दीर्घकालीन उपायों के सम्बन्ध में वे क्या कहते हैं। प्रत्येक वर्ष हम उसी समस्या का सामना कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहां कच्चे तेल का उत्पादन अपर्याप्त मात्रा में होता है। मैं समझता हूं कि वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन से यह प्रमाणित हो गया है कि भारत में तेल के सम्भावित क्षेत्र बहुत अधिक हैं परन्तु इन क्षेत्रों में से तट दूर ड्रिलिंग किए जाने के प्रयोजन से असम और गुजरात पर अधिक बल दिया गया है तथा दूसरे क्षेत्रों की पूरी तरह अपेक्षा की गई है इसलिए हम पर्याप्त मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन नहीं कर पाए हैं। मैं यह भी समझता हूं कि बम्बे-हाई का उत्पादन अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया है इसलिए यदि नये तेल क्षेत्रों की खोज नहीं की जाएगी तो आने वाले वर्षों में हमारे सामने तेल का भीषण संकट पैदा हो जाएगा। इसी वजह से मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। चीन को देखिए जहां करीब 13,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। ऐसा ही हमारे देश में क्यों नहीं किया जा सकता? मैं यह जानना चाहता हूं कि तेल की संभावना वाले दूसरे क्षेत्रों में तेल खोजने का क्या कार्यक्रम है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि तेल खोजने के कार्य में और भारी निवेश किया जाए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सदस्य का सुझाव आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है, परन्तु मैंने उनके सुझाव को नोट कर लिया है और हम इस पर ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, बाम्बे हाई में काफी परिमाण में प्राकृतिक गैस जलाई जाती है। क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को इस बारे में कोई योजना बनाकर भेजी है, जिसके अन्तर्गत गैस को पाइप-लाइन द्वारा दूसरी जगहों पर पहुंचाया जा सके। इस संबंध में मेरा सवाल है कि विशेषकर विदर्भ के बुलढाना, नागपुर, अमरावती आदि क्षेत्रों में पाइप-लाइन डालकर और वायो-गैस प्रोडक्टस या अन्य प्रकार के कारखानों का निर्माण करने के सम्बन्ध में क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार की इस प्रकार की कोई योजना है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अध्यक्ष महोदय, यह नया प्रश्न है, इसके लिए नोटिस चाहिए (व्यवधान)

प्रो० महादेव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय; मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कह दिया है कि इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : महोदय, आन्ध्र प्रदेश उन अभागे राज्यों में से एक है, जिनकी

ताप-विद्युत संयंत्र और प्रमुख उद्योग स्थापित करने में उपेक्षा की जा रही है। कृष्णा-गोदावरी बेसिन में हाइडोकार्बन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसकी पहले ही खोज की जा चुकी है। प्रयोग से भी यह स्पष्ट हो गया है कि यहां तेल और गैस भी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। अब किसी राष्ट्र अथवा राज्य की आर्थिक गतिविधियों का मुख्य आधार बिजली होती है। कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल और गैस की प्रचुरता को देखते हुए क्या मंत्री महोदय उचित मूल्य निर्धारित करने तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को अनुमति देने के बारे में विचार करेंगे? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय कृष्णा-गोदावरी बेसिन में उपलब्ध गैस का उचित मूल्य निर्धारित करने तथा तत्काल गैस पर आधारित संयंत्र स्थापित करने के लिए विचार करेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय, सरकार गैस के मूल्य के सम्बन्ध में केलकर समिति की सिफारिशों की जांच कर रही है। इसके बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। परन्तु इस सम्बन्ध में हम बहुत जल्दी ही निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न देश के लिए बहुत ही महत्व का है और मंत्री महोदय इसको कैजुअली ले रहे है और जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी प्रोटेक्शन चाहता हूं। देश में लम्बी-लम्बी लाइनें डीजल की लगी हैं, देश में घरेलू गैस लेने के लिए लोगों ने कई-कई साल से कनैक्शन के लिए इन्क्वायरी कर रखा है। वे दिए नहीं जा रहे हैं। पैट्रोल की कमी हो रही है, मिट्टी का तेल गांवों में नहीं मिल रहा है, खेती के लिए डीजल नहीं है और इस सारे मामले में जब पूछा गया कि आपने यह उपलब्ध करवाने के लिए क्या कदम उठाए तो इन्होंने कह दिया कि अभी मैं बताना ठीक नहीं समझता, कोई सीक्रेट है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या सीक्रेट हो सकता है। आपने गैस और क्रूड का अन्वेषण करना है तो उसके लिए क्या सीक्रेट है। देश में ही गैस निकलनी है। 10 साल से सुन रहे हैं कि दो साल बाद इण्डिया सैल्फ-सफीशिएंट हो जाएगा। आज तक उसके बाद स्थिति बिगड़ती जा रही है। आप इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं। आठवीं योजना में आपने इसे प्राथमिकता दी है या नहीं? चाईना, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे सब सैल्फ-सफीशिएंट हो गए और हमें क्रूड सप्लाई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इण्डिया में आपने कदम क्यों नहीं उठाए? आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं, यह बताइए। इसमें न जाइए कि यह सीक्रेट है, गम्भीर है, या तो आपके पास इन्फरमेशन नहीं या आपने अभी फैसला नहीं किया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जब से खाड़ी संकट शुरू हुआ उस समय से डीजल की सप्लाई का संकट देश में प्रारम्भ हुआ। लेकिन कृषि क्षेत्र में डीजल की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने काफी प्रयास किया है।

जहां तक एल०पी०जी० गैस कनैक्शन का सवाल है, नए कनैक्शनस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए बन्दिश लगी हुई थी, उस बन्दिश को अभी समाप्त कर दिया गया है। जहां तक आत्म निर्भरता का सवाल है, मैंने शुरू में ही प्रश्न के उत्तर में बता दिया है कि सरकार इसके बारे में

चिन्तित है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए सरकार 10 साल से प्रयास कर रही है, तो हम गम्भीरता से और प्रयास करेंगे। हो सकता है कि जल्दी ही उसके परिणाम सामने आएं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : मेरे विचार से मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल में विगत 40 वर्षों से तेल कुओं की ड्रिलिंग का काम बहुत कम हुआ है। करीब 50 करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो चुकी है, परन्तु हाइड्रोकार्बन अथवा तेल का कोई पता अभी तक नहीं चला है। इसके बारे में यूनियन ने, जिसका मैं भी पदाधिकारी हूं, कुओं की ड्रिलिंग के काम में लगे आदमी और आंकड़े एकत्रित करने के तरीकों में कमियों के बारे में विस्तृत प्रतिवेदन दिए थे। यूनियन ने सुझाव दिया है कि पश्चिमी बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सभी कार्यों की उचित ढंग से समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके तेल और हाइड्रोकार्बन के संकेत प्राप्त किए जा सकें। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यों की जांच करने और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाएगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : विशेषज्ञों की समिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने मेरे से और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष से भेंट की है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं और हम उन सुझावों की जांच कर रहे हैं।

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग

[अनुवाद]

*46. श्री बसन्त साठे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा संकट को देखते हुए बड़े पैमाने पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है और वैकल्पिक ऊर्जा-स्रोतों को उपयोग में लाने के परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी ऊर्जा की बचत होगी/कितनी संरक्षित होगी/कितनी ऊर्जा का उत्पादन होगा तथा इस प्रयोजन के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान ऊर्जा के इन स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार, जहां कहीं सम्भव हो, सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस सिलेन्डरों को उपयोग में लाएगी; और

(ङ) साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वैस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और कोल इण्डिया लिमिटेड की अन्य सहायक कम्पनियों में सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग करने की कितनी

गुंजाइश है और कोयला क्षेत्र में प्राकृतिक गैस को उपयोग में लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

[हिन्दी]

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास तथा उनके उपयोग के लिए सभाव्य सीमा तक उपाय किए हैं।

(ख) इन उपायों में बायोगैस विकास तथा उन्नत चूल्हों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन, सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग, मिनी/माइक्रो जल विद्युत तथा वैकल्पिक ईंधनों का विकास करना शामिल है। ऊर्जा की बचत करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 100 लाख टन से अधिक जलावन लकड़ी के बराबर बचत हो रही है। इसके अतिरिक्त पवन ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत 65 मिलियन यूनिट से अधिक विद्युत राज्य ग्रिडों को दी जा चुकी है।

आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

(घ) परिवहन के क्षेत्र में सम्पीड़ित (कम्प्रैस्ड) प्राकृतिक गैस के विकास और उपयोग के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ङ) हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी को तरलित प्राकृतिक गैस से चलाने के प्रस्ताव को कोल इण्डिया लिमि० ने आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया।

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं :

संकट को देखते हुए यह कहा गया है कि जहां तक ऊर्जा का सम्बन्ध है, जब तक हम वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें आत्म निर्भर नहीं हो पायेंगे। संसाधनों की कमी है। प्रमुख वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों पर निवेश करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ? सौर ऊर्जा प्रमुख वैकल्पिक स्त्रोत है उसके बाद पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के समान बायो गैस और शीरा भी वैकल्पिक स्त्रोत हैं। ब्राजील जैसे देश में भी यह देखा गया है कि पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में इन स्त्रोतों का प्रयोग किया जाता है।

इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि ऊर्जा के चिरस्थायी वैकल्पिक स्त्रोतों के प्रयोग का प्रोत्साहित करने के बारे में सरकार की क्या योजना है और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस पर कितना निवेश किया जाएगा ···(व्यवधान)

[हिन्दी]

ऊर्जा मन्त्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, उसकी जानकारी दे रहा हूं। खाड़ी संकट के कारण जिस तरह से तेल की कमी की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि देश की बढ़ती हुई

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने भी उर्जा स्त्रोत है, उसका उपयोग करें और उपयोग करने के लिए हम प्रयत्न करें। मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देना चाहूंगा। आज पवन के ऊपर आधारित दस मैगावाट पावर जनरेट करने का मावा के अन्दर पहला प्लान्ट स्थापित किया है। जो एशिया का सबसे बड़ा हवा से चलने वाला पावर प्लान्ट है। बिजली की कमी की पूर्ति करने के लिए हमारे पास में जो सौर ताप है वह विश्व के अन्दर दूसरे नंबर पर उपलब्ध है। सबसे ज्यादा सौर ताप इजराइल में है दूसरे नबर पर भारत मे उपलब्ध है। उसका उपयोग करने के लिए भारत सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। हम चाहते हैं कि सौर उर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके आने वाले समय में देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष जी, राजस्थान में तीस मैगावाट बिजली सौर ऊर्जा से निर्माण करने का प्रकल्प मंजूर हुआ था। जर्मनी और जापान की मदद से मेरे समय में मजूर हुआ था। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह प्रकल्प कहां तक आया और सरकार क्या करने जा रही है। पहला प्रकल्प यदि इस देश में आता है तो ऐसे अनेक प्रकल्प देश में आ सकते हैं। सौर ऊर्जा से बिजली निर्माण करने के और बहुत उससे लाभ हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रकल्प कहां तक हो सकता है।

श्री कल्याण सिंह कालवी : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल है कि राजस्थान में मकानीया के अन्दर इस तरह का सौर उर्जा का सयंत्र लगाना है। जब आप मंत्रिमडल में थे तो तब प्रस्तावित था। वह कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में उसको प्रारम्भ कर दिया जायेगा। हम चाहते हैं कि महत्वपूर्ण काम करने के लिए प्रधान मंत्री जी उसका फाउन्डेशन स्टोन रखें और मैं सभी माननीय सदस्यों को आमन्त्रित करूंगा। उस चीज को देखें जिसका ज्यादा से ज्यादा लाभ राष्ट्र को मिल सके।

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश कापसे : प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा है : "संसाधनों की उपलब्धता और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।" मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ? मेरे प्रश्न का भाग (घ) में इस प्रकार है कि परिवहन के क्षेत्र में कम्प्रैस्ड प्राकृतिक गैस के विकास और उपयोग के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ? इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि मन्त्रालय द्वारा इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद में यह भी जानना चाहता हूं कि इस वर्ष इस पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह कालवी : वित्तीय प्रावधान कितने किए जायेंगे आने वाला जो बजट होगा, उसके अन्दर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश काणसे : यह वार्षिक योजना का मामला है; वार्षिक बजट से इसका कोई लेन-देन नहीं है। हमें यह जानने का अधिकार है कि इसके बारे में क्या उपाय किए जा रहे हैं। ये अस्पष्ट उत्तर हैं। मैंने स्पष्ट प्रश्न किया है और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका स्पष्ट जवाब दें।

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह कालवी : जहां तक अन्वल प्लान का प्रश्न है वह इससे संबंधित नहीं है। मैं माननीय सदस्य को उसका जवाब पहुंचा दूंगा। (व्यवधान) जहां तक गैस के परम्परागत स्रोतों के विकास का सवाल है, उनके लिए जो वित्तीय व्यवस्था की जानी चाहिए थी, वह आगामी साल में जब बजट आएगा, सभी बातों का करूंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश काणसे : उन्होंने प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर नहीं दिया है—परिवहन क्षेत्र में कम्प्रैस्ट प्राकृतिक गैस के विकास और उपयोग के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं?"

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह कालवी : जहां तक नेचुरल गैस के स्रोतों का सवाल है, दोनों तरह की गैस है। एसोसियेटेड गैस है और फ्री गैस है और इन दोनों के उपयोग के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह समझ गए हैं लेकिन स्पेसेफिक नहीं बता पा रहे हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : वह स्पेसेफिक क्यों नहीं बता पा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह कालवी : जहां तक चूल्हा और सौर गैस और बायो गैस का ये पूछ रहे हैं वह मैं बता देता हूं। जहां तक नैचुरल, प्राकृतिक गैस का सवाल है वह डी०एल०ई०एस० से संबंधित नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश काणसे : प्रश्न के भाग (घ) में श्री वसन्त साठे ने पूछा है कि क्या सरकार वहां कहीं सम्भव हो, सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस सिलेन्डरों को उपयोग में लाएगी। इसका यह उत्तर दिया गया है "परिवहन के क्षेत्र में सम्पीड़ित (कम्प्रैस्ड) प्राकृतिक गैस के विकास और उपयोग के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मीजर्स के बारे में ठोस जानकारी चाहते हैं। अब इनसे जानकारी चाहते हैं तो ये कुछ समझकर ही बोलेंगे।

[अनुवाद]

मन्त्री महोदय से उत्तर प्राप्त करना आपका अधिकार है। उन्हें भी इसकी जानकारी

प्राप्त करने दें।

[हिन्दी]

जब आप कह रहे हैं तो अब होम वर्क करके आएंगे। आप बैठ जाइए।

प्रो० राम गणेश कापसे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं, आप क्वैश्चन को होल्ड-ऑन करने की अनुमति दीजिए।

श्री कल्याण सिंह कालवी : क्वैश्चन को होल्ड-ऑन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप स्पेसिफिक जानकारी माननीय सदस्य को बाद में दे देना।

श्री कल्याण सिंह कालवी : पहले माननीय सदस्य को नेचुरल गैस और बायोगैस का फर्क समझना पड़ेगा। जहां तक नेचुरल गैस का सम्बन्ध है, हम उसका उपयोग करके, दूसरी एनर्जी के अन्दर कन्वर्ट करते हैं। उसको पेट्रोलियम पदार्थों या डीजल के सब्सटीट्यूट के रूप में कैसे विकसित करेंगे··· (व्यवधान)···

प्रो० राम गणेश कापसे : मेरे प्रश्न का स्पेसिफिक आन्सर नहीं आ रहा है सर।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मूल प्रश्न के उत्तर में दी गई जानकारी के सम्बन्ध में स्पेसिफिक जवाब चाहते हैं। आप बाद में दे देना।

(व्यवधान)

प्रो० राम गणेश कापसे : आप क्वैश्चन को होल्ड-ऑन करने और प्रोपर रिप्लाई बाद में देने के लिए मंत्री जी को कहिए।

श्री कल्याण सिंह कालवी : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह गैस से सम्बन्धित सवाल है डी०एम०एस० से सम्बन्धित सवाल नहीं है। हमारे यहां जो गैस उपलब्ध है, उसे हम काम में लाते हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए कि कौन से कारण रहे हैं।

श्री कल्याण सिंह कालवी : मैंने कहा तो है कि यह डी०एम०एस० से सम्बन्धित सवाल नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश कापसे : मैं आज के प्रश्न काल के दौरान मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए सभी जवाबों का उल्लेख करना चाहूंगा। कई प्रश्नों के जवाब बहुत अस्पष्ट हैं और मन्त्री पूरी सूचना के साथ तैयार होकर नहीं आ रहे हैं और इसलिए हमें यह सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। आप कृपया हमारा बचाव करें।

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय सदस्य को इस तरह के कमैंट्स करने का अधिकार नहीं है। मैं उन्हें इतना ही बताना चाहता हूं कि मेरे पहले दोनों प्रश्नों के उत्तर से सभी माननीय

सदस्य संतुष्ट हुए हैं।

अब माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न पूछे हैं, उससे भी सभी लोग संतुष्ट हैं। (व्यवधान) आप गैस को बायो गैस से जोड़ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या आपने पर्याप्त कदम उठाए थे ?

श्री राम नाईक : आप इसी प्रश्न को थोड़ा बाद में पूछिए।

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह कालवी : क्वैश्चन के होल्ड-ऑन करने का सवाल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बायोगैस से सम्बन्धित सवाल नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य के प्रश्न का स्पेसिफिक उत्तर आप बाद में दे देना।

[अनुवाद]

श्रीमती सुभाषिनी अली : क्योंकि प्रश्न वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों से सम्बन्धित है, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि समुद्री तट, विशेष रूप से तमिलनाडु का समुद्री तट बहुत उचित माना गया था, पर समुद्री सौर ऊर्जा केन्द्र लगाने के लिए कुछ वर्ष पहले जो प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया था, उसके बारे में सरकार का क्या करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

सती ऐनर्जी के मामले में तो एक्सपर्ट हैं ही, वह मुझे मालूम है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

यहां तक कि उनके विभाग में भी, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक कहते हैं कि राजनीतिक संकल्प के अभाव और निहित स्वार्थों के कारण, जो देश में इस प्रकार के ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का विकास नहीं हो पा रहा। इस प्रकार के ऊर्जा केन्द्र नहीं लगाए जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि मन्त्री महोदय यह बताएं कि क्या उनमें इस प्रकार की परियोजनाओं को लागू करने की आवश्यक राजनैतिक इच्छा शक्ति है और क्या वे इस प्रकार की समुद्री सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं अथवा नहीं। मैं जानती हूं कि उनके पास 'सती' विशेषज्ञ हैं। किन्तु मुझे उम्मीद है कि वे इस पर विचार करेंगे और एक उचित उत्तर देंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इनका कहना है कि क्या कोई वेस्टिड इंटरैस्ट बीच में है, जिसने उसको रोक रखा है। निहित स्वार्थ के बारे में बता दीजिए।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह कालवी : ऐसी कोई बात नहीं है। न ही हमारा कोई निहित स्वार्थ है

और न कोई वेस्टिड इंटरेस्ट है। आप इस तरह की मानसिक कल्पना से बच कर चलिए. ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जो कुछ देश-हित में है, जनहित में है, और इस दृष्टि से जो भी काम किए जा सकते हैं, सरकार उन्हें जरूर करेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुभाषिनी जी, अच्छा होगा, आप दोबारा अपने सवाल को करिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यादव जी आप बैठ जाइए। लोढ़ा जी आप भी बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : वे प्रश्न को समझ नहीं पाए हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष जी, चूंकि मैंने सती की बात कह दी इसलिए हो सकता है बेचारे मंत्री जी भटक गये हों।

मेरा सवाल बहुत ही स्पेसिफिक है—एक प्रस्ताव भारत सरकार को कई साल पहले भेजा जा चुका है कि समुद्र की जो लहरें है और धूप है, इन दोनों से बिजली, ऊर्जा पैदा करने के लिए पावर स्टेशन लगाने हेतु, तमिलनाडु की जो कोस्ट-लाइन है, वह इसके लिए सबसे उपयुक्त पायी गई है। वहां पर सोलर-प्लाण्ट लगाने का प्रस्ताव क्या भारत सरकार को दिया गया है और हमारे यहां के वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे देश के कुछ निहित स्वार्थ इसको रोके हुये हैं ? इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस योजना के बारे में उनकी सरकार का दृष्टिकोण है ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक समुद्र की लहरों से बिजली उत्पादन करने का प्रश्न है, इस तरह के प्रस्ताव आए हैं। वैज्ञानिकों ने इस तरह के अनुसंधान किए हैं, किन्तु उस पर लागत बहुत आ रही है। इसलिए हमारा विभाग इस पर विचार कर रहा है और अनुसंधान हो रहा है जिससे इसकी लागत कम हो। इसको हम देख रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाड़ी देशों से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

[अनुवाद]

*42. **श्री उत्तम राठौर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुवैत, ईराक और खाड़ी के अन्य देशों से प्रति वर्ष कितने पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया,

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान ये कितनी मात्रा में प्राप्त हुए,

(ग) क्या खाड़ी युद्ध के कारण इनके आयात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और

(घ) खाड़ी युद्ध के कारण हुई कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों का आयात विभिन्न राष्ट्रीय तेल कम्पनियों और स्पाट क्रय के आधार पर किया जाता है। स्पाट क्रय किसी खास देश से ही नहीं किया जाता है। अतः देशवार उत्पादों के आयात के बारे में बताना संभव नहीं है। 1987-88 में 3.95 मि० टन, 1988-89 में 6.26 मि० टन और 1989-90 में 6.45 मि० टन उत्पादों का आयात किया गया।

(ख) अप्रैल 1990—जनवरी 1991 के दौरान लगभग 6.68 मि० टन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया है।

(ग) और (घ) कुवैत और इराक से होने वाली सप्लाई खाड़ी संकट के कारण 2 अगस्त, 1990 से बंद हो गई है। फिर भी, कुवैत और इराक से होने वाली आपूर्ति की कमी को वैकल्पिक स्त्रोतों से अतिरिक्त सप्लाई कराने की व्यवस्था की गई है।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

[अनुवाद]

*44. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की वार्षिक मांग कितनी-कितनी है;

(ख) इन वस्तुओं का, मद-वार, वार्षिक घरेलू उत्पादन कितना है और ये कितनी-कितनी मात्रा में आयातित किए जाते हैं;

(ग) क्या आयात पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए सरकार का इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) गत तीन वर्षों में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की खपत निम्न प्रकार से है :—

(आंकड़े हजार मी० टन में)

	एम० एस०	एस० के० ओ०	एच०एस० डी०
1988-89	3052	7731	18795
1989-90	3491	8239	20706

1990-91 (अनुमानित)	3664	8420	21439

(ख) वार्षिक देशी उत्पादन और आयात की जाने वाली मात्रा नीचे दी गई है :

देशी उत्पादन :

(आंकड़े हजार मी० टन में)

	एच० एस०	एस० के० ओ०	एच० एस० डी०
1988-89	3066	5201	16656
1989-90	3460	5700	17749
1990-91 (अनुमानित)	3732	5350	17203

आयात

	एम० एस०	एस० के० ओ०	एच० एस० डी०
1988-89	शून्य	2747	2448
1989-90	शून्य	2596	3048
1990-91 (अनुमानित)	शून्य	3483	4383

(ग) से (ङ) 7वीं योजना के दौरान भारतीय रिफाइनरियों की स्थापित क्षमता में 6.3 मिलियन टन प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है जिससे रिफाइनरी की कुल क्षमता सातवीं योजना के शुरू की 45.55 मिलियन टन की क्षमता बढ़कर सातवीं योजना के अन्त तक 51.85 मिलियन टन हो गई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव कार्यान्वयनाधीन हैं। उन पर विचार हो रहा है :

(1) मद्रास, डिगबोई और मुंबाहाटी रिफाइनरियों का विस्तार (कार्यान्वयन के अधीन)

(2) कोयाली, कोचीन और बोंगाईगांव रिफाइनरियों का विस्तार।

(3) असम, करनाल और मंगलोर में तीन नई रिफाइनरियों की स्थापना ;

(4) नारीमनम में 0.5 मिलियन टन रिफाइनरी की स्थापना।

8वीं योजना के दौरान, तेल के अन्वेषण और उत्पादन से संबंधित अनेक परियोजनाएं हाथ में ली गई जिसके परिणामस्वरूप गेस में कच्चे तेल का उत्पादन 1984-85 के 28.99 मिलियन टन से बढ़कर 1989-90 में 34.09 मिलियन टन हो गया।

आशा है कि 8वीं योजना के अन्तिम वर्ष तक कच्चे तेल के देशी उत्पादन में लगभग 50 मिलियन टन प्रति वर्ष तक की वृद्धि होगी।

आठवीं योजना अवधि के दौरान विकास के लिए अनेक ईजाद तेल क्षेत्रों के लिए कार्य योजना बनाई गई है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली शुल्क में संशोधन

45*. डा० सी० सिलदेरा
श्री पी० एम० सईद } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का अगले वित्तीय वर्ष में बिजली शुल्क में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शुल्क में वृद्धि करने के क्या कारण हैं तथा यह वृद्धि संशोधन-पूर्व शुल्क दर की तुलना मे कितने प्रतिशत अधिक होगी;

(घ) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का अपने बढ़े हुए राजस्व से आधुनिक उपकरण स्थापित करके आगामी ग्रीष्म ऋतु में बिजली फेल होने की घटनाओं को रोकने के लिए भी कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने 1 मार्च, 1991 से अपनी विद्युत टैरिफ में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विद्युत उत्पादन की लागत/विद्युत के क्रय मूल्य सहित निवेशों की लागत में समग्र रूप से अभिवृद्धि तथा इसकी अपेक्षा में बिजली की दर में किसी प्रकार की वृद्धि न किए जाने के कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के लिए विद्युत टैरिफ में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। विगत में टैरिफ में संशोधन केवल अप्रैल, 1985 में किया गया था।

(घ) और (ङ) आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान राजधानी में विश्वसनीय विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में उठाए गए कदमों की सूची में ये शामिल हैं; (1) व्यापक अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य (2) पारेषण एवं वितरण प्रणाली का विस्तार करना (3) नियंत्रण कक्षों में चौबीस घंटे प्रचालन कार्य जारी करना (4) उपयुक्त वोल्टता परिदृश्य की स्थिति बनाए रखने के लिए शंट केपेसिटर्स प्रतिष्ठापित करना और (5) विद्युत ब्रेक डाउन परिस्थितियों से शीघ्रता से निपटना। राष्ट्रीय राजधानी में कुल मिलाकर विद्युत सप्लाई की स्थिति की सरकार द्वारा गठन किए गए कृतिक बल द्वारा भी मानीटरिंग की जाती है।

विवरण

डेसू टैरिफ

श्रेणी	विद्यमान दर (पैसे प्रति यूनिट)	1.3.91 से संशोधित दर (पैसे प्रति यूनिट)	वृद्धि का प्रतिशत (लगभग)
घरेलू	27 (प्रथम 100 यूनिट)	40 (प्रथम 100 यूनिट)	48%
	32 (अगले 100 यूनिट)	50 (अगले 100 यूनिट)	56%
	75 (200 यूनिट से अधिक)	150 (अगले 100 यूनिट)	100%
		200 (300 यूनिट से अधिक)	166%
गैर-घरेलू			
निम्न वोल्टता	89	150	68%
उच्च वोल्टता	121 + 40/- रु० प्रति के०वी०ए०	170 + 60/- रु० प्रति के०वी०ए०	40% + 50% के०वी०ए० प्रभार में
जल आपूर्ति	114	[illegible]	20%
औद्योगिक			
लघु औद्योगिक विद्युत (एस० आई० पी०)	75	125	66%
वृहत् औद्योगिक विद्युत (एल० आई०पी०)	139 + 40/- रु० प्रति के०वी०ए०	200 + 60/- रु० प्रति के०वी०ए०	44% + 50 के०वी० ए० प्रभार में
सड़क रोशनी	60	137	128%
कृषि	15	20	33%

दहेज-समनी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

*47. श्री चन्दूभाई देशमुख : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में दहेज-समनी मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है; और

(ख) क्या गंधार के तेल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार का डीजल इंजनों का

उपयोग करके इस मार्ग पर प्रतिदिन तीन बार रेलगाड़ी चलाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) वहेज-छम्नी मात्र एक छोटी लाइन है और इसे बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

*48. डा० चिन्ता मोहन
श्री दिलीप सिंह भूरिया } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध के कारण देश में हुई डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को देखते हुए अनेक रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रेल जोनों में कौन-कौन सी रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं;

(ग) इन रेलगाड़ियों के रद्द किए जाने के क्या मानदंड हैं;

(घ) इन मार्गों पर नियमित यात्रियों की सुविधा के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है;

(ङ) क्या कोई मालगाड़ी भी रद्द की गई है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) इन रेलगाड़ियों के रद्द किए जाने से पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी बचत हो रही है;

(ज) इन रेलगाड़ियों के रद्द किए जाने के कारण रेल विभाग को कितने राजस्व की हानि हुई है; और

(झ) ये रद्द की गई रेलगाड़ियां पुनः कब तक चालू कर दी जाएंगी ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) से (च) संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार कुछ चुनी हुई यात्री गाड़ियों को रद्द कर दिया गया था, ताकि माल यातायात का संचलन बढ़ाया जा सके। कोई माल गाड़ी रद्द नहीं की गई थी। यात्री गाड़ियों को रद्द करते समय प्रभावित मार्गों पर उपलब्ध होने वाले यातायात की मात्रा को ध्यान में रखा गया था। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित ध्यान दिया गया था कि वैकल्पिक सेवाएं सुलभ रहें तथा परेशानी कम से कम हो।

(छ) इस प्रकार बचाए गए इंजनों और रेलपथ का उपयोग माल यातायात बढ़ाने में किया जा रहा है। इसलिए कर्षण के क्षेत्र में डीजल की खपत में बचत की कोई सम्भावना नहीं है।

(ज) कोई विशेष हानि होने की प्रत्याशा नहीं है क्योंकि प्रभावित मार्गों पर वैकल्पिक सेवाएं सुलभ हैं।

(झ) जैसे-जैसे स्थिति में सुधार होगा वैसे-वैसे गाड़ियां पुनः चालू कर दी जाएंगी।

विवरण

1.	3133/3134	सियालदह-मुगलसराय एक्सप्रेस
2.	4047/4048	दिल्ली-बालामऊ एक्सप्रेस
3.	8631/8632	हटिया-वाराणसी एक्सप्रेस
4.	4265/4266	देहरादून-वाराणसी एक्सप्रेस
5.	7339/7340	दादर-नागपुर एक्सप्रेस (नागपुर-बडनेरा खंड पर)
6.	1269/1270	भोपाल-राजकोट एक्सप्रेस
7.	2853/2854	दुर्ग-भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस
8.	9809/9810	अहमदाबाद-भावनगर एक्सप्रेस
9.	5717/5718	कटिहार-गुवाहाटी एक्सप्रेस
10.	9903/9904	अहमदाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस
11.	3049/3050	अमृतसर-हावड़ा एक्सप्रेस
12.	3039/3040	हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस (हावड़ा मुगलसराय खंड पर)
13.	3283/3284	भिवानी-दानापुर गंगा-यमुना एक्सप्रेस
14.	3213/3214	भिवानी-दानापुर गंगा-यमुना एक्सप्रेस
15.	1057/1058	दादर-अमृतसर एक्सप्रेस
16.	4309/4310	देहरादून-उज्जैन, उज्जैनी एक्सप्रेस
17.	2473/2474	दिल्ली-मुजफ्फरपुर, शहीद एक्सप्रेस
18.	2449/2450	दिल्ली-मुजफ्फरपुर, सरयू-यमुना एक्सप्रेस
19.	7489/7490	कोच्चिन-वाराणसी एक्सप्रेस
20.	7491/7492	तिरूपति-वाराणसी एक्सप्रेस
21.	8089/8090	तिरूपति-हावड़ा एक्सप्रेस (हावड़ा-विजयवाड़ा खंड पर)
22.	6093/6094	मद्रास-लखनऊ एक्सप्रेस
23.	6017/6018	कन्याकुमारी-जम्मू तवी हिमसागर एक्सप्रेस
24.	6687/6688	जम्मू-तवी मंगलौर नवयुग एक्सप्रेस
25.	5045/5046	अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस
26.	5011/5012	कोच्चिन-गोरखपुर एक्सप्रेस
27.	7081/7082	कोच्चिन-इंदौर एक्सप्रेस

28.	5089/5090	गोरखपुर-हैदराबाद एक्सप्रेस
29.	6365/6366	त्रिची-कोच्चिन एक्सप्रेस
30.	3025/3026	हावड़ा-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस
31.	2159/2160	हावड़ा-ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस
32.	2181/2182	हावड़ा-आगरा एक्सप्रेस
33.	2161/2162	दादर-आगरा लश्कर एक्सप्रेस
34.	1171/1172	हावड़ा-इंदौर क्षिप्रा एक्सप्रेस
35.	2557/2558	गुवाहाटी-हावड़ा कंचनजंगा एक्सप्रेस
36.	4245/4246	सूरत-वाराणसी ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस
37.	47/48	बड़ोदरा-ओखा फास्ट पैसेंजर
38.	4647/4648	दिल्ली-अमृतसर फ्लाइंग एक्सप्रेस
39.	6063/6064	दादर-मद्रास चेन्नई एक्सप्रेस
40.	6179/6180	मद्रास-तिरुनेलवेलि जनता एक्सप्रेस
41.	6799/6800	तिरुपति-रामेश्वरम एक्सप्रेस (मदुरै-रामेश्वरम खंड पर)

अलाभकारी उड़ानें रद्द करना

[अनुवाद]

*49. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध को देखते हुए सरकार का विचार अलाभकारी उड़ानों को रद्द करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कौन सी उड़ानें रद्द करने का विचार है और इससे कौन-कौन से मार्ग प्रभावित होंगे ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) हमारी सभी एयरलाइनों का यह सतत् प्रयास रहेगा कि गैर-किफायती उड़ानें कम से कम रहें क्योंकि देश में हवाई सेवाओं को आर्थिक इमदाद देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

मध्य प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

[हिन्दी]

*50. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कार्यरत रसोई गैस एजेंसियों की जिलावार, संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का मध्य प्रदेश राज्य में रसोई गैस की सप्लाई के लिए वहां और अधिक रसोई गैस एजेंसियां देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी गैस एजेंसियां, जिलावार, किन-किन जगहों पर देने का प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को कितने प्रतिशत गैस एजेंसियां आवंटित की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित गैस एजेंसियों का कोटा पूरा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)। (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) सूचना संलग्न विवरण II में दी गई है।

(घ) मध्य प्रदेश की कुल 211 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में से 16% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दी गई हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। मानकों के अनुरूप उम्मीदवारों का चयन करके इन्हें भरे जाने का प्रस्ताव है।

विवरण-1

क्रमांक संख्या	जिला	संख्या
1.	बिलासपुर	9
2.	पश्चिम निमार	4
3.	गुना	3
4.	सेहोर	2
5.	खारगोन	1
6.	दुरग	6
7.	भिण्ड	1
8.	भोपाल	20
9.	पूर्वी निमार	4
10.	छतरपुर	1
11.	सुरगुजा	5
12.	ग्वालियर	11

13.	दमोह	1
14.	दातिया	1
15.	देवास	3
16.	रायपुर	16
17.	राजनंदगांव	4
18.	विदिसा	2
19.	होशंगाबाद	9
20.	इन्दौर	21
21.	जबलपुर	19
22.	बास्तार	4
23.	सागर	7
24.	उज्जैन	9
25.	सतना	4
26.	मन्दसौर	3
27.	पन्ना	1
28.	रायगढ़	2
29.	रतलाम	5
30.	रेवा	2
31.	मोरेना	2
32.	शिवपुरी	1
33.	सिधी	4
34.	राजगढ़	2
35.	बेतुल	3
36.	बालबत	2
37.	चिन्दवारा	3
38.	धार	2
39.	झबुआ	1
40.	मान्डला	1
41.	सियोनी	2

42.	शाहदोल	2
43.	विदिशा	2
44.	नरसिंघपुर	1
45.	रायसेन	1
46.	शाजापुर	1
47.	टीकमगढ़	1
		211

विवरण-2

	जिला	स्थान	स्थिति
1.	खरगांव	बरवाहा	चयन सूची की प्रतीक्षा
2.	बेतूल	अम्मला	कोर्ट केस के कारण स्थगित
3.	रायसेन	बेगमगंज	चयन सूची की प्रतीक्षा
4.	सागर	गढ़ कोटा	—वही—
		देवरी	—वही—
		सागर	—वही—
5.	मोरेना	सोमलगढ़	—वही—
		अम्बाह	—वही—
6.	नरसिंगपुर	मदरवाड़ा	—वही—
7.	झबुआ	अलीराजपुर	आशय पत्र जारी
8.	रायपुर	बलोदा-बाजार	चयन सूची की प्रतीक्षा
		बाग बहारा	आरंभिक जांचाधीन
9.	दुर्ग	दुर्ग	चयन सूची की प्रतीक्षा
		दुर्ग	—वही—
		भिलाई	विज्ञापित
		भिलाई	चयन सूची की प्रतीक्षा
		भिलाई	—वही—
10.	मंडसौर	मंडसौर	—वही—
		मल्हार	आशय पत्र जारी

11.	शहडोल	अम्लई	चयन सूची की प्रतीक्षा
		कोटमा कोलयरी	आशय पत्र जारी
12.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	चयन सूची की प्रतीक्षा
13.	शुजलपुर	शुजलपुर	—वही—
14.	भोपाल	भोपाल	विज्ञापित किया जाना
		मण्डीद्वीप	आशय पत्र धारक के खिलाफ शिकायत।
		बैरागढ़	विज्ञापित
15.	ग्वालियर	ग्वालियर	विज्ञापित किया जाना
		ग्वालियर	आरम्भिक जांचाधीन
		ग्वालियर	विज्ञापित
		तेकनुपुर	आशय पत्र जारी
16.	इन्दौर	इन्दौर	विज्ञापित किया जाना
		इन्दौर	आरम्भिक जांचाधीन
		इन्दौर	विज्ञापित
17.	सिधी	अम्लोह	आशय पत्र जारी
18.	जबलपुर	कटनी	आशय पत्र जारी
		जबलपुर	आरम्भिक जांचाधीन
		जबलपुर	चयन सूची की प्रतीक्षा
		जबलपुर	विज्ञापित
19.	बिलासपुर	बिलासपुर	विज्ञापित किया जाना
		कोरबा	आरम्भिक जांचाधीन
		बिलासपुर	आशय पत्र जारी
20.	सतना	सतना	आरम्भिक जांचाधीन
21.	रेवा	रेवा	—वही—
22.	पूर्वी नीमर	खण्डवा	विज्ञापित
		बुरहानपुर	—वही—
23.	उज्जैन	उज्जैन	—वही—

परिवहन क्षेत्र में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल०पी०जी०) का उपयोग

*51. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परिवहन प्रणाली को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल०पी०जी०) से चलाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिवहन क्षेत्र में ईंधन के रूप में एल०पी०जी० के उपयोग का विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसका देशी उत्पादन खासकर घरेलू क्षेत्र के वर्तमान उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त नहीं है।

कर्नाटक में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

*52. श्री वी० कृष्ण राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत रेल मार्ग से कितने प्रतिशत यात्रियों का आवागमन होता है और कितने प्रतिशत माल की ढुलाई होती है,

(ख) कर्नाटक में विद्युत रेल मार्ग से कितने प्रतिशत यात्रियों का आवागमन होता है; और

(ग) कर्नाटक में लंबित पड़ी रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री जाफेश्वर मिश्र) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान भारतीय रेलों पर बिजली कर्षण द्वारा ढोये गए यातायात का प्रतिशत निम्नलिखित है :

माल यातायात : सकल मीट्रिक टन किलोमीटर के हिसाब से 38.8 प्रतिशत.

यात्री यातायात : सवारी गाड़ी किलोमीटर के हिसाब से 35.1 प्रतिशत.

(ख) यात्री यातायात के आंकड़े रेलवे वार रखे जाते हैं न कि राज्य वार।

(ग) कर्नाटक में स्थित बिसनत्तम-बेंगलूर 92 कि०मी० लम्बा खंड जोलारपेटटै-बेंगलूर (144 मार्ग कि०मी०) विद्युतीकरण परियोजना का एक भाग है जिसे मार्च, 1992 तक पूरा करने की योजना है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अपनी क्षमता का उपयोग

*53. श्री ए०के०ए० अब्दुल समद : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान इन्डियन एयरलाइन्स की घरेलू सेवाओं में कुल कितनी क्षमता का उपयोग हुआ और महानगरों से शुरू होने वाले मुख्य मार्गों/सेवाओं में, मार्ग वार/सेवा-वार, कितनी क्षमता का उपयोग हुआ,

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स का किराया ढांचा सभी स्थानों के लिए एक समान है,

(ग) क्या किराया सीधी दूरी पर अथवा सेवा मार्ग के अनुसार स्थान से स्थान तक की दूरी पर आधारित है; और

(घ) इस समय मूल किराए पर लगाए गए विभिन्न प्रभारों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वर्ष 1990 में अन्तर्देशीय मार्गों/सेवाओं पर प्राप्त की गई समग्र विमानक्षमता उपयोगिता लगभग 81% और महानगरों से शुरू होने वाले ट्रंक मार्गों/सेवाओं पर लगभग 83% है।

(ख) जी नहीं।

(ग) किराये पूर्व-निर्धारित मील दूरी के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स के मूल किराए पर निम्नलिखित प्रभार लगाए गए हैं।

(क) ईंधन अधिभार;

(ख) कुल किराये पर जिसमें मूल किराया और ईंधन अधिभार शामिल है, निम्नलिखित कर/अधिभार लगाया गया है।

(1) 15% अंतर्वेशीय हवाई यात्रा कर : यह सरकार द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है जो कि सरकार के पास जमा होता है, इंडियन एयरलाइन्स के पास नहीं।

(2) 10% खाड़ी निकासी अधिभार : उपर्युक्त के अलावा इन्डियन एयरलाइन्स, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से प्रति यात्री 10 रुपए की दर से यात्री सेवा शुल्क वसूल करती है।

तेल की खरीद

*54. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए स्त्रोतों से अतिरिक्त तेल की खरीदारी के लिए अनुबन्ध किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त और निर्बाध सप्लाई प्राप्त होती रहेगी,

(ग) क्या सरकार ने तेल के प्रयोग में मितव्ययिता बरतनी आरम्भ कर दी है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस समय तक इसका प्रभाव अनुभव

किया जाने लगा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) खाड़ी संकट के परिणामस्वरूप इराक और कुवैत से कच्चे तेल और उत्पादों की आपूर्ति में बाधा पड़ी थी। कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्त्रोतों से इनकी आपूर्ति का प्रबन्ध किया गया था।

(ख) आयात हेतु अनुमोदित मात्रा की सीमा के भीतर बिना किसी व्यवधान के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया जाता रहा है।

(ग) और (घ) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अनेक मांग-प्रबंधन उपाय आरम्भ किए हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप 1990-91 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत लगभग 55.26 मि० टन होने की आशा है जो 1989-90 में हुई खपत में मात्र 2.2% की वृद्धि दर दर्शाती है जबकि इसकी तुलना में 1989-90, 1988-89 और 1987-88 के दौरान यह वृद्धि दर क्रमशः 8%, 7.9% और 6.3% थी।

बिहार के पलामू तथा छोटा नागपुर जिलों में बिजली की स्थिति

[हिन्दी]

*55. श्री जोरावर राम : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में, विशेष रूप से पलामू और छोटा नागपुर जिलों में, बिजली की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या सरकार का इन जिलों को राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली सप्लाई करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) और (ख) अप्रैल 1990—जनवरी, 1991 की अवधि के दौरान बिहार में (पलामू तथा छोटा नागपुर समेत) ऊर्जा की कमी 27.9% थी। बिहार विद्युत प्रणाली, पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड का एक अंग है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड की प्रतिष्ठापित ताप विद्युत क्षमता लगभग 1300 मगावाट है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड के केन्द्रों का सयंत्र भार गुणक अप्रैल, 1990—जनवरी, 1991 के दौरान निम्न अर्थात 24.3% रहा। पूर्वी क्षेत्रों के केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से बिहार राज्य बिजली बोर्ड अपने हिस्से की पूरी विद्युत प्राप्त कर रहा है। अपने हिस्से की 874.4 मिलियन यूनिट विद्युत की अपेक्षा अप्रैल, 1990—जनवरी, 1991 के दौरान बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा वास्तव में 1127 मिलियन यूनिट विद्युत प्राप्त की गई। बिहार (पलामू तथा छोटा नागपुर समेत) को उत्तरी क्षेत्र से भी विशेष मामले के रूप में विद्युत सप्लाई की जा रही है।

(ग) क्षेत्रीय ग्रिडों को आपस में जोड़ने की सुविधा, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण किया जाना सुनिश्चित होगा, आठवीं तथा नौवीं योजना में उपलब्ध हो जाएगी।

सवाई माधोपुर जयपुर-मेड़ता रोड रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*56. श्री बंगा राम चौहान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में प्रति 1,000 वर्ग कि० मी० के पीछे औसतन कितना रेल मार्ग है और इस संबंध के राष्ट्रीय औसत क्या है;

(ख) क्या सवाई माधोपुर जयपुर-मेड़ता रोड मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और जोधपुर से जैसलमेर तक इसका विस्तार करने की कोई योजना है, और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए मंजूरी कब तक दे दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) 31.3.1990 को प्रति 1000 वर्ग कि० मी० पर औसत मार्ग किलोमीटर इस प्रकार है :—

राष्ट्रीय	—	18.92
राजस्थान	—	16.86

(ख) जी, हां।

(ग) आगरा से बाड़मेर/जैसलमेर तक बड़े आमान के सीधे रेल सम्पर्क के प्रथम चरण का कार्य 1990-91 के बजट में शामिल किया गया था जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. सवाई माधोपुर-जयपुर	आमान परिवर्तन
2. जयपुर-फुलेरा	समानांतर बड़ी लाइन
3. फुलेरा-मेड़ता रोड	आमान परिवर्तन
4. मेड़ता रोड-जोधपुर	आमान परिवर्तन
5. बीकानेर (लालगढ़)-मेड़ता रोड	आमान परिवर्तन

इस परियोजना के दूसरे चरण के कार्य को भी, जिसमें जोधपुर-समदड़ी, समदड़ी-बाड़मेर और जोधपुर-जैसलमेर खंड का आमान परिवर्तन शामिल है, सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया है। आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, प्रथम चरण के कार्य में संतोषजनक प्रगति हो जाने के बाद ही इस कार्य को शुरू किया जाएगा।

रेल मार्गों का रख-रखाव

[अनुवाद]

*57. श्री मान्धाता सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मार्गों के रख-रखाव संबंधी कुछ प्रकार के कार्य रेल विभाग द्वारा गैर-सरकारी ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) एक नीति के रूप में, नियमित रेलपथ अनुरक्षण की मदें प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से नहीं कराई जा रही हैं। केवल

परियोजना किस्म के ही काम, जिसके लिए नियमित रेलवे श्रमिकों की व्यवस्था नहीं की जाती है, प्राइवेट ठेकेदारों से कराए जाते हैं।

नए स्थानों पर तेल और गैस की प्राप्ति

*58. श्री राज मोहन रेड्डी
श्री गोपीनाथ गजपति } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को वर्ष 1990-91 के दौरान नये स्थानों पर तेल और गैस प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन भण्डारों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1990-91 के दौरान कैम्बे बेसिन के सांगनपुर में, राजस्थान के खारतार और बांकिया में, कृष्णा-गोदावरी तटवर्ती क्षेत्र में इल्लामनचिल्ली, मूरी और मानेपल्ली में, केजी अपतटीय क्षेत्र में जी० एस०-38 में और बम्बई अपतटीय क्षेत्र में डब्ल्यू० ओ०-3, बी०-163, बी०-188, बी-149, बी-157, बी० एस०-13, आर०-15 ए, बी०-126 और बी०-192 में तेल एवं गैस की नई खोजें हुई हैं।

(ग) खोजों की पूरी संभावना का मूल्यांकन करने के लिए रेखांकन ड्रिलिंग की गई है।

अजमेर रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सुविधाएं

[हिन्दी]

*59. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर रेलवे स्टेशन पर किन-किन रेलगाड़ियों के लिए और प्रत्येक रेलगाड़ी में कितनी-कितनी सीटों के लिए आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में इसमें कोई परिवर्तन किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परिवर्तनों के फलस्वरूप हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार पूर्व स्थिति कायम करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) रेलवे आरक्षण के लिए दो-पाली की व्यवस्था आरम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) हाल ही में जो परिवर्तन किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) 7570 काचेगुडा-जयपुर एक्सप्रेस में काचेगुडा से अजमेर के लिए दूसरे दर्जे की 6

शायिकाओं का वापसी यात्रा का कोटा दिया गया है।

(2) 9616 उदयपुर-दिल्ली चेतक एक्सप्रेस में वापसी यात्रा के लिए कोटा वातानुकूल चार शायिकाओं से घटाकर वातानुकूल 2 शायिकाएं कर दिया गया है।

(ग) ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(घ) पिछले कोटे को फिर से बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) कार्य-भार के आधार पर इसका औचित्य नहीं है।

विवरण

(क) अजमेर के लिए विभिन्न गाड़ियों में उपलब्ध आरक्षण कोटे इस प्रकार हैं :—

गाड़ी संख्या	वातानुकूल शयनयान	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा शायिकाएं	दूसरा दर्जा सीट
बड़ी लाइन की गाड़ियां				
9006 सौराष्ट्र मेल*	—	8	17	16
1095 अहमदाबाद-पूने अहिंसा एक्सप्रेस*	—	—	6	—
मीटर लाइन की गाड़ियां				
9902 अहमदाबाद-दिल्ली मेल	6	20	40	—
9901 दिल्ली-अहमदाबाद मेल	2	2	6	58
9904 अहमदाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस	—	25	—	48
9616 उदयपुर-दिल्ली चेतक एक्सप्रेस	2	—	—	—
9615 दिल्ली-उदयपुर चेतक एक्सप्रेस	2	—	18	—
2906 अहमदाबाद-दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस	2	—	12	—
2905 दिल्ली-अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस	2	—	20	—
9932 अहमदाबाद-दिल्ली अरावली एक्सप्रेस	—	4	42	—
9931 दिल्ली-अहमदाबाद अरावली एक्सप्रेस	—	—	—	68
2916 उदयपुर-दिल्ली गरीब नवाज एक्सप्रेस	—	10	—	74
9707 अहमदाबाद-आगरा फोर्ट फास्ट पैसेंजर	—	16	70	7
7569 जयपुर-काचेगुडा एक्सप्रेस	8	6	110	4
9671 अजमेर-खंडवा फास्ट पैसेंजर	—	27	86	51
9903 दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रेस	—	25	92	21

1	2	3	4	5
9705 आगरा फोर्ट-अहमदाबाद फास्ट पैसेंजर	—	2	2	—
7570 काचेगुडा-जयपुर एक्सप्रेस**	—	—	6	—
581 अजमेर-काचेगुडा फास्ट पैसेंजर	—	4	40	32
14 अजमेर-दिल्ली फास्ट पैसेंजर	—	1	8	33
20 मेहसाणा-दिल्ली फास्ट पैसेंजर	—	—	—	8

* अहमदाबाद से कोटा उपलब्ध है ।

** वापसी यात्रा का कोटा काचेगुडा से उपलब्ध है ।

तेल कूपों का बन्द किया जाना

[अनुवाद]

* 60. श्री लोक नाथ चौधरी
श्री कमल नाथ } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 1991 के टाइम्स आफ इंडिया में "वन फोर्थ आफ आइल वैल्स टू बी शट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि तेल समृद्ध बम्बई हाई के 340 में से 90 कुओं और गान्धार क्षेत्र में 40 प्रवाहों (तेल स्त्रोतों) में आगामी तीन वर्षों में उत्पादन बन्द हो जाएगा जिससे देश के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में भारी कमी आ जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन्सटीट्यूट आफ रिजर्वायर स्टडीज की बम्बई हाई के कुओं को बन्द कर देने की सिफारिश को दास गुप्ता समिति की उस रिपोर्ट से प्रेरणा मिली है जिसमें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बम्बई हाई तेल क्षेत्रों के प्रबन्ध को चलाये जाने के ढंग की आलोचना की गई थी,

(ङ) इस सम्बन्ध मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(च) कुओं को बन्द किए जाने के फलस्वरूप उत्पादन में कितनी कमी आने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार ने बम्बई हाई (बम्बई हाई साउथ ऐंड बम्बई हाई नार्थ) भण्डारों के विकास एवं प्रबन्धन की समीक्षा के लिए, ऑयल इंडिया लि० के भूतपूर्व अध्यक्ष

श्री ए० बी० दासगुप्ता की अध्यक्षता में तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी इस समय ओ०एन०जी०सी० के परामर्श से सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) अधिकतम तेल वसूली हेतु प्रेस मेन्टीनेंस के साथ भंडार वापसी बकाया की प्राप्ति हेतु भण्डारों से तेल और गैस के उत्पादन का नियमन सक्रिय और सामान्य भण्डार पद्धति के अनुरूप है। कूपों/झिरियों का बन्द होना भण्डार प्रबंधन पद्धति का अभिन्न अंग है। दि इन्सटीटयूट आफ रिजर्वायर स्टीडीज (अहमदाबाद) ओ०एन०जी०सी० क्षेत्रों में भन्डारों के लिए भण्डार प्रबधन के पैरामीटरों का स्वतन्त्र अध्ययन करता है और नियमित अवधि में रिपोर्ट देता है।

(च) कूपों को बन्द करने के परिणामस्वरूप तेल उत्पादन कितना प्रभावित होगा, यह किसी विशिष्ट कूप के बंद होने पर निर्भर है।

कलकत्ता भूमिगत रेलवे को पूरा किया जाना

433. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत रेल-परियोजना, कलकत्ता की प्रगति की दर पिछले छह महीनों में काफी कम हो गई थी,

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं,

(ग) तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और परियोजना में अब तक हुई खण्ड-वार प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) सम्पूर्ण परियोजना के पूरे होने की आज तक की अनुमानित लागत क्या है,

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष हुए व्यय का ब्यौरा क्या है, और

(च) परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए और किन प्रयासों पर विचार किया जा रहा है; और उसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) श्रम समस्याएं श्रमिकों द्वारा हड़ताल की चरम सीमा तक पहुंच गई और कदम में मुख्य सिविल इंजीनियरी ठेकेदार द्वारा तालाबन्दी कर दी गई।

दो खण्ड, अर्थात् दम-दम-बेलगछिया और टॉलीगंज-एसप्लेनेड खण्ड अब पूरे कर लिए गए हैं और उन्हें यातायात के लिए चालू कर दिया है।

एसप्लेनेड-बेलगछिया खण्ड के शेष भाग पर 50 /. प्रगति हुई है।

(घ) 1330.84 करोड़ रुपये।

(ङ) 1987-88 — 89.21 करोड़ रुपए

1988-89 — 82.10 करोड़ रुपए

1989-90 — 82.83 करोड़ रुपए

(च) (I) श्रम समस्या के तत्काल समाधान, तथा (II) परियोजना के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि के शेष प्लाटों को तत्काल अधिग्रहित करने के लिए राज्य सरकार की सहायता मांगी गई है।

इसके पूरा होने की तारीख हड़ताल वापस लेने/तालाबन्दी की समाप्ति तथा भूमि के शेष प्लाटों के अधिग्रहण पर निर्भर करेगी।

कच्चे तेल की मांग, पति और आयात

434. डा० ए० के० पटेल
श्री शंकर सिंह बघेला } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कच्चे तेल की कुल कितनी मांग है,

(ख) घरेलू आपूर्ति से आवश्यकता की पूर्ति का क्या ब्योरा है,

(ग) चालू वर्ष के दौरान मांग को पूरा करने के लिए किस-किस देश से कितना-कितना कच्चा तेल आयात किए जाने का अनुमान है, और

(घ) उस पर कितनी विदेशी मुद्रा के खर्च होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) देश में वर्ष 1990-91 के लिए संसाधन के लिए निवल कच्चे तेल की कुल जरूरत 51.69 मि० मी० टन होने का अनुमान है।

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए संसाधन के लिए निवल देशी क्रूड की अनुमानित उपलब्धता 31.51 मि० मी० टन होने का अनुमान है।

(ग) आवधिक संविदा और स्थल-खरीद दोनों के जरिए कच्चे तेल का आयात किया जाता है। स्थल खरीद हमेशा विशेष देशों से ही संबंधित नहीं होता है। इसलिए, आयात का देशवार ब्योरा देना संभव नहीं है।

(घ) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की आशा है।

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर सेमिनार

435. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरै में आयोजित गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर आयोजित सेमिनार में की गई चर्चा का ब्योरा क्या है, और

(ख) क्या इस सेमिनार में देश में, विशेषकर तामिलनाडु में अधिक पवन ऊर्जा पैदा करने पर जोर दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) हाल ही में मदुरै में पवन विद्युत विकास पर हुई विचार-गोष्ठी में पवन विद्युत विकास के स्तर की समीक्षा की गई और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और इससे कम समय में पारंपरिक ऊर्जा

की अनुपूर्ति हो सकती है। इसने देश में पवन ऊर्जा की व्यापक संभावना का दोहन करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम और नीति पर बल देने की मांग की गई। इसमें आठवीं योजना के दौरान पवन विद्युत विकास योजना को बनाने और वर्तमान संवर्धनात्मक और राजस्व-सम्बन्धी प्रोत्साहनों को जारी रखने का सुझाव दिया। इस विचार-गोष्ठी में पवन विद्युत उपकरण के स्वदेशी उत्पादन को गति देने पर बल दिया गया।

मालगाड़ी का गायब होना

436. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जुलाई, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गुड्स ट्रेन मिसिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह मालगाड़ी किन परिस्थितियों में गायब हुई और इसे ढूंढने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) 10.1.90 को इस्पात सामग्री से लदी हुई एक माल गाड़ी राउरकेला इस्पात संयंत्र से देवास के लिए बुक की गई थी। यह गाड़ी 28.7.90 को देवास पहुंची। भीड़-भाड़ के कारण रास्ते में इसे अधिक रुकावटों का सामना करना पड़ा।

राजस्थान में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना

437. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास राजस्थान के बीकानेर जिले के बरसिंघसर में एक लिग्नाइट और ताप विद्युत परियोजना स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह परियोजना किस एजेंसी द्वारा निर्मित की जाएगी और इसका निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(घ) इस परियोजना की स्थापना पर कितनी अनुमानित लागत आने का अनुमान है और इस लागत को पूरा करने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस क्षेत्र में लिग्नाइट के भंडारों की कितनी मात्रा पाई गई है; और

(च) इस परियोजना की संभावित वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता क्या होगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (च) लिग्नाइट खान की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.7 मि० टन है तथा संयोजित ताप विद्युत गृह की क्षमता 2×120 मे० वा० (स्थापित) की गई है। लिग्नाइट खान-सह-संयोजित ताप विद्युत गृह की अनुमानित लागत लगभग 828.00 करोड़ रु० की है जिसे नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के योजनागत प्रावधान में से पूरा किया जाएगा।

(ग) यह परियोजना नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० द्वारा निष्पादित की जाएगी। परियोजनाओं का निष्पादन किए जाने का कार्य तत्संबंधी स्वीकृति प्राप्त होते ही शुरू कर दिया जाएगा। परियोजना को स्वीकृति प्राप्त होने के बाद से 48वें महीने में खान से उत्पादन शुरू होने की संभावना है तथा 120 मे०वा० की प्रथम विद्युत यूनिट को परियोजना स्वीकृति के 56वें महीने में शुरू हो जाने की संभावना है।

(ङ) बारसिंगसर क्षेत्र में लिग्नाइट के लगभग 63 मि०ट० खनन योग्य भंडार होने का अनुमान है।

हवाई जहाज के किरायों में वृद्धि

438. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घाटे को पूरा करने के लिए हवाई जहाजों के किरायों में और वृद्धि करने का है,

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) अब तक "इन्डियन एयरलाइन्स" को कितना घाटा हुआ है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) इस समय मूल विमान किराए में वृद्धि करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अप्रैल, 1990 से जनवरी, 1991 तक इंडियन एयरलाइन्स को 65.20 करोड़ रुपए की हानि हुई।

बरेली-अलीगढ़ मार्ग पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी

[हिन्दी]

439. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली-अलीगढ़ मार्ग (उत्तरी रेलवे) पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो जनता की मांग को देखते हुए इस मार्ग पर उक्त एक्सप्रेस गाड़ी कब तक चलाये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) संसाधनों की तंगी के कारण इस समय व्यावहारिक नहीं है।

रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार

[अनुवाद]

440. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस सम्बन्ध में कुछ संसद सदस्यों तथा अन्य निकायों ने उनको शिकायतें भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इस तरह की शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) रेलवे के विशाल आकार एवं परिचालन की मात्रा को देखते हुए, रेलों पर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर नहीं है। निःसंदेह संसद सदस्यों एवं अन्य निकायों से कार्य संचलन के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होती हैं। इनकी जांच पड़ताल की जाती है एवं प्रमाणित पाए गए मामलों में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई (जैसे मुकदमा चलाना, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं प्रशासनिक कार्रवाई) की जाती है। अधिकारियों के मामले में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके, कार्रवाई की जाती है।

भारत को आ रहे तेल के टैंक

441. श्री बी० देवराजन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में तथा गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त अरब अमीरात और सउदी अरब और ईरान से कितना कच्चा तेल आयात किया गया;

(ख) क्या खाड़ी में चल रहे युद्ध से खाड़ी से भारत को आने वाले तेल के सप्लाई मार्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो खाड़ी के विभिन्न देशों में भारत के उन तेल टैंकरों का ब्यौरा क्या है जिनमें कच्चा तेल भरा जा रहा है अथवा जो तेल लेकर भारत की ओर चल पड़े हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात, तेल का उत्पादन करने वाले देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ आवधिक संविदा के अधीन और साथ ही स्पॉट-खरीद अर्थात् दोनों के जरिए किया जाता है। स्पॉट खरीद हमेशा किसी विशेष देशों के साथ नहीं की जाती है। इसलिए, आयात का देशवार ब्यौरा देना संभव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खंडवा में उपरिपुल

442. श्री माधवराव सिंधिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में खंडवा के लोगों या उनके प्रतिनिधियों से खंडवा शहर और खंडवा-बुरहानपुर राज्य मार्ग पर निबोला के निकट रेल उपरिपुल बनाने के लिए कोई अभ्यावेदन

प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) उन पर क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) खंडवा में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य रेलवे के 1989-90 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था । राज्य के लोक निर्माण विभाग ने प्रस्तावित ऊपरी पुल के संरेखण और चौड़ाई के सम्बन्ध में हाल ही में अन्तिम निर्णय लिया है । तदनुसार रेलवे और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्य के लिए नक्शे और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं ।

जहां तक निम्बोला पर प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने निर्माण कार्य के लिए योजना को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में आवश्यक पुल पहुंच मार्गों के लिए नक्शे और अनुमान अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं ।

पुयनकट्टी पनबिजली परियोजना को मंजूरी

443 श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित पुयनकट्टी पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना के बारे में केरल के सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराव ठाकरे) : (क) से (ग) केरल में 250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली पुयानकट्टी जल विद्युत परियोजना, चरण-एक (2 × 120 मेगावाट) को योजना आयोग द्वारा अगस्त, 1986 में स्वीकृत किया गया था बशर्ते राज्य सरकार वन सम्बन्धी दृष्टि से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त कर ले । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया है कि इस परियोजना के लिए 3001.8 हेक्टेयर वन भूमि के स्थान पर केरल राज्य सरकार के प्रतिपूरक वन रोपण सम्बन्धी प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों का रद्द किया जाना

444. श्री वामनराव महाडीक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी में लड़ाई प्रारम्भ होने के कारण इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की खाड़ी के देशों को होने वाली कौन-कौन सी तथा कितनी उड़ानें रद्द की गईं; और

(ख) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें स्थगित करने के कारण कुल कितना घाटा हुआ ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) एयर इंडिया द्वारा खाड़ी देशों को परिचालित की जा रही प्रति सप्ताह 46 उड़ानों को 16 जनवरी, 1991 से बन्द कर दिया गया था। आबूधाबी, मस्कट और दुबई के लिए उड़ानें 23 जनवरी, 1991 से पुनः आंशिक रूप से शुरू की गई थी। इंडियन एयरलाइंस खाड़ी देशों को परिचालन नहीं करता है।

(ख) अनुमान है कि खाड़ी क्षेत्रों को उड़ानें रद्द करने के परिणामस्वरूप एयर इंडिया को जनवरी, 1991 के महीने में लगभग 20 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई है।

सिंगरौली सुपर ताप बिजली घर

445. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन०टी०पी०सी० के सिंगरौली सुपर ताप बिजली घर की प्रत्येक इकाई की क्षमता कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक इकाई द्वारा किन-किन राज्यों को बिजली दी जाएगी;

(ग) क्या सरकार का एन० टी० पी० सी० के उत्तरी ग्रिड से राजस्थान को बिजली के आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र में निम्नलिखित यूनिटें शामिल हैं :—

यूनिट 1	200 मेगावाट
यूनिट 2	200 मेगावाट
यूनिट 3	200 मेगावाट
यूनिट 4	200 मेगावाट
यूनिट 5	200 मेगावाट
यूनिट 6	500 मेगावाट
यूनिट 7	500 मेगावाट
	2000 मेगावाट

(ख) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र की विद्युत को उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में निम्नानुसार आबंटित किया गया है :—

उत्तर प्रदेश	850 मेगावाट
राजस्थान	300 मेगावाट

पंजाब	200 मेगावाट
हरियाणा	200 मेगावाट
दिल्ली	150 मेगावाट
अनावंटित	300 मेगावाट

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम पदार्थों का आयात

446. **श्री० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 1991 में कितने मूल्य के पेट्रोलियम पदार्थों का आयात किया गया और यह आयात मूल्य पिछले 12 महीनों की तुलना में कितना है, और

(ख) आयात बिल को आशावादी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) पहली फरवरी, 1991 से 13 फरवरी 1991 तक के लिए एस०के०ओ० और एच०एस०डी० के आयात की भारित औसत कीमत क्रमश: 376.10 अमरीकी डालर प्रति मी० टन और 347.98 अमरीकी डालर प्रति मी० टन है। फरवरी, 1990 से जनवरी, 1991 की अवधि की इन दोनों उत्पादों की भारित औसत कीमत क्रमश: 301.92 अमरीकी डालर प्रति मी० टन और 251.03 अमरीकी डालर प्रति मी० टन थी।

(ख) आयात बिल को अधिकतम करने के लिए अपनाए गए उपायों में ये शामिल हैं :

(1) मांग को प्रतिबंधित करने के लिए अनेक मांग प्रबन्ध उपाय किए गए,

(2) थ्रूपुट में वृद्धि करके और कार्यबन्दी को आस्थगित करके देशी शोधन क्षमता का अधिकतम उपयोग,

(3) पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए उपाय किए गए जिसमें जागरूकता कार्यक्रम शामिल है।

खाना पकाने के गैस सिलेण्डरों की सप्लाई

[हिन्दी]

447. **श्री गोविन्दचन्द्र मुंडा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाना पकाने की गैस के डीलरों द्वारा अन्तिम सप्लाई के 21 दिनों की समाप्ति से पहले सिलिण्डर बदलने के लिए उपभोक्ताओं के अनुरोध को मानने से मना करने

पर सम्पूर्ण देश के नागरिकों में असन्तोष व्याप्त है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या उपभोक्ताओं को अन्तिम सप्लाई के 21 दिनों की समाप्ति के बाद भी बुकिंग के कई दिनों बाद सिलिण्डर सप्लाई किये जा रहे हैं,

(घ) क्या सरकार का विचार सप्लाई में इस देरी को दूर करने और उचित समय में सिलिण्डर सप्लाई करने का है और क्या सरकार की जानकारी में कोई अनियमितता आई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) रिफिल की बुकिंग करने एवं उसकी अन्तिम आपूर्ति की अवधि कम करके 10 दिन की कर दी गई है। 10 दिन के न्यूनतम अन्तराल का नियम यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया था कि बकाया के दौरान अवास्तविक अन्तिम बुकिंग के द्वारा वास्तविक जरूरतमंद ग्राहकों की आपूर्ति में बाधा न पड़े।

(ग) से (ङ) एल०पी०जी० विपणन तेल कम्पनियों से एल०पी०जी० वितरकों को यह निर्देश है कि वे रिफिलों की आपूर्ति शीघ्रता से 'प्रथम आओ, प्रथम पाओ' आधार पर करें। यद्यपि बकाया के दौरान जो 1990 के बाद के भाग में उत्पन्न हुआ, कुछ स्थानों पर एल०पी०जी० की आपूर्ति पर कुछ विलंब हुआ। एल०पी०जी० की उपलब्धता में वृद्धि बाटलिंग में बढ़ोत्तरी, तुरन्त ढुलाई एवं शीघ्र डिलिवरी के लिए कार्रवाई की गई ताकि सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। काला बाजारी सहित, कदाचरण को रोकने के क्रम में तेल विपणन कंपनियों के फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित और अचानक निरीक्षण किए गए। एल०पी०जी० वितरकों के विरुद्ध प्राप्त सभी शिकायतों की जांच की गई और जहां सही पाया गया वहां विपणन अनुशासन मार्गनिर्देशों और डीलरशीप करार के अनुसार कार्रवाई की गई।

पेट्रोल/डीजल पम्प तथा रसोई गैस एजेंसियां आवंटित करने के मापदण्ड

[अनुवाद]

448. **श्री गोपालराव मायकर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी समितियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों को पेट्रोल/डीजल पम्प तथा रसोई गैस एजेंसियां आवंटित करने की क्या नीति और प्रक्रिया है,

(ख) गोवा राज्य से प्राप्त ऐसे आवेदनों की संख्या क्या है,

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) ऐसी एजेंसियों का कुल संख्या से श्रेणीवार अनुपात क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) डीलरों/वितरकों के चयन के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 5% का आरक्षण है। यहां सरकारी सोसाइटियों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। यद्यपि अन्य बातें समान रहने पर, खुली श्रेणी में ऐसी सोसाइटियों को वरीयता दी जाती है। तेल कम्पनियां, प्रमुख स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर डीलरों/वितरकों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित करती हैं। निर्धारित अर्हता मानदण्ड को पूरा करने वाले आवेदकों में से समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त अभ्यार्थियों का चयन किया जाता है।

(ख) से (घ) गोवा में स्थित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) की डीलरशिप और एल०पी०जी० वितरण केन्द्रों का वितरण इस प्रकार है :

एल०पी०जी० वितरकों की कुल संख्या	किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं	
	सहकारी सोसाइटी	स्वतंत्रता सेनानी
18	1	1
रिटेल आउटलेट डीलरशिप		
35	2	1

इस समय गोवा में पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट के डीलरशिप या एल०पी०जी० के वितरण केन्द्र प्राप्ति के लिए किसी सहकारी सोसाइटी या स्वतंत्रता सेनानी का आवेदन विचाराधीन नहीं है।

रेलवे आरक्षण टिकटों की काला बाजारी

449. श्री पी० सी० थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के ध्यान में दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर रेलवे आरक्षण टिकटों की काला बाजारी किये जाने के मामले आये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले की जांच करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या अन्य कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जानेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ऐसे दुष्कार्यों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(i) रेलों द्वारा स्थानीय पुलिस के समन्वयन से, जहां आवश्यक होता है; आकस्मिक जांचें की जाती हैं/छापे मारे जाते हैं ताकि ऐसे दलालों और उनके सरगना को पकड़ा जा सके जो फर्जी नामों से आरक्षित स्थानों को घेर लेते हैं और बाद में

उन्हें जरूरतमंद यात्रियों को अवैध रूप से काला बाजारी में बेच देते हैं, उन्हें मुकदमा चलाए जाने/दोष सिद्ध करने के लिए न्यायालय के हवाले कर दिया जाता है।

(ii) दलाली करने के लिए रेल अधिनियम, 1989 के तहत 3 महीने के कारावास का दंड और/अथवा 250/- रुपये तक का कारावास और/अथवा 500/- रुपये तक जुर्माना कर दिया गया है। इसी प्रकार अनधिकृत ट्रेवल एजेंटों के लिए 3 वर्ष के कारावास का दंड और/अथवा 1000/- रुपय तक के जुर्माने को बढ़ाकर 3 वर्ष के कारावास का दंड और अथवा 10,000/- रुपये तक का जुर्माना कर दिया गया है।

(iii) इसी प्रकार फर्जी नामों (अथवा अन्य व्यक्तियों के नामों पर) पर खरीदे गये टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दंड (जुर्माना) 250/- रुपये से बढ़ाकर 500/- रुपये तक कर दिया गया है।

(iv) जनता को दलालों/अनधिकृत स्रोतो से, जो कि गैर-कानूनी है, टिकिट न खरीदने के लिए प्रेस, दूरदर्शन, इश्तहारों आदि के माध्यम से शिक्षित/प्रबोधित किया जाता है। उन्हें ऐसे स्रोतो से टिकट खरीदने में होने वाले जोखिम के बारे में भी बताया जाता है।

(v) फर्जी नामों (या अन्य नामों पर) पर खरीदे गये टिकटो पर यात्रा करने वाले यात्रियों का पता लगाने के लिए जांच की जाती है और उन्हें बिना टिकट यात्रियों के रूप में माना जाता है।

(vi) दलालों/अनधिकृत ट्रेवल एजेंसियों पर मारे गए छापों के परिणाम तथा हस्तांतरित टिकटों पर, जो उनके नाम पर नहीं है, यात्रा करते हुए पकड़े गए व्यक्तियो के बारे में प्रेस के माध्यम से प्रचार किया जाता है ताकि जनता को काला बाजारी में लिप्त अनधिकृत स्रोतों से आरक्षण प्राप्त करने से हतोत्साहित किया जा सके।

आन्ध्र प्रदेश में रेल पारपथ (क्रासिंग)

4510. श्री जे० चोक्का राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में रेल लाइनों पर कितने रेल पारपथों (क्रासिंग) पर कर्मचारी नियुक्त हैं और कितने पर नहीं, और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने कर्मचारी रहित पारपथों पर कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) चौकीदार युक्त समपार : 1095
चौकीदार रहित समपार : 1655

(ख) समपारों पर चौकीदार तैनात करने की योजना आवधिक यातायात गणना के

अनुसार उनके यातायात घनत्व के आधार पर और वृष्टता को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष बनाई जाती है। तदनुसार 1990 91 के दौरान आंध्र प्रदेश में 6 समपारों पर चौकीदार तैनात करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

इडुक्कि, केरल में वायदूत सेवा

451. श्री पलाई के० एम० मैथ्यू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह देखते हुए कि थेक्कडि दक्षिण भारत के सर्वोत्तम पर्यटन स्थलों में से एक है, क्या सरकार का विचार केरल में इडुक्कि जिले को वायदूत सेवा से जोड़ने का है;

(ख) क्या इडुक्कि में एक छोटे हवाई अड्डे के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता और परिचालनों की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि इन स्थानों को हवाई सेवा से जोड़ा जा सके। देश में हवाई सेवा को आर्थिक सहायता देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

चेंगन्नूर-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन

452. श्री सुरेश कोडीक्कनील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1991-92 के दौरान केरल में एक नई रेल लाइन के निर्माण का विचार है,

(ख) क्या दक्षिण केरल से जनता की मांग है कि चेंगन्नूर-अडूर-कोट्टाराकावा-नेदुमन्गाड-त्रिवेन्द्रम लाइन को जोड़ने के लिए एक नई रेल लाइन बनाई जाए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार का इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) दो रेलवे लाइनें, अर्थात् त्रिचूर-गुरुवायूर और अलप्पी-कायनकुलम जो पहले से ही निर्माणाधीन हैं, उन्हें 1991-92 के दौरान पूरा करने की योजना बनाई गई है।

(ख) जी हां।

(ग) केरल राज्य सरकार और अन्य द्वारा इस लाइन के निर्माण का अनुरोध किया

गया है। संसाधनों की तंगी के कारण, फिलहाल इस लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात को "पैराफिन वैक्स" का आवंटन

453. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क्या) केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से "पैराफिने वैक्स' के आवंटन में वृद्धि करके प्रतिवर्ष 4600 मीट्रीक टन तक करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) पैराफीन मोम कमी वाला उत्पाद है और राज्यों को इसका आवंटन उत्पाद की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस समय पैराफीन मोम की उपलब्धता गुजरात सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल आवश्यकता से काफी कम है और इसलिए आवंटन में वृद्धि करना संभव नहीं है।

रेलवे पासबुक की चोरी

454. **श्री के० एस० राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल कर्मचारियों के एक गिरोह द्वारा करोड़ों रुपये मूल्य के पासबुकों की चोरी की जा रही है तथा इसकी बिक्री की जा रही है ;

(ख) क्या इसमें शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनसे पासबुकें बरामद की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण हुई हानि का ब्योरा क्या है तथा इस गिरोह में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : जी नहीं। 1990 के दौरान रेलवे पासबुकों की चोरी की केवल एक बड़ी घटना की रिपोर्ट पूर्वोत्तर रेलवे से प्राप्त हुई है। 24.10.1990 को, मुख्य निर्माण प्रबन्धक, गोरखपुर ने मंडल कार्मिक अधिकारी/कारखाना, गोरखपुर के कार्यालय से पहला दर्जा "ए' तथा दूसरे दर्जे के पासों की रेलवे पासबुकों की चोरी होने के बारे में रिपोर्ट की थी। जांच-पड़ताल के दौरान, रेलवे सुरक्षा बल ने गोरखपुर में तीन व्यक्तियों को उस समय गिरफ्तार किया जब वे चुराये गए दूसरे दर्जे के एक पास पर 14.11.1990 को यात्रा कर रहे थे। उनको गिरफ्तार करने से पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया और एक व्यक्ति के साथ एक रेल कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। बाद में; चुराई गई 58 खाली पास बुक बरामद की गई जिनका उपयोग किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता

था। कुल मिलाकर, इस चोरी में शामिल पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध रेल सपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

पोटेशियम पेंसिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टल के आयात पर सीमा शुल्क

455. **श्री बलपत सिंह परस्ते** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों के पास पोटेशियम पेंसिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टल का भारी मात्रा में न बिका हुआ भडार पड़ा हुआ है,

(ख) यदि हां, तो पोटेशियम पेंसिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टल के आयात पर सीमा शुल्क न लगाए जाने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या इस रियायत का लघु एककों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

रेल दुर्घटनाएं

456. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा रेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) दुर्घटनाओं को रोकने और रेल संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :—

(i) मानवीय तत्व की सहायता के लिए तकनीकी यंत्रों का उपयोग।

(ii) कारखानों के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार।

(iii) संवेदनशील संस्थापनाओं का गहन तथा बार-बार निरीक्षण।

(iv) ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर आदि जैसी नाजुक संरक्षा कोटि के कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखना।

(v) परिचालनिक कोटियों के कर्मचारियों को, मनोवैज्ञानिक जांच सहित गहन प्रशिक्षण देना।

(vi) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोकथाम करने के लिए अचानक जांच ।

(vii) बिना चौकीदार वाले पहुंच मार्गों पर सीटी देने से सम्बन्धित बोर्ड लगाना/गति अवरोधकों, सड़क चिह्नों की व्यवस्था करना तथा सड़क उपयोगकर्त्ताओं और गाड़ी ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार ।

बोकारो ताप विद्युत संयंत्र से प्रदूषण का स्राव

[हिन्दी]

457. **श्री रामदास सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो ताप विद्युत संयंत्र तथा दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र की चिमनियों से निकलने वाले धुएं तथा राख को रोकने के लिए प्रदूषण-रोधी उपकरण नहीं लगाए गए हैं;

(ख) क्या चिमनियों से निकलने वाले धुएं, अन्य जहरीली गैसों और राख से तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट के कारण किसानों की खड़ी फसलें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं;

(ग) क्या बोकारो ताप विद्युत संयंत्र तथा चन्द्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र से होने वाले नुकसान के लिए किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है;

(घ) खड़ी फसलों को राख व प्रदूषित जल से बचाने और क्षतिग्रस्त हुई फसलों का मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धबनराव ढाकणे) : (क) बोकारो ताप विद्युत केन्द्र और चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र, दोनों में चिमनी से होने वाले विसर्जन को नियंत्रित करने हेतु प्रदूषण-रोधी उपस्कर विद्यमान है । चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र में पुराने ताप विद्युत केन्द्रों के लिए निर्धारित सीमा के स्तर तक प्रदूषण का स्तर बनाए रखने के लिये नए इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाए जा रहे हैं । चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र के सभी छः यूनिटों में इस प्रकार के नए इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसापटेटर्स को सितम्बर, 1992 तक चालू कर दिए जाने की संभावना है । 50/55 मेगा० (ह्रासित) के चार यूनिटों वाला बोकारो "क" केन्द्र 3? वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है और इसमें यांत्रिक प्रेसिपिटेटर्स विद्यमान हैं । इस समय इन यूनिटों में इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स प्रतिष्ठापित किया जाना तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है । बोकारो "ख" के सभी तीनों 210 मेगा० यूनिटों जिनमें से एक पहले से ही प्रचालन में है, में चिमनी विसर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स विद्यमान हैं ।

(ख) से (च) बोकारो और चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्रों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं एवं राख से खड़ी फसल को नुकसान होने के बारे में दामोदर घाटी निगम को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

अरक्कोणम पर उपरिपुल

[अनुवाद]

458. श्री आर० जीवरत्नम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 में तमिलनाडु में अरक्कोणम रेलवे स्टेशन के पास उपरिपुल के निर्माण के लिए कितना धन आबंटित किया गया;

(ख) इस परियोजना के केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का अलग-अलग कितनी धनराशि का योगदान रहा; और

(ग) उपरिपुल के कब तक बन जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई थी, क्योंकि यह काम रेलवे के 1989-90 के परवर्ती निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था।

(ख) रेलवे तथा राज्य सरकार का अनुमानित अंशदान क्रमशः 411.53 लाख रुपये तथा 513.72 लाख रुपये है ।

(ग) रेलवे पुल खण्ड पर निर्माण कार्य 1991-92 के दौरान शुरू करेगी बशर्ते कि राज्य सरकार साथ ही साथ पुल के पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू करने के लिए तैयार हो और राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से बनाए गए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस कार्य को पूरा करें।

सन्त्रागाची-पनसुकुरा और पनसुकुरा-खड़गपुर सेक्शनों में अतिरिक्त रेल लाइनें बिछाना

459. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में सन्त्रागाची से पनसुकुरा तक चौथी रेल लाइन और पनसुकुरा से हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन में खड़गपुर तक तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ख) इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सन्त्रागाछि से पांसकुड़ा तक चौथी रेलवे लाइन और पांसकुड़ा से खड़गपुर तक तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

तेल चयन बोर्ड (दक्षिण) द्वारा साक्षात्कार

460. श्री बलवन्त मनकर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 10 जनवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 717 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल चयन बोर्ड (दक्षिण) द्वारा "हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड" को

आवंटित रसोई गैस एजेंसियों का ब्योरा क्या है,

(ख) बोर्ड द्वारा रसोई गैस एजेंसियां आवंटित करने हेतु चयनित बेरोजगार इंजीनियरों का ब्योरा क्या है, और

(ग) अगले 6 महीनों के दौरान तिरुपति में और उसके पास के किन स्थानों पर और किन-किन पेट्रोलियम कम्पनियों के रसोई-गैस वितरक नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) तेल चयन बोर्ड (दक्षिण) द्वारा पिछले एक वर्ष में, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए किसी एल०पी०जी० वितरक का चयन नहीं किया गया ।

(ग) तिरुपति में एक और एल०पी०जी० वितरण केन्द्र खोलने के लिए पर्याप्त संभावना का पता लगा लिया गया है । वितरण केन्द्र स्थापित करने से पूर्व, विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के परिप्रेक्ष्य में, इसके वास्तविक रूप से चालू किए जाने के बारे में कोई निश्चित समय सीमा बताना सभव नहीं है ।

कन्नानोर और एर्नाकुलम को जोड़ने वाली एक्सप्रेस रेल सेवा को रद्द करना

461. श्री के० आर० नारायणन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कन्नानोर और एर्नाकुलम के बीच एक्सप्रेस रेल सेवा को रद्द करने का निर्णय किया है,

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस एक्सप्रेस रेलगाड़ी का उपयोग उत्तर केरल के लोगों द्वारा उच्च न्यायालय में उपस्थित होने, सरकारी कार्यालयों में जाने तथा एर्नाकुलम में व्यापारिक गृहों के साथ कारोबार करने के लिए किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुन: विचार करने और रेलगाड़ी को पुन: चलाने का है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) गाड़ी को रद्द नहीं किया जा रहा है ।

वायुदूत का पुनर्गठन

462. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख)

सरकार वायुदूत लिमिटेड के भावी ढांचे के बारे में विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

कोल इंडिया लि. को हुआ घाटा

463. श्री सनत कुमार मंडल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इन्डिया लि० और उनकी सहायक कंपनियों ने पूर्वी क्षेत्र में कितना घाटा उठाया है और उसके क्या कारण हैं,

(ख) क्या इन घाटों को इक्विटी में बदलने का विचार है; और

(ग) कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा उसके वितरण को युक्ति संगत बनाने और कोल इंडिया का संगठनात्मक तथा वित्तीय दृष्टि से पुनर्गठन करने के लिए क्या विभिन्न उपाय किए जा रहे है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) कोल इन्डिया लि० के लेखों की लेखा-परीक्षा के अनुसार कोल इन्डिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान कमाया गया लाभ/उठाए गए घाटे को नीचे दिया गया है।

(+) = लाभ

(—) — घाटा

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	वर्ष		
	87-88	88-89	89-90
1	2	3	4
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	— 48.74	+ 33.75	+76·43
भारत कोकिंग कोल लि०	—112.01	— 5.19	+51.33
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	— 90.43	+ 6.41	+10.76*
नार्दर्न कोलफील्डस लि०	— 3.23	+ 3.57	+2.10*
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	— 8.22	— 15.93	—30.94
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	+ 21.48	+ 47.56	—32.32
केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०	+ 1.44	+ 2.42	+2.42
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्डस स्टाकयार्ड सहित	— 1.37	— 0.73	+0.35
जोड़ : कोल इंडिया लि०	— 224 64	— 23.26	+80.13*

सहायक कंपनियों के लाभ तथा घाटे के आंकड़े धारण कीमत लेखा का समायोजन किए जाने के बाद के हैं।

* भारत कोकिंग कोल लि०, नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० तथा केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० के संबंध में कर से पूर्व प्रावधान तथा निवेश भत्ता भंडार।

घाटा होने का मुख्य कारण : कोयले की उत्पादन लागत में, मजदूरी तथा अन्य लागतों की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण हुई वृद्धि है। कोयले की बिक्री कीमत पर नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और इसकी कीमत में संशोधन, उपभोक्ताओं तथा देश की समग्र अर्थ व्यवस्था पर इसकी वृद्धि के प्रभाव को देखते हुए, किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) कोयला के उत्पादन में और वृद्धि किए जाने के लिए अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं . नई खानों का खोला जाना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण अधिकतम परिणामों को प्राप्त किए जाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग और कोयले के उत्पादन को सर्वाधिक किए जाने के लिए समय पर अपेक्षित आगतें तथा संरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध किया जाना।

कोयले के वितरण को सुचारू बनाए जाने के लिए देश में विद्यमान स्टाकयार्डों के अलावा 100 और कोयले के स्टाकयार्डों को खोले जाने का प्रस्ताव है, जो कि राज्य सरकारों/उनके अभिकरणों तथा कोल इंडिया लि० के तत्वावधान के अन्तर्गत खोले जाने हैं और इस उद्देश्य से राज्य सरकारों के साथ मांग केन्द्रों/स्टाकयार्डों को स्थापित किए जाने, आदि जैसी कार्रवाई विनिर्दिष्ट करने के बारे में सम्पर्क किया जा रहा है। इसके अलावा "उदारीकृत बिक्री योजना" के अन्तर्गत 2 मि० टन और अतिरिक्त कोयले की एस० एस० एफ० यूनिटों, ब्रिकेटिंग संयंत्रों, घरेलू क्षेत्रों के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अधिसूचित कोलियरियों/स्काडों पर "उदारीकृत बिक्री योजना के अन्तर्गत 6 मि० टन और कोयले की पेशकश की गई है।

कोल इंडिया लि० को समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत और अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन को दोहरा करना

464. श्री रमेश चेन्नीथाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) दक्षिण रेलवे के एर्नाकुलम-कायनकुलम-तिरुवनन्तपुरम खंड पर, एलप्पी के रास्ते एर्नाकुलम और कायनकुलमके बीच एक वैकल्पिक बड़ी लाईन के निर्माण का प्रस्ताव है। इसमें से एर्नाकुलम-एलप्पी (57 कि० मी०) 13.10.89 को

पहले ही शुरू की जा चुकी है। एलप्पी-कायनकुलम (43 कि० मी०) पर काम चल रहा है और इसे 1991-92 में खोलने का लक्ष्य रखा गया है पूरा होने पर, इससे एर्नाकुलम और कायमकुलम के बीच दो इकहरी लाइनों की व्यवस्था हो जायेगी : एक कोट्टयम के रास्ते जो कि वर्तमान में है और दूसरी दोहरी लाइन के बजाय एलपही के रास्ते/कायनकुलम और कोल्लम के बीच (41 कि० मी०) दोहरी लाइन 199 -91 के बजट में शामिल की गई थी और इसका काम चल रहा है। कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम के बीच (65 कि०मी०) दोहरी लाइन 1990-91 के बजट में शामिल की गई थी। कायनकुलम-कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम दोहरी लाइन का पूरा किया जाना आगामी वर्ष में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के कमीशन एजेंट

465. **डा० असीम बाला** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 15 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं० 8673 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री बढ़ाने का कार्य इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के विपणन संभाग द्वारा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो एजेंट किन कारणों से नियुक्त किए गए थे;

(ग) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड अभी भी एजेंटों से काम ले रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें दी गई जिम्मेदारी का प्रबन्ध कैसे किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) आई० डी० पी० एल० ने बताया है कि बाजार में बहुत अधिक प्रतियोगिता को मद्देनजर रखते हुए यह विपणन प्रभाग में विद्यमान जनशक्ति से संस्थागत क्षेत्र में कारोबार को प्रभावी रूप से प्राप्त करने और प्रतिधारित करने और आर्डरों का अनुपालन करने में यह असमर्थ हैं। अत; संगठन के बिक्री प्रोन्नति कार्यकलापों को एजेंटों की नियुक्ति करके भी पूरा किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल अधिकारियों द्वारा श्रमिकों का शोषण

466 **श्री तारीफ सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न रेल अनुभागों में, विशेष रूप से रेलवे इंजीनियरिंग और वाणिज्यिक अनुभागों में रेल अधिकारियों द्वारा अपने घरेलू कार्य के लिए रेलवे कर्मचारियों का दुरुपयोग किए जाने के कदाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस श्रमिक विरोधी कार्य के बारे में जानकारी हासिल करने का कोई प्रयास किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे कार्य के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने के अतिरिक्त ऐसे कदाचार को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) कुल मिलाकर, रेलवे जनशक्ति का घरेलू कार्य के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाता है, हालांकि कुछ ऐसे इक्का-दुक्का मामले ध्यान में आये हैं।

(घ) श्रमिकों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना और शिकायतों की तत्काल जांच कराई जाती है और उन कर्मचारियों के प्रमाणित मामलों में निवारक कार्रवाई की जाती है जो ऐसे कदाचारों में लिप्त रहते हैं।

खाड़ी युद्ध का पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर प्रभाव

467. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता पर खाड़ी युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार उन देशों से तेल प्राप्त कर चुकी है जिनके साथ उनका ठेका था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) खाड़ी युद्ध के कारण देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है,

(ख) से (घ) जी हां। खाड़ी युद्ध छिड़ने के बाद 15 जनवरी से 13 फरवरी, 1991 तक की अवधि के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की उठाई गई मात्रा निम्नवत है :—

मद	मात्रा मि० टन में
कच्चा तेल	2.151
एस० के० ओ०	0.444
एच० एस० डी०	0.566
	3.161

"स्पाट मार्किट" से तेल खरीद में घाटा

468. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी**
श्री शंकरसिंह वघेला } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को जून, 1990 के दूसरे सप्ताह में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद "स्पाट मार्किट" से न करने के कारण लगभग 140 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो भारी घाटे के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस बारे में सरकार की नीति और जारी किए गए मार्गनिर्देश क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) हम 1 मई, 1990 से 1 अगस्त, 1990 तक आयातित कच्चे तेल की खरीद करते हैं और अधिकतम भंडार स्तर तक बनाये रखते हैं। इसलिए अतिरिक्त स्पाट खरीद के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। अत: कोई घाटा नहीं उठाया गया। मूल्यों में वृद्धि का मूल कारण 2 अगस्त 1990 को इराक द्वारा कुवैत पर हमला रहा जो कि पूर्वानुमानित नहीं था।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

469. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या इनके उत्पादन में निरन्तर गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) गत तीन वर्षों में देश में उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की मात्रा निम्नानुसार है :—

वर्ष	प्राकृतिक गैस (मि० घ० मी०)	कच्चा तेल (मि० टन)
1987-88	11467	30.36
1988-89	13217	32.04
1989-90	16989	34.09

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीच के स्थानों पर रुककर जाने वाली विमान सेवाओं का बढ़ाया जाना

470. **श्री एन० तोम्बी सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान समय में सीमित विमान सेवा के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए दिल्ली से इम्फाल और इम्फाल से दिल्ली तक बीच में रुकते हुए चलने वाली विमान सेवाओं में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित समय सारणी कब से लागू होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विमानक्षमता की लगातार कमी के कारण, इन्डियन एयरलाइन्स दिल्ली-इम्फाल सैक्टर पर सेवाओं में वृद्धि करने की स्थिति नहीं है।

तामिलनाडु में सुगन्धित पदार्थ उत्पादन संयंत्र

471. **श्री एम० सेलवाराजु** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु में सुगन्धित पदार्थ उत्पादन संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब स्वीकृति दी गई थी, और

(ग) इस परियोजना की स्थापना के लिए अब तक क्या कार्रवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) मद्रास में एक एरोमेटिक कम्प्लैक्स की स्थापना के लिए 6 फरवरी, 1987 को मद्रास रिफाइनरीज लि० को एक आशय पत्र दिया गया था। उसके बाद मे० नेशनल ऐरोमेटिक्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० नाम की कम्पनी को संयुक्त क्षेत्र में इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए निगमित किया गया है। कम्पनी ने राज्य सरकार से आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त कर ली है। विदेशी सहयोगी का भी पता लगाया गया है। कम्पनी द्वारा दी गई संशोधित अनुमानित परियोजना लागत 1433 करोड़ रु० है।

4007 अप-इलाहाबाद-बरेली यात्रा गाड़ी का पटरी से उतरना

472. श्री आर० एम० भोये
श्री आर० एन० राकेश
श्री माणिकराव होडल्या गावीत } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 जनवरी, 1991 को 4007 अप-इलाहाबाद-बरेली यात्री गाड़ी के कुछ

डिब्बे पटरी से उतर गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दुर्घटना के कारण क्या हैं,

(ग) इस दुर्घटना में हुए जान और माल का ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है,

(ङ) इस जांच के निष्कर्ष क्या हैं,

(च) क्या कोई मुआवजा दिया गया है, और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) 3.1.91 को इलाहाबाद और प्रयाग स्टेशनों के बीच ऊपरी सड़क पुल सं० 174 के निकट 4007 अप मुगलसराय-लखनऊ-बरेली पैसेंजर पटरी से उतर गई थी। इसके परिणामस्वरूप, 12 यात्रियों को चोटें आई थीं।

रेल संपत्ति को 80,000 रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

इस दुर्घटना की विभागीय जांच की गई है। जांच के निष्कर्षों के अनुसार गाड़ी के पटरी से उतर जाने का कारण यह था कि पुल सं० 172 का गार्डर अपनी जगह से हट गया था क्योंकि पुल के नीचे से गुजरने वाले सड़क वाहन पर लदे बड़े आयाम सामान से यह टकरा गया था।

(च) और (छ) क्षतिपूर्ति के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, घायल यात्रियों को 4,250 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है।

महाराष्ट्र में पेट्रोकेमिकल्स काम्पलेक्स की स्थापना

[हिन्दी]

473 श्री हरिशंकर म्हाले : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में एक पेट्रोकेमिकल्स काम्पलेक्स की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रस्तावित परियोजना के लिए कौन सा स्थान निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) आई०पी०सी०एल० ने महाराष्ट्र राज्य में नागोथाने में इथाईलीन की प्रतिवर्ष 300,000 टन क्षमता का क्रैकर कॉम्पलेक्स स्थापित किया है। इस काम्पलेक्स के मुख्य उत्पाद एल०डी०पी०ई०, एल०एल०डी०पी०ई०/एच०डी०पी०ई०, पॉलीप्रोपीलीन और एम०ई०जी० होंगे। इस परियोजना में जल्दी ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

बाद में डाउन स्ट्रीम एककों की क्षमता में तदनरूपी वृद्धि से गैस क्रैकर क्षमता 400,000 टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

राज्यों को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई

474. प्रो० यदुनाथ पांडेय : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1991 से विभिन्न राज्यों को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कटौती की गई है जिसके कारण लघु उद्योग संकट में पड़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कटौती की गई है; और

(ग) उक्त कटौती से प्रभावित उद्योगों को आवश्यकतानुसार एवं नियमित रूप से डीजल की सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं तथा पेट्रोल और डीजल की सप्लाई कब तक सामान्य हो जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औद्योगिक एककों सहित थोक उपभोक्ताओं को एच०एस०डी० और एम०एस० की सीधी आपूर्ति पर 1 जुलाई, 1990 से 10% की कटौती की गई है। विभिन्न क्षेत्रों से मिले फीडबैक के आधार पर निम्नोक्त के लिए प्रतिबन्धों में छूट दी गई है :—

(1) निर्यातोन्मुखी एकक

(2) निरन्तर संसाधन वाले उद्योग

(3) सरकार/वित्तीय संस्थानों द्वारा पुनर्स्थापना के अन्तर्गत आने वाले रुग्ण औद्योगिक एकक।

(4) कृषि पर आधारित उद्योग और मत्स्य उद्योग और डेयरी क्षेत्र।

खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न उपभोक्ताओं को की जा रही एम०एस० और एच०एस०डी० की आपूर्ति के सम्बन्ध में इस समय खुदरा बिक्री केन्द्रों को एम०एस० की मात्रा गत वर्ष की उसी अवधि में जारी की गई मात्रा में 4% की वृद्धि करके दी जा रही है। एच०एस०डी० की मात्रा गत वर्ष की उसी अवधि में जारी की गई मात्रा के स्तर पर ही की जा रही है। खुदरा बिक्री केन्द्रों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा विनियमित की जाती हैं। स्थिति की लगातार पुनरीक्षा की जा रही है और औद्योगिक उत्पादन पर तेल संकट के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

शिवगंज रेलवे स्टेशन (महाराष्ट्र) का नवीनीकरण

475. श्री भाउसाहेब पुंडलिक फुंडकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में शिवगंज रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) नवीकरण योजना के भाग के रूप में, शिवगंज स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल को 12.24 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पहले ही स्वीकृति दे दी गई है। इस योजना पर 31.3.91 तक 1.0 लाख रुपये की राशि खर्च होने की सम्भावना है।

होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर नया रेल उपरिपुल

476. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर 150 वर्ष पुराना रेलवे पुल असुरक्षित घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर एक नये पुल का निर्माण करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जी नहीं। बहरहाल, दोहरीकरण परियोजना के भाग के रूप में, मौजूदा पुल के निकट एक नए पुल का निर्माण किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड में विद्युत सप्लाई

477. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विद्युत सप्लाई को कारगर बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत विद्युत सप्लाई और वितरण की सुविधा का समेकित रूप से विकास किया जाना उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का ही दायित्व है।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाना

[अनुवाद]

478. श्री बालासाहिब विखे पाटिल
श्री वामनराव महाडीक } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्य निर्माणशाला और कागज उद्योग के अपशिष्ट उपयोग द्वारा गैर-पारम्परिक स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन के विकास के लिए उपयुक्त तकनीक का विकास किया गया है और क्या सरकार को इस संबंध में सहायता दिए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान ऊर्जा संकट को देखते हुए सरकार ऐसे प्रस्तावों पर गम्भीरता से विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा गैर-पारम्परिक स्रोतों द्वारा ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम झाखड़) : (क) और (ख) ऊर्जा प्राप्ति से सम्बद्ध मद्यशालाओं और कागज उद्योग के अवशिष्टों के शोधन की प्रौद्योगिकियां देश में उपलब्ध हैं। इनके लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती तथापि ऐसी योजनाओं को दिए जा रहे राजकोषीय प्रोत्साहन और उदार ऋण इन्हें आर्थिक रूप से आकर्षक बनाते हैं।

(ग) और (घ) चूंकि बायोमैथेनेशन प्रणाली से उत्पादित बायोगैस डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है। इसलिए यह प्रौद्योगिकी विकल्पों का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण है। देश में सभी मद्यशालाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे 1991 के अन्त तक आधारभूत अवशिष्ट शोधन प्रणालियां स्थापित कर लें। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के अपशिष्ट पुनः चक्रण तथा संसाधन पुनः प्राप्ति प्रणाली कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं तथा मानव के अवशिष्ट, कृषि अपशिष्ट आदि के बायोमैथेनेशन के द्वारा ऊर्जा तथा संसाधन पुनः प्राप्ति को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

सोवियत संघ द्वारा टी०यू०-204 विमानों की पेशकश

479. श्री आनन्द सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत को इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के बेड़े में विमानों की संख्या बढ़ाने में मदद करने हेतु एयरबस ए-320 के समतुल्य अत्याधुनिक टी०यू०-204 विमान, जो आधुनिकतम "फ्लाइ-बाई-वायर कन्ट्रोल सिस्टम" से सुसज्जित है, देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो दोनों विमान निगमों में से प्रत्येक के बेड़े में विमानों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुमानतः ऐसे कितने-कितने विमानों की आवश्यकता है; और

(ग) सोवियत संघ की पेशकश पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दो एयरलाइनों की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए इस समय इन विमानों की खरीद की कोई योजना नहीं है।

राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन की खपत में कमी

4°0. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद } : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया और वायुदूत ने विमानन टर्बाइन ईंधन की खपत में कमी की है जिसमें उन्हें अपनी सेवाओं में कटौती करनी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक एयरलाइन्स द्वारा इस वर्ष जनवरी से रद्द की गई उड़ानों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने ईंधन की बचत होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) एयर इंडिया ने 16.1 91 से खाड़ी के लिए 46 साप्ताहिक उड़ानें, 1.2 91 से आस्ट्रेलिया के लिए 2 साप्ताहिक उड़ानें तथा यू०के० के लिए 2 साप्ताहिक उड़ान रद्द की हैं। 2 .1.91 से मस्कट, आबू धाबी और दुबई के लिए उड़ानों को आंशिक रूप से शुरू किया गया है। इंडियन एयरलाइंस ने 22.1.1991 से प्रतिदिन 46 उड़ानें रद्द की थीं।

(ग) एयर इंडिया ने लगभग 260 किलोलिटर ए०टी०एफ० प्रतिदिन की बचत की है। इंडियन एयरलाइंस ने 22.1.91 से 16.2.91 की अवधि में लगभग 8330 किलोलीटर ए०टी०एफ० की बचत की है।

दिल्ली से जामनगर के लिए विमान सेवा

481. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में जामनगर के चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्रीज और जामनगर जिले के अन्य संगठनों ने दिल्ली से जामनगर बारास्ता जयपुर आदि के लिए सीधी विमान सेवा चलाने की कई बार मांग की है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यह विमान सेवा कब तक चलाए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हाँ। इस संबंध में इंडियन एयरलाइंस के पास कुछ अभ्यावेदन आये हैं।

(ख) और (ग) इस समय इंडियन एयरलाइन्स की दिल्ली-जामनगर मार्ग पर सीधी सेवा आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि यातायात की सम्भावना इसके औचित्य को सिद्ध नहीं करती।

तेल भरने सम्बन्धी सुविधाओं के लिए मार्गनिर्देश

482. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति
श्री इन्द्रजीत गुप्त } क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने गैर-अनुसूचित अन्तर्राष्ट्रीय विमानों को तेल भरने की सुविधा देने के बारे में सभी विमानपत्तनों को कोई नये मार्ग निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) नये मार्ग निदेश जारी करने के क्या कारण हैं;

(घ) नए मार्ग निदेशों और प्रचलित मार्गनिदेशों में क्या अन्तर है;

(ङ) क्या खाड़ी युद्ध शुरू होने के बाद भी नागर विमानन महानिदेशालय या नागर विमानन मंत्रालय की जानकारी के बिना ही बम्बई, आगरा और मद्रास में अमरीकी सेना के विमानों को तेल भराई की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) दिनांक 28.1.91 के ए० आई० सी० संख्या 03/1991 के अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी किए नए मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) खाड़ी युद्ध के कारण एविएशन टर्बाइन ईंधन को बचाने के लिए ये मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए।

(घ) इससे पूर्व इस प्रकार के कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं थे क्योंकि विमानों द्वारा विमानन ईंधन को भरने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था।

(ङ) और (च) ये मार्गदर्शी सिद्धांत केवल सिविल विमानों पर ही लागू होते हैं क्योंकि नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय केवल नागर विमानों से ही सम्बन्धित है।

विवरण

विमानन ईंधन की सप्लाई के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

खाड़ी युद्ध से उत्पन्न हुई ईंधन की कठिन समस्या से निपटने के लिए भारतीय हवाई अड्डों पर विमान ईंधन की सप्लाई के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत अपनाए जाएंगे।

खण्ड क—विदेशी विमानों की उड़ानें :

1. अनुसूचित उड़ानें

1.1 1990-91 की शरदकालीन समय सारणी में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा स्वीकृत किए गए विदेशी वाहकों की अनुसूचित उड़ानों के लिए ईंधन उपलब्ध होगा।

1.2 मौजूदा अनुसूची और अतिरिक्त अनुसूचित उड़ानों में परिवर्तन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय अनुमति नहीं देना चाहे वे विपक्षी हकदारों के भीतर हो, यदि उसमें अतिरिक्त ईंधन लेना अन्तर्ग्रस्त है।

1.3 ओवरफ्लाइंग सेवाओं के आपातकालीन अवतरण और अपवर्तन पर पुनः ईंधन भरने के लिए तभी विचार किया जाएगा जब नागर विमानन महानिदेशालय परिस्थितियों की प्रमाणिकता के बारे में संतुष्ट हो जाए। सम्बन्धित ए० टी० सी० यूनिट को नागर विमानन महानिदेशालय ने ऐसे प्रत्येक मामले में अनुदेश जारी करेंगे।

2. गैर अनुसूचित उड़ानें :

2.1 नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा पहले से ही अनुमत गैर-अनुसूचित चार्टर/अतिरिक्त खंडीय उड़ानों को पुनः ईंधन भरने की अनुमति दी जाएगी।

2.2 नये कार्गो चार्टर उड़ानों को पुनः ईंधन भरने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि वे उड़ानें भारत में समाप्त होती हो।

2.3 नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा चार्टरिस नये नपर्यटक चार्टरों को ईंधन लेने की अनुमति होगी।

2.4 उन विमानों को भी पुनः ईंधन भरने की अनुमति दी जाएगी जो भारत में विदेशी मिशनों के लिए परिचालन कर रहे हैं।

खंड—ख – अंतर्देशीय परिचालन

1. अनुसूचित सेवाएं :

ईंधन कटौती के बारे में एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस/वायुदूत को सरकारी निदेशों का पालन करना होगा।

2. हवाई टैक्सी परिचालन :

हवाई टैक्सी परमिट धारकों को ईंधन लेने की अनुमति दी जाएगी वर्तमान परमिट धारकों को अपने विमानों की संख्या में वृद्धि नहीं करनी चाहिए।

3. निजी/गैर-अनुसूचित परिचालन और राज्य सरकार परिचालन :

गैर-अनुसूचित प्रचालकों के विमान, निजी प्रचालकों और राज्य सरकारो के विमान और पर्यटक-क्रीड़ा कार्यकलापों में लगे हुए विमान को सितम्बर-दिसम्बर, 1990 के पिछले तिमाही में 75% तक विमानन ईंधन लेने की अनुमति दी जाएगी।

4. उड़ान क्लब/संस्थान/विद्यालय

उड़ानों क्लबों/संस्थानों/विद्यालयों के विमानों को विमानन ईंधन लेने की अनुमति दी जाएगी जिससे वे प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

5. पवन हंस :

पवन हंस लिमिटेड को अपने परिचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विमानन ईंधन लेने की अनुमति दी जाएगी।

खंड ग— सामान्य

1. उपरोक्त पैराग्राफों में उल्लिखित उड़ानों को भारतीय हवाई अड्डों से पुनः ईंधन भरने की अनुमति नहीं होगी सिवाये इसके जबकि नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा इसके लिए विशेष प्राधिकार न दिया गया हो।

2. उड़ानों को क्लीयर करते समय, नागर विमानन के महानिदेशक इस बात का विशेष उल्लेख करेंगे कि क्या पुन ईंधन की भरने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं।

3. अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के मामले में, ईंधन भरने की अनुमति केवल न्यूनतम ईंधन सीमा तक दी जायेगी जो आगामी सैक्टर के लिए परिचालन के लिए आवश्यक हो।

तेलों के मूल्यों में गिरावट

483. श्री शांताराम पोटदुखे
श्री आनन्द सिंह
श्री माधवराव सिन्धिया } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत महीने के दौरान विश्व बाजार में तेल के मूल्यों में गिरावट आ थी,

(ख) क्या भारत ने स्पॉट मार्किट से तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीद कर तेल की इस मूल्य गिरावट का लाभ उठाया और 'ओपेक' और 'गैर-ओपेक देशों से कोई करार किया,

(ग) यदि हाँ, तो तेल के मूल्यों में आई गिरावट के परिणामस्वरूप भारत द्वारा कितनी स्पॉट मार्किट खरीद की गई और इसका भारत के आयात बिल पर क्या प्रभाव पड़ा है, और

(घ) यदि तेल के मूल्यों में आई गिरावट के समय कोई स्पॉट खरीद नहीं की गई तो उसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) :

(क) 16.1.1991 के सूचना पट्ट के अनुसार मीन दुबई कच्चे तेल की कीमत 25.30 अमरीकी डालर प्रति बैरल थी। यह कीमत 13.2.1991 को घटकर 14.89 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गई। 17.1.1991 से 13.2.1991 की अवधि के लिए कीमत के तुलित औसत की 16.1.1991 को मौजूद कीमत के साथ की गई तुलना के आधार पर कच्चे तेल की कीमत में लगभग 38 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(ख) 15 जनवरी, 1991 से 13 फरवरी, 1991 की अवधि के दौरान अधिकतम पत्तन क्षमता/भंडारण योग्य सायान के इस्तेमाल के लिए हमने लगभग 2.151 मिलियन टन कच्चे तेल, 0.444 मिलियन टन एस०के०ओ० और 0.565 मिलियन टन एच०एस०डी० की

उठान की है। चूंकि हमने 31 मार्च 1991 तक सप्लाई के लिए अपनी आवधिक संविदा को अन्तिम रूप दे दिया है और कीमतें आवधिक संविदा के अन्तर्गत बाजार से जुड़ी होती हैं अतः मूल्य गिरावट का लाभ हमें स्वतः मिल जाता है।

(ग) और (घ) 15.1.1991 से 13.2.1991 के दौरान कच्चे तेल, एस०के०ओ० और एच०एस०डी० की आयातित मात्रा क्रमशः 1.036 मिलियन टन 0.380 मि० टन और 0.452 मि० टन है। खाड़ी युद्ध के पूर्व प्रचलित दुबई कच्चे तेल के मूल्य 25.33 डालर प्रति बैरल की तुलना में तेल की कीमत के गिर जाने से भारत के आयात बिल में 140 मिलियन अमरीकी डालर की कमी होने का अनुमान है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अवधि के दौरान आवधिक खरीद पर भी कम कीमत का लाभ मिला है।

उड़ानों का रद्द किया जाना

484. **श्री ए० विजयराघवन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईंधन की खपत में कटौती को देखते हुए उड़ानें रद्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स की आय में कितनी कमी होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) 16.1.1991 से 21.2.1991 तक खाड़ी क्षेत्र के लिए एयर इन्डिया की 190 उड़ानें रद्द कर दी गई थीं। इंडियन एयरलाइन्स ने 22.1.1991 से प्रतिदिन औसतन 46 उड़ानें रद्द की थीं। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा इनमें से अधिकांश उड़ानों को अब चालू कर दिया गया है।

(ग) इससे इंडियन एयरलाइन्स को हुए नुकसान का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि परिचालित की गई इन उड़ानों पर यात्री भार गुणक में वृद्धि हो गई थी। बन्द की गई अधिकांश उड़ानों पर गुणक भी कम हो रहा था। ईंधन के खपत में भी बचत हो रही थी।

कांडला और मंगलौर के गैस टर्मिनल

[हिन्दी]

485. **श्री हरीश पाल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कांडला और मंगलौर गैस टर्मिनल पर भारतीय तेल निगम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्रवाई की है, और

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो, उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) प्रतिवेदन अन्तिम निर्णय के प्रक्रियाधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

486. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध मे तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

229 अप दुर्ग-वाल्टेयर यात्री गाड़ी का पटरी से उतरना

487. **श्री मणिक राव होल्डया गावित**
श्री आर० एन० राकेश } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जनवरी, 1991 को रामपुर में यात्री गाड़ी (229 अप दुर्ग-वाल्टेयर) पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं,

(ग) इस दुर्घटना में जान और माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(घ) घायल यात्रियों और मरने वालों के परिवार के नजदीकी संबंधियों को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) (क) से (ङ) जी नहीं, तथापि 3.1.91 को लगभग 21.15 बजे; जब न० 229 अप दुर्ग-वालतेरु पैसेंजर दक्षिण पूर्व रेलवे के वालतेरु मंडल के आरंग-महानदी और बेलसोंडा स्टेशनों के बीच चल रही थी तब इंजन से बाद के 7 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये थे। चूंकि कोई यात्री हताहत नहीं हुआ था इसलिए क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता है।

रेल सम्पत्ति को जो नुकसान हुआ है उसका अनुमान 90,000 रुपये लगाया गया है।

इस दुर्घटना की विभागीय जांच प्रगति पर है।

अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर दर्शकों के प्रवेश पर पाबंदी

488. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध को देखते हुए सरकार का विचार देश के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दर्शकों के प्रवेश पर रोक लगाने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार विमान ईंधन की बचत के उद्देश्य से, देश के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कुछ एयरलाइनों के परिचालन पर रोक लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल की खोज

[हिन्दी]

489. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इन्डिया लिमिटेड द्वारा विदेशी तेल कम्पनियों की सहायता से देश के विभिन्न भागों में तेल की खोज का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) इस समय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इन्डिया लिमिटेड द्वारा सतरह बेसिनों की विभिन्न श्रेणियों के अन्दर अन्वेषण कार्य किया जा रहा है जिसमें तटवर्ती क्षेत्र में असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा तामिलनाडु राज्यों के विभिन्न भाग तथा सौराष्ट्र एवं अंडमान अपतटीय क्षेत्र सहित पूर्वी एवं पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अन्वेषण पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 1294 करोड़ रुपये तथा आयल इन्डिया लि० द्वारा 107 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/ऑयल इन्डिया लिमिटेड के तेल के अन्वेषण कार्यों की अनुपूर्ति के लिए, भारत सरकार ने भारत में तेल के अन्वेषण के लिए समय-समय पर विदेशी तेल कम्पनियों को आमन्त्रित किया है। ऐसा अन्तिम प्रस्ताव 1986 में किया गया था जिसके अधीन विदेशी तेल

कम्पनियों को 27 अपतटीय ब्लाक दिए गए थे। 9 ब्लाकों के सम्बन्ध में विदेशी कम्पनियों के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन ब्लाकों में अभी तक हुआ खर्च लगभग 75 मिलियन अमरीकी डालर है।

उत्तरी कोयम्बतूर में ऊपरि पुल

[अनुवाद]

490. **सी० के० कृष्णस्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी कोयम्बतूर स्टेशन पर रेलवे ऊपरि पुल के निर्माण की योजना बहुत समय से लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वयन में विलंब किये जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) (क) जी हां।

(ख) निर्माण कार्य इसलिए शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार स्वीकृत योजना में आशोधन करना चाहती थी। संशोधित योजना को राज्य सरकार द्वारा सितंबर 1990 में अन्तिम रूप दिया गया था जिसमें यह व्यवस्था थी कि पुल की सड़क की चौड़ाई अधिक हो (3 लेन वाला) और पैदल चलने वालों/साइकिल यातायात के लिए एक उपमार्ग हो।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।

औषधि मूल्य निर्धारण नीति

491. **श्री मनोरंजन सुर :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषधियों के मूल्य निर्धारण नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) चूंकि औषध नीति पुनरीक्षाधीन है, अतः मल्य निर्धारण नीति में भी तदनुसार कुछ परिवर्तन होने की संभावना है।

उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में कोयले के भण्डार

[हिन्दी]

492. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में कोयले के भंडारों का पता लगाने के लिए कोई

योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त क्षेत्रों में कुल कितने टन कोयले के भंडारों का पता लगाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) और (ख) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण द्वारा, जो कि मूल रूप से देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध कोयला के भण्डारों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय आधार पर समन्वेषण कार्य किए जाने के लिए उत्तरदायी है, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में कोयले के भंडारों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण कार्यक्रम को किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा पूर्व में किए गए अन्वेषण कार्य द्वारा देश में उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जम्मू एवं कश्मीर राज्य में बहुत कम मात्रा में कोयले के भण्डार होने की पुष्टि की गई है।

बुलढाना, महाराष्ट्र में हवाई अड्डा

493. श्री सुखदेव नन्दाजी काले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इस पर कितनी लागत आयेगी ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल बचत संबंधी विज्ञापनों पर व्यय

494. श्री हरीश रावत : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न तेल कम्पनियां तेल बचत के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु विज्ञापन दे रही है, और

(ख) यदि हां, तो आगामी छः महीनों के दौरान इन विज्ञापनों, पोस्टरों आदि पर इन कम्पनियों द्वारा अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा व्यय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी हां। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ और चार तेल विपणन कम्पनियां तेल की बचत के लिए विज्ञापनों आदि द्वारा जन शिक्षण अभियान चलाती हैं।

(ख) इन संगठनों द्वारा विज्ञापनों आदि पर वर्ष 1990-91 के लिए अनुमानित कुल व्यय 232.51 लाख रुपए है जिसमें से अब तक 196.15 लाख रुपए (लगभग) खर्च किए जा चुके हैं।

पवन ऊर्जा के लिए वित्तीय आवंटन

[अनुवाद]

495. श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवन ऊर्जा पैदा करने के लिए दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसे सहायता देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने तमिलनाडु जैसे राज्यों को, जिनमें पवन ऊर्जा पैदा करने की अधिक क्षमता है, अधिक धनराशि आवंटित करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवंतराव डाकणे) : (क) पवन ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। किसी राज्य को दी जाने वाली कुल सहायता उस राज्य में पवन ऊर्जा संभाव्यता तथा विशिष्ट परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता जैसी बातों पर निर्भर करती है। तदनुसार सातवीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित राज्यों ने एक करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त की :

1. तमिलनाडु	9.08 करोड़ रुपये
2. गुजरात	8.08 करोड़ रुपये
3. उड़ीसा	2.29 करोड़ रुपये
4. आंध्र प्रदेश	2.10 करोड़ रुपये
5. महाराष्ट्र	1.77 करोड़ रुपये

(ख) और (ग) : विभिन्न राज्यों की पवन विद्युत संभाव्यता को शामिल करने और विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता हेतु वित्तीय सहायता देने के मापदण्ड जारी रहेंगे ।

कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र

[हिन्दी]

496. श्री जनार्दन यादव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र का निर्माण कार्य 1990 तक पूरा होने का कार्यक्रम था ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजना के पूरा होने में देरी के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवंतराव डाकणे) : (क) से (ग) : सरकार के अनुमोदन के अनुसार कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना के 210-210 मेगावाट के 4 यूनिटों वाले

चरण-एक की पहली यूनिट को 1990-91 (अर्थात मार्च, 1991 तक) तथा शेष यूनिटों को तत्पश्चात छः-छः महीने के अन्तराल से चालू किये जाने के कार्यक्रम हैं। पहली यूनिट से सम्बन्धित कार्य पूरा होने की अवस्था में है तथा यूनिट को दिसम्बर, 1991 तक चालू किये जाने का कार्यक्रम है। शेष यूनिटों को तत्पश्चात छः-छः महीने के अन्तराल से चालू किये जाने का कार्यक्रम है। चालू करने से सम्बन्धित कार्यक्रम में परिवर्तन करने के मुख्य कारणों में, निरन्तर औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याएं तथा यू०एस०एस०आर० में विलम्ब से एवं गैर-क्रमवार सप्लाई प्राप्त होना शामिल है।

कोयले का उत्पादन

[अनुवाद]

497. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खाड़ी युद्ध को देखते हुए देश में अतिरिक्त कोयले का उत्पादन करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई या करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) और (ख) : जी हां। इस सम्बन्ध में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों तथा घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने पर बल दिया जा रहा है। अप्रैल, 90—जनवरी, 91 की अवधि के दौरान कोयले का कुल उत्पादन 160.68 मि० टन हुआ जबकि इसकी तुलना में इसी अवधि में पिछले वर्ष कोयले का उत्पादन 157.74 मि० टन हुआ था। अप्रैल, 90—जनवरी, 91 की अवधि के दौरान कुल उठान 166.78 मि० टन हुआ जबकि पिछले वर्ष के दौरान कुल उठान 161.86 मि० टन हुआ था। कोयला कम्पनियों को सभी उपभोक्ता क्षेत्रों में और अधिक कोयले की आपूर्ति किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उड़ान के दौरान एक महिला यात्री की मृत्यु

498. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 दिसम्बर, 1990 को एयर इंडिया की दिल्ली-लन्दन-न्यूयार्क उड़ान में यात्रा कर रही एक वृद्ध महिला गम्भीर रूप से बीमार हुई और उसकी मृत्यु हो गई;

(ख) क्या विमान में यात्रा कर रहे चिकित्सकों से महिला यात्री का उपचार करने के लिए कोई मदद मांगी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (ङ) : एयर इंडिया की तारीख 30-12-90 की उड़ान संख्या 111 पर अपने भाई के साथ लंदन जा रही

एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई। उस महिला का ब्रिटेन में लिवर कैंसर का इलाज चल रहा था। उक्त महिला को विमान में एक डाक्टर की सहायता प्रदान की गई थी। चूंकि उन्हें विमान में डाक्टरी सहायता उपलब्ध कराई गई थी अतः किसी प्रकार की जांच करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मृतक के परिवार के सदस्यों ने एयर इंडिया द्वारा किए गए प्रबन्धों की सराहना की।

बम्बई में रेल लाइनों के साथ-साथ बने हटमेन्टों का हटाया जाना

[हिन्दी]

499. **प्रो० महादेव शिवनकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक ऐसी योजना के बारे में कोई समझौता हुआ है जिसके तहत रेल लाइन से 30 फुट के अन्दर बनी झोपड़ पट्टी को हटाया जाना है और झोपड़ पट्टी के इन निवासियों को रेल लाइन से 30 फुट दूर रेल भूमि पर बसाकर बड़ी एक दीवार का निर्माण किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के कार्यान्वयन में क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन झोपड़पट्टी वासियों को बेकार पड़ी रेल भूमि में बसाकर रेल लाइनों के निकट की भूमि को विकसित करने में रेल विभाग को क्या आपत्ति है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) झोपड़ पट्टी निवासियों को फिर से बसाने का विषय राज्य सरकार का है। रेलपथ के बीच लाइन से 30 फुट दूर तक जो भूमि रेलों की भावी आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित नहीं हैं उसे भूमि के मौजदा बाजार मूल्य पर या प्रति वर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 6% लाइसेंस आधार पर ग्रहण करने के लिए महाराष्ट्र सरकार अभी तक सहमत नहीं हुई है। राज्य सरकार को 30 फुट की दूरी पर एक दीवार बनाकर घेराबन्दी करनी चाहिए ताकि संरक्षा की दृष्टि से उस भूमि को अलग-थलग रखा जा सके।

दामोदर घाटी निगम की "बेल हिल" जलाशय योजना

500. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम द्वारा बडाकर नदी पर बेल हिल जलाशय और नहर योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और इसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) : बालपहाड़ी बांध के सन्दर्भ में, बिहार तथा पश्चिम बंगाल की सहभागी राज्य सरकारों को दामोदर घाटी निगम द्वारा जुलाई, 1987 में 117 करोड़ रुपये की लागत पर परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट

भेजी गई थी। उन्होंने परियोजना प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी सहमति अभी नहीं दी है।

रेल मार्गों और रेल डिब्बों का नवीकरण

501. **श्री छैबी पासवान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान रेलमार्गों और रेल डिब्बों के नवीकरण पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी;

(ख) क्या पिछले छह महीनों के दौरान दंगों से हुई क्षति इस राशि से पूरी हो जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु और धनराशि देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) रेल पथों में सुधार रेलपथ के नवीकरण के साथ किया जाता है। चालू वर्ष में इस कार्य पर 1091 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाने की सम्भावना है। सवारी डिब्बों में सुधार करने के लिए अलग से कोई धन आबंटित नहीं किया जाता है। यह कार्य राजस्व के अंतर्गत अनुरक्षण व्यय का एक भाग है। 1990-91 के दौरान सवारी डिब्बों, बिजली की मदों, बिजली गाड़ियों (इं० एम० यू०) और माल डिब्बों से सम्बन्धित चल स्टाक के अनुरक्षण के लिए 1042.34 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुल्लू व अन्य स्थानों पर डॉरनियर हैलीकाप्टर सेवाएं

502. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कुल्लू (भंसार), गग्गल, (कांगड़ा), शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली के हवाई अड्डों को डॉरनियर हैलीकाप्टर की हवाई सेवाओं से जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी हवाई सेवाएं कब से आरम्भ करने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (ग) वायुदूत लिमिटेड पहले से ही दिल्ली से एवरो और डौनियर-228 विमानों से चण्डीगढ़, शिमला, कुल्लू और गग्गल के लिए अनुसूचित सेवाएं परिचालित कर रहा है।

होशियारपुर में खाना पकाने की गैस की सप्लाई

[अनुवाद]

504. **श्री कमल चौधरी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के होशियारपुर तथा होशियारपुर जिले के अन्य कस्बों में गत एक वर्ष के दौरान खाना पकाने की गैस की सप्लाई कम रही है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को बुकिंग कराने के 2 सप्ताह अथवा उनसे अधिक समय के बाद भी गैस रिफिल/सिलिण्डर नहीं मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस कमी और खाना पकाने की गैस की सप्लाई में होने वाली देरी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) थोक एल०पी०जी० की उपलब्धता में अड़चनों, परिवहन की समस्याओं और कानून और व्यवस्था की छुट-पुट समस्याओं की वजह से होशियारपुर जिले के कुछ स्थानों से एल०पी०जी० के रिफिलों की आपूर्ति में अस्थायी कमी की सूचना प्राप्त हुई थी। उत्पादन और आयात में वृद्धि करके, बाटलिंग को बढ़ाकर, यातायात को बढ़ाकर, और रिफिलों के प्रदाय को तेज करके एल०पी०जी० की उपलब्धता को बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का आबंटन

[हिन्दी]

505. **श्री लरंग साय :** पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष और आगामी वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्प आवंटित करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) : जी हां। सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए नियोजित एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप, खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) डीलरशिप का राज्यवार ब्योरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप
1. आंध्र प्रदेश	5	6
2. अरुणाचल प्रदेश	2	0

3. असम	4	1
4. बिहार	21	8
5. गुजरात	7	8
6. हरियाणा	5	2
7. हिमाचल प्रदेश	3	0
8. जम्मू व कश्मीर	0	2
9. कर्नाटक	7	3
10. केरल	6	3
11. मध्य प्रदेश	22	9
12. महाराष्ट्र	12	23
13. मणिपुर	0	1
14 मेघालय	2	0
15. मिजोरम	1	0
16. नागालैंड	4	0
17. उड़ीसा	2	1
18. पजाब	3	4
19. राजस्थान	8	5
20. तमिलनाडू	6	3
21. उत्तर प्रदेश	27	12
22. पश्चिम बंगाल	9	5
संघ राज्य क्षेत्र		
1. अण्डमान व निकोबार	0	0
2. चण्डीगढ़	1	0
3. दादर व नगर हवेली	0	0
4. दिल्ली	1	0
5. गोवा दमन व द्वीव	2	1
6. लक्ष्यद्वीप	0	0
7. पाण्डेचेरी	1	0

रसोई गैस का जलाया जाना और इसका आयात

[अनुवाद]

506. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रतिवर्ष 1800 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की प्राकृतिक गैस जलायी जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे अब तक कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या भारत घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस का आयात कर रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो उस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ङ) रसोई गैस के मामले में हमारे देश के कब तक आत्म-निर्भर हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं। प्राकृतिक गैस की वर्तमान कीमतों पर (400/1000 रुपये घन मीटर) इस समय दहन होने वाली गैस का मूल्य लगभग 550/- करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होने का अनुमान है। तथापि, इस गैस का आर्थिक मूल्य 1100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

(ख) प्राकृतिक गैस की वर्तमान कीमतों पर (1400/1000 रुपये घन मीटर), पिछले तीन वर्ष (1987-88 और 1989-90) में दहन हुई सम्बद्ध गैस का मूल्य लगभग 1750 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) एल० पी० जी० के आयात पर चालू वर्ष में अब तक लगभग 130 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ङ) निकट भविष्य में एल० पी० जी० के क्षेत्र में देश के आत्मनिर्भर होने की सम्भावना नहीं है।

बेरहामपुर से पान के पत्तों की ढुलाई

507. श्री ए० एन० सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा बेरहामपुर (गंजाम) से उत्तर भारत को भारी मात्रा में पान के पत्तों की ढुलाई की जाती है;

(ख) क्या हावड़ा में पान के पत्तों की चढ़ाई और उतराई में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिए बेहरामपुर से उत्तर भारत के लिए सीधा माल डिब्बा उपलब्ध कराने की मांग की गई है; और

(ग) रेल विभाग बेरहामपुर से यह सुविधा कब उपलब्ध कराएगा ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बेरहामपुर से दैनिक औसत मांग 0.5 टन की है। यातायात की इतनी मात्रा से एक पूरे माल डिब्बा भार में इसे भेजने का औचित्य नहीं है। इस समय, यातायात को ब्रह्मपुर से गुजरने वाली सवारी और माल/एक्सप्रेस गाड़ियों के एस० एल० भार० में भेजा जा रहा है।

ए-320 विमानों की उड़ान बन्द किया जाना

[हिन्दी]

508. प्रो० प्रेम कुमार धूमल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उसी अवधि में ए-320 विमानों की खरीद के लिए किसी अन्य कम्पनी से समझौता किया था जिसमें पहले से खरीदे गए ए-320 विमानों की उड़ानें बंद कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आम आदमी पर खाड़ी युद्ध का प्रभाव

[अनुवाद]

509. श्री नन्दू थापा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी युद्ध के कारण देश में तेल और पेट्रो-रसायन पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की कमी और उच्च लागत की वजह से आम आदमी पर कितना मुद्रास्फीति प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) खाड़ी युद्ध के परिणामस्वरूप देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर कोई प्रभाव अभी तक महसूस नहीं किया गया है।

(ख) अक्तूबर, 1990 से पेट्रोलियम उत्पादों (घरेलू एल० पी० जी० के अतिरिक्त) की घरेलू कीमतों पर 25% का एक खाड़ी अधिभार लगाया गया था। थोक मूल्य पर इस अधिभार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव को करीब 1.5% पर आंका गया था।

पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य

10. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से प्राप्त पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में कितना अन्तर था;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से प्राप्त पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में कोई व्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों का आयात दोनों प्रकार से अर्थात नेशनल ऑयल कम्पनियों के साथ आवधिक संविदा के साथ-साथ स्पाट खरीद से किया जाता है। स्पाट खरीद का किसी विशिष्ट देशों से हमेशा सम्बद्ध नहीं होता है। इसलिए, उत्पादों के निर्यात एवं मूल्यों के देशवार ब्यौरे देना सम्भव नहीं है। यद्यपि यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि नेशनल ऑयल कम्पनियों से आवधिक संविदाओं की बातचीत के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि सहमत मूल्य आवधिक संविदा की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक होता है। इसी प्रकार अत्यधिक हितकारी मूल्यों की प्राप्त के लिए स्पाट खरीद निविदाओं के माध्यम से की गई।

केरल को पेट्रोल और डीजल का आवंटन

511. **प्रो० के० वी० थामस**
श्री ए० चार्ल्स } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी संकट से पहले केरल और अन्य राज्यों को डीजल और पेट्रोल की कितनी मात्रा आवंटित की जाती थी;

(ख) क्या खाड़ी संकट के बाद केरल को डीजल और पेट्रोल के आवंटन में कटौती की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इन उत्पादों की मांग और पूर्ति का अन्तर दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या डीजल और पेट्रोल के वितरण हेतु राशन प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) अगस्त, 1990 में खाड़ी संकट से पूर्व रिटेल आउटलेटों के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर कोई पाबंदी नहीं थी। यद्यपि विदेशी मुद्रा के नियन्त्रण की दृष्टि से, 1 जुलाई 1990 से बल्क उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए थे।

(ख) और (ग) खाड़ी संकट को दृष्टिपात करते हुए सम्पूर्ण देश में रिटेल आउटलेटों के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को 8 अक्तूबर, 1990 से प्रतिबंधित किया गया है। डीजल की आपूर्ति उसी स्तर पर की जा रही है, जिस स्तर पर इसी अवधि में पूर्व वर्ष में की

गई थी।

पेट्रोल की, इस समय कोई कमी नहीं है। डीजल की कुछ कमी की सूचना मिली है और देश के विभिन्न भागों में डीजल की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने के लिए, अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों ने ऐसा करने के लिए विभिन्न पद्धति विकसित की है। कुछ राज्यों ने डीजल के वितरण को नियंत्रित करने के लिए परामट प्रणाली विकसित की है।

दिल्ली से राजौरी के लिए वायुदूत सेवा को पुनः चालू करना

512. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से जम्मू होकर राजौरी तक की वायुदूत सेवा रद्द कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा पुनः कब चालू होगी, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विमानों की कठिनाई, समाधनों की कमी और परिचालनों की उपलब्धता के कारण वायुदूत इस समय राजौरी के लिए परिचालन पुनः प्रारम्भ करने में असमर्थ है।

बंगलौर शहर में रसोई गैस की सप्लाई

513. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के कितने उपभोक्ता हैं ?

(ख) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि उपभोक्ताओं को अपना सिलेण्डर के लिए 30 से अधिक दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और

(ग) यदि हां, तो पिछला बकाया पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) 1 जनवरी, 1991 के अनुसार बंगलौर शहर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के करीब 1.8 लाख एल०पी०जी० उपभोक्ता थे।

(ख) 1 फरवरी 1991 के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन बंगलौर शहर में अपने उपभोक्ताओं की मांग को पर्याप्त रूप से पूरा कर रहा है और रिफिलों की आपूर्ति प्रायः बुकिंग के 48 घंटे के भीतर की जाती है।

(ग) 1 फरवरी, 1991 के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के लिए बंगलौर शहर में कोई बकाया नहीं था।

कोटा ताप विद्युत केन्द्र

[हिन्दी]

514. श्री गोपाल पचेरवाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा में ताप विद्युत संयंत्र की दो यूनिटें बन्द हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्ता (कोटा) विद्युत संयत्र से राजस्थान को होने वाली विद्युत सप्लाई इस बीच बन्द हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : अंता गैस आधारित क्षेत्रीय विद्युत में से राजस्थान की हकदारी और उसके द्वारा वास्तविक रूप से ली गई विद्युत का तुलनात्मक ब्योरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े मि० यू० में)

	जनवरी, 1991	अप्रैल, 90-जनवरी, 91
हकदारी	54	310
वास्तविक रूप से ली गई विद्युत	55	297

जोधपुर में सौर संयत्र की स्थापना

[अनुवाद]

515. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से सम्बन्धित विभाग जोधपुर (राजस्थान) में 30 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है,

(ख) क्या जोधपुर को स्थापना-स्थल चुने जाने का कोई वैज्ञानिक आधार है,

(ग) क्या सरकार ने इस पर कोई संभाव्यता अध्ययन कराया है,

(घ) इसकी स्थापना के लिए कितनी लागत तथा समय प्रस्तावित है,

(ङ) क्या राजस्थान प्रस्तावित लागत में भागीदार होगा, और

(च) परियोजना की निकासी तथा अनुमोदन के विषय में ताजा स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध मौसम विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों से पता चलता है कि प्रस्तावित 30 मेगावाट सौर विद्युत संयंत्र के लिए जोधपुर के पास मथानिया गांव एक उपयुक्त स्थल है।

(ग) इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक कार्य दल की स्थापना की गई थी।

(घ) कार्य दल ने अनुमान लगाया है कि इस परियोजना की स्थापना पर 2-3 वर्ष लगेंगे। इस प्रस्तावित परियोजना की लागत का अनुमान लगभग 160-180 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ङ) राजस्थान सरकार ने इस बात का उल्लेख किया है कि वह इस परियोजना की लागत में अपनी हिस्सेदारी के रूप में 16 करोड़ रुपए का अंशदान करेगी और 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी।

(च) इस परियोजना की आर्थिक-व्यवहार्यता प्रमाणित होने पर तथा अपेक्षित प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता जैसे अन्य सभी आवश्यक निवेश के जुटाने पर यह परियोजना कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की जा सकती है।

राजस्थान के उदयपुर और सबिम्बार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां और पेट्रोल पम्प

516. श्री नंदलाल मीणा
श्री गुलाब चन्द कटारिया } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदयपुर जिले (राजस्थान) और सबिम्बार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाना पकाने की गैस की एजेंसियों और कार्यरत पेट्रोल पम्पों की संख्या और स्थानों का ब्योरा क्या है;

(ख) खाना पकाने वाली गैस की एक एजेंसी को कितने कनैक्शन आवंटित किए गए हैं,

(ग) ऐसे गांवों, कस्बों और शहरों की संख्या कितनी है जिनकी जनसंख्या बीस हजार से ज्यादा है वहां कोई एजेंसी न दिए जाने के क्या कारण हैं,

(घ) सबिम्बार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां और पेट्रोल पम्प खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

(ङ) उदयपुर में आवंटित किए जाने वाले पेट्रोल पम्पों और खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का ब्योरा क्या है,

(च) क्या उदयपुर जिले में डीजल और पेट्रोल की भारी कमी है, और

(छ) यदि हां, तो उपरोक्त जिले में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्रवाई का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरों को गैस कनैक्शनों का आवंटन, देश में सकल उत्पाद की उपलब्धता के अनुसार प्रश्नाधीन शहर पर लागू रिफिल की मासिक बिक्री की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(ग) राजस्थान में 20,000 से ऊपर की आबादी वाले 33 बाजारों को निर्दिष्ट किया गया है । प्रतिबंधित उत्पाद की उपलब्धता की वजह से इन सभी में एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने में रुकावट आ गई है ।

(घ) प्रतापगढ़, नाथद्वारा और उदयपुर में एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप की योजना है । इस समय सालुमबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे कोई नया खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की योजना नहीं है ।

(ङ) उदयपुर के लिए 2 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की योजना है । फिलहाल उदयपुर के लिए किसी नए खुदरा बिक्री केन्द्र की योजना नहीं है ।

(च) और (छ) इस समय समूचे देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों के जरिए एच० एस०डी० की आपूर्ति उसी स्तर पर की जा रही है जिस स्तर पर पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की गई थी। मोटर स्पिरिट की आपूर्ति, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की गई आपूर्ति से 4% अधिक की जा रही है । उदयपुर जिले में मोटर स्पिरिट और एच०एस०डी० की अत्यन्त कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । माँग प्रबंधन दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में पेट्रोलियम उत्पाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है ।

विवरण

जिला उदयपुर

खुदरा बिक्री केन्द्र

	स्थान	संख्या
1.	उदयपुर	14
2.	बलीचा	1
3.	भुनवाना	1
4.	डबोक	2
5.	फतेहनगर	2
6.	धारीवत	1
7.	भाड़ावार	1
8.	खारवाड़ा	1
9.	कंकरोली	3
10.	छरभुवा रोड	1
11.	दओगढ़ मदरिया	1
12.	नाथद्वारा	3

13.	भीम	1
14.	देबरीगेट	1
15.	गांव सुखर	1
16.	सुखर अम्बारी	1
17.	खम्बली घाट	1
18.	डबोक चित्तारागढ़ रोड	1
19.	रिकाबदेव	1
20.	हाथी पोलीगेट	1
21.	मदरी	1
22.	सालूम्बर	1
23.	राइलमोसरा	1
24.	कृषिमंची	1
25.	जयसामल	1
26.	भिण्डोर	1
27.	टिड्डी	1
29.	गोमती का चोकचा	1
29.	बलीचा	1
30.	गोगुण्डा	1
		योग 49

एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप

1.	उदयपुर	7
2.	दरीबा माइंस	1
3.	राजास मण्ड	1
4.	जवर माइंस	1
		योग 10

सालुम्बर संसदीय क्षेत्र

रिटेल आउटलेट

	स्थान	संख्या
1.	खारवाड़ा	1
2.	असपुर	1
3.	सालुम्बर	1
		योग 3

एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप

1.	राजसमंद	1
2.	उदयपुर	1
3.	डूंगरपुर	1
4.	रावलभाटा	1
		योग 4

आवंला-बरेली के लिए तेल निगम की भण्डारण सुविधाएं

[हिन्दी]

517. श्री रामवीर सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवंला-बरेली के लिए भारतीय तेल निगम की भंडारण सुविधाओं को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्माण कार्य किस तारीख से शुरू कर दिया जायेगा; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक पूरा करने का विचार है और यह भंडारण सुविधा कब से चालू हो जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) डिपो का निर्माण करने के लिए स्थान का पता लगा लिया गया है और उस भूमि का अधिग्रहण करने के लिए जनवरी, 1991 में समाहर्ता को आवेदन पत्र दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिगृहित करने और उसे इंडियन आयल कारपोरेशन को सौंप दिए जाने के बाद ही निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

(ग) राज्य सरकार से भूमि लेने के बाद 36 माह के भीतर डिपो का कार्य पूरा हो जाने की आशा है।

हल्के डीजल तेल का कोटा

518. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की चारों सहायक कम्पनियों ने अपने डीलरों को 27 माह के दौरान एकत्रित आंकड़ों के आधार पर हल्के डीजल तेल का कोटा आवंटित किया है,

(ख) यदि हां, तो पेट्रोलियम उत्पादों के वर्तमान संकट को देखते हुए, उपरोक्त आधार पर हल्के डीजल तेल का कोटा निश्चित करने की समीक्षा की जायेगी; और

(ग) दिल्ली में अधिकृत हल्के डीजल तेल डीलरों को समान कोटा देने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली के एल०डी०ओ० डीलरों को एक समान कोटा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोल/डीजल और खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का आवंटन

519. **श्री गंगा चरण लोधी**
श्री आर० जोवरत्नम } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और नवम्बर, 1990 से जनवरी 1991 की अवधि के दौरान श्रेणीवार पेट्रोल/डीजल और खाना पकाने की गैस की कितनी एजेंसियां आवंटित की गई और उनके स्थानों का ब्यौरा क्या है,

(ख) इन एजेंसियों के आवंटन की क्या प्रक्रिया है,

(ग) क्या कुछ एजेंसियां आपके द्वारा अपने कोटे में से आवंटित की गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) आय, शिक्षा सम्बन्धी पात्रता, निवास, श्रेणी, उम्र आदि पात्रता शर्तों को जो उम्मीदवार पूरा करते हैं उनका चयन करते समय निम्न मानदंडों को अपनाया जाता है :

(1) व्यक्तित्व,

(2) व्यापारिक क्षमता/सेल्समैनशीप,

(3) वित्त व्यवस्था करने की क्षमता और सुविधाओं को देने की क्षमता,

(4) डीलर के रूप में पूर्णकालिक कार्य करने की तत्परता,

(5) साधारण आकलन और अन्य कार्यकलाप

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सूरत, गुजरात में पाइपों द्वारा गैस की सप्लाई

[अनुवाद]

520. **श्री काशीराम राणा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पाइपों द्वारा गैस की सप्लाई करने सम्बन्धी परियोजना के अन्तर्गत 7 लाख सी०एम०डी० प्राकृतिक गैस सूरत शहर के लिए देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव गुजरात सरकार से प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) : हां, महोदय, 3 लाख घन मीटर प्रतिदिन गैस गुजरात गैस निगम को पहले ही आवंटित की जा चुकी है। अतिरिक्त आवटन क्षेत्र में गैस की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

तेल्लिचेरी-मैसूर रेलवे लाइन

521. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में तेल्लिचेरी रेलवे स्टेशन से कर्नाटक राज्य में मैसूर रेलवे स्टेशन तक रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रारंभिक जांच तथा सर्वेक्षण किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस रेलवे लाइन के लिए अभिप्रेत मार्ग का ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास में पुल निर्माण

522. **श्री डी० पांडियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में रोमापुरम में ऊपरि रेल पुल के निर्माण की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा, और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है और साथ ही तमिलनाडु सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1991-92 के रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए इस परियोजना का प्रस्ताव विचाराधीन है : यह कार्य लागत की भागीदारी के आधार पर, राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा।

(ख) और (ग) इन ब्यौरों का पता, काम के स्वीकृत हो जाने तथा राज्य सरकार द्वारा काम के निष्पादन के लिए कार्यक्रम सूचित कर देने के बाद ही पता चलेगा।

जयपुर विमानपत्तम की हवाई पट्टी का विस्तार

[हिन्दी]

523. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर विमानपत्तन की छोटी हवाई पट्टी होने के कारण यहां बड़े विमानों को उतरने में कठिनाई होती है;

(ख) क्या इस कारण जयपुर में मुम्बई और दिल्ली के लिए आरक्षण कोटा भी अपेक्षाकृत कुछ कम है,

(ग) क्या सरकार का यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जयपुर विमानपत्तम की हवाई पट्टी का विस्तार करने का विचार है, और

(घ) यदि हां; तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स में स्टेशन आरक्षण कोटे की कोई प्रणाली नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 1991-92 के दौरान वर्तमान टर्मिनल भवन में बड़ा परिवर्तन/परिवर्धन करने और ए-320 विमानों के परिचालन के लिए मुख्य धावनपथ का 1500 फुट और बढ़ाने की योजना है बशर्ते कि राज्य सरकार हवाई अड्डे की भूमि से गुजरने वाले छोटे मार्ग को बदल दे।

रामपुर-हल्द्वानी रेलवे लाइन

524. श्री एम० एस० पाल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर से न्यू हल्द्वानी तक बड़ी रेलवे लाइन बिछाने के प्रस्ताव को मंजूरी

दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस कार्य के लिए सरकार ने पिछले बजट में कितनी धन-राशि मंजूर की थी, और

(घ) इसे कब तक पूरा किया जाएगा ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) 1974-75 में।

(ग) 6.5 करोड़ रुपए।

(घ) इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का ब्रिक कटिंग एण्ड कार्बोनाइजेशन प्लांट

[अनुवाद]

525. डा० पी० वल्लल पेरुमान: क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० के ब्रिकेटिंग एण्ड कार्बोनाइजेशन प्लांट का ठेका दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) प्रेस न० 9 में नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को कितना घाटा होने का अनुमान है, और

(घ) इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ऊर्जा मन्त्री (श्री (कल्याण सिंह कालवी) : (क) ब्रिकेटिंग तथा कार्बनीकरण संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक विस्तृत परियोलना रिपोर्ट (डी० पी० आर०) तैयार करने का ठेका कार्य मैसर्स देव इन्डस्ट्री कन्सलटेंट, बर्लिन, जर्मनी (जो कि पूर्व में मै० आई०सी०बी०जी० डी० आर० नाम से जानी जाती थी) को सौंपा दिया गया है।

(ख) इस उद्देश्य से साख-पत्र (लेटर आफ क्रेडिट) जारी कर दिया गया है।

(ग) और (घ) 12 प्रेसों में से वर्तमान में 4 प्रेस सहायतार्थ रखी गई हैं। अतः फरवरी 1990 में प्रेस सं० 9 की विफलता के कारण कोई हानि नहीं हुई है। उक्त प्रेस को ठीक कर लिया गया है और वर्तमान में यह कार्यरत है।

इंडियन एयर लाइन्स द्वारा विमान किरायों में वृद्धि

526. श्री शिकिहो सेमा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी संकट की वजह से इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमान किरायों में वृद्धि की गई है अथवा वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किरायों में इस वृद्धि की वजह से इंडियन एयरलाइंस को कितनी अतिरिक्त आय होगी ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) 26 सितम्बर, 1990 से अन्तर्देशीय रुपया किराये पर 10% का खाड़ी निकासी अधिभार शुरू किया गया है। इंडियन एयरलाइन्स ने इसके कारण 31-1-1991 तक लगभग 24 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं।

त्रिवेन्द्रम-क्विलोन रेलवे लाइन को दोहरा करना

527. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में त्रिवेन्द्रम-क्विलोन रेल लाइन को दोहरा करने का सम्भावना सर्वेक्षण करा लिया गया है;

(ख) क्या आकलन तैयार कर लिया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। 1990-91 के बजट में 76.41 करोड़ रुपये की लागत पर यह काम शामिल किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पेट्रोलियम पदार्थों की कटौती का उद्योगों पर प्रभाव

528. **श्री बी० देवराजन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उद्योगों के लिए रसोई गैस एवं ईंधन तेल सहित पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई में की गई कटौती से औद्योधिक उत्पादन में कमी आने तथा निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(ख) क्या फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बरस ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई में की गई कटौती के प्रभाव का कोई विश्लेषण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) देश की कठिन विदेशी मुद्रा स्थिति, जो खाड़ी संकट से अगस्त, 1990 से काफी बढ़ी है, को देखते हुए सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को नियन्त्रित करने के लिए चालू वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। ये कदम उठाते समय औद्योगिक उत्पादन और निर्यात पर तेल संकट से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के प्रयास किए गए हैं। निम्नलिखित के लिए विशेष छूट प्रदान की गई है :

1. निरन्तर संसाधन उद्योग, 2. रुग्ण औद्योगिक एकक जिनके लिए राज्य/केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा पुनर्स्थापना पैकेजों को अन्तिम रूप दिया है, 3. निर्यात एकक और 4. कृषि आधारित उद्योग। औद्योगिक एककों को नेफथा, एल० पी० जी० और एफ० ओ० की आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध को भी हटा लिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय अर्थव्यवस्था पर खाड़ी संकट के प्रभाव के सम्बन्ध में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ द्वारा किए गए विश्लेषण में यह सुझाव है कि विशेष रूप से पेट्रोरसायन ऑटोमोबाइल, फास्फेटिक उर्वरक, टायर, सिंथेटिक वस्त्र, विद्युत तथा रसायन के क्षेत्र में जो कि आयात पर काफी निर्भर करते हैं, औद्योगिक वृद्धि धीमी हो सकती है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ के विश्लेषण से पता चलता है कि यदि खाड़ी युद्ध लम्बा नहीं चलता है तो 1990-91 के दौरान 6-7% तक की औद्योगिक वृद्धि हो सकती है।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा परियोजनाओं की स्थापना

5529. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कोई नई परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या और इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा इसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी हां, महोदय।

(ख) यद्यपि आठवीं पांच वर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है तथापि गेल ने कई नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन का प्रस्ताव किया है जिनमें औरिया (उ० प्र०) में गैस क्रेकर काम्पलैक्स की स्थापना, विजयपुर (म० प्र०) में पोलीप्रोपीलीन परियोजना, लकवा, हाजिरा, गंधार, बालोडिया और उसार में एच० बी० जे० पाइपलाइन का उन्नयन और एल० पी० जी० एक्सट्रेक्शन सुविधाएं, हाजिरा, गंधार और उरान में सी-2/सी-3 एक्सट्रेक्शन सुविधाएं और ग्रेटर बम्बई में घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक गैस के वितरण हेतु परियोजना शामिल हैं।

आठवीं योजना के दौरान कोयला लदान क्षमता

530. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला लदान क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत क्षेत्र को कोयले की शत-प्रतिशत आपूर्ति किस वर्ष तक सुनिश्चित हो जाएगी;

(ग) सरकार ने इस मामले में विभिन्न कोयला उत्पादक कम्पनियों को क्या निर्देश दिया है; और

(घ) इस मामले में विभिन्न कोयला उत्पादक कम्पनियों ने अब तक कौन से कदम उठाए है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) जी, हां। कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० ने आठवीं पंचवर्षीय के दौरान कोयला रख-रखाव क्षमता में वृद्धि किए जाने के प्रस्तावों पर पूर्व में ही कार्य शुरू कर दी है।

(ख) से (घ) विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति किए जाने सहित अकोलकर कोयले की विद्यमान कोयला रख-रखाव क्षमता 137.60 मि० टन प्रतिवर्ष है। निर्माणाधीन तथा योजना के अन्तर्गत कोयला रख-रखाव संयंत्रों (सी० एच० पी०) के चालू हो जाने से उक्त क्षमता वर्ष 1994-95 तक बढ़कर 230.27 मि० ट० प्रतिवर्ष हो जाएगी। निर्माणाधीन तथा योजना के अन्तर्गत सी० एच० पी० की स्थापना हो जाने से सी० एच० पी० के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को लगभग शत-प्रतिशत कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। सी० एच० पी० के निर्माण कार्य की गति बनाए रखने के लिए केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० (सी० एम० पी० डी० आई० एल०) की आयोजन क्षमता सुदृढ़ की जा रही है। कोयला कम्पनियों को विद्यमान "ठेकेदारी प्रबंधन" प्रणाली को सुचारू बनाए जाने का अनुरोध किया गया है ताकि सी० एच० पी० के निविदा कार्य तथा निर्माण के कार्यों में तेजी लाई जा सके।

कोयले का उत्पादन

531. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कोयला कम्पनियों ने कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन कोयला कम्पनियों में से प्रत्येक कोयला कम्पनी ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था और उक्त योजनावधि के दौरान वास्तविक उपलब्धि कितनी हुई; और

(ग) इनमें से प्रत्येक कोयला कम्पनी ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) जी, हां। कोयला कम्पनियों ने कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने सम्बन्धी प्रयास किए हैं।

(ख) सातवीं योजना के अवधि के दौरान कम्पनीवार, प्रत्येक वर्ष के निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक रूप में हुए कोयले के उत्पादन को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना शेष है। किन्तु आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष (1994-95) के दौरान कोयला उत्पादन के सम्भावित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	वर्ष 1994-95 में संभावित उत्पादन
कोल इंडिया लि०	247.00 मिलियन टन
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०	30.31 मिलियन टन
अन्य	5.10 मिलियन टन
जोड़	282.41 मिलियन टन

विवरण

(मिलियन टन)

कंपनी	1989-90		1988-89		1987-88		1986-87		1985-86	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ई० को० लि०	30.90	24.49	30.10	30.13	27.96	27.99	25.60	25.62	24.00	24.03
भा० को० को० लि०	27.00	26.61	26.10	26.30	25.10	25.11	24.00	24.01	23 00	21.08
से० को० लि०	28.00	28.61	28.00	28.07	27.29	27.27	25.00	25.14	23.65	24.13
ना० को० लि०	23.00	23.28	19.35	19.63	16.25	16.50	13.40	13.60	11.40	11.61
वे० को० लि०	22.70	23 01	21.86	22.06	20.70	21.20	19.00	19.34	18.00	18.17
सा०ई०को० लि०	50.50	51 78	43.67	44 41	39.70	39.95	35 50	26.15	32.65	34.25
ना० ई० को०	0.90	0.84	1 00	0.90	1.00	1.00	1.00	0 91	0.80	0.84
को० इं० लि०	183.50	178.62	170.08	171.50	158.00	159.02	143.50	144.77	133.50	134.11
सिको० क० लि०	21.50	17.80	20.50	18.61	20.00	16 40	18.00	16.58	16.00	15.66
अन्य	4.05	4.47	5.70	4.49	5.50	4.30	5.30	4.44	5.00	4.43
जोड़ (अखिल भारत)	209.50	200.89	196.28	194.60	183.50	179.72	166.80	165.79	154.50	154.20

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा परियोजनाओं की स्थापना

532. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या पट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि० का आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कोई नई परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को लागू करने हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) ये परियोजनाओं किन-किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली-गोवा-दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी को खंडवा स्टेशन पर रोकना

533. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंडवा के लोगों और उनके प्रतिनिधियों से हाल ही में आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें दिल्ली-गोवा-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी को मध्य प्रदेश में खंडवा स्टेशन पर रोकने का अनुरोध कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) जांच की गई है लेकिन न परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक पाया गया और न वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है।

एयर इंडिया की उड़ानों का रद्द किया जाना और इन्हें पुनः चालू करना

534. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी संकट शुरू होने के बाद एयर इंडिया की रद्द की गई उड़ानों एवं तदनन्तर पुनः चालू की गई उड़ानों का ब्योरा क्या है;

(ख) इस समय एयर इंडिया की कुल कितनी दैनिक उड़ानें हैं;

(ग) क्या एयर इंडिया ने वर्ष 1990 के दौरान खाड़ी संकट प्रभावित लोगों की कुवेत से भारत लाने में हुए कुल खर्च का आंकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरमोहन धवन) (क) 16-1-1991 से सप्ताह में 46 पश्चिमी एशिया की उड़ानों को रोक दिया गया था। एयर इंडिया ने 23-1-1991 से भारत और आबू धाबी/मस्कट/दुबई के बीच उड़ानें पुनः आरम्भ कर दी हैं।

(ख) जहां तक खाड़ी मार्ग का सम्बन्ध है, एयर इंडिया इस समय भारत और आबू धाबी के बीच प्रति सप्ताह 5 उड़ानें, भारत और मस्कट के बीच प्रति सप्ताह पांच उड़ानें और भारत और दुबई के बीच एक दैनिक उड़ानें परिचालित कर रहा है।

(ग) और (घ) खाड़ी से निकासी के कारण एयर इंडिया को कुल 227.21 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

केरल में हवाई अड्डे का निर्माण

535. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के किसी भी स्थान पर नया हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल में मालाबार क्षेत्र के किसी अन्य जिले में हवाई अड्डे बनाने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाई की गयी ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन की आठवीं पंचवर्षीय योजना में केरल में नए हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

मांड ताप ऊर्जा परियोजना को कोयले की सप्लाई

[हिन्दी]

537. **श्री छविराम अर्गल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 तक मांड ताप ऊर्जा परियोजना को मांड कोरबा खदानों से जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है;

(ख) इस ताप ऊर्जा परियोजना के लिए कोयला कब तक आवंटित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस परियोजना के लिए मांड खानों को कोयला आरक्षित करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ग) मांड थर्मल पावर स्टेशन को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव, मांड-रायगढ़ कोयला क्षेत्र से कोयले के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। इस कोयला क्षेत्र में किए गए अन्वेषणों से प्रस्तावित मांड थर्मल पावर स्टेशन की कोयले की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए कोयले का उत्पादन पर्याप्त रूप में प्राप्त होने की सम्भावनाओं का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

केरल में पन-बिजली का उत्पादन

[अनुवाद]

538. **श्री पलाई के० एम० मंथ्यू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के उन नदियों के नाम क्या हैं जो पन-बिजली उत्पान के लिए उपयुक्त है;

(ख) इन नदियों का नदी-वार कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है; और

(ग) केरल में पन-बिजली के अधिकतम उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क)और (ख) केरल की उन नदियों के नाम जो कि जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं तथा इनसे विकसित की जाने वाली प्रतिशत यक्यता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केरल की विभिन्न नदियों की अनुमानित जल विद्युत शक्यता में से लगभग 41.8% शक्यता का विकास किया जा चुका है तथा 15.8% शक्यता का विकास किया जा रहा है। शेष जल विद्युत शक्यता का विकास किया जाना अन्वेषण सम्बन्धी कार्यों की स्थिति, स्कीमों की तैयारी की स्थिति, विद्युत की आवश्यकता निधियों की उपलब्धता, पर्यावरणीय तथा वन संबंधी दृष्टि से स्वीकृतियों आदि पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र०सं०	नदी का नाम	जल विद्युत शक्यता (60% भार गुणक पर मे० वा० में)	विकसित शक्यता का प्रतिशत
1.	कुट्टियाडी	53.2	88.7
2.	चालाकुडु	235.6	32.6
3.	पेरियार	1191.3	50.9
4.	पम्बा	395.7	58.6
5.	बारापोल	56.3	—
6.	भारत पुझा	85.2	—
7.	वेपोर	143.2	—
8.	कल्लाडा	9.8	—
9.	कबिनी	130.2	—
	जोड़	2301	41.8%

ऊर्जा की गति का विकास

539. श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 फरवरी 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "पावर डिवाइस फॉर विलेजज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) सरकार का ध्यान 6 फरवरी 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स नई दिल्ली में प्रकाशित 'पावर डिवाइसिस फॉर विलेजिज" की ओर आकर्षित किया गया है ।

(ख) यह बताया गया है कि "एनर्जी स्विंग" नामक एक उत्कृष्ट विद्युत उत्पादन करने वाली युक्ति का विकास किया गया है । यह मशीन स्प्रिंग, स्टील एक्सल, एक साइकिल के पहिए और डाइनो को मिलाकर बनाई गई है : यह मशीन मानव बाहुबल से चलती है और यह 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकती है । ऊर्जा स्विंग का प्रयोग करके विद्युत का उत्पादन करने के लिए मानव बाहुबल का उपयोग इन युक्तियों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहारिकता को साबित करने के लिए आगे और अनुसंधान एवं विकास कार्य तथा क्षेत्रीय परीक्षणों पर निर्भर करेगा ।

बस्तर जिले में रेलवे स्टेशन

[हिन्दी]

540. श्री तेज नारायण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बस्तर जिले में रेलवे स्टेशनों की हालत में सुधार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) बस्तर जिला के क्षेत्राधिकार में 17 रेलवे स्टेशन आते हैं । रेलवे द्वारा बनायी गई कार्य योजना के अनुसार इन सभी रेलवे स्टेशनों पर वर्ष 1991-92 तक आधारभूत यात्री सुविधाओं की कमियों को दूर कर दिया जाएगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

541. श्री तेज नारायण सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नलकूपों की संख्या कितनी है और अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है;

(ख) उन विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितनी है जहां अभी तक कनेक्शन नहीं दिए गए हैं ; और

(ग) इस संबंध में वर्ष 1990-91 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1990 के अन्त तक बिहार में 2,52,836 पम्पसैट अर्जित किए जा चुके हैं और 46,418 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण की विद्यमान परिभाषा के अनुसार, किसी गांव को विद्युतीकृत माना जाता है यदि सम्बन्धित गांव के राजस्व सीमा-क्षेत्र के भीतर एक सर्विस कनैक्शन भी प्रदान कर दिया जाता है।

(ग) बिहार में 1990-91 के लिए ग्राम विद्युतीकरण तथा पम्पसैट ऊर्जन के लक्ष्य क्रमशः 25.0 गांव एवं 10,000 पम्पसैट रखे गए थे।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

[अनुवाद]

5421. श्री उत्तम राठौड़
श्री बी० एन० रेड्डी
श्री प्रकाश बी० पाटिल } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान अब तक इन उपायों के परिणामस्वरूप इन उत्पादों की कितनी मात्रा बचायी गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं (संलग्न विवरण)।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि की दर अप्रैल-दिसम्बर 1989 के 8.3% से घटकर अप्रैल-दिसम्बर 1990 में 2.3% हो गई है। 58.87 मि० टन की सम्भावित मुक्त मांग की तुलना में वर्ष 1990-91 में खपत 55.25 मिलियन टन पर रुक जाने की आशा है।

विवरण-I

इस समय जो प्रमुख प्रतिबंध हैं, उनमें ये शामिल है :

1. नए एल० पी० जी० डीलरशिपों को एल० पी० जी० के कनेक्शन देने को छोड़कर

नए एस० पी० जी० कनेक्शनों और दो सिलिन्डर वाले कनेक्शनों के देने पर प्रतिबंध ।

2. घरेलू एल०पी०जी० सिलेण्डरों की रिफिल की बुकिंग के लिए कम से कम 10 दिन के समय का अन्तर ।

3. वर्ष 1989-90 की तुलना में केन्द्रीय सरकार के विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वाहनों में पेट्रोल और डीजल की 20% की कटौती ।

4. पिछले तीन वर्षों की औसत खपत की तुलना में थोक उपभोक्ताओं को एम० एस० और एच०एस०डी० की आपूर्ति में 10 प्रतिशत की कटौती ।

5. खुदरा बिक्री केन्द्रों के जरिए एम०एस० के आवंटन की दिशा में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4 प्रतिशत की वृद्धि तक आवंटन प्रतिबंधित ।

6. खुदरा बिक्री केन्द्रों के जरिए एच०एस०डी० का आवंटन पिछले वर्ष की उसी अवधि स्तर पर प्रतिबंधित रखा गया है ।

7. पिछले वर्ष की खपत की तुलना में राज्य सड़क परिवहन निगमों को एच०एस०डी० की आपूर्ति पर 10 प्रतिशत की कटौती । तथापि, बेड़े के विस्तार के लिए एस० टी०यू० की कुल जरूरत पूरी की जाएगी ।

8. नए कैप्टिव डीजल जेनेरेटिंग सेटों के लिए एच०एस०डी० की आपूर्ति पर रोक ।

9. सीधे उपभोक्ताओं को एल०डी०ओ० की आपूर्ति के संदर्भ में, पिछले तीन वर्षों की औसत उठान पर 10 प्रतिशत की कटौती ।

10. अंतर्राज्यीय जल मार्गों सहित घरेलू जहाज रानी के लिए एल०डी०ओ०की आपूर्ति पर 10 प्रतिशत की कटौती ।

भिंड-शिवपुर रेलवे लाइन का विस्तार तथा इसे बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

243. **श्री छवि राम अर्गल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भिंड-शिवपुर छोटी रेल लाइन का भिंड से इटावा तक तथा शिवपुर से कोटा तक विस्तार करने एवं इटावा से भिंड तक तथा ग्वालियर से कोटा होते हुए शिवपुर तक इसे बड़ी लाइन में बदलने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस लाइन के निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) गुना-ग्वालियर-इटावा नई लाइन परियोजना, जिसे अब अनुमोदित कर दिया गया है, के एक भाग के रूप में ग्वालियर-भिंड छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है । ग्वालियर-शिवपुर कला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने एवं इसके कोटा (दीगोद) अब आगे बढ़ाने के लिए एक सर्वेक्षण को 1989-90

में 20 लाख रूपए की लागत पर अनुमोदित किया गया है। ग्वालियर-भिंड-इटावा खंड पर 1989-90 के दौरान कार्य शुरू कर दिया गया है एवं संसाधनों की उपलब्धता पर इसकी प्रगति निर्भर करेगी।

दिल्ली से रसोई गैस की सप्लाई

[अनुवाद]

*544. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1991 में रसोई गैस की सप्लाई के सम्बन्ध में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के उप-राज्यपाल से मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नहीं में है तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय औषध निर्माता संघ से प्राप्त अभ्यावेदन

545. **श्री वसन्त साठे** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औषध निर्माताओं की अनेक समस्याओं के सम्बन्ध में भारतीय औषध निर्माता संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें इस उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लेने और ग्रामीण और शहरी निर्धनों की स्वास्थ्य रक्षा के उपाय करने का अनुरोध किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उन समस्याओं और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) भारतीय औषध विनिर्माता संघ से उनकी समस्याओं और मूल्य नियन्त्रित औषधों की सूची, यथार्थवादी मूल्य निर्धारण पैरामीटरों में मूल्य नियन्त्रण की अवधि में कमी, अधिक कारोबार लाभ, उत्पादकों के लिए अधिक लाभ, शुल्कों के युक्तिकरण आदि के सम्बन्ध में सुझाव देते हुए काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ पर औषध नीति के पुनरीक्षण में विचार किया जा रहा है, जो अभी चल रहा है और कुछ की सरकार जांच कर रही है।

कोयले के उपयोग संबंधी त्वरित कार्यक्रम

546. **श्री वसंत साठे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और पेट्रोलियम के स्थान पर कोयले का उपयोग करने के लिए कोई त्वरित कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं और कोल इंडिया और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा धुंआरहित कोयले का उत्पादन करने हेतु ऐसी क्या योजनाएं लागू करने का विचार है ताकि ग्रामीण गरीब लोगों को उचित दरों पर ऐसा कोयला उपलब्ध कराया जा सके ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में मिट्टी का तेल, एल० पी० जी० तथा जलाऊ लकड़ी के बदले विशेष धुंआरहित ईंधन (एस०एस०एफ०) तथा ब्रिकेट के रूप में कोयले को घरेलू ईंधन की भांति उपयोग करने तथा इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए एक क्रैश कार्यक्रम तैयार किया गया है। उद्योगों द्वारा ईंधन तेल की खपत कम करने के उद्देश से विभिन्न औद्योगिक उपभोक्ताओं को की जाने वाली कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

(ग) केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०, रांची ने निम्न ग्रेड के कोककर कोयले से विशेष धुंआरहित ईंधन (एस० एस० एफ०) के निर्माण की प्रौद्योगिकी विकसित की है। इस प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से प्रचार किया जा रहा है और उद्यमियों को इस तरह के संयंत्र देश भर में स्थापित किए जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि यह ईंधन अधिकाधिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध किया जा सके। 9 एस० एस० एफ० संयंत्र पूर्व में ही कार्यरत हैं और अन्य दस निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। अन्य 115 एस०एस०एफ० प्रस्तावों को कोयले का संयोजन प्रदान किया गया है।

कोयले के उत्पादन के लिए सघन कार्यक्रम

547. श्री वसंत साठे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाड़ी संकट के परिणामस्वरूप पैदा हुए संकट के परिणामस्वरूप कोयला विभाग ने घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले का अधिक उत्पादन करने के लिए कोई सघन कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान कोयले के उत्पादन का सहायक कम्पनी वार ब्यौरा क्या है और उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या भारी वर्षा के कारण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्पादन में कमी आई है और यदि हां, तो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्पादन तथा कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा शुरू की जाने वाली नयी परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) और (ख) : जी, हां। मिट्टी का तेल/एल०पी०जी० की उपलब्धता सम्बन्धी समस्या से निपटने के लिये छोटे उपभोक्ताओं को जिसमें विशेष धुंआ-रहित ईंधन संयंत्र, ब्रिकेटिंग यूनिट तथा घरेलू उपभोक्ता शामिल है, और अधिक कोयला उपलब्ध कराने के लिये कई कदम उठाये गए हैं ताकि पेट्रोलियम ईंधन तथा अलाऊ लकड़ी की खपत पर आए दबाव को कम किया जा सके। इस दिशा में उठाये गये कुछ उपाय नीचे दिये गये है .

(1) ताप विद्युत गृहों, इस्पात संयन्त्रों तथा सीमेंट उद्योग को कोयले का और अधिक प्रेषण।

(2) अधिसूचित कोलियरियों/स्टाकयार्डों में "उदारीकृत बिक्री योजना" के अंतर्गत 6 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की पेशकश की गई है।

(3) एस०एस०एफ० यूनिटों, ब्रिकेटिंग संयन्त्रों घरेलू क्षेत्र के लिए "उदारीकृत बिक्री योजना" के अंतर्गत 2 मि० टन अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था की गई है।

(4) राज्य सरकारों/उनकी एजेंसियों तथा को० इं० लि० के तत्वाधान में विद्यमान स्टाकयार्डों के अतिरिक्त देशभर में और 100 कोयला स्टाकयार्डों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से मांग केन्द्रों/स्टाकयार्डों को स्थापित करने के विनिर्दिष्टकरण करने के लिये सम्पर्क किया जा रहा है।

(5) स्टाकयार्डों, एस०एस०एफ० संयन्त्रों तथा ब्रिकेटिंग यूनिटो के अन्य बातों के अलावा कोयले के संयोजन का अनुवीक्षण करने के लिये स्थायी संयोजन समिति (स्टाकयार्ड) का गठन किया गया है।

(ग) अप्रैल, 1990 से जनवरी. 1991 की अवधि के दौरान कंपनीवार किये गये कोयले के उत्पादन के आंकड़ों को नीचे दिया गया है :

(लाख टनों में)

कंपनी	कोयला उत्पादन	
	अप्रैल-जनवरी 1989-90	अप्रैल-जनवरी, 1990-91
ई०को०लि०	187.34	170.22
भा०को०को०लि०	205.12	191.08

से०को०लि०	220.36	223.26
ना०को०लि०	188.72	215.57
वे०को०लि०	180.17	168.88
सा०ई०को०लि०	408.15	454.86
ना०ई०को०	6.30	3.97
को०ई०लि०	1396.16	1427.84

(घ) जी, हां। इस सम्बन्ध में वेस्टर्न कोलफील्डस लि० की खानों में कोयले के उत्पादन में कमी भारी वर्षा के कारण आई है। किन्तु बाद में उत्पादन में सुधार आ गया।

(ङ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में वर्ष 1990-91 के दौरान 7 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। यह परियोजनाए निम्नलिखित हैं :

1. जुनाद ओपेनकास्ट
2. शिवपुरी विस्तार
3. विष्णुपुरी भूमिगत-I
4. दामुआ पूर्वी-चरण-I
5. राजुर आर/ओ० भूमिगत
6. विष्णुपुरी भूमिगत-II
7. नएगांव ओपेनकास्ट

इसके अलावा वर्ष 1990-91 के दौरान स्वीकृत की गई निम्नलिखित परियोजना पर भी कार्य शुरू किया गया है।

1. बिरूर भूमिगत
2. कवादी ओपेनकास्ट
3. नीलजय ओपेन्कास्ट
4. मेजेन्दो भूमिगत

भारत सरकार ने 4.83 करोड़ रु० की पूंजीगत लागत से मुगोली ओपेन्कास्ट परियोजना के लिये अग्रिम कार्यवाई योजना को भी स्वीकृति दे दी है।

राजपीपला-अंकलेश्वर गाड़ी को प्रतिदिन चलाना

[हिन्दी]

548. **श्री चन्दू भाई देशमुख** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राजपीपला और अंकलेश्वर के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए राजपीपला-अंकलेश्वर गाड़ी को प्रतिदिन तीन बार चलाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मार्ग पर डीजल इंजन की सुविधा प्रदान करने का भी विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) नवम्बर 1990 से जनवरी 1991 तक की अवधि के दौरान राजपीपला और अंकलेश्वर के बीच औसतन 146 दैनिक यात्रियों ने प्रतिदिन गाड़ी से यात्रा की।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भड़ौच स्टेशन पर रेलगाड़ियों का रुकना

549. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हैदराबाद-राजकोट, त्रिवेन्द्रम-राजकोट और कोचीन-अहमदाबाद रेलगाड़ियों को भड़ौच स्टेशन पर रोकने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पाइपों की चोरी

550. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अंकलेश्वर स्थित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रतिष्ठानों से दो लाख रुपये मूल्य के चोरी किए सोवियत संघ निर्मित पाइपों को बरामद कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके कारण क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) हाल में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, अंकलेश्वर से रूसी पाइपों की चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं की गई। तथापि, अक्तोल और हाजस गांवों के तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के तेल कूप के क्षेत्र से 18 जुलाई, 1990 को 46,732 रुपये के मूल्य के 2.7/8" के 30 ड्रिल पाइप चोरी गए। इन्हें वापिस प्राप्त कर लिया गया था और इस चोरी के मामले में शामिल

तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भड़ौच में पेट्रोल/डीजल और रसोई गैस एजेंसियां

551. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भड़ौच जिले के पिछड़े क्षेत्रों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई एजेंसी नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेष रियायत देकर इन पिछड़े क्षेत्रों में पेट्रोल और रसोई गैस उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) गुजरात के भरुच जिले के पिछड़े क्षेत्रों में पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट और एल० पी० जी० वितरण केन्द्र है ।

(ख) और (ग) नए रिटेल आउटलेट डीलरशिप (पेट्रोल/डीजल) और एल० पी० जी० वितरणकेन्द्रों की स्थापना पर उस वक्त विचार किया जाएगा जब और जैसे ही इस जिले के किसी स्थान पर निर्धारित मानकों के अनुरूप डीलरशिप/वितरण केन्द्र खोलने हेतु पर्याप्त सम्भावना व्यक्त होगी । इस प्रयोजन हेतु किसी समय सीमा का उल्लेख करना सम्भव नहीं होगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

तिरुपति को विमान-सेवा से जोड़ना

552. **डा० चिन्ता मोहन**
श्री आर० एन० राकेश } : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति शहर करोड़ों भारतीयों और विदेशियों के लिए एक पर्यटक स्थल है;

(ख) क्या सरकार तिरुपति में एक विमानपत्तन बनाकर इसे विमान सेवा द्वारा अन्य महानगरों से जोड़ने के लिए एक योजना तैयार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (घ) तिरुपति

पर मौजूदा हवाई अड्डा एच० एस०-748 किस्म के विमान के लिए उपयुक्त है। धावन पथ में और 3000 तक विस्तार करने की योजना है ताकि इसे बी-737 किस्म के विमान के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। धावनपथ का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त भूमि आन्ध्र प्रदेश सरकार से अर्जित कर ली गई है। मैसर्स राईटस की विस्तार परियोजना के निष्पादन कार्य के लिए नियुक्त कर लिया गया है। उन्होंने प्रारम्भिक अनुमान और व्यावहारिक अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिनकी इस समय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है।

वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात

553. डा० चिन्ता मोहन
श्री आर० एन० राकेश } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जनवरी, 1991 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "डील क्लिन्चड फार 1.5 एम०टी० वेनेजुएलन क्रूड आन क्रेडिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस समझौते के अन्तर्गत कितना कच्चा तेल खरीदा जाएगा;

(घ) क्या भारतीय तेलशोधन कारखानों में वेनेजुएला के कच्चे तेल को साफ करने की सुविधाएं नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त कच्चे तेल को साफ करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ङ) भारत और वेनेजुएला के बीच एक स्मरण पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें भारत ने वाणिज्यिक शर्तों पर तीन वर्ष की अवधि के लिए कच्चा तेल एवं उत्पाद, उत्पाद के मूल्य/गुणवत्ता के करार की शर्तों पर खरीदने की सहमति व्यक्त की : चूंकि प्रस्तावित वेनेजुएलन कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः वेनेजुएला कच्चे तेल को वैकल्पिक कच्चे तेल जो भारत के लिए उपयुक्त है, में बदलने का प्रयत्न करेगा। अतः मूल्य और सुपुर्दगी शर्तों केवल वेनेजुएला द्वारा बदलने की शर्तों को अंतिम रूप देने के उपरान्त ही तय किया जाएगा।

विदेशी विमानों को ईंधन भरने की सुविधाएं प्रदान करना

554. डा० चिन्ता मोहन
श्री जनार्दन पुजारी } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई हवाई अड्डों पर विदेशी विमानों को ईंधन भरने की सुविधा

उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इन हवाई अड्डों पर पिछले छः महीनों के दौरान विदेशी विमानों को कुल कितना तेल दिया गया और इसका देश के विमानों को सप्लाई दिए जाने वाले ईंधन पर कितना असर पड़ा;

(ग) क्या अमरीकी विमानों को सप्लाई किए जाने वाले तेल का मूल्य देश में इसके प्रचलित मूल्य से भिन्न है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई-दिसम्बर, 1990 के दौरान विदेशी वायुयानों को आपूर्ति किए गए विमानन ईंधन की मात्रा लगभग 329000 कि० ली० थी। विदेशी वायुयानों को आपूर्ति किए गए ईंधन से भारतीय वायुयानों को ईंधन की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है।

(ग) और (घ) जी हां। विवरण संलग्न हैं।

विवरण

विमानन ईंधन के मूल्य

(1.2.1991 को प्रभावी टी० टी० विक्रय दर। अमरीकी डालर=18.69 रु०)

स्थान	एयर इंडिया सहित अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं पर 10.2.91 से लागू मूल्य		हवाई अड्डे पर सरकारी मूल्य रु०/कि० ली० घरेलू उपभोग के लिए घरेलू उड़ानों पर लागू
	यू०एस०डी०/के०एल०	रु०/के०एल०	रु०/के०एल०
दिल्ली	426.13	7964.37	8342.37
	(15 रु०/कि० ली० की दर से शकूरबस्ती टर्मिनल कर शामिल है)		
कलकत्ता	433.83	8108.28	8410.11
	(2 प्रतिशत की दर से प्रवेश शुल्क सहित)		
बम्बई	425.32	7949.23	8328.32
मद्रास	425.32	7949.23	8224.82
डाबोलिम	425.32	7949.23	8272.81
अमृतसर	425.32	7949.23	8506.53
त्रिवेन्द्रम	425.32	7949.23	4241.59

बंगलौर	425.25	7949.23	8407.54
हैदराबाद	425.32	7949.23	8540.97
पटना	425.32	7949.23	8337.26
अहमदाबाद	425.32	7949.23	8347.97
त्रिची	425.32	7949.23	8410.89

नोट : उपर्युक्त सभी दरों में बिक्री कर और स्थानीय शुल्क, यदि कोई हो, शामिल है।

तिरुपति में डिब्बों का मरम्मत कार्य

555. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में सरकारी उपक्रम में रेल डिब्बों की मरम्मत की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपक्रम द्वारा कुछ समय से संतोषजनक कार्य नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस उपक्रम के कार्यकरण को सुधारने हेतु उपचारात्मक उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस की मांग

[अनुवाद]

556. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस सिलिंडरों के मूल्यों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का रसोई गैस सिलिंडरों के प्रयोग में राशनिंग शुरू करने का विचार है; और

(ग) देश में रसोई गैस की, राज्य-वार मांग क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) एल० पी० जी० सिलिंडरों की कीमत को संशोधित करने का फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एल० पी० जी० के लिए नामांकन लक्ष्य के संबंध में निर्णय आयात समेत देश में एल० पी० जी० की उपलब्धता पर आधार पर लिया जाता है। 1989-90 के दौरान एल० पी० जी० की राज्यवार खपत को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1989-90 के लिए एल० पी० जी० की राज्यवार खपत :

राज्य	खपत (आंकड़े मीट्रिक टन में)
आन्ध्र प्रदेश	176396
असम	34017
बिहार	59796
गोआ	11626
गुजरात	199362
जम्मू और काशमीर	14911
केरला	75770
मध्य प्रदेश	117985
तमिलनाडु	200902
महाराष्ट्र	442530
कर्नाटक	192741
उड़ीसा	16669
पंजाब	93276
राजस्थान	71307
उत्तर प्रदेश	230788
पश्चिम बंगाल	115878
हरियाणा	65270
हिमाचल प्रदेश	10556
मणिपुर	3623
मेघालय	3043
नागालैंड	2260
सिक्किम	616
त्रिपुरा	2272

संघ शासित राज्य	
अण्डमान व निकोबार	416
अरुणाचल प्रदेश	978
चण्डीगढ़	14023
दिल्ली	190001
दादर व नगर हवेली	449
दमन एवं द्वीप	574
लक्ष्यद्वीप	5
मिजोरम	1689
पाण्डीचेरी	7498

न्यायमूर्ति भट्ट समिति की सिफारिशें

557. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायमूर्ति भट्ट समिति (ए-320 विमान दुर्घटना जांच समिति) की उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिनके अनुसार एयरबस इंडस्ट्रीज को निर्देश देना आवश्यक समझा गया;

(ख) इस संबंध में फर्म की क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(ग) क्या उन 16 विमानों में परिवर्तन किए जाएंगे जो उक्त फर्म द्वारा सप्लाई किए जाने हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) एयरबस इन्डस्ट्रीज को निर्देशों के बारे में की गई सिफारिशों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इस संबंध मे फर्म को प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) सभी विमानों में, जो भी हो, यथा-सभव परिवर्तन किए जाएंगे।

विवरण

1. टालूज में की गई परीक्षण उड़ान को ध्यान में रखते हुए, एसेसर एयरबस इंडस्ट्रीज की मौजूदगी में एक्सलेरोमीटर के डिजाइन और एफ० डी० डी० आर सिस्टम की, जो ए-320 विमान में उपयोग किया गया था, जांच की जाए ताकि ऊंचे उड़ान बिन्दु से रिकार्डिंग की यथार्थता बढ़ाई जा सके।

2. निकासी द्वार को बाहर से खोलने पर कुछ स्लाइडें दिखाई नहीं देती थी। सिफारिश की जाती है कि इसमें सुधार करने के लिए स्टाइड उत्प्रेरण तकनीक का मूल्यांकन

किया जाए ।

3. बैरट गति महत्व के वेदतर मूल्यांकन के लिए पी० एफ० डी० में लुसर लाइन के प्रति करंट के महत्व के संकेत का विस्तार करने की सिफारिश की गई है ।

4. आल्टीट्यूड और वर्टिकल स्पीड नोब की एक दूसरे के लिए गलती लगने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की जाती है कि वर्टिकल स्पीड नोब की मौजूदा क्लाक-वाईज और एन्टी क्लाक वाइज दिशाओं में गति के बदले एक पहिए पर ऊपर-नीचे की ओर गति होनी चाहिए ।

5. सिफारिश की जाती है कि गियर डाउन करने के पश्चात् और 2000 फुट रेडियो आल्टीट्यूड से नीचे सिंगल स्ट्रोक चिम सहित, एफ० एम० ए० पर तेज लाल रंग दिखाते हुए निरर्थक/खुला अवरोहन करना चाहिए ।

6. सिफारिश की जाती है कि काकपिट में (सीधी दृश्यता खिड़की) आपात निकासी स्लाइडिंग खिड़की के आगे एक आपरेटिंग हैंडल लगा होना चाहिए जिसमें मौजदा लिवर की तुलना में बेहतर लिवर लगा हो ताकि कोई नाजुक महिला पायलेट भी उसे एक हाथ से ही आसानी से खोल सके । इंडियन एयरलाइन्स को एयरबस इंडस्ट्री के साथ मिलकर यह जांच करनी चाहिए कि उनके मौजूदा विमान बेड़े और भविष्य के विमानों में रेट्रोफिट परिवर्तन करने की कोई सम्भावना है ।

7. परिचालन सुरक्षा कि मांग है कि 2.5% एन-2 द्वारा वृद्धि की गई एप्रोच आईडल के प्रस्तावित संशोधनों और परमअत्यधिक संशोधनों के रूप मे जब विमान की गति वी० एल० एस० के लिए धीरे सी हो जाती है तक स्पीड मोड में परिवर्तन करते हुए आटोथ्रस्ट मोड के कार्य को एयरबस इंडस्ट्री निष्पादित करें । इंडियन एयरलाइन्स को नागर विमानन महानिदेशालय के समन्वय में यह मामला एयरबस इंडस्ट्री के साथ प्रभावशाली ढंग से उठाना चाहिए ।

8. आवश्यकता पड़ने पर दोनों एफ० डी० को स्विच आफ करने के लिए सुविधाजनक स्थान पर सिंगल मास्टर स्विच की स्थापना की सिफारिश की जाती है. इन स्विचों को अलग-अलग आन करने के लिए स्लेव स्विचों का प्रयोग किया जा सकता है या इन दोनों स्विचों को केन्द्रीय स्थान पर पुनः स्थापित किए जाने पर भी विचार किया जाए ।

9. आल्ट के दौरान स्पीड मोड से थ्रस्ट मोड तक आटो थ्रस्ट मोड बदलाव को रोकने के लिए आशोधन केवल आल्टीट्यूट चयन बदलना अत्यन्त वांछनीय है । आल्टी-ट्यूट चयन बदलने के पश्चात् मोड् बदलाव केवल आल्टीट्यूड नॉब के खींचने पर ही होनी चाहिए ।

10. यह सिफारिश की जाती है एयरबस इन्डस्ट्री और प्रमाणन प्राधिकारी ध्यानपूर्वक अटैक के 15 डिग्री कोण की सीमा का पुनः मूल्यांकन करे कि वह सिमुलेटर अनुभव था और एयरबस इंडस्ट्री उड़ानपरीक्षण के अन्तर्गत सीधा ला के हल्के उच्च

ऐंगल आफ अटैक ने अच्छा निष्पादन और कम आल्टीट्यूड हानि दर्शाया है।

11. 3000 से 3300 किलोग्राम ईंधन के कारण तीव्र अग्नि कांड आन्तरिक साज सजावट, फ्यूजुलेग के टाप और केबिन के फ्लोर पर आग लगने के कारण, महा निदेशालय, नागर विमानन ध्यानपूर्वक अन्य प्रमाणन प्राधिकारियों और विनिर्माताओं के साथ कर्मीदल तथा यात्रियों के लिए गैर-अग्नि जोखिम क्षेत्रों (फ्यूजुलेग के अग्रिम और पिछले भाग से काफी दूर ईंधन टैंकों) आक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता की सम्भाव्यता पर विचार करें। इसमें 1000 फीट लेवल से नीचे बन्द हो जाने के लिए सिलेन्डर में एक बातव क्लोज की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे पूरे विमान में फैले आक्सीजन जनरेटरों की तुलना में आग के फैलाव को रोकने में देरी होने में मदद होगी और इससे अधिक जीवन बचाने में सहायता होगी।

12. डी० एफ० डी० आर० विमानचलकों द्वारा एफ०सी०य० में सेलेक्शन को रिकार्ड करें। इस समय यह सम्भव नहीं है कि उड़ान के अन्तिम चरणों के दौरान विमानचालकों द्वारा की गई अनेक कार्रवाईयों का अनमान लगाया जाए। स्पीड डिस्प्ले जैसे उपस्कर डिस्प्ले को डी० एफ० डी० आर० रिकार्डिंगों को प्राप्त करने की व्यावहारिताओं को भी ध्यान में रखा जाए।

रसोई गैस कनेक्शनों का आवंटन

[हिन्दी]

558. **श्री सूर्यनारायण यादव :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश देश में रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो नए गैस कनेक्शनों के आवंटन में विलंब किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1990 में कितने नये गैस कनेक्शन दिये गये और इसकी प्रतीक्षा सूची में कितने नाम दर्ज हैं; और

(घ) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को गैस कनेक्शन कब तक प्रदान कर दिए जायेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1990 के दौरान तेल विपणन कंपनियों द्वारा लगभग 7.17 लाख नए एल० पी० जी० कनेक्शन दिए गये थे और जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार एल० पी० जी० के नए

कनेक्शन प्राप्त करने के लिए देश में लगभग 67.38 लाख व्यक्ति प्रतीक्षा-सूची में थे।

(घ) एल० पी० जी० के नए कनेक्शनों को देने का काम उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्यक्रम के अधीन तेल उद्योग द्वारा समूचे देश से चरणवार तरीके से किया जाता है बशर्ते कि एल० पी० जी० उपलब्ध हो। इसलिए वह समय बता पाना संभव नहीं है कि कब तक प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को कवर कर लिया जायेगा।

डीजल इंजनों का उपयोग

559 **श्री सूर्यनारायण यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने विद्युतीकरण रेल मार्गों पर डीजल इंजनों का चलाना अभी बन्द नहीं किया है;

(ख) क्या डीजल इंजनों का अभी भी शंटिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो विद्युत इंजनों के स्थान पर डीजल इंजनों का उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) विद्युतीकृत मुख्य लाइनों पर डीजल इंजनों का प्रयोग बहुत कम है।

(ख) जी हां।

(ग) यार्डों का विद्युतीकरण बहुत मंहगा है और निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे स्थानों के लिए डीजल इंजनों का प्रयोग अधिक लाभप्रद है।

रेलवे कर्मचारियों को इराक से निकालना

560 **श्री सूर्यनारायण यादव**
श्रीमती वसुन्धरा राजे } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इरकॉन" और "राइट्स" के कुछ रेलवे कर्मचारी अभी भी इराक में फंसे पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा और उनकी संख्या क्या है और उन्हें युद्ध आरम्भ होने से पहले बाहर निकालने की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों को इराक से बाहर निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली उत्पादन

[अनुवाद]

561. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली उत्पादन के लिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की दैनिक औसत आवश्यकता कितनी है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु कोयले की दैनिक औसत आवश्यकता कितनी है;

(ग) कुल पैदा की जाने वाली बिजली में ताप बिजली का प्रतिशत कितना है; और

(घ) ताप विद्युत की 1 जनवरी, 1991 को स्थापित क्षमता कितनी थी और वर्ष 1990 के दौरान इसकी क्षमता के उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) वर्तमान तिमाही के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों की प्रतिदिन कोयले की औसत आवश्यकता लगभग 413700 टन है।

(ग) कुल मिलाकर विद्युत उत्पादन की अपेक्षा अप्रैल; 90-जनवरी, 1991 के दौरान ताप विद्युत की प्रतिशतता लगभग 70 थी।

(घ) 1 जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार ताप विद्युत केन्द्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता 43223.5 मेगावाट है तथा अप्रैल, 1990 से जनवरी, 1991 तक की अवधि के दौरान का ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार गुणक 52.8% है।

बरवाडीह-विश्रामपुर रेल लाइन (बिहार) को पूरा किया जाना

[हिन्दी]

562. **श्री जोरावर राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के पलामां जिले में बरवाडीह से विश्रामपुर (चिरमिरी) की प्रस्तावित रेल लाइन पर अधूरे पड़े कार्य को फिर से शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की अत्याधिक तंगी और चल रही परियोजनाओं के लिए भारी बचनबद्धताओं के कारण बरवाडीह से विश्रामपुर तक नई बड़ी लाइन के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

हैदराबाद-नाडिकुडे रेलमार्ग का विस्तार

[अनुवाद]

563. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान हैदराबाद-बीबीनगर-नाडिकुड़े रेल मार्ग का बिनुकोंडा-कनीगिरि-विजयपुर-आत्मापुर और वेंकटगिरी से होते हुए मद्रास तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा गठित रेलवे नेटवर्क विस्तार समिति ने उत्तर-दक्षिण वैकल्पिक कारिडोर के एक भाग के रूप में नडिकुडें-वेंकटगिरि के बीच नई लाइन का सुझाव दिया है; लेकिन संसाधनों की कमी के कारण इस लाइन को शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता

564. **श्री राजमोहन रेड्डी**
डा० लक्ष्मीनारायन पांडेय } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध से पैदा असामन्य स्थिति से निपटने के लिए तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कौन से आपातकालीन प्रबन्ध किए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) सभी अड़चनों के बावजूद कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की इन्वेंट्री बनाने के लिए उपाय किए गए थे ताकि खाड़ी युद्ध से उत्पन्न किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना उपभोक्ताओं को आपूर्तियों में न्यूनतम व्यवधान करके किया जा सके।

(ग) खाड़ी युद्ध से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए किए गए प्रयासों में (1) तेल और उत्पादों के आयात के स्रोतों में विविधकरण का प्रयास (2) गैर खाड़ी देशों से उत्पाद के लिए संविदा (3) कच्चे तेल और उत्पाद की इन्वेंट्री का निर्माण (4) उत्पादों के आयात और उपलब्धता/वितरण की लगातार निगरानी, आदि शामिल है।

किशनगढ़ और नसीराबाद पर गरीब नवाज एक्सप्रेस को रोकना

[हिन्दी]

565. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नसीराबाद और किशनगढ़ स्टेशनों पर गरीब नवाज एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रोकने से सम्बन्धित कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और

(ग) इस रेलगाड़ी को अजमेर जिले के किशनगढ़ और नसीराबाद छावनी में न रोकने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) जांच की गई है लेकिन यातायात कम होने के कारण यह व्यवहारिक नहीं पाया गया।

अजमेर स्टेशन का नवीनीकरण

566. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर स्टेशन के नवीनीकरण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की गई है,

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) क्या इस कार्य को ठेकेदारों को सौंपा गया है अथवा विभाग ने स्वयं ही कार्य निष्पादित किया है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) 24.75 लाख रुपए।

(ख) 5.00 लाख रुपये।

(ग) ठेकेदार द्वारा काम कराया जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर में रेलवे यात्रा एजेंसियां

567. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्यरत रेलवे यात्रा एजेंसियों की जोनवार संख्या कितनी है, और

(ख) अजमेर में कितनी रेलवे यात्रा एजेंसियों को ठेके दिए गए थे और कब से ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) देश में कार्यरत रेल ट्रेवलर्स सर्विस एजेंटों की रेलवे वार संख्या इस प्रकार है :—

मध्य रेलवे	—	41
पूर्व रेलवे	—	21
उत्तर रेलवे	—	77

पूर्वोत्तर रेलवे	—	3
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	—	31
दक्षिण रेलवे	—	42
दक्षिण मध्य रेलवे	—	18
दक्षिण पूर्व रेलवे	—	19
पश्चिम रेलवे	—	32

(ख) 1985-86 में अजमेर में रेल ट्रेवलर्स सर्विस एजेंट के रूप में एक आवेदक को उपयुक्त पाया गया था, लेकिन उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

राज्य विद्युत बोर्डों की एन०टी०पी०सी० और एन०एच०पी०सी० के प्रति बकाया देनदारी

[अनुवाद]

568 श्री तारीफ सिंह
श्री हरिकिशोर सिंह
श्री एम०एस० पाल
श्री संजय लाल } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन०एच०पी०सी०) को राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया देनदारी वसूल करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) : विभिन्न परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एवं राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा वर्तमान प्रसंविदा के अंतर्गत तथा विश्व बैंक के साथ किए गए समझौते के अनुसार इन निगमों के लिए यह आवश्यक है कि राज्य बिजली बोर्डों से वसूल की जाने वाली राशि की मात्रा आपसी समझौते की सीमाओं तक ही सीमित रहनी चाहिए।

बाम्बे हाई से केरल तक समुद्र के भीतर पाइपलाइन बिछाना

569. श्री तारीफ सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पश्चिमी तट स्थित उद्योगों ने सरकार से कोंकण-करावली कोझीकोड क्षेत्रों में दक्षिण-पश्चिम बम्बई से प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने के लिये समुद्र के भीतर तट के साथ-साथ पाइप लाइन बिछाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या कनार्टक चेंबर आफ कामर्स ने सुझाव दिया है कि इस परियोजना का पूरा व्यय निजी क्षेत्र के गैस प्रायोक्ता उद्योगों और लाभार्थी राज्यों द्वारा वहन किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में किये गये/प्रस्तावित निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दक्षिणी राज्यों में समुद्र के भीतर पाइपलाइन बिछाने का प्रश्न फिलहाल सरकार द्वारा पश्चिमी अपतट से दक्षिणी राज्यों तक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने के लिए स्थापित अन्तर मंत्रालयीय समिति द्वारा जांच की जा रही है ।

एयर इंडिया विमान चालक दल को प्रोत्साहन राशि का भुगतान

570. **श्री लारोफ सिंह :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया विमानचालक दल को "प्रोत्साहन" राशि का भुगतान करने की मौजूदा पद्धति क्या है;

(ख) एयर इंडिया के विमानचालक दल को विदेशी मुद्रा में 'प्रोत्साहन' के रूप में कितनी राशि का वार्षिक भुगतान किया जाता है;

(ग) होटल में ठहरने की व्यवस्था और यातायात आदि की सुविधा के अलावा इनके दैनिक भत्ते (अमरीकी डालर में) के भुगतान पर कितना वार्षिक खर्च आता है;

(घ) दैनिक भत्ता आदि के अलावा 'प्रोत्साहन' राशि देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विदेशी मुद्रा संकट को देखते हुए सरकार ने विदेशी मुद्रा में 'प्रोत्साहन' राशि का भुगतान करने सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) लम्बी दूरी की सीधी उड़ानों का परिचालन कर रहे विमान चालकों/उड़ान इंजीनियरों को लम्बी दूरी भत्ता दिया जाता है ।

(ख) 1989-90 के दौरान, आयकर की कटौती करने के पश्चात लंबी दूरी भत्ते की निवल राशि 3,80,780 अमरीकी डालर थी ।

(ग) 1989-90 के दौरान, उड़ान कर्मीदल को 'ले ओवर भत्ते' के रूप में 2,244.000 अमरीकी डालर की अदायगी की गई ।

(घ) से (च) लंबी दूरी की उड़ानों का परिचालन करने वाले विमानचालकों/उड़ान इंजीनियरों को लम्बी दूरी भत्ता की अदायगी एक प्रोत्साहन के रूप में है तथा यह उड़ान कर्मीदल के साथ किये गये करार का एक भाग है।

बिजली की मांग और उत्पादन

571. श्री दिलीप सिंह भूरिया
श्री कल्पनाथ राय } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष ऊर्जा की कितनी मांग है;

(ख) वास्तविक उत्पादन कितना है और यह कितना कम है;

(ग) देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितने परिव्यय का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम डाकणे) : (क) और (ख) : अप्रैल, 90 जनवरी, 91 की अवधि के दौरान देश में 220875 मिलियन यूनिट ऊर्जा की आवश्यकता थी जबकि इसकी उपलब्धता 203804 मिलियन यूनिट थी, जबकि 7.7% कमी का सूचक है।

(ग) 1990-91 के दौरान 4371.5 मेगा० की नई क्षमता चालू किये जाने की परिकल्पना की गई है जिसमें 1022 मेगा० जल विद्युत, 3114.5 मेगा० ताप विद्युत एवं 235 मेगा० न्यूक्लीय क्षमता होगी।

(घ) योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

वेस्टलैंड हैलिकाप्टरों के बारे में हुसैनी समिति की सिफारिशें

572. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
डा० ए०के० पटेल } : क्या सागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेस्टलेन्ड हैलिकाप्टरों के बारे में हुसैनी समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसमें इन हैलिकाप्टरों में क्या-क्या खामियां बताई गई हैं;

(ख) क्या ज्ञात खामियों के बावजूद पवन हंस लिमिटेड द्वारा इन हैलिकाप्टरों को उड़ाया गया;

(ग) इन हैलिकाप्टरों के संचालन पर निगरानी रखने के लिए गठित किये गये 'कोर ग्रुप'

की क्या टिप्पणियां हैं;

(घ) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इनकी खरीद पर प्रतिकूल टिप्पणियां की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वेस्टलेन्ड हैलिकाप्टरों के कारण कुल कितना घाटा उठाना पड़ा हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) : हुसैनी समिति की रिपोर्ट की एक प्रति ससद पुस्तकालय में सूचक संख्या 629-13252/एन०ओ० पर उपलब्ध करा दी गई है ।

(ख) इन हैलीकाप्टरों को हुसैनी समिति रिपोर्ट में सिफारिश की गई प्रतिबंधित शर्तों के अधीन और महानिदेशक, नागर विमानन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए इनके परिचालन प्रारम्भ किये गये ।

(ग) समिति, जिसने हैलीकाप्टरों को पुन: उड़ान में लगाए जाने के पश्चात उनके निष्पादन का मूल्यांकन किया की रिपोर्ट के आधार पर पवन हंस के बेड़े में सभी हैलीकाप्टरों को 9 फरवरी, 1991 से ग्राउड कर दिया गया है ।

(घ) पवन हंस लिमिटेड द्वारा हैलीकाप्टरों की खरीद और परिचालन से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सच सरकार संख्या 12 (वाणिज्यिक) .989 संसद के दोनों सदनों में 17 मई, 1990 को रख दी गई है ।

(ङ) वैस्टलैंड हैलीकाप्टरों के कारण वर्षवार अनुमानित हानि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	हानि
1986-87	3.55 करोड़ रुपये
1987-88	3.93 करोड़ रुपये
1988-89	3.80 करोड़ रुपये
1989-90	4.46 करोड़ रुपये

बम्बई में रसोई गैस की सप्लाई

573. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई क्षेत्र में रसोई गैस की कमी है;

(ख) यदि हां, तो कमी के क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) बम्बई, दिल्ली, मद्रास, सिकन्दराबाद और कलकत्ता में रसोई गैस के कितने वितरक हैं; और

(ङ) क्या भारीय तेल निगम का पुणे और गोवा में कोई वितरक हैं; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) . छिटपुट कानून और व्यवस्था और परिवहन सम्बन्धी समस्याओं के साथ-साथ औद्योगिक संबंध सम्बन्धी समस्याओं के कारण बम्बई में कुछ इलाकों में एल०पी०जी० रिफिलों की सप्लाई में कुछ कमी होने की रिपोर्ट मिली है । एल०पी०जी० की उपलब्धता को बढ़ाने, भरण क्षमता को बढ़ाने, यातायात को तेज करने और रिफिलों की सुपुर्दगी को तेज करने सम्बन्धी कार्यवाई की गई है । औद्योगिक सम्बन्ध सम्बन्धी समस्या को अब सुलझा लिया गया है ।

(घ) जनवरी 1991 को बम्बई, दिल्ली, मद्रास, सिकंदराबाद और कलकत्ता के एल०पी० जी० वितरकों की संख्या इस प्रकार थी :

नगर	वितरकों की संख्या
बम्बई	129
दिल्ली	201
मद्रास	97
सिकंदराबाद	60
कलकत्ता	123

(ङ) मैं० इंडियन आयल कार्पोरेशन का पुणे और गोआ में एक-एक वितरण केन्द्र है और वे केवल सुरक्षा कर्मिकों के लिए है ।

पेट्रोल उत्पादों की आपूर्ति

574. **श्री अशोक आनन्द राव देशमुख** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1990 के दौरान डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की माह-वार मांग और आपूर्ति कितनी थी;

(ख) क्या इस बीच खाड़ी संकट प्रारम्भ होने के बाद इनकी कमी रही है; यदि हां तो इसकी माह-वार स्थिति क्या है;

(ग) इस कमी पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्य क्या उपाय किये और अपनाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) देश में जनवरी-दिसम्बर, 1990 के दौरान प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति की महीनेवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) खाड़ी संकट से जो अगस्त, 1990 में शुरू हुआ, देश की कठिन स्थिति और भी बिगड़ गई जिसका देश चालू वर्ष में सामना कर रहा था। खाड़ी-संकट के बाद कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई जिसके कारण घरेलू मांग पूरी करने के लिए अधिक मात्रा में आयात करना कठिन हो गया। इराक और कुवैत से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति भी रुक गई।

(ग) खाड़ी संकट के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए उठाये गये कदमों में ये शामिल हैं : (1) तेल एवं उत्पादों के आयात के स्रोतों के विविधिकरण की कोशिश, (2) गैर-खाड़ी स्रोतों से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए संविदाएं करना; (3) कच्चे तेल और उत्पादों की इन्वेन्ट्री बनाना, (4) पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर और उनकी उपलब्धता/वितरण पर लगातार निगरानी, (5) पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को नियंत्रित करने के लिए उपाय। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को नियंत्रित करने के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि की दर अप्रैल-दिसम्बर, 1989 की 8.3% की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1990 में घटकर 2.3% हो गई है।

(घ) स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और स्थिति की आवश्यकता के अनुसार जब भी आवश्यकता होगी उचित कदम उठाए जाएंगे।

विवरण

जनवरी-दिसम्बर, 1990 के दौरान प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति और मांग का ब्यौरा

(आंकड़े हजार मी०टन में)

	एम०एस०		एस०के०ओ०		एच०एस०डी०		एफ०ओ०/एल०एस०एच०एस०	
	मांग	पूर्ति	मांग	पूर्ति	मांग	पूर्ति	मांग	पूर्ति
जनवरी, 90	305	259	752	800	1901	1884	795	826
फरवरी	295	289	740	7157	1677	1619	709	705
मार्च	326	332	692	774	1907	1999	829	817
अप्रैल	287	269	665	667	1815	1651	683	661
मई	327	332	666	625	1891	1829	805	691
जून	319	334	663	691	1853	1890	761	749
जुलाई	291	332	687	732	1657	1700	781	819
अगस्त	305	296	685	572	1711	1645	802	748
सितम्बर	282	266	680	709	1512	1518	744	789

अक्तूबर	278	300	670	673	1634	1664	736	814
नवम्बर	278	317	751	705	1738	1657	722	893
दिसम्बर	288	305	749	996	1829	1946	744	810

नोट : 1. उपर्युक्त निर्दिष्ट मांग, माह के दौरान वास्तविक बिक्री है। निर्दिष्ट आपूर्ति उत्पादन और आयात से उपलब्धता दिखाती है।

2. जून, 1990 तक पूर्ण मांग को पूरा किया जा रहा था जबकि जुलाई, 1990 से आगे के लिए मांग को सीमित कर दिया गया है।

3. किसी भी दिए गए माग और पूर्ति के बीच के अन्तर को एक माह से दूसरे माह के इन्वेंट्री के परिवर्तन में दिखाया गया है।

मणिपुर में रसोई गैस एजेंसियां

575. **श्री एन० तोम्बी सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान मणिपुर राज्य में रसोई गैस वितरकों संख्या में वृद्धि करने के लिए मणिपुर राज्य सरकार और अन्य प्राइवेट एजेंसियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) निकट भविष्य में इस सम्बन्ध में सरकार की कार्यवाही करने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तेल उद्योग द्वारा किए गए बाजार सर्वेक्षण से इम्फाल, नम्बोल तामेंग लांग, सेनापती, जीरीबाग, मिरगखोम और केशमपेट में एल०पी०जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने की क्षमता स्थापित हुई है। उत्पाद की उपलब्धता होने पर स्थानों में चरणों में नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित की जाएगी।

सिल्चर से जिरीबाम तक रेल-सम्पर्क

576. **श्री एन० तोम्बी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिल्चर से जिरीबाम तक रेलवे लाइन के विस्तार में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार, निकट भविष्य में, रेलवे लाइन को जिरीबाम से आगे मणिपुर घाटी की ओर बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) 31 मार्च, 1990 को सिल्चर-जिरीबाम रेलवे लाइन का कार्य शुरू किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लोकतक पन बिजली परियोजना

577. श्री एन० तोम्बी सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार लोकतक पन बिजली परियोजना निरन्तर जल आपूर्ति करने के लिए लोकतक झील को और गहरा करने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) लोकतक जल विद्युत परियोजना में ऊर्जा का योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन करने के लिए लोकतक झील में जल का स्तर पर्याप्त है और परियोजना को और जल सप्लाई करने के लिए झील को और गहरा करने की कोई योजना नहीं है।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

578. श्री आर० एम० भोये
श्री माणिकराव होडल्या गावीत } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के अनेक मामले गत दो वर्षों से भी अधिक समय से रेलवे में लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे मामलों की कुल संख्या क्या है;

(ग) रेलवे के मृतक कर्मचारियों के उपयुक्त आश्रितों को रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और रोजगार के इस प्रकार के मामलों का कब तक फैसला हो जाने की संभावना है, और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान की गई ऐसी नियुक्तियों की संख्या क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नासिक, महाराष्ट्र में खाना पकाने की गैस के डीलरों के विरुद्ध शिकायतें

[हिन्दी]

579. श्री हरिशंकर महाले : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ऑयल कार्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम, नासिक (महाराष्ट्र) को खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं से कई शिकायतें मिली हैं,

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन को वर्ष 1990 के दौरान नासिक नगर में अपने ग्राहकों से 36 शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतें नए एल०पी०जी० कनेक्शनों को जारी करने/रिफिल आपूर्ति में विलम्ब, एल०पी०जी० डिलीवरी एक्स-गोडाउन/शोरूम, हाट प्लेटों को जबरदस्ती बेचने आदि से सम्बन्धित थी। आई०ओ०सी० नासिक में एल०पी०जी० का विपणन नहीं करती है।

(ग) इन सभी शिकायतों की जांच की गई और 12 शिकायतें दर्ज की गईं। विपणन अनुशासन मार्गनिर्देशों और डीलरशिप करार के अनुसार समुचित कार्रवाई की गई।

तेल का भंडार

580. **श्री हरि शंकर महाले**
प्रो० के० वी० थामस
श्री के० मुरलीधरण } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकार के पास कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों के लिए तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का मद-वार, सुरक्षित भण्डार पड़ा है,

(ख) क्या किसी अन्य देश से तेल का आयात किया जा रहा है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) देश की परिवहन व्यवस्था को ठप्प होने से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) इस समय देश में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। देश की पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता को 40% से अधिक मांग को विभिन्न देशों से कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करके पूरा किया जाता है। प्रमुख आपूर्तियां सोवियत रूस, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात से की जा रही है।

(ग) देश के सामने पेश आ रही कठिन तेल स्थिति के बावजूद इस समय देश भर में खुदरा बिक्री केन्द्रों को एच०एस०डी० की आपूर्ति गत वर्ष की उसी अवधि में की गई आपूर्ति के समान स्तर पर ही की जा रही है। राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के सम्बन्ध में गत वर्ष में हुई खपत की अपेक्षा उसकी एच०एस०डी० की आपूर्ति में 10% की कटौती की गई है जो

1 नवम्बर, 1990 से प्रभावी है। तथापि, गाडियों के बेड़े में निवल वृद्धि के कारण एच० एस० डी० की सम्पूर्ण मांग को पूरा किया जा रहा है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के घाटे

581. श्री हरिशंकर महाले
श्री किशनराव बाबूराव बामखेले
श्री गोपीनाथ गजपति
श्री मदन लाल खुराना } क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान गत दो वर्षों की तुलना में 1989-90 में घाटे में चल रहा था,

(ख) क्या सरकार ने इसके घाटे के कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के ऋण को माफ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कितना घाटा हुआ था और इसके क्या कारण थे;

(घ) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कार्यकरण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवन्तराव डाकणे) : (क) से (ग) अप्रैल, 1985 में टैरिफ में संशोधन के बाद से बिजली के उत्पादन/इसकी खरीद की लागत में वृद्धि सहित विभिन्न निवेशों की लागत में समग्र वृद्धि के कारण दिल्ली विद्युत प्रदात संस्थान (डेसू) को काफी अधिक मात्रा में राजस्व सम्बन्धी हानियां हो रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई वित्तीय हानियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	हानि (करोड़ रुपए में)
1987-88	178.62
1988-89	179.99
1989-90	233.29

डेसु के पूंजीगत आधार को सुदृढ़ किए जाने की दृष्टि से सरकार ने बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से विद्युत की खरीद और भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर सचयी ब्याज की 31.3.89 की स्थिति के अनुसार डेसू पर बकाया राशियों यथा क्रमश: 1109.73 करोड़ रुपए तथा 297.42 करोड़ रुपए के भुगतान को माफ कर दिया है। 31.1.1989 की स्थिति के अनुसार देय 1004.10 करोड़ रुपये की मूल ऋण राशि को भी सतत ऋण के रूप में बदल दिया गया है।

(घ) और (ङ) डेसू द्वारा अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए किए गए उपायों में

ये शामिल हैं—1.3.1991 से टैरिफ में संशोधन करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, विद्युत की चोरी की रोकथाम करना और प्रचालनात्मक व्यय पर उपयुक्त रूप से नियंत्रण रखना। टैरिफ में संशोधन के फलस्वरूप इस को लगभग 305 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की आशा है जिससे इसके द्वारा अपने समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार किया जा सकेगा।

खाड़ी देशों से तेल का आयात

582. **प्रो० यदुनाथ पाण्डेय** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या खाड़ी युद्ध के कारण ईरान और कुछ अन्य देशों से कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई अवरुद्ध हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या है और इस संबंध में हो रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिसम्बर, 1990 से अब तक कितनी मात्रा में तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया है और इसका मूल्य कितना है तथा मूल्य वृद्धि के कारण देश को कितनी धनराशि अतिरिक्त व्यय करनी पड़ी है; और

(घ) पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने तथा इसके मूल्यों पर नियन्त्रण रखने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) इराक और कुवैत से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति 2 अगस्त, 1990 से जबसे खाड़ी संकट शुरू हुआ है बंद है। तथापि, इस कमी को वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति के प्रबन्ध करके पूरा किया गया है। 17 जनवरी, 1991 से शुरू हुए हाल के खाड़ी युद्ध के परिणामस्वरूप ईरान और अन्य देशों से आपूर्ति में अभी तक बाधा नहीं आई है।

वर्ष 1990-91 के आरम्भ में 6400 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से लगभग 24.3 मि० टन कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद आयात करने की योजना बनाई गई थी। वर्ष 1990-91 के लिए कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की लगभग 29.5 मि० ट० मात्रा का आयात करने के लिए अब कुल आयात बिल के 10000 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है।

गीतांजलि एक्सप्रेस और नवजीवन एक्सप्रेस को शेगांव में रोकना

583. **श्री भाऊसाहेब पुंडलिक फुंडकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मुम्बई-कलकत्ता रेल लाइन पर शेगांव में गीतांजलि और नव-जीवन एक्सप्रेस को रोकने की जोरदार मांग की गयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जांच की गई है लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया। "

खामगांव-जालना रेलवे स्टेशन

584. श्री भाऊसाहेब पुंडलिक फुंडकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में खामगांव-जालना रेल मार्ग का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) (क) जी हां।

(ख) 155 किलोमीटर लंबी नई बड़ी लाइन की लागत का अनुमान 132.89 करोड़ रुपये लगाया गया है जिसका प्रतिफल ऋणात्मक होगा।

(ग) चूंकि सर्वेक्षण से पता चला है कि यातायात की सम्भावना पर्याप्त नहीं है, खामगांव-जालना नई बड़ी लाइन के कार्य को शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रियों का अनधिकृत प्रवेश

[अनुवाद]

585. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नीलाचल एक्सप्रेस, सुपर फास्ट पुरी-नई दिल्ली एक्सप्रेस और दूसरी रेलगाड़ियों, विशेषकर खड़गपुर और कानपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के आरक्षित थ्री-टायर, प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित डिब्बों में यात्रियों के अनधिकृत प्रवेश की बढ़ती घटनाओं का पता है;

(ख) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि रेलवे अधिकारी अधिकृत यात्रियों को असुविधा पहुंचाने वाले ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते हैं; और

(ग) इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) ऐसे कुछ मामले नोटिस में आए हैं।

(ग) आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत प्रवेश रोकने रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता से समय-समय पर अचानक जांचे की जाती हैं और अभियान चलाए जाते हैं और आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों को यात्रा करते हुए पाए जाने पर उन्हें गाड़ी से उतार दिया जाता है और रेल

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उन पर जुर्माना किया जाता है। जहां कहीं आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रियों के अनधिकृत प्रवेश की समस्या विकट होती है, वहां इसे रोकने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस का सहयोग प्राप्त करने के लिए समन्वय स्थापित किया जाता है।

(ii) ड्यूटी के प्रति लापरवाही के लिए जिम्मेवार पाए जाने वाले कण्डक्टरों/चल टिकट परीक्षकों/सवारी डिब्बा परिचरों को दंडित किया जाता है।

(iii) नये रेल अधिनियम, 1989 में वैधानिक प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाया गया है और वर्तमान अधिनियम में निर्धारित 20/- रुपये के जुर्माना को बढ़ा कर 500/- रुपये तक कर दिया गया है।

अलाभप्रद-विमान सेवाओं का रद्द किया जाना

586. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों हवाई मार्गों पर कुछ अलाभप्रद विमान सेवाओं का पता लगाया है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी अलाभप्रद विमान सेवाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो अलाभप्रद विमान सेवाएं कौन-सी हैं; और

(घ) उन हवाई मार्गों पर विमान सेवा चलाने से सरकार को गत तीन वर्षों में कितना घाटा हुआ ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (घ) हमारी सभी एयरलाइनों का यह निरन्तर प्रयास रहता है कि गैर-किफायती उड़ानों को कम से कम रखा जाए। क्योंकि ऐसी उड़ानों की कोई सही परिभाषा नहीं है इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि गत तीन वर्षों में ऐसी सभी उड़ानों के कारण एयरलाइनों को कितनी हानि हुई है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत आने वाले रेल स्टेशनों पर रेल आरक्षण का कम्प्यूटरीकरण

587. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के किन रेल स्टेशनों पर टिकटों का आरक्षण कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या 1991-92 के दौरान सरकार का विचार कुछ अन्य स्टेशनों पर कम्प्यूटर द्वारा रेल आरक्षण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) 11 सिटी बुकिंग कार्यालयों

सहित कलकत्ता में स्थित मुख्य आरक्षण कम्प्लेक्स दक्षिण पूर्व रेलवे एवं पूर्व रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सुविधाओं का कम्प्यूटरीकरण किया गया है तथा कटक में आरक्षण सुविधाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

[हिन्दी]

588. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाड़ी युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में गिरावट आने के बावजूद देश में इनके मूल्य कम न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : एस० के० ओ० और एच० एस० डी० जैसे प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक बनी हुई हैं। हालांकि खाड़ी युद्ध के आरम्भ होने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं तथापि स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और कीमत की स्थिरता के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। अतः फिलहाल देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत को कम करना सम्भव नहीं है।

कच्चे तेल का उत्पादन

589. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में देश में कुल कितनी मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है,

(ख) आगामी पांच वर्षों के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है, और

(ग) देश में कच्चे तेल की खोज का कार्य किन-किन स्थलों पर किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) वर्ष 1990-91 में देश में कच्चे तेल का अनुमानित उत्पादन लगभग 33.576 मिलियन टन है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में कच्चे तेल के उत्पादन में लगभग 5.0 मिलियन टन की वृद्धि होने की आशा है।

(ग) इस समय तलछटी बेसिनों की विभिन्न श्रेणियों के अन्दर अन्वेषण-कार्य किया जा

रहा है जिसमें तटवर्ती क्षेत्र के असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के विभिन्न भाग और सौराष्ट्र एवं अंडमान अपतटीय क्षेत्र सहित पूर्वी तथा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र शामिल हैं।

कोयले से गैस का उत्पादन

590. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत गैस की कमी को पूरा करने के लिए कोयले से गैस का उत्पादन किया जाएगा, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) भारत सरकार ने कोल इन्डिया लिमिटेड की "दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स परियोजना" को स्वीकृत कर दिया है जिससे "कलकत्ता गैस सप्लाई कार्पोरेशन" को सप्लाई के लिए 33 मिलियन थर्म "कोयला गैस" (अन्य उत्पादों के अलावा) का उत्पादन होगा। गहरे अखनन योग्य कोयले की सीमों को स्वस्थाने कोयला गैस से बदलने के लिए गुजरात के मेहसना के समीप भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने भी एक पायलट परियोजना हाथ में ली है। भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० के पास भी तमिलनाडु के त्रिची में 'समेकित गैसीकरण संयुक्त चक्र पायलट संयंत्र" है जो 1988 से कार्यरत है।

पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

591. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**
श्री जे० चोक्का राव } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के बार-बार के दावों के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) सिंचाई और खेती कार्य के लिए किसानों को डीजल देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। खुदरा बिक्री केन्द्रों को पेट्रोल की मात्रा गत वर्ष की उसी अवधि में उठाई गई मात्रा का 104% तक जारी की जा रही है जो मौजूदा मांग स्तरों को परा करने के लिए पर्याप्त है। खुदरा बिक्री केन्द्रों को एच०एस०डी० की

आपूर्ति गत वर्ष के समान स्तर पर की जा रही है। तथापि एच०एस०डी० की कुछ कमी महसूस की गई है। देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थिति की बारीकी से पुनरीक्षा की जा रही है।

(ग) तेल कम्पनियों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे राज्य सरकारों के परामर्श से कृषि क्षेत्रों की डीजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दें। राज्य सरकारों को कृषि क्षेत्रों में जहां कहीं अपेक्षित हो खुदरा बिक्री केन्द्रों को डीजल की आपूर्ति में वृद्धि करने की ढील दी गई है परन्तु इस वृद्धि को गैर-कृषि क्षेत्रों में कम आपूर्ति करके पूरा करना होगा। कुछ राज्यों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता का आधार पर पूरा किया जाए, परमिट प्रणाली आरम्भ की है। कृषि कार्यों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवम्बर, 1990 और फरवरी 1991 में डीजल की विशेष मात्रा भी जारी की गई है।

आठवीं योजना के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के लिए योजना परिव्यय

[अनुवाद]

592. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का आठवीं योजना के दौरान ऊर्जा के लिए योजना परिव्यय में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमानित परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय कितना था और दिसम्बर, 1990 के अंत तक इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोयले, बिजली और अन्य स्रोतों से सातवीं योजना के दौरान किए गए विद्युत उत्पादन का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग द्वारा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसको अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही ऊर्जा के लिए परिव्यय की जानकारी प्राप्त हो पायेगी।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड की संयुक्त उद्यम परियोजना

593. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड और संयुक्त राज्य अमेरीका की उच्च सहायता प्राप्त जनरल इलैक्ट्रिक प्लास्टिक्स के बीच समान साझेदारी पर एक संयुक्त उद्यम की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और हाल ही में संबोधित पार्टियों के

लिये इस मामले पर चर्चा की गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) जी, हां। उच्च इंजीनियरी प्लास्टिक और सम्मिश्रण गुजरात राज्य के बड़ोदा और गंधार नामक स्थान में निर्माण हेतु 13.1.91 को आई०पी०सी०एल० को आशय पत्र प्रदान किया गया है। इस परियोजना को मेसर्स जी०ई० प्लास्टिक ऑफ नीदरलैंड की इक्विटी सहभागिता से संयुक्त उद्यम के रूप में गठित करने का निर्णय किया गया है। चरण-I के लिए 91 करोड रुपए की अनुमानित पूंजी लागत से चरणों में संयुक्त उद्यम परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। इन उत्पादनों का भव्यपूर्व को निर्यात करने की भी परिकल्पना की गई है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को एशियाई विकास बैंक से ऋण

594. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के एक दल ने हाल ही में एशियाई विकास बैंक से विचार विमर्श किया है तथा गांधार आयलफील्ड प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त ऋण देने के लिए आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पश्चिमी क्षेत्र (गुजरात) में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की गंधार क्षेत्र विकास चरण-II, परियोजना के वित्त पोषण के लिए ए०बी०डी० के माध्यम से सह-वित्त-पोषण के लिए ऋण सहायता लेने और वाणिज्यिक ऋण के लिए , और 24 जनवरी, 1991 के बीच विचार-विमर्श किये गये। यह दल केवल तथ्य मालूम करने के मिशन पर था।

खाड़ी देशों से कच्चे तेल का आयात

595. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब और खाड़ी के कुछ अन्य देशों ने आमतौर से तीसरी दुनिया के देशों को और विशेषकर हमारे देश को उन टैंकरों द्वारा कच्चा तेल देने का निर्णय किया है जिसकी ढुलाई लागत समबद्ध देश को वहन करनी पड़ेगी,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या कुछ टैंकर पहले ही हमारे देश में पहुंच चुके हैं, और

(घ) यदि हाँ, तो तथ्य क्या है और ढुलाई के लिये सरकार को कितना भार वहन करना पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) साऊदी अरब जहाज से जहाज स्थानांतरण आधार पर 1.30 डालर प्रति बैरल के अतिरिक्त प्रभार पर फुज्जैराह कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए जनवरी, 1991 में सहमत हुआ। फरवरी, 1991 में ईरान 0.50 डालर प्रति बैरल के अतिरिक्त प्रभार पर, एक्स-लेवन, आइलैंड ईरान लाइट और ईरान हैवी कच्चे तेल की जहाज से जहाज पर स्थानांतरण आधार पर आपूर्ति के लिए सहमत हुआ। भारतीय टैंकर फुजैराह और लेवर आइलैंड से कच्चा तेल भारत लाए। जनवरी-फरवरी, 1991 में इस व्यवस्था के दौरान भरित/भारित की जाने वाली कुछ मात्रा 0.69 एम०एम०टी० है।

पेट्रोलियम पदार्थों की काला बाजारी

596. श्री आनन्द सिंह
श्री म प्रभराज सिंघिय
श्री बनवारी लाल पुरोहित } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खाड़ी युद्ध के कारण दिल्ली में और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पम्पों, डीजल पम्पों तथा मिट्टी के तेल के वितरण केन्द्रों पर लगने वाली लम्बी-लम्बी कतारों तथा इन वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारी की शिकायतों की ओर दिलाया गया है,

(ख) इस सम्बन्ध में मारे गए छापों का ब्योरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई, और

(ग) इन पदार्थों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने और इनकी जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) 14 जनवरी, 1991 से 16 जनवरी के बीच दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पम्पों पर लंबी कतारें देखी गईं। परन्तु मिट्टी के तेल के वितरण केन्द्रों पर कोई कतार की रिपोर्ट नहीं है। डीजल की कालाबाजारी की कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं।

(ख) दिल्ली में पेट्रोल/डीजल पम्पों और एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० डीलरशिपों पर तेल कंपनियों द्वारा निम्नलिखित निरीक्षण किए गए :

पेट्रोल/डीजल के डीलरशिप

माह	नियमित	आकस्मिक	संयुक्त
जनवरी 91	124	108	31

फरवरी 91	149	394	93

(21 फरवरी तक)

एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० डीलरशिप

माह	नियमित	आकस्मिक	संयुक्त
जनवरी 91	36	—	13
फरवरी 91	31	—	5

(21 फरवरी तक)

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) जमाखोरी, कालाबाजारी और अन्य कदाचार रोकने के लिए तेल कम्पनियों तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों के निरीक्षणों में तेजी लाई गई।

(2) जनता से अपील की गई है कि वे भयाक्रान्त होकर खरीदारी नहीं करें और जनता को पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता का आश्वासन दिया गया है।

(3) दिल्ली प्रशासन ने 15 फरवरी 1991 को आदेश जारी किया है जिसमें जेरी कैनों/बैरलों अथवा अन्य किसी बर्तन में एच० एस० डी० ले जाने पर रोक लगा दी गई है।

(4) दिल्ली को सामान्य अधिकतर से अधिक मात्रा में जनवरी-फरवरी, 1991 में अतिरिक्त एच०एस०डी० जारी किया गया है।

तेल संरक्षण सप्ताह

597. **श्री आनन्द सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण की महत्ता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये इस वर्ष जनवरी में तेल संरक्षण सप्ताह मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तेल संरक्षण के लिए कौन सी योजनाएं तथा कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं; और

(ग) जनवरी-मार्च, 1991 की तिमाही के दौरान उनका अनुमानित प्रभाव क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां। पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए 7 से 13 जनवरी, 1991 तक 'तेल संरक्षण सप्ताह' मनाया गया।

(ख) तेल संरक्षण सप्ताह के दौरान, पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लाभ के बारे में

जन-जागरूकता पैदा करने/बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के 1600 से भी अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम अर्थव्यवस्था के परिवहन, कृषि, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों से सम्बन्धित थे। इन कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे—क्लीनिक, कार्यशालाएं, गोष्ठियां, वार्ताएं, ट्रक और ट्रैक्टर सम्मेलन, नुमाइश, वाक—प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता अच्छी किस्म के लुब्रिकेटिंग के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अभियान तथा ईंधन-कुशल उपकरण और तेल संरक्षण कार्यक्रम।

(ग) आधार को बढ़ाने और पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए जन-जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है। तथापि, पेट्रोलियम उत्पादों की बचत के बारे में अलग से 'तेल संरक्षण सप्ताह' के प्रभाव की सुनिश्चित मात्रा बता पाना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की एजेंसियां

[हिन्दी]

598. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाओं में रसोई गैस की एजेंसियां हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : उत्तर प्रदेश के 147 नगर पालिका शहरों में एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हैं।

छोटे गैस सिलेन्डरों की बिक्री

599. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एक्क 250 ग्राम से 5 किलोग्राम तक के गैस सिलेन्डरों की बिक्री कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित निश्चित किए गए मानदंडों के आधार पर किया जा रहा है; और

(ग) क्या इनके परिणामस्वरूप घटनाओं के होने के मामले प्रकाश में आए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तरीय रेलवे के विभिन्न मार्गों पर खान-पान की सुविधा प्रदान करना

600. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरीय रेलवे के बनारस-लखनऊ, बरेली-मुरादाबाद दिल्ली, देहरादून और अम्बु-तवी मार्गों पर चलने वाली कौन-कौन सी रेलगाड़ियों में खान-पान यान की व्यवस्था है;

(ख) इन मार्गों पर सभी गाड़ियों में खान-पान यान की व्यवस्था न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मार्गों पर खान-पान यान कब तक आरम्भ करने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जिन गाड़ियों में पेंट्री कार सेवा की व्यवस्था है वे हैं—2373/2374 हिमगिरी एक्सप्रेस, 5609/5610 अवध-असम एक्सप्रेस, 8475/8476 नीलाचल एक्सप्रेस और 2587/2588 गोरखपुर—जम्मू तवी एक्सप्रेस ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ से नई एक्सप्रेस रेलगाड़ियां

601. **श्री सतीष कुमार गंगवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली और मुरादाबाद के रास्ते लखनऊ-दिल्ली; लखनऊ-देहरादून और लखनऊ-जम्मू तवी मार्गों पर अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्चे तेल उत्पादन का लक्ष्य

[अनुवाद]

602. **श्री कमल नाथ**
प्रो० यदुनाथ पाण्डेय } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन-लक्ष्यों को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) 1990-91 के लिए निर्धारित किए गए उत्पादन-लक्ष्य क्या है; और

(घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आयात आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए देश कठिन प्रयास कर रहा है, उत्पादन-वृद्धि के लिए क्या उपाय सोचे गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए ओ० एन० जी० सी० एवं सरकार के बीच सहमति ज्ञापन (मेमोरेंडम आफ अंडरटेकिंग) में, 0.88 मिलियम टन प्राकृतिक गैस द्रव (एल० जी० एल०) सहित, कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 33.00 मिलियन टन का लक्ष्य तय किया गया । नवम्बर, 1990 में, ओ० एन० जी० सी० ने सरकार को सूचित किया कि इस लक्ष्य की तुलना में कमी हो सकती है और 0.84 मिलियन टन एल० जी० एल० सहित, 1990-91 का सम्भावित उत्पादन

30.826 मिलियन टन का होगा ।

(ख) उत्पादन में कमी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(1) असम में आन्दोलन, बन्द और रोकबन्दी;

(2) अप्रैल-जून, 1990 में एल० एस० एच० एस० के निकास की समस्या के कारण कोयाली रिफाइनरी द्वारा उत्तर-गुजरात के कच्चे तेल को खपा लेने में कमी ।

(3) गुजरात में अप्रत्याशित वर्षा के कारण बाढ़ और पानी-जमाव ।

(4) ओ० एन० जी० सी० अधिकारियों द्वारा तीन दिवसीय हड़ताल के कारण ।

(5) पश्चिमी अपतट में कुछ पाइपलाइनों में रिसाव के कारण हानि और मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा हीरा फील्ड के प्लेटफार्मों को तैयार करने में विलम्ब के कारण, इन दोनों प्लेटफार्मों से उत्पादन में विलम्ब ।

(6) प्रेसर मेन्टीनेन्स की आवश्यकता के कारण पश्चिमी अपतट में गंधार और कलोल में कई कुंओं से प्रतिबंधित उत्पादन की आवश्यकता ।

(ग) वर्ष 1990-91 के लिए कच्चे तेल का उत्पादन लक्ष्य 35.9 मिलियन टन तय किया गया जिसमें से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए 33 मिलियन टन और आयल इंडिया लिमिटेड के लिए 2.9 मिलियन टन था ।

(घ) यह अनुमान है कि 8वीं योजना (1994-95) के मध्य वर्ष तक देशज कच्चे तेल उत्पादन में लगभग 50 एम० टी० तक की वृद्धि होगी । इसको प्राप्त करने के क्रम में, इस अवधि के दौरान काफी संख्या में ज्ञात आयल फिल्डों को विकसित किया जाना है । इसमें पश्चिमी अपतट में नीलम, मुक्ता और पन्ना आयल फील्ड, कृष्णा-गोदावरी अपतट में राधा आयल फील्ड और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में गधार फील्ड शामिल हैं । इनके अतिरिक्त बम्बई आयल फील्ड के एल-II और एल-III भंडारों के अतिरिक्त विकास पर भी विचार करना है ।

पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण

604. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति
श्री हरि शंकर महाले
श्री डी० एम० पुट्टे गौडा
श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री के० मुरलीधरन } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाडी संकट को देखते हुए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण की कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इससे पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण में कहां तक सहायता मिलेगी;

(ग) क्या सरकार ने अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र के समस्त उपभोक्ता उद्योगों में "ऊर्जा लेखा-

परीक्षा" आरम्भ करने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) क्रूड तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात बिल में वृद्धि को रोकने की अत्यन्त आवश्यकता को देखते हुए एक कार्य योजना बनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के सचिव की अध्यक्षता में जनवरी, 1990 में एक अन्तर-मंत्रालयी कार्यकारी दल गठित किया गया था। कार्य दल ने जुलाई, 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इसने अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों यथा-परिवहन, औद्योगिक, कृषि, घरेलू और तेल क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए अनेक अनुशंसाएं की हैं। अंतर-ईंधन प्रतिस्थापन, सभी बड़ी तथा मझौले आकार की औद्योगिक ईकाइयों की ऊर्जा की लेखा-परीक्षा तथा उनकी वार्षिक रिपोर्टों में ऊर्जा की लेखा-परीक्षा के परिणामों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट देना, संरक्षण के संबंध में जनता में जागरुकता पैदा करना, वार्षिक और वित्तीय प्रोत्साहन देना और पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने जैसे अन्य उपायों पर भी जोर दिया गया है।

इन अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, जिसे सरकार को प्रस्तुत किया गया है, पेट्रोलियम उत्पादों का काफी संरक्षण होगा।

कोयले के उपयोग के लिए योजना

605. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी युद्ध के दौरान और इसके बाद के संभावित ऊर्जा संकट को देखते हुए मिट्टी के तेल और रसोई गैस के विकल्प के रूप में कोयले के प्रयोग की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों के तहत कोयले की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए कोई प्राथमिकता निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री (कल्याण सिंह कालवी) : (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल, एल० पी० जी० तथा जलाऊ लकड़ी, आदि की जगह विशिष्ट धुंआरहित ईंधन (एस० एस० एफ०) तथा ब्रिकेटस के रूप में घरेलू ईंधन के लिए कोयले के उत्पादन तथा इसकी उपयोगिता में वृद्धि किए जाने के लिए एक क्रेश कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस संबंध में किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :

(1) घरों में कोयले तथा कोयले पर आधारित ईंधनों की आपूर्ति में वृद्धि।

(2) अधिसूचित कोलियरियों/स्टाकयार्डों में "उदारीकृत बिक्री योजना" के अंतर्गत 6 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की पेशकश की गई है।

(3) एस० एस० एफ० यूनिटों, ब्रिकेटिंग संयंत्रों, घरेलू क्षेत्र के लिए "उदारीकृत बिक्री योजना" के अन्तगत 2 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति किए

जाने की व्यवस्था की गई है।

(4) राज्य सरकारों/उनकी एजेंसियों तथा को० ई० लि० के तत्वावधान में विद्यमान स्टाकयार्डों के अतिरिक्त देशभर में और 100 कोयला स्टाकयार्डों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(5) स्टाकयार्डों, एस० एस० एफ० संयंत्रों तथा ब्रिकेटिंग यूनिटों के अन्य बातों के अलावा कोयले के संयोजन का अनुवीक्षण करने के लिए स्थायी संयोजन समिति (स्टाकयार्डों) का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) लगभग 80% कोयले की आपूर्ति अर्थ-व्यवस्था के निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को की जाती है—विद्युत, इस्पात, सीमेन्ट तथा रेलवे। लगभग अन्य 15% की खपत संगठित औद्योगिक यूनिटों द्वारा की जाती है, शेष की खपत काफी उद्योगों द्वारा की जाती है। कोयला की आपूर्ति किए जाने के मामले में महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। रेल संचलन की उपलब्धता के आधार पर स्टाकयार्डों/एस० एस० एफ० संयंत्रों/ब्रिकेटिंग यूनिटों को कोयले के प्रेषण को उच्च प्राथमिकता दिए जाने का प्रस्ताव भी दिया गया है।

तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

606. श्री शान्ताराम पोटदुखे
श्री मदन लाल खुराना } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान खाड़ी युद्ध को देखते हुए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों से तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें, आयातक देशों के नाम, आगामी छ: माह में आयात की जाने वाली मात्रा और सप्लाई किस तिथि तक भारत पहुंचेगी; और

(ग) इसके लिए कितना पूंजी परिव्यय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान 29.83 मि० मी० टन कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की स्वीकृति दे दी है। अप्रैल, 1990 से जनवरी, 1991 के दौरान पहले ही लगभग 24.28 मि० मी० टन कच्चे तेल और उत्पादों का आयात हुआ है और शेष मात्रा के उसके बाद मार्च, 1991 तक आयात करने की योजना है। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात आवधिक संविदाओं और स्थल पर खरीद के जरिए किया जाता है। स्थल पर खरीद किसी विशेष देश से संबंधित नहीं है। अतः, आयात का कम्पनी-वार ब्योरा देना सम्भव नहीं है।

(ग) स्वीकृत आयातों के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा 10,000 करोड़ रुपये से अधिक

होने का अनुमान है ।

खाड़ी युद्ध तथा भारत की ऊर्जा समस्या

607. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट
श्री परसराम भारद्वाज } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार की गई "खाड़ी युद्ध और भारत की ऊर्जा समस्या" रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बड़ी मात्रा में डीजल की बचत सम्भव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार कब तक अन्तिम निर्णय लेने का विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) टाटा एनर्जी रिसर्च इस्टीट्यूट (टी० ई० आर० आई०), नई दिल्ली द्वारा "खाड़ी युद्ध और भारत की ऊर्जा समस्या" पर जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति को सरकार ने देखा है जो डीजल सहित ऊर्जा के विभिन्न रूपों की बचत करने के लिए अनेक उपायों के संबंध में है ।

(ख) प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित उपायों के कुल पैकेज का विस्तृत अध्ययन और लागत-लाभ विश्लेषण सहित कोई योजना टी० ई० आर० आई० द्वारा तैयार नहीं की गई है ।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के लिए दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

एयर कार्गो की उड़ानों में कमी

608. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी राष्ट्रीय हवाई अड्डों से एयर कार्गो की उड़ानों में तथा यात्रियों की संख्या में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इंडियन एयरलाइंस को इस संबंध में अब तक कितना घाटा हुआ है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) पट्टे पर लिए गए बी-737 विमान की वापसी और ए-320 विमानों की सेवाओं के बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप अप्रैल-दिसम्बर, 1990 की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के अन्तर्देशीय मार्ग-तंत्र पर कार्गो और यात्री यातायात में 1989 की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 17% और 22% की गिरावट आई ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स को अप्रैल से जनवरी, 1991 की अवधि के दौरान 65.20 करोड़ रुपये की हानि हुई।

ईरान से तेल का आयात

609. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने भारत को पूर्व निर्धारित अनुबन्ध के अनुसार तेल की पूरी मात्रा सप्लाई करने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तेल की कुल कितनी मात्रा का अनुबन्ध किया गया है;

(ग) अब तक तेल की कितनी मात्रा सप्लाई की गई है;

(घ) क्या भारत को 15 जनवरी, 199 के बाद से ईरान, इराक और सऊदी अरब से बिल्कुल भी तेल प्राप्त नहीं हुआ है;

(ङ) 15 जनवरी, 1991 के बाद किन देशों से तेल का आयात किया जा रहा है; और

(च) इन देशों से अब तक कितनी मात्रा प्राप्त हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान, ईरान के साथ एक संविदा की गई थी जो अप्रैल, 90-मार्च, 91 के दौरान 1.5 मि० मी० टन कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए था। इस संविदा के अधीन ली जाने वाली कुल मात्रा दिसम्बर, 1990 तक उठा ली गई थी। ईरान के साथ जो दूसरी संविदा की गई है वह जनवरी-मार्च, 1991 के दौरान 1.0 मि० मी० टन कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए है जिसके लिए योजना के अनुसार उत्पाद उठाया जा रहा है।

(घ) 15 जनवरी, 1991 के बाद भारत को ईरान और सऊदी अरब से कच्चा तेल प्राप्त हुआ है। दिनांक 2 अगस्त, 1990 से ईराक से कोई कच्चा तेल नहीं उठाया गया है।

(ङ) और (च) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात विभिन्न स्रोतों से दोनों अर्थात् आवधिक संविदाओं और साथ ही स्पाट खरीद के अन्तर्गत किया जा रहा है। स्पाट पर खरीद हमेशा विशेष देशों से नहीं की जाती है। वे कुछ स्रोत, जिनसे 15.1.1991 से तेल का आयात किया जा रहा है वे हैं सऊदी अरब, सोवियत रूस, ईरान, मलेशिया और आस्ट्रेलिया।

पेट्रो-रसायनों की उपलब्धता

610. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी संकट और स्वदेशी पेट्रोरसायन इकाइयों के लिए नैफ्था की सप्लाई में कटौती से पेट्रोरसायनों की उपलब्धता पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण इस वर्ष इनकी कीमतें बढ़ेंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेट्रोरसायनों की कीमतें नियंत्रण में रखने तथा इसे देश में उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक होने की संभावना है;

(घ) इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और

(ङ) खाड़ी स्थिति से उत्पन्न संकट का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ङ) जबकि पेट्रोकेमिकल्स एककों को नेपथा की घरेलू आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लेकिन खाड़ी संकट के कारण इन उत्पादों के मूल्य और उपलब्धता पर बुरा असर हुआ क्योंकि पेट्रो-केमिकल्स की लगभग 45% आवश्यकताएं आयात पर आधारित हैं। उच्च अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों और सीमित आपूर्ति के कारण घरेलू बाजार में आपूर्ति प्रभावित हुई। उक्त परिस्थिति से हुई कठिनाइयों के यथासंभव समाधान के उद्देश्य से पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों के प्रमुख उपभोक्ता संघों और घरेलू उत्पादकों के साथ लगातार विचार-विमर्श किया जा रहा है। खाड़ी संकट के समाप्त होने और जिन नये काम्पलेक्सों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं उनके चालू होने से पेट्रोरसायनों की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध होने से स्थिति में सुधार होने की आशा है।

प्राकृतिक गैस का जलाया जाना

[हिन्दी]

611. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने प्राकृतिक गैस जलाए जाने से उत्पन्न प्रदूषण पर अपना रोष व्यक्त किया है;

(ख) क्या प्राकृतिक गैस का विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थों के विकल्प और ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय ने सामान्यतया यह व्यवस्था दी है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लिमिटेड को उनके सभी स्थापनाओं में गैस के दहन को न्यूनतम करने के लिए पर्याप्त उपाय अपनाए जाएं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने पहले ही उर्वरक, विद्युत, स्पंज लोहा और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न इकाइयों के लिए प्राकृतिक गैस आवंटित कर दी है जहां यह तरल पेट्रोलियम उत्पादों अथवा

कोयला के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ इकाइयां इस प्रयोजनों के लिए गैस का प्रयोग कर रही हैं। बम्बई हाई क्षेत्र में गैस की अतिरिक्त संपीड़न, संसाधन और परिवहन क्षमता के सृजन के लिए एक परियोजना भी बनाई गई है ताकि इस समय वहां जिस संबद्ध गैस का दहन किया जा रहा है, उसे ऐसी इकाइयों द्वारा उपयोग के लिए तट पर लाया जा सके।

मलेशिया और आस्ट्रेलिया से कच्चे तेल का आयात

612. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री छेदी पासवान } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चल रहे खाड़ी युद्ध को देखते हुए सरकार ने मलेशिया और आस्ट्रेलिया से कच्चे तेल का आयात करने हेतु कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इन समझौतों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इसके कारण दोनों देशों के साथ भुगतान शेष पर कोई असर पड़ेगा, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) अतिरिक्त धनराशि किन स्रोतों से जुटायी जाएगी;

(ङ) दोनों देशों ने कच्चे तेल की क्या दरें निश्चित की हैं;

(च) यदि यह आम दरों पर नहीं है तो इसके क्या कारण हैं, और

(छ) यह आयात कब तक जारी रहेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (छ) अगस्त, 1990 में खाड़ी संकट शुरू होने से पहले से ही कच्चे तेल का आयात करने के लिए इन्डियन आयल कारपोरेशन का मलेशिया के साथ एक संविदा हुई थी। अगस्त, 1990 में खाड़ी संकट आरंभ होने के पश्चात कच्चा तेल आयात करने के लिए मलेशियन नेशनल आयल कम्पनी के साथ इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा एक और संविदा पर हस्ताक्षर किए गए जिससे 1990-91 के दौरान मलेशिया से कच्चे तेल के कुल आयात में वृद्धि हुई। कच्चे तेल का आयात करने के लिए आस्ट्रेलिया के साथ कोई आवधिक संविदा नहीं है। तथापि, इंडियन आयल कारपोरेशन ने खरीद के जरिए आस्ट्रेलियन कच्चे तेल के दो जहाज का आदेश दिया है। ऐसा आयात के स्रोतों में विविधता लाने की दृष्टि से किया गया है।

जनवरी, 1991 में खाड़ी युद्ध की घोषणा से लेकर अब तक सरकार अथवा इन्डियन आयल कारपोरेशन ने अतिरिक्त कच्चे तेल का आयात करने के लिए मलेशिया अथवा आस्ट्रेलिया के साथ कोई नया करार नहीं किया है।

पटना-गया रेल लाइन को दोहरा करना

613. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गया-पटना रेलवे लाइन को दोहरा करने का कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, ससाधनों की तंगी और हाथ में भारी वचनबद्धताओं के कारण इस खंड के दोहरीकरण को योजना के पहले दो वर्षों में शामिल नहीं किया गया है जिसके लिए प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

बाम्बे हाई में प्राकृतिक गैस का जलाया जाना

614. श्री हरीश पाल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे हाई में प्राकृतिक गैस के जलाए जाने संबंधी मामले की जांच करने हेतु गठित की गई अन्तर-अनुशासनिक समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी नहीं, बम्बई हाई में प्राकृतिक गैस के दहन के मामले में विशेष जांच के लिए कोई अन्तर-अनुशासनात्मक समिति नहीं गठित की गई है। बम्बई हाई रिजर्वेयर के प्रबन्धन की जांच के लिए श्री ए० बी० दासगुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बम्बई हाई में, संबद्ध गैस के लिए अतिरिक्त संपीड़न, संसाधन और परिवहन सुविधाओं की स्थापना के लिए एक प्राथमिकता परियोजना बनाई गई है ताकि इस समय तटवर्ती क्षेत्र में जिस गैस का दहन किया जा रहा है, उसे प्रयोग में लाया जा सके।

खाना पकाने की गैस की कमी

[अनुवाद]

615. श्री हरीश पाल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि खाना पकाने की गैस की कमी नहीं है सरकार का ध्यान गैस के सिलेंडरों की कमी की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या सरकार को कई उपभोक्ताओं से खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों के वितरण

में विलम्ब की शिकायतें मिली हैं और सरकार ने आरोप लगाया है कि डीलरों ने काला बाजारी करने हेतु गैस का कृत्रिम अभाव पैदा किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) बल्क एल०पी०जी० की उपलब्धता में बाधाएं, लाने ले जाने की समस्या और कहीं कहीं कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण, देश के कुछ स्थानों से एल०पी०जी० रिफिलों की आपूर्ति में अस्थायी कमी होने की सूचना मिली थी।

(ख) और (ग) एल०पी०जी० की कमी और बकाया के दौरान सामान्यतया ऐसी शिकायतें ग्राहकों से प्राप्त होती हैं। जैसा कि पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं, एल०पी०जी० की आपूर्ति की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है। कदाचार को रोकने के क्रम में, एल०पी०जी० विपणन कम्पनियों के फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित एवं अचानक निरीक्षण किए जाते हैं। एल० पी०जी० वितरकों के विरुद्ध प्राप्त सभी शिकायतों की जांच की जाती है और जहां आरोप सिद्ध पाए गये हैं वहां विपणन अनुशासन मार्गनिदेश एवं डीलरशिप करार के मुताबिक समुचित कार्रवाही की जाती है।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में ठेका श्रमिक

[हिन्दी]

616. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के हंसदेव क्षेत्र में टब मरम्मत में लगे श्रमिकों को ठेका श्रमिक माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश कोयला मजदूर सभा ने इस मामले को संयुक्त मुख्य श्रम आयुक्त के पास भेजा है;

(ग) यदि हां, तो क्या आयुक्त ने इसके बारे में कोई अधिनिर्णय दे दिया है और यदि हां, तो कब; और

(घ) भारत सरकार द्वारा इस अधिनिर्णय को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबन्ध द्वारा लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मजदूर संघों तथा प्रबन्धकों के मध्य हुए परस्पर समझौते के अनुसार, ठेकेदारों के अधीन कार्यरत टब मरम्मत मजदूरों को विभागीकृत किए जाने की मांग से संबंधित विवाद को संयुक्त श्रम आयुक्त (सेवा प्राप्त) के पास मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। मध्यस्थ ने दिनांक 30-8-1990 को अपना निर्णय दिया तथा इसे दिनांक 7-9-1990 को अधिसूचित किया गया।

(घ) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० अपने वित्त विभाग के साथ इस निर्णय पर विचार कर रहा है।

गुवाहाटी में मालगाड़ियों में टक्कर

[अनुवाद]

617. **श्री मानिकराव होडल्या गावीत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो मालगाड़ियों में 8 जनवरी, 1991 को चौतारा और गुवाहाटी रेलवे स्टेशनों के बीच टक्कर हुई थी,

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं,

(ग) जान माल की क्षति का ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है, और

(ङ) क्या टक्कर के कारणों की कोई जांच की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ङ) 8.1.91 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलीपुरद्वार मंडल के चौतारा स्टेशन पर दो माल गाड़ियां आपस में टकरा गई थीं। इसके परिणामस्वरूप 2 रेल कर्मचारी मारे गए थे तथा 2 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। रेल संपत्ति को 2.12 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

अभी तक किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है। मृतकों के निकट सम्बन्धियों एवं घायलों को 12,000 रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

इस दुर्घटना की विभागीय जांच प्रगति पर है।

मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन का निजीकरण

618. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा चयनित तथा स्वीकृति प्रदान की गई कम्पनियों की संख्या तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मंजूरी कब तक मिलने की संभावना है और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रत्याशित समय-सीमा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि०, मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम, ने मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड की ओर से, 3 ताप विद्युत परियोजनाओं एवं दो जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए पूर्व-योग्यता हेतु निजी निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

ताप विद्युत परियोजनाएं हैं : पेंच (2 × 210 मेगा०) बीरसिंहपुर (2 × 210 मेगा०), कोरबा पश्चिम (2 × 210 मेगा०) एवं जल विद्युत परियोजनाएं, तवा (1 × 12 मेगा०), माहेश्वर (10 × 40 मेगा०) जून, 1990 में घोषित की गई हैं।

पेंच ता०वि०केन्द्र (2 × 210 मेगा०) हेतु 7 प्रस्ताव एवं तवा जल विद्युत परियोजनाओं (1 × 12 मेगा०) हेतु 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

इन बोलियों को अंतिम रूप देने एवं परियोजना संबंधी कार्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेने हेतु परियोजना प्राधिकारी सक्षम हैं।

डल्ली राजहरा से रौघाट तक रेल लाइन बिछाना

619. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री प्यारेलाल खंडेलवाल } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डल्ली-राजहरा रेल लाइन को रौघाट तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि रौघाट से भिलाई इस्पात संयंत्र तक लौह अयस्क की ढुलाई की जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति, प्रस्तावित परिव्यय, इस रेल लाइन की लंबाई और इसका कार्य पूरा होने की प्रत्याशित अवधि क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश में रेल लाइन के निर्माण संबंधी कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं और उनका ब्यौरा तथा प्रत्याशित परिव्यय कितना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि डल्लीराजहरा से रावघाट (95 कि० मी०) तक रेल लाइन की व्यवस्था केवल भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क के परिवहन हेतु की जानी है, इसलिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने तथा इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर दिए जाने के बाद ही इसके निर्माण के बारे में विचार किया जा सकता है।

(ग) मध्य प्रदेश में नई रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मध्य प्रदेश को प्राकृतिक गैस की सप्लाई

620. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए हजिरा बीजापुर जगदीशपुर पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उद्योगों को पाइप लाइन से गैस कब

तक उपलब्ध कराई जाएगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से, इस राज्य में कुछ परियोजनाओं के लिए हजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइपलाइन से गैस के आवंटन के लिए अभी हाल ही में प्रस्ताव भेजा है। अभी तक इस अनुरोध पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा पेट्रोलियम सामग्री की बचत

621. श्री पी० एम० सईद : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी युद्ध को देखते हुए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने विमानों के ईंधन तथा इससे सम्बन्धित सामग्री की बचत करने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ख) ऐसे कदम उठाने से कितनी धनराशि और पेट्रोलियम सामग्री की बचत होने का अनुमान है;

(ग) क्या नागर विमानन के लिए आवश्यक सामग्री की कोई कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) एयर इंडिया ने 16.1.91 से खाड़ी के लिए 46 साप्ताहिक उड़ानें, 1.2.91 से आस्ट्रेलिया के लिए 2 साप्ताहिक उड़ानें तथा यू०के० के लिए 2 साप्ताहिक उड़ानें रद्द की हैं। 23.1.91 से मास्कट, आबू धाबी और दुबई के लिए उड़ानों को आंशिक रूप से शुरू किया गया है। इंडियन एयरलाइंस ने 22.1.91 से प्रतिदिन औसतन 46 उड़ानें रद्द की थीं। इंडियन एयरलाइंस ने इनमें से अधिकतर उड़ानें अब शुरू कर दी हैं।

(ख) एयर इंडिया ने विमानन टरबाईन ईंधन (ए०टी०एफ०) की खपत में कमी करके प्रतिदिन लगभग 17.56 लाख रुपए की बचत की है। इंडियन एयरलाइंस के मामले में 22.1.91 से 16.2.91 तक की अवधि के दौरान लगभग 7.88 करोड़ रुपये कीमत की ए० टी० एफ० की बचत की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डीजल और पेट्रोलियम का आयात

622. श्री पी० एस० सईद : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में डीजल और पेट्रोल की कुल मांग की कितनी प्रतिशत मात्रा इस समय

आयात की जा रही है;

(ख) खाड़ी युद्ध का इन पदार्थों के आयात पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या भारत डीजल और पेट्रोल के मामले में आत्मनिर्भर होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) देश में एच० एस० डी० और कच्चे तेल की जरूरत का प्रतिशत क्रमशः करीब 20.4% और 40.2% है जिसे 1990-91 के दौरान आयात करने की योजना बनाई गई है।

(ख) अब तक हम अबाध आपूर्तियां प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) निकट भविष्य में भारत के एच० एस० डी० और कच्चे तेल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की संभावना नहीं है।

दक्षिणी राज्यों में रसोई गैस की कमी

623. श्री सी०के० कुप्पुस्वामी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में ग्रा. ों के लोगों को रसोई गैस सिलेन्डर दोबारा भराने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार 20,000 और उससे ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों/नगरों में, पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर, उत्पाद की संपूर्ण उपलब्धता की शर्त पर व्यवहार्य वितरण केन्द्रों से वर्तमान मार्किट से निकटस्थ स्थानों के साथ-साथ वितरण केन्द्रों के प्रचालन के क्षेत्र में आने वाले कुछ गांवों में भी, चरणबद्ध रूप में एल०पी०जी० सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बल्क एल० पी० जी० की उपलब्धता मे नियंत्रण, ढुलाई समस्या और कहीं-कहीं कानून एवं व्यवस्था की समस्या से देश के कुछ क्षेत्रों में एल०पी०जी० की आपूर्ति में अस्थायी कमी होने की सूचना मिली है। एल०पी०जी० की उपलब्धता में वृद्धि, बाटलिंग में बढ़ोतरी और रिफिल की डिलीवरी में तीव्रता के लिए कार्रवाई की गई है। इन उपायों से, आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है।

हवाई पत्तनों पर अवतरण प्रणाली को सुधारना

624. श्री माधवराव सिंधिया
श्री एच०सी० श्रीकान्तय्या } : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति भट्ट जांच समिति ने बंगलौर में एयरबस ए-320 की दुर्घटना से सम्बन्धित अपने प्रत्यावेदन में 'केटेगरी—1' की यंत्र अवतरण प्रणाली (इन्सट्रूमेंटल लेंडिंग

सिस्टम) लगाकर विभिन्न हवाई पत्तनों की अवतरण प्रणाली को सुधारने की सिफारिश की थी;

(ख) ऐसी प्रणाली कौन-कौन से हवाई पत्तनों पर लगाने की सिफारिश की गई थी और यह प्रणाली किन-किन हवाई पत्तनों पर प्रचलित है; और

(ग) वांछित अवतरण प्रणाली की व्यवस्था करने पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां ।

(ख) उपस्कर अवतरण प्रणाली श्रेणी-I की सिफारिश प्रत्येक उस हवाई अड्डे के लिए की गई है जिसके धावनपथ का उपयोग जेट विमानों द्वारा अनुसूचित सेवाओं के लिए किया जाता है। इस समय अगरतला, अहमदाबाद, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, डिब्रूगढ़, गुहावटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, लखनऊ मद्रास, नागपुर, पटना और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों पर उपस्कर अवतरण प्रणाली श्रेणी-I की व्यवस्था है ।

(ग) देश के उन सभी हवाई अड्डों पर जहां जेट विमानों से परिचालन किए जाते हैं, उपस्कर अवतरण प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ।

नन्दुरा-मलकापुर रेल लाइन (महाराष्ट्र) पर रेल पुल

[हिन्दी]

625. **श्री सुखदेव नन्दाजी काले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नन्दुरा-मलकापुर रेल लाइन पर रेल फाटकों पर रेल पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह निर्माण कार्य कब शुरू होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मलकापुर-खमगांव रेल लाइन (महाराष्ट्र) पर रेल पुल

626. **श्री सुखदेव नन्दाजी काले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मलकापुर-खमगांव रेल लाइन पर रेल फाटकों पर पुलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य के कब से शुरू होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

धौली गंगा परियोजना का निर्माण

627. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार और वहां के जग प्रतिनिधि धौली गंगा परियोजना का निर्माण चालू योजना के अन्तर्गत करने की मांग कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए धनराशि नियत कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निवेश सम्बन्धी स्वीकृति के पश्चात इस परियोजना पर निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने के लिए 1991-92 की वार्षिक योजना आबटन में 15 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश की पन-बिजली परियोजनाएं

628. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की किन-किन पन-बिजली परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) क्या इनमें से कुछ पन-बिजली परियोजनाओं के वर्ष 1991 में पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) उत्तर प्रदेश में जिन जल विद्युत परियोजनाओं हेतु सर्वेक्षण एवं अन्वेषण सम्बन्धी कार्य किए जा रहे हैं उन परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण सम्बन्धी कार्य 1991-92 के दौरान पूरे किए जाने का कार्यक्रम है :

क्र० सं०	परियोजना का नाम	प्रस्तावित प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)
1.	सिंग रौली-भाटवाड़ी	60
2.	हनुमान चेट्टी-सियाना चेट्टी	33
3.	उत्यासू बांध	1000
4.	गौरीगंगा चरण-3	140

विवरण

क्रम सं०	स्कीम का नाम	प्रस्तावित प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावट)
1.	लोहारी नागपाला	528
2.	बोआलानन्द प्रयाग	132
3.	तपोवन विष्णुगढ़	360
4.	कोटलीभेल	1000
5.	तूनी प्लासू	50
6.	मौशेरा	24
7.	लता तपोवन	108
8.	चेमी नायंगांव	240
9.	उत्थासु बांध	1000
10.	बरकत दुआ	25
11.	सायनाचेट्टी संभानी	45
12.	हनोल तुइनी	26
13.	हनुमान चेट्टी सियानचेट्टी	33
14.	आरकोट तुइनी	96
15.	कर्ण-प्रयाग	252
16.	भीलसंगा	19
17.	सिंगोली भटवारी	60
18.	बालोली	64
19.	पडली	27
20.	भैरोंघाटी	324
21.	चत्रा बांध	225
22.	संकरी मोरी	78
23.	आखल संकरी	60
24.	तालका संकरी	112
25.	विष्णुगढ़ पीपलकोटी	340

26.	रामबाड़ा गौरीकुंड	14
27.	गौरी कुंड न्यास्सु	15
28.	पटा बइयुंग	14
29.	भैरोंघाटी चरण-2	240
30.	चुन्नी सेमी	26
31.	मरकुरा लता	45
32.	धामगढ़	400
33.	भुंडार गंगा	20
34.	पिंडर वैली एच०ई०पी०एस०	112
35.	पंचेश्वर	1000
36.	गौरीगंगा चरण-3	170
		जोड़ 7254

दुमका और रामपुर हाट के बीच रेल सम्पर्क

629. **श्री जनार्दन यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दुमका कमिश्नरी मुख्यालय को रामपुर हाट से रेल लाइन से जोड़ने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भागलपुर-मंदार हिल रेल लाइन का बैजनाथ धाम तक विस्तार

630. **श्री जनार्दन यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंदार हिल रेल लाइन का बिहार में भागलपुर जिले में भागलपुर से बैजनाथ धाम तक विस्तार करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोड्डा, बिहार में घरेलू गैस की सुविधा

631. श्री जनार्दन यादव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के गोड्डा जिले में अभी तक घरेलू गैस उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां घरेलू गैस की सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) बिहार के गोड्डा जिले में उपलब्ध क्षमता आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ख) और (ग) इस जिले के किसी भी शहर में अगर निर्धारित जनसंख्या तथा व्यवहार्य बाजार उपलब्ध होता है तो उत्पाद की उपलब्धता होने पर नई एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने पर विचार किया जाएगा।

ए-320 विमान को पुनः चलाया जाना

[अनुवाद]

632. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस ने सभी एयरबस ए-320 विमानों की उड़ानें पुनः शुरू कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो जमीन पर रोके गए विमानों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनवरी, 1991 के दौरान इंडियन एयरलाइंस के बोइंग अथवा एयरबस जैसे किसी विमान में खराबी (स्नैग) का पता चला है जिसके कारण उड़ानों में विलम्ब हुआ है/उड़ानें रद्द करनी पड़ी हों; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) 18 एयरबस ए-320 विमानों के कुल विमान बेड़े में से 12 विमान उड़ान के लिए उपलब्ध हैं और 6 विमानों की निर्धारित व्यापक जांच की जानी है।

(ग) जी, हां।

(घ) जनवरी, 1991 के माह के दौरान, इंडियन एयरलाइंस के बेड़े (जिसमें एयरबस ए-320, बोइंग-737 और एयरबस ए-320 विमान शामिल हैं) द्वारा परिचालित 6686 उड़ानों

में से, तकनीकी कारणों से 160 उड़ानों में विलंब हुआ था और 29 उड़ानें रद्द की गई थीं।

राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा विमान सेवाओं में कटौती

633. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी युद्ध के कारण इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और वायुदूत में से प्रत्येक द्वारा अपनी विमान सेवाओं में की गई कटौती का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या युद्ध के कारण एयर टैक्सी सेवा को बन्द कर दिया गया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) एयर इण्डिया ने 16-1-1991 से खाड़ी के लिए 46 साप्ताहिक उड़ानें बन्द कर दी थीं और 1-2-1991 से आस्ट्रेलिया के लिए सप्ताह में 2 उड़ानें और ब्रिटेन के लिए सप्ताह में 2 उड़ानें बन्द कर दीं। 23-1-1991 से मस्कट, आबू धाबी और दुबई के लिए उड़ानों को आंशिक रूप से आरम्भ किया गया है। इंडियन एयरलाइंस ने 22-1-1991 से प्रतिदिन औसतन 46 उड़ानें बन्द कर दीं। इंडियन एयरलाइंस द्वारा अधिकांश उड़ानों को पुनः शुरू कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

कलकत्ता भूमिगत रेल कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना

634. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता भूमिगत रेलवे में अस्थाई और नैमित्तिक श्रमिक बहुत अधिक संख्या में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह श्रमिक अपने लिए स्थाई नौकरी की व्यवस्था करने की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) मेट्रो रेलवे कलकत्ता में नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या 1135 है। इनमें से 1096 नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थाई दर्जा दिया गया है और वे नियमित वेतनमान में वेतन पा रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) निर्माण कार्यों के लिए भर्ती किए गए नैमित्तिक श्रमिकों को जैसे-जैसे रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, परिचालन और अनुरक्षण विभागों में नियमित पदों पर उत्तरोत्तर रूप से समाहित किया जा रहा है।

पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

635. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में रसोई गैस और पेट्रोल पम्पों के डीलरों के चयन हेतु साक्षात्कार, जिनके लिए विज्ञापन 1988-90 और 1990-91 में दिए गए थे, अभी नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और रसोई गैस के, पेट्रोल पम्पों के तथा डीजल के डीलरों की नियुक्ति हेतु उन वर्षों में दिए गए विज्ञापनों का राज्यवार ब्यौरा किस प्रकार है; और

(ग) उन डीलरों को नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्यमन्त्री (श्री सत्यप्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रसोई गैस का उत्पादन और इसकी मांग

636. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में घरेलू गैस की वार्षिक मांग, इसकी उपलब्धता और उत्पादन के संबंध में कोई नया आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो नवीनतम अनुमान के अनुसार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में घरेलू गैस की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके उत्पादन और सिलेंडर भरने की क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) एल० पी० जी० की उपलब्धता, देश में सम्भावित मांग की तुलना में कम है। उपलब्धता, जिसके आधार पर पंजीयन योजना बनाई गई है, और अगले पांच वर्षों के लिए देश में एल० पी० जी० की परिणामतः मांग, उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस प्रकार है :—

	अनुमानित उपलब्धता	(000 टन में) मांग
1990-91	2135	2423
1991-92	2081	2527
1992-93	2274	2689

1993-94	2425	2864
1994-95	2983	3245

वर्तमान संयंत्रों में वृद्धि करके और नए संयंत्र स्थापित करके बाटलिंग क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए वर्तमान संयंत्रों की बाटलिंग क्षमता में बढ़ोत्तरी करके, नई बाटलिंग क्षमता 144 टी० एम० टी० तक करने की योजना है।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को बिजली की सप्लाई

[हिन्दी]

637. **प्रो० महादेव शिवनकर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बिजली की कुल कितनी अनुमानित आवश्यकता होगी और इसे पूरा करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित विदर्भ क्षेत्र की बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा तथा प्रत्येक की वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवंतराव डाकणे) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) द्वारा विद्युत की आवश्यकता के सम्बन्ध में अनुमान, पूरे राज्य के लिए लगाया जाता है न कि किसी राज्य के किसी विशेष क्षेत्र के लिए के० वि० प्रा० के 13वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में महाराष्ट्र में विद्युत की आवश्यकता 53640 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है।

विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—नये विद्युत उत्पादन यूनिटों को शीघ्र चालू करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण उपाय करना और अधिक विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत की सप्लाई करना।

(ख) ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	वर्तमान स्थिति
1.	चन्द्रपुर सुपर ताप विद्युत परियोजना	2 × 500 = 1000	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्कीम को 10.8.88 को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया था बशर्ते कि कोयला लिंकेज, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति और सम्बद्ध पारेषण प्रणाली के सम्बन्ध में स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। ये अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

2.	भुमरेद ताप विद्युत केन्द्र	2×210=420 दिसम्बर, 1987 में प्राप्त स्कीम की के० वि० प्रा० में जांच की गई थी। परियोजना के लिए कोयला लिंकेज उपलब्ध न होने के कारण स्कीम मई, 1988 में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को लौटा दी गई थी।

महाराष्ट्र की उज्जैनी विद्युत परियोजना को मंजूरी

638. **प्रो० महादेव शिवनकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र राज्य से, उज्जैनी चरण-एक के अन्तर्गत वर्ष 1978 में, 500 मेगावाट के दो ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इस परियोजना को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना को उपलब्ध कोयला दिए जाने के बारे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) प्रस्तावित उज्जैनी कार्यस्थल को सिंगरैनी/वर्धा कोयला क्षेत्रों जैसे कोयला सप्लाई के सुविधापूर्ण स्रोतों से कोयला उपलब्ध न होने एवं इसके प्रस्तावित परमाणु विद्युत केन्द्र के नजदीक होने के कारण उपयुक्त नहीं समझा जाता है।

बिहार के गिरिडीह और हजारीबाग जिलों का ग्रामीण विद्युतीकरण

639. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के गिरिडीह और हजारीबाग जिलों के कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई है और इन जिलों के कितने गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई गई है;

(ख) इन दोनों जिलों के 90 प्रतिशत कोयला उत्पादन का उपयोग करने के लिए पन बिजली तापीय विद्युत केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार युद्ध स्तर पर बिहार में सभी ग्रामीण किसानों को बिजली सप्लाई करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1990 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार बिहार के हजारीबाग और गिरिडीह जिलों में विद्युतीकृत और अविद्युतीकृत गांवों की संख्या इस प्रकार है :—

जिले का नाम	आबाद गांवों की कुल संख्या	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	अविद्युतीकृत गांवों की संख्या
(क) गिरिडीह	2855	1249	1606
(ख) हजारीबाग	3314	1596	1718

(ङ) निम्नलिखित ताप विद्युत केन्द्रों को हजारीबाग तथा गिरीडीह जिलों में स्थित कोयला खानों से सम्बद्ध किया गया है :—

बिहार में	बिहार से बाहर
1. पतरात	1. लदरपुर
2. बोकारो ताप विद्युत केन्द्र	2. डेसू इन्द्रप्रस्थ
3. चन्द्रपुर	3. फरीदाबाद
4. मुजफ्फरपुर	4. भटिण्डा
5. बरौनी	5. पनकी
	6. पानीपत
	7. रोपड़
	8. परीछा
	9. टांडा

(ग) और (घ) विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई के सम्बन्ध में निर्णय, राज्य प्राधिकारियों द्वारा विद्युत की समग्र आवश्यकता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तथापि, राज्य प्राधिकारियों द्वारा विद्युत सप्लाई के मामले में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में उन्हें समय-समय पर कहा गया है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना

*640 श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिथान बाँध के निकट उपलब्ध भूमि पर दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव लम्बित है; और

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार-बंगाल के बिजली संकट को दूर करने के लिए इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख) घाटी क्षेत्रों में विद्युत की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दामोदर घाटी निगम द्वारा सोवियत सहायता से मैथान के दाएं तट पर 4 × 210 मेगा० ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

गिरिडीह और मधुपुर के बीच सिजुवा को हाल्ट स्टेशन बनाना

641. श्री रौतलाल प्रसाद वर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण यात्रियों के सुविधार्थ पूर्वी रेलवे के गिरिडीह मधुपुर सेक्शन के बीच सिजुवा को एक हाल्ट स्टेशन की सुविधा प्रदान करने की माँग है; और

(ख) यदि हाँ तो, लोक हित में सिजवा को हाल्ट स्टेशन की कब मंजूरी मिलेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां ।

(ख) मधुपुर और जगदीशपुर के बीच सुगापहाड़ी पर एक हाल्ट स्टेशन पहले से ही स्वीकृत है । जैसे ही यह हाल्ट स्टेशन खुल जायेगा सिजुवा गांव को भी सेवित करेगा ।

रेल कर्मचारियों को शैक्षिक सुविधाएं

642. **श्री रौतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के ग्रांड-बोर्ड क्षेत्र के वनों में स्थित गंजाहड़ी स्टेशन पर 3000 रेल कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या स्कूल के समय के दौरान इस मार्ग पर कोई यात्री रेलगाड़ी नहीं चलाई जा रही है; यदि हाँ, तो क्या रेलवे का हाई स्कूल कोडरमा के लिए अविलम्ब रेल सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) गंजाहड़ी नाम का कोई स्टेशन नहीं है । बहरहाल, पूर्व रेलवे की ग्रांड कार्ड लाइन पर कोडरमा से 10 कि० मी० पर गुझंडी नाम का स्टेशन है । रेलें सामान्यतया उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती हैं ।

(ख) जी नहीं । दिन के समय, कोडरमा और गुझंडी एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों और दो जोड़ी पैसेंजर गाड़ियों द्वारा सेवित हैं ।

(ग) जी नहीं । क्योंकि ग्रांड कार्ड लाइन पर लाइन क्षमता का उपयोग पहले ही बहुत ज्यादा है, इसलिए इस खंड पर अतिरिक्त सवारी गाड़ियां चलाने से माल संचलन में बाधा उत्पन्न होगी ।

कुलियों की मजूरी

643. **श्री छेदी पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई प्रस्ताव रेल विभाग में काम करने वाले कुलियों की मजूरी बढ़ाने का है, यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) भारिक प्रभारों को बढ़ाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। भारिक प्रभार कछ इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं जिससे कि कुलियों की मजूरी कुल मिलाकर क्षेत्र के उन अकुशल श्रमिकों की मजूरी के बराबर हों जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन प्रभारों की प्रत्येक दूसरे वर्ष समीक्षा की जाती है तथा जहां न्यायोचित होता है इनमें वृद्धि की जाती है।

पेट्रोलियम पदार्थों की मांग और सप्लाई

644. **श्री रामदास सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की मांग और सप्लाई के बीच का अन्तर जनवरी और फरवरी, 1991 के दौरान बहुत बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी माहवार ब्योरा क्या है; और

(ग) इस अन्तर को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

धोरी कोयला क्षेत्र को पेयजल की सप्लाई

645. **श्री रामदास सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधीन धोरी कोयला-क्षेत्र को पेयजल की सप्लाई की योजना कई वर्षों से स्थगित पड़ी है,

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, अब तक इस पर कितना व्यय किया गया और इस योजना के अन्तर्गत किन क्षेत्रों को पेयजल सप्लाई किया गया है और इसे पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजनाओं को निष्पादित करने में विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ग) धोरी जल आपूर्ति योजना वर्ष 1980-81 में शुरू की गई थी और वर्ष 1987 में इसे पूरा कर लिया गया। उक्त योजना पर लगभग 50 लाख रु० की राशि खर्च की गई। धोरी क्षेत्र की आवासीय कालोनियों, न्यू स्लेवटेड धोरी तथा तर्मी कोलियरी और धोरी क्षेत्र में स्थित न्यू सेन्ट्रल कालोनी को इस योजना से प्रतिदिन औसतन 5.5 गैलन पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस योजना के पूरा किए जाने में विलम्ब ठेकेदार द्वारा कार्य सम्पादन न किया जाना था जिसके लिए ठेकेदार पर उपयुक्त दण्ड लगाया गया था।

हिमाचल प्रदेश में पन-बिजली का निजीकरण

646. श्री महेश्वर सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश ने निजी क्षेत्र में पन-बिजली परियोजनाएं स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग) निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं प्रतिष्ठापित किए जाने के लिए हिमाचल प्रदेश से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था ।

केलकर समिति की सिफारिशें

647. श्री शिव शरण वर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केलकर समिति की सिफारिशों के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

होशियारपुर में पेट्रोल पम्पों और एल० पी० जी० एजेंसियों का आबंटन

[अनुवाद]

648. श्री कमल चौधरी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में होशियारपुर में और अधिक पेट्रोल पम्प तथा एल०पी०जी० एजेंसियां आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) जिला होशियारपुर के 4 स्थानों अर्थात् नसराला, बैंस, तलवाड़ा एवं बंगाला में डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेट एवं पोजवाल में एल० पी० जी० वितरण केन्द्र खोलने के लिए संभाव्यता निर्धारित कर ली गई है। जहां बैन्स के सम्बन्ध में डीलर चयन सूची के जारी होने का इंतजार है, वहीं तलवाड़ा 15.9.1990 को विज्ञापित किया जा चुका है। नसराला, बंगाला और पोजेवाल को तेल उद्योग की विपणन योजनाओं में शामिल करने के लिए उद्दिष्ट कर लिया गया है।

दिल्ली और नोएडा में रसोई गैस की कमी

649. **श्री कमल चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली और नोएडा जैसे इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में रसोई गैस की सप्लाई में कमी हुई है और उपभोक्ताओं को 15 दिन अथवा उससे अधिक समय की बुकिंग के बाद भी रसोई गैस के सिलिंडर प्राप्त नहीं हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और रसोई गैस की कमी और सप्लाई में विलंब को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) हल्क एल० पी० जी०, परिवहन समस्याओं और छिटपुट कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं के कारण दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों से एल० पी० जी० रिफिलों की सप्लाई में अस्थाई तौर पर कमी उत्पन्न होने सम्बन्धी रिपोर्ट मिली थी। एल० पी० जी० की उपलब्धता को बढ़ाने, भरण क्षमता को बढ़ाने यातायात को द्रुतगामी बनाने और रिफिलों की सुपुर्दगी को तेज करने सम्बन्धी कारवाई की गई है। इन उपायों से परिस्थिति में काफी सुधार हुआ है।

पंजाब में महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कम्प्यूटरकृत रेल आरक्षण व्यवस्था

650. **श्री कमल चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि पंजाब में महत्वपूर्ण स्टेशनों, जैसे अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर कैंट और पठानकोट आदि पर कम्प्यूटरकृत रेल आरक्षण व्यवस्था की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब में उपर्युक्त तथा अन्य रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरकृत रेल आरक्षण व्यवस्था प्रारम्भ की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो पंजाब में उपर्युक्त और अन्य महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर इस व्यवस्था को कब शुरू किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अमृतसर में यह प्रणाली शुरू की गई है।

समाचार शीर्षक "एयरपोर्ट फार ग्रेजिंग काऊस"

651. श्री वामनराव महाडीक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जनवरी, 1991 के हिन्दुस्तान टाईम्स में "एयरपोर्ट फार ग्रेजिंग काऊस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो ऐसे कितने विमान पत्तन हैं जिनका वायुदूत सेवा बन्द करने के पश्चात् उपयोग नहीं हो रहा है;

(ग) ऐसे प्रत्येक विमान पत्तन के विकास पर कुल कितना खर्च हुआ है जो वायुदूत सेवा के बन्द होने के पश्चात् बेकार पड़े हैं; और

(घ) इन विमानपत्तनों का प्रयोग किए जाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हाँ। तथापि, सरकार इस समाचार शीर्षक में दी गई टिप्पणी से सहमत नहीं है क्योंकि जब वायुदूत इन स्टेशनों में से कई स्टेशनों में परिचालन कर रहा था तब भी इसकी सेवाएं अत्यधिक रूप से विक्षिप्त थीं। इनमें से कई स्टेशनों को वायुदूत ने महीनों का वर्षों से भी परिचालन नहीं किया। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि वायुदूत ने 31 दिसम्बर, 1990 तक 120.00 करोड़ रुपये की हानि उठाई है।

(ख) हाल ही में वायुदूत ने 35 हवाई अड्डों से अपनी सेवाएं वापिस ले ली हैं।

(ग) वायुदूत परिचालन के लिए 13 हवाई अड्डों के विकास में 4.00 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

(घ) इन स्टेशनों के लिए हवाई सेवाओं का परिचालन इतना किफायती नहीं है कि वायुदूत द्वारा इनके लिए हवाई सेवा शुरू की जा सके।

मिट्टी के तेल और घरेलू गैस का दुरुपयोग

65. श्री वामनराव महाडीक : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकार में ऐसे मामले आए हैं कि परिवहन कार्यों में मिट्टी के तेल का और औद्योगिक कार्यों में घरेलू गैस का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों के दुरुपयोग में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ग) इस दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) :

(क) परिवहन प्रयोजनों के लिए एस० के० ओ० का इस्तेमाल किए जाने की कोई जानकारी सरकार के ध्यान में नहीं आई है। तथापि, एम० एस०/एच० एस० डी० के साथ मिट्टी के तेल की मिलावट करने के सम्बन्ध में समय-समय पर शिकायत मिली हैं। जहां कहीं तकनीकी रूप से आवश्यक हो वहां औद्योगिक प्रयोजनों के लिए एल० पी० जी० का इस्तेमाल करने की अनुमति है।

(ख) परिवहन प्रयोजनों के लिए एस० के० ओ० का दुरुपयोग करने और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए एल० पी० जी० का दुरुपयोग करने के कारण व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) एस० के० ओ० के साथ एम० एस०/एच० एस० डी० के अपमिश्रण की जांच करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

— पेट्रोल पम्पों पर फिल्टर पेपर परीक्षण।

— एच० एस० डी० का तापमान और घनत्व आपूर्ति और प्राप्ति दोनों स्थानों पर रिकार्ड करना।

— मिट्टी का तेल के साथ फरफ़रल का मिलाया जाना।

— पेट्रोल पम्पों पर अचानक जाँच करने के लिए चल प्रयोगशालाएं आरम्भ करना।

— तेल कम्पनी के अधिकारी द्वारा पेट्रोल पम्पों और मिट्टी के तेल की एजेंसियों का नियमित निरीक्षण करना।

— आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और संवितरण विनियमित करने और किसी प्रासंगिक और अनुपूरक मामलों के लिए उपयुक्त आदेश जारी करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3 के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

— एस० के० ओ० के साथ एम० एस०/एच० एस० डी० की मिलावट को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सितम्बर, 1990 में एम० एस०/एच० एस० डी० (आपूर्ति एवं संवितरण में कदाचार निवारण) आदेश, 1990 जारी किया गया है।

एल० पी० जी० कालाबाजारी सहित कदाचारों को रोकने के लिए तेल कम्पनियों के क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा नियमित और अचानक निरीक्षण किए जाते हैं। एल० पी० जी० वितरकों के खिलाफ मिली सभी शिकायतों की जाती है और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और डीलरशिप करार के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

653. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या रेल मंत्री अनुकम्पा के आधार पर रोजगार के बारे में 7 अगस्त, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में उन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी, नैमित्तिक श्रमिक और अस्थाई कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनकी जनवरी, 1988 से जून, 1990 तक ड्यूटी पर कार्य करते हुए स्वभाविक मृत्यु हो गई अथवा दुर्घटना में मृत्यु हो गई;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ग) इन मृतक व्यक्तियों के परिवारों के कितने आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दिया गया है और उनमें से कितने परिवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(घ) मृतकों के परिवारों में ऐसे कितने मामले है जिनमें रोजगार नहीं दिया गया है और इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने हैं; और

(ङ) इसके कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) (क) 14600।

(ख) 2958।

(ग) 8768 को और उनमें से अ० जा०/ अ० ज० जा० के 1991 है।

(घ) 5832 को और उनमें से अ० जा०/ अ० ज० जा० के 967 हैं।

(ङ) विभिन्न कारणों की वजह से है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) ऐसे मामले जिनमें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं मांगी गई।

(ii) उपयुक्त रिक्त स्थानों की अनुलब्धता।

(iii) मृत्यु के समय आश्रितों का अवयस्क होना आदि।

जापान की सहायता से भारतीय रेल को उन्नत बनाया जाना

654. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेल को उन्नत बनाने के लिए जापान सरकार का सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए जापान से कितनी सहायता प्राप्त होने की आशा है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम के अधीन एल० पी० जी० एजेंसियां

[हिन्दी]

655. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में भारतीय तेल निगम की इस समय राज्य-वार कितनी एल० पी० जी० एजेंसियां हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

31.12.90 के अनुसार इंडियन आयल का० का राज्यवार एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें

	राज्य	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	119
2.	अरुणाचल	12
3.	असम	107
4.	गोआ	1
5.	बिहार	109
6.	गुजरात	144
7.	हरियाणा	62
8.	हिमाचल प्रदेश	26
9.	जम्मू और कश्मीर	17
10.	कर्नाटक	83
11.	केरल	109
12.	मध्य प्रदेश	110
13.	महाराष्ट्र	36
14.	मणिपुर	9
15.	मेघालय	13
16.	मिजोरम	7
17.	नागालैण्ड	13
18.	उड़ीसा	29

19.	पंजाब	99
20.	राजस्थान	76
21.	सिक्किम	2
22.	तमिलनाडु	195
23.	त्रिपुरा	10
24.	उत्तर प्रदेश	292
25.	पश्चिम बंगाल	141
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान और निकोबार	1
2.	चंडीगढ़	18
3.	दादर और नागर हवेली	0
4.	दिल्ली	126
5.	दमन और दीयू	0
6.	लक्ष्य द्वीप	1
7.	पांडिचेरी	3
		1970

दिल्ली में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना

656. **श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में रसोई गैस वितरकों द्वारा वर्ष 1985-86 में पंजीकृत उपभोक्ताओं को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां तो, क्या वर्ष 1983-84 और 1984-85 में पूर्वी दिल्ली में पंजीकृत लोगों को रसोई गैस कनेक्शन अभी तक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं;

(ग) पूर्वी दिल्ली के उपभोक्ताओं को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें रसोई गैस कनेक्शन कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ) उन नए एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरों, जिन्हें अब तक 200 कनेक्शन नहीं दिये गये हैं, के

द्वारा दिये जाने के अतिरिक्त, उत्पाद की कमी की वजह से समूचे देश में अस्थायी तौर पर नया एल० पी० जी० कनेक्शन दिया जाना स्थगित कर दिया गया है। चूंकि एल० पी० जी० एक कमी वाला उत्पाद है और ग्राहकों का नया नामांकन सीमित है अतः यह निर्दिष्ट करना कठिन है कि कब तक उन सभी को कनेक्शन दे दिए जाएंगे जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में हैं।

बोसारम और मेडचल (आंध्र प्रदेश) के बीच दोहरी रेल लाइन

[अनुवाद]

657. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मेल्चल में औद्योगिकीकरण और उपनगरों की स्थापना को देखते हुए सिकंदराबाद और मेडचल के बीच स्थानीय रेलगाड़ियों के निर्बाध आवाजाही के लिए दक्षिण मध्य रेलवे में बोसाराम और मेडचल के बीच एक दोहरी रेल लाइन का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा ट्रांसफार्मरों की खरीद

658. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या ऊर्जा मंत्री 7 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 52 और 204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा खरीदे गए खराब विद्युत वितरण ट्रांसफार्मरों के नाम, उनकी लागत और उन सप्लायरों के नाम क्या हैं;

(ख) इन उपकरणों को कब खरीदा गया और क्या खराब होने/जलने के समय उन पर कोई वारंटी/गारंटी थी;

(ग) ओवरलोडिंग और शार्ट सर्किट के क्या कारण हैं;

(घ) ये ट्रांसफार्मर कहाँ लगाए गए थे/काम कर रहे थे; और

(ङ) ओवरलोडिंग रोकने के लिए तथा शार्ट सर्किट से बचने के लिए उचित सावधानी न बरतने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कुष्ठ निरोधी दवाओं का उत्पादन

659. **श्री ए०के०ए० अब्दुल समद** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश कुष्ठ रोग के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाओं में आत्म-निर्भर है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष के दौरान देश में कुछ निरोधी औषधों का कुल उत्पादन कितना रहा और दवा के एक दौर (कोर्स) का खुदरा मूल्य क्या है,

(ग) क्या सरकार इन दवाओं को आर्थिक सहायता देती है या कुष्ठ रोगियों की देखभाल करने वाले संगठनों/संस्थानों को मुफ्त वितरित करती है,

(घ) क्या इन दवाओं में से किसी का आयात किया जा रहा है,

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा का आयात हुआ है, और

(च) क्या देश में उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1989-90 के दौरान देश में डेपसोन का उत्पादन 3.49 मीट्रिक टन, क्लोफेजाईमिन का 0.74 मीट्रिक टन तथा रिफेम्पिनिन का 39.07 मीट्रिक टन हुआ था । कीमतें नीचे दी जाती हैं :

डेपसोन की अधिकतम कीमत	5 मिग्रा०/टिकिया (1000 का पत्ता)	9.12 रु०
,,	10 मिग्रा०/टिकिया (1000 का पत्ता)	11.46 रु०
,,	50 मिग्रा०/टिकिया (1000 का पत्ता)	40.85 रु०
,,	100 मिग्रा०/टिकिया (1000 का पत्ता)	69.28 रु०
क्लेफेजिमाईन की अधिकतम कीमत	100 मिग्रा० कैप० (100 कैप०)	180.92 रु० (ई०डी० सहित)
रिफेम्पिसिन की अधिकतम कीमत	150 मिग्रा०/100 बोतल	138.60 रु०
	300 मिग्रा०/100 बोतल	259.36 रु०

(ग) कुष्ठ हरोग रोधी औषधें कुष्ठ रोगियों को भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा अन्य कुष्ठ रोग संस्थानों/स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से मुफ्त सप्लाई की जाती है ।

(घ) और (ङ) अलग-अलग कम्पनियों के औषधों के आयात को यह विभाग मानीटर नहीं करता है ।

(च) औषध नीति के उपबन्धों में प्रपुंज औषधों के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं । किन्तु वास्तविक उत्पादन बाजार मांग, कम्पनी की कारपोरेट योजनाएं, अप्रचलित औषध आदि जैसे विभिन्न बातों पर निर्भर करता है ।

रेलवे सेवा आयोगों द्वारा नियुक्तियां

660. **श्री ए०के०ए० अब्दुल समद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे सेवा आयोग किस-किस जगह हैं और उनका अधिकार क्षेत्र क्या है;

(ख) आयोगों के अध्यक्षों और अन्य सदस्यों की संख्या उनकी नियुक्ति की तिथि तथा पदावधि सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान कुछ ऐसे मामले भी हुए है जिनमें आयोगों द्वारा अनुशंसित तालिकाओं को उनकी वैधता की अवधि में अस्वीकार कर दिया गया था या क्रियान्वित ही नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) इस समय देश भर में 19 रेल भर्ती बोर्ड (जो पहले रेल सेवा आयोग के रूप में जाने जाते) हैं। इन रेल भर्ती बोर्डों का स्थान और उनका अधिकार क्षेत्र दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) किसी भी रेल भर्ती बोर्ड में सदस्य का कोई पद नहीं है। तथापि, प्रत्येक रेल भर्ती बोर्ड में एक अध्यक्ष और एक सदस्य सचिव का पद है। अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो और सदस्य सचिव के लिए कार्यकाल सेवानिवृत्ति की आयु तक अर्थात 58 वर्ष तक है। इनकी नियुक्ति की तारीख और कार्यकाल को दर्शाने वाला एक विवरण-2 संलग्न है।

(ग) और (घ) रेल भर्ती बोर्डों और रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

विवरण-I

(क)	बोर्ड का स्थान	रेलवे/क्षेत्राधिकार
1.	अहमदाबाद	पश्चिम रेलवे
		वडोदरा |
		राजकोट | मंडल
		भावनगर |
2.	अजमेर	पश्चिम रेलवे
		रतलाम, कोटा, जयपुर और अजमेर मंडल
		उत्तर रेलवे
		जोधपुर और बीकानेर मंडल

1	2	3
3.	इलाहाबाद	डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी
		उत्तर रेलवे
		इलाहाबाद, लखनऊ और मुरादाबाद मंडल
4.	बेंगलूरु	दक्षिण रेलवे
		बेंगलूरु और मैसूर मंडल
		दक्षिण मध्य रेलवे
		हुबली मंडल
		पहिया एवं धुरा संयंत्र, बेंगलूरु
5.	भोपाल	मध्य रेलवे
		जबलपुर, झांसी और भोपाल मंडल
		दक्षिण-पूर्व रेलवे
		बिलासपुर और नागपुर मंडल
6.	भुवनेश्वर	दक्षिण-पूर्व रेलवे
		खोरधा, वालतेर और चक्रधरापुर मंडल
7.	बम्बई	मध्य रेलवे
		मुख्यालय, बम्बई,
		भुसावल, नागपुर और शोलापुर मंडल
		पश्चिम रेलवे
		मुख्यालय और बम्बई मंडल
8.	कलकत्ता	पूर्व रेलवे
		मुख्यालय, हावड़ा, आसनसोल
		और सियालदाह मंडल
		दक्षिण-पूर्व रेलवे
		मुख्यालय, आद्रा और खड़गपुर मंडल
		चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन
9.	चंडीगढ़	उत्तर रेलवे
		मुख्यालय
		दिल्ली और अंबाला मंडल

1	2	3
		रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला
10.	गुवाहाटी	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
		मुख्यालय
		अलीपुरद्वार, लमडिंग और
		तिनसुकिया मंडल
11.	गोरखपुर	पूर्वोत्तर रेलवे
		मुख्यालय,
		वाराणसी, इज्जतनगर और लखनऊ मंडल
12.	जम्मू और श्रीनगर	उत्तर रेलवे
		फिरोजपुर मंडल
		डीजल कलपुर्जा कारखाना, पटियाला
		रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला
13.	मद्रास	दक्षिण रेलवे
		मुख्यालय
		मद्रास, तिरुच्चिरापल्लि और
		मदुरै मंडल
		सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास
14.	मालदा	पूर्व रेलवे
		मालदा मंडल
		पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
		दार्जिलिंग हिल रेलवे
15.	मुजफ्फरपुर	पूर्वोत्तर रेलवे
		समस्तीपुर और सोनपुर मंडल
16.	पटना	पूर्व रेलवे
		मुगलसराय, धनबाद और दानापुर मंडल
		पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
		कटिहार मंडल (दार्जिलिंग हिल रेलवे को छोड़कर),

1	2	3
17.	रांची	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे कटिहार मंडल पूर्व रेलवे धनबाद, दानापुर, मुगलसराय मंडल दक्षिण-पूर्व रेलवे चक्रधरपुर मंडल
18.	सिकंदराबाद	दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, सिकंदराबाद ब०ला०, हैदराबाद मी०ला०, विजयवाडा और गुंतकल्लु मंडल
19.	तिरूवनन्तपुरम	दक्षिण रेलवे पाल्लकाट और तिरुवनन्तपुरम मंडल

विवरण 2

(ख)	सं०	रेल भर्ती बोर्डों के नाम		नियुक्ति तिथि	तक कार्यकाल
	1.	अमदावाद	अध्यक्ष	30.11.89	26.8.92
			*सदस्य सचिव	15.10.90	
	2.	अजमेर	अध्यक्ष	27.8.87	26.8.93
			सदस्य सचिव	7.8.86	15.9.91
	3.	इलाहाबाद	अध्यक्ष	20.11.89	18.2.93
			*सदस्य सचिव	7.8.89	
	4.	बेंगलुरु	*अध्यक्ष	7.11.90	
			*सदस्य सचिव	20.12.90	
	5.	भोपाल	अध्यक्ष	10.11.89	9.4.43
			सदस्य सचिव	पद पर नहीं	
	6.	भुवनेश्वर	अध्यक्ष	3.2.89	11.11.91
			*सदस्य सचिव	18.5.88	
	7.	बम्बई	अध्यक्ष	22.12.90	
			*सदस्य सचिव	28.3.90	

1	2	3	4	
8.	कलकत्ता	*अध्यक्ष	10.11.89	
		*सदस्य सचिव	31.3.89	
9.	चंडीगढ़	*अध्यक्ष	28.3.90	
		*सदस्य सचिव	6.12.90	
10.	गुवाहाटी	*अध्यक्ष	23.1.89	
		*सदस्य सचिव	31.1.89	
11.	जम्मू और श्रीनगर	अध्यक्ष	यह पद रिक्त है । सदस्य सचिव इसका कार्य देख रहे हैं ।	
		*सदस्य सचिव	17.7.89	
12.	मद्रास	*अध्यक्ष	18.8.90	
		*सदस्य सचिव	26.9.90	
13.	मुजफ्फरपुर	†अध्यक्ष	11.5.90	
			———	3.12.94
			5.2.91	
		सदस्य सचिव	26.3.90	
14.	पटना	अध्यक्ष	7.9.89	6.9.95
		सदस्य सचिव	6.10.89	
15.	सिकंदराबाद	अध्यक्ष	30.10.89	29.10.92
		*सदस्य सचिव	1.11.89	
76.	तिरुवनंतपुरम	अध्यक्ष	22.11.89	14.5.90
		*सदस्य सचिव	1.10.98	15.9.90

निम्नलिखित तीन रेल भर्ती बोर्डों के लिए नियमित पदों को स्वीकृति नहीं दी गई थी क्योंकि वित्त मंत्रालय पदों के सृजन के लिए सहमत नहीं हुआ था ।

17.	गोरखपुर	*अध्यक्ष	3.3.89	
		*सदस्य सचिव	22.11.90	
18.	मालदा	*अध्यक्ष	16.1.90	
		*सदस्य सचिव	इसका कार्य अध्यक्ष	

1	2	3	4
			द्वारा देखा जा रहा है।
19.	रांची	अध्यक्ष	16.1.91
		सदस्य सचिव	रिक्त

नोट : केवल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए नियमित अध्यक्षों और सदस्य सचिवों का कार्यकाल दिया गया है।

*तदर्थ व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत नियमित व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। अतः इनके मामले में कार्यकाल प्रासंगिक नहीं है।

†प्रारम्भ में 11.5.89 को नियुक्ति की गई थी, लेकिन अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी और अब 5.2.1991 से बहाली कर दी गयी है।

इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती

661. श्री आर०एन० राकेश : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1988 के दौरान रेल विभाग में नई भर्तियां करने के लिए इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सफल उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है और उन्हें उपयुक्त पदों पर नियुक्त कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कुल कितने उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है और ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जिन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है; और

(घ) इन्हें कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इंजीनियरी सेवा परीक्षा अगस्त, 1988 में आयोजित की गई थी।

(ख) से (घ) संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत की गई 198 उम्मीदवारों के मांग पत्र के अनुपालन में, डाक्टरी दृष्टि से उपयुक्त पाए गए 198 उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए गए थे। इनमें से, 173 उम्मीदवारों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और शेष 25 उम्मीदवारों का कार्यभार सम्भालने के लिए समयावधि बढ़ा दी गई है।

पेट्रोल और डीजल में मिलावट

662. श्री परसराम भारद्वाज
श्री बी० देवराजन } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि पेट्रोल और डीजल में भारी पैमाने पर मिलावट की जा रही है तथा तेल शोधन-शालाओं से तेल एवं अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी हो रही है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत एक आदेश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो पेट्रोल और डीजल में किस हद तक मिलावट करने का पता चला है; और

(ङ) इस पर किस सीमा तक नियंत्रण किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) मिट्टी के तेल के साथ पेट्रोल और डीजल की मिलावट की रिपोर्टें समय-समय पर प्राप्त हो रही हैं । रिफाइनरियों से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) से (ङ) मिलावट की समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 'एम०एस० और एच० एस० डी० (आपूर्ति एवं वितरण में कदाचार रोकना) आदेश, 1990 जारी कर दिया है । यह आदेश पूरे देश में एच० एस० डी० के मामले में पहली अक्तूबर, 1990 से और एम० एस० के मामले में पहली जनवरी, 1991 से लागू हो चुका है । खुदरा बिक्री केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान अप्रैल-दिसम्बर, 1990 की अवधि में तेल कम्पनियों ने उत्पाद में मिलावट के 121 मामलों का पता लगाया । "विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के अनुसार, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

— — —

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाइये । मैं आप सबको कह रहा हूं । आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते ।

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा दी गई सूचनाओं के अन्तर्गत मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं । महोदय, बहुत ही गम्भीर घटना हुई है । महोदय, क्या आप मेरी बात पर ध्यान देंगे ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो नोटिस दिया है, उसका तो आपको जवाब मिल गया होगा। सब्मीशन के लिए है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, कल के 'इंडियन एक्सप्रेस' में सातवें कालम के शीर्ष में कहा गया है कि प्रधान मंत्री ने श्री सलीम को कहा है कि मुख्य मंत्री अर्थात् श्री लालू प्रसाद को विश्वास-मत प्राप्त करने की अनुमति न दें। इसमें उनका पूर्ण साक्षात्कार प्रकाशित हुआ है और बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल ने यह आरोप लगाया है कि प्रधान मन्त्री ने उन्हें टेलीफोन पर कहा है कि उन्हें बिहार विधान सभा की बैठक नहीं बुलानी चाहिए क्योंकि उससे मुख्य मन्त्री को बिहार विधान सभा में विश्वास-मत प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। महोदय, यह राज्य के मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। हमारे संविधान में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में सुस्पष्ट परिभाषा दी गई है और यदि देश का प्रधान मन्त्री, केन्द्र सरकार के उच्चतम प्रशासक, राज्यपाल को डराने-धमकाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास करें और टेलीफोन पर उसे कहें कि उन्हें विधान सभा का सत्र नहीं बुलाना चाहिए जिससे मुख्य मन्त्री को विश्वास-मत प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके। जो कुछ हुआ वह बहुत ही खेद जनक है महोदय, इससे केन्द्र-राज्य के सम्बन्ध बिगड़ जाएंगे और इसलिए मैंने दो नोटिस दिए थे। महोदय, मैं हमेशा आपको विकल्प भी दिया है। मैंने स्थगन प्रस्ताव किया है। मैंने नियम 193 के अधीन सूचना दी है। मैं कितनी ही सूचनाएं देने के लिये तैयार हूं। परन्तु मैंने चाहता हूं कि यह मामला संसद में उठाया जाना चाहिए और प्रधान मन्त्री को इस प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद के समक्ष जवाबदेह होना चाहिए। मैं समझता हूं कि केन्द्र राज्य सम्बन्ध बिगड़ जाएंगे। यह प्रधान मन्त्री द्वारा किया गया बहुत ही गैर-प्रजातन्त्रिक कार्य है इसलिए हमें स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की निन्दा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसीलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि इस सभा को केन्द्र राज्य सम्बन्धों, राज्यपाल की भूमिका, केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों के प्रति दृष्टिकोण पर चर्चा करने के अवसर मिले होंगे। परन्तु यह विशिष्ट प्रश्न, जो श्री दण्डवते जी ने उठाया है; कल के 'इन्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित एक लम्बे इन्टरव्यू से सम्बद्ध है; और मुझे आशा थी कि इस प्रकार की खबर छपने के बाद सरकार की ओर से इन 24 घन्टों में इसका विरोध नहीं तो कुछ स्पष्टीकरण अवश्य दिया जाएगा। परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह माना जा सकता है कि कुल मिलाकर जो कुछ भी आरोप लगाए गए हैं, वे सही हैं। और अगर यह सही है तो यह बहुत गम्भीर मामला है। और मैं समझता हूं कि प्रधान मन्त्री को स्वयं इसे स्पष्ट करना चाहिए क्यों कि प्रत्यक्ष रूप से यह कहा गया है कि प्रधान मन्त्री द्वारा राज्यपाल को यह कहा गया था कि उन्हें राज्य विधान सभा का सत्र नहीं बुलाना चाहिये, यह एक ऐसा मामला है जिसमें उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। संविधान के प्रारूप में राज्यपाल को स्वनिर्णय की कुछ शक्ति प्रदान

की गई थी। सरकारिया आयोग ने भी इस मामले की जांच की है और इस बात पर बल दिया कि यदि सरकार एक बार यह कह देती है कि विधान सभा का सत्र बुलाया जाना चाहिये तो राज्यपाल को अवश्य ही सत्र बुलाना पड़ता है। इस मामले में, यह सुझाव देना कि सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए ताकि सरकार को विश्वास मत प्राप्त करने का अवसर प्राप्त न हो सके, कुछ इस प्रकार की बात है जो मेरी समझ में नहीं आती। या तो राज्यपाल प्रधान मन्त्री द्वारा कही गई बात का बिल्कुल गलत विवरण दे रहे हैं अथवा उन्होंने प्रधान मन्त्री द्वारा कही गई बात को गलत समझा है। जो भी बात है, प्रधान मन्त्री द्वारा स्वयं इस बारे में निश्चय ही स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था और क्या राज्यपाल ने उनकी बात को सही ढंग से समझा था अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि श्री दण्डवते का प्रश्न बहुत ही संगत है और इसलिए इस सभा को यह कहने का अधिकार है कि प्रधान मन्त्री जी ने जो कुछ भी कहा है, वह गलत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इससे हमारे सम्पूर्ण संविधान की कार्य प्रणाली के बारे में एक मूलभूत प्रश्न खड़ा हो गया है। राज्यपाल न तो केन्द्र सरकार, राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री का एजेन्ट होता है और न ही नौकर होता है। उसे संवैधानिक कर्त्तव्यों को पूरा करना होता है। जैसे केन्द्र में भारत के राष्ट्रपति मन्त्री परिषद् की सलाह मानने को बाध्य हैं, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह पर कार्य करने को बाध्य है। अब इस सरकार द्वारा संविधानेतर संवैधान तरीका अपनाया जा रहा है जिसकी राज्यपाल, राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल के ही कार्यों को रोकने की कोई वैधता नहीं है। यह केन्द्र—राज्य सम्बन्धों पर सीधा हमला है। समाचार पत्र में छपे साक्षात्कार से यह लगता है कि केवल प्रधानमंत्री ही नहीं अपितु वित्त मंत्री ने भी विधान सभा का सत्र न बुलाने के लिए राज्यपाल को सहमत करने का प्रयास किया था। अन्त में राज्यपाल को इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ा और राष्ट्रपति ने उन्हें अपने संवैधानिक कर्त्तव्य पूरे करने के लिए कहा था। क्या इस देश में संवैधानिक अधिकारी के अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में हस्तक्षेप करने का यही तरीका है? यह केवल साक्षात्कार का मामला नहीं है। यह मामला हमारे संवैधानिक ढांचे के कार्यशासन से सम्बन्धित है कि क्या इस देश में संघ वाद का कोई दिखावा किया जाएगा अथवा राज्यपाल को केन्द्र सरकार द्वारा आदेश दिया जाएगा। इसी कारण आज सम्पूर्ण देश में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा की जा रही है: ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हमने आज्ञाकारी राज्यपाल देखे हैं और हम आज्ञाकारी राज्यपालों तथा केन्द्र से निदेश जारी करने के आदी हो गए है। इसे रोकना होगा। मैं यह मांग करता हूं कि सरकार न केवल स्पष्टीकरण दे अपितु प्रधानमंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्यपाल के संवैधानिक कर्त्तव्यों में हस्तक्षेप करने के लिए इस सभा में सम्पूर्ण देश से क्षमा मांगे। मैं इस सभा में इस मामले पर चर्चा करने की प्रो० दण्डवते की मांग का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मेरे विचार से सभा में इस मामले पर इतने विस्तार से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री यूनस सलीम ने बहुत गम्भीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने उस अध्याय और पंक्ति को उद्धृत किया है। उन्होंने केन्द्र सरकार और उनके बीच हुई बातचीत का पूरा उल्लेख प्रेस में किया है। श्री सलीम के अनुसार, न केवल प्रधानमंत्री अपितु दो बार वित्त मन्त्री ने भी उनसे टेलीफोन पर बात की और उन्हें विधान सभा का सत्र न बुलाने की

सलाह दी थी जबकि बिहार राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा था कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार विधान सभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। इसमें वाद-विवाद करने की क्या बात है ? यदि उन्होंने ऐसा किया है, तो वे स्वय यहां आए और इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करें। उन्हें संवैधानिक औचित्य और अधिकारों का पूर्णरूप से उल्लंघन करने के लिए अवश्य ही क्षमा मांगनी होगी अथवा उन्हें इस बात का खण्डन करना चाहिए और उसके बाद श्री सलीम अपनी बात कहें। हम इस मामले को दबाए जाने की अनुमति नहीं दे सकते। सत्र समाप्त हो जाएगा लेकिन इस सन्दर्भ में न तो पक्ष में न विपक्ष में कुछ कहा जाएगा और इस प्रकार संविधान का उल्लंघन होने दिया जाएगा। यह सभा ऐसा नहीं होने दे सकती है. हम लोग मामले को उठाने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस सभा के संरक्षक होने के नाते आप सरकार को बुलाएंगे तथा वह पूरे मामले को स्पष्ट करेंगी। उन्हें हां या ना में कुछ अवश्य कहनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री सन्तोष मोहन जी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संतोष मोहन कौन हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने अपना भाषण अभी पूरा नहीं किया है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि संतोष कुमार कौन हैं। वह यहां नहीं हैं। मैं समझा था कि शायद आप उन्हें कुछ विशेष संवैधानिक सलाह के लिए बुला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार था कि आपने अपना भाषण समाप्त कर लिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, बहरहाल मैं इस मामले पर आपका विचार जानना चाहता हूं। क्या आप सरकार को कल सुबह तक यहां आने तथा सभा को यह बताने के लिए कह रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ है ?...(व्यवधान) साधारण-सी बात यह है कि क्या केन्द्र सरकार किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसा आदेश या निदेश दे सकती है कि उसे विधान सभा की वह बैठक बुलानी चाहिए अथवा नहीं जिसे मुख्यमंत्री ने बुलाने को कहा है। क्या हमारे संविधान के अनुसार यह उचित है ? यह पूर्णतया अनुचित है। आप देश के संविधान से खिलवाड़ भी नहीं कर सकते हैं। आज यह बिहार में हुआ कल यह कहीं और भी हो सकता है...(व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : आप अध्यक्ष महोदय से यह बताने के लिए कह कर उन्हें पेशोपेश में डाल रहे हैं। वह इस मामले के बारे में क्या कर सकते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय के लिए पेशोपेश में पड़ने जैसी कोई बात नहीं है। मैं उनसे कुछ कहने के लिए नहीं कह रहा मैं उनसे यह कह रहा हूं कि वह सरकार को सभा में वक्तव्य देने के लिए बुलाएं। बस बस इतनी-सी बात है, राज्यपाल के साथ चपरासी-सा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। राज्यपाल केन्द्र का चपरासी नहीं होता है, इस बात को स्पष्ट कर लें।

श्री वसंत साठे : कृपया चपरासी की बेइज्जती न करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय वह कह रहे हैं कि चपरासी को बेइज्जत न करें। राज्यपालों के प्रति उनका यह रवैया है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : चपड़ासी बेचारे को क्यों इसल्ट कर रहे हो (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : असल में चपड़ासी को जैसे हुक्म देते हैं, आप चाहते हैं वैसे ही गवर्नर को भी हुक्म दिया जाए।

[अनुवाद]

महोदय यह एक असहनीय मामला है। इसे ऐसे चलने नहीं दिया जा सकता है, हम आपसे इस मामले पर कोई विचार या निर्णय देने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपसे केवल यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस पूरे मामले को स्पष्ट करने के लिए सरकार को सभा में बुलाएं।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय यदि समाचार पत्र का साक्षात्कार सही है तो सदस्य महोदय द्वारा उठाए गए मामले पर मेरा कोई मतभेद नहीं है, वर्तमान सरकार को इस सभा में स्पष्टीकरण देना चाहिए। परन्तु साथ ही साथ मा०क०पा० तथा भा०ज०पा० के माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस मामले को उठाया है, यह दिलाना चाहूंगा कि जब वी० पी० सिंह की सरकार सत्तारूढ हुई थी तब तत्कालीन गृह मन्त्री ने राष्ट्रीय समाचार पत्र में एक वक्तव्य दिया था कि सरकार परिवर्तन के साथ ही राज्यपालों का भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। यह बात भी ठीक नहीं थी···(व्यवधान) सिर्फ यही नहीं, एक कैबिनेट मन्त्री श्री जार्ज फर्नांडिस मणिपुर तथा नागालैंड गए थे और राज्यपाल आवास में रहे थे तथा सरकार गिरायी थी। वह गोवा गये, पांडिचेरी गये तथा सरकार गिरायी और दल परिवर्तन को प्रोत्साहित किया और इसका समर्थन भा०ज०पा०, मा०क०पा०, भा०क०पा० और श्री वी०पी० सिंह ने किया था। उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है।···(व्यवधान) इस सत्र में हम उपदेश सुनते रहे हैं और वह भी भा० ज० पा०, मा० क० पा० तथा भा० क० पा० से। पहले उन्हें अपने दिल में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि पिछले ग्यारह महीनों में उन्होंने क्या किया है। सिर्फ यही नहीं एक मन्त्री ने अरुणाचल प्रदेश में मन्त्री मण्डल के बैठक में भाग लिया तथा उनसे वी० पी० सिंह सरकार में शामिल होने के लिए कहा गया। जब उन्होंने कहा कि "हम कांग्रेस में हैं" तो उनसे कहा गया कि "एक समय मैं भी कांग्रेस में था अब आप आइए और शामिल हो जाइए।" उस सरकार का यह रवैया था। उन्हें सदाचार की बात नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला।

प्रो० मधु दंडवते : मैं सिर्फ अपने माननीय मित्र श्री संतोष मोहन देव से सुनना चाहता हूं आपसे सुनना चाहता हूं और मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो० मधुदंडवते को अनुमति नहीं दी है। वे श्री संतोष देव के उत्तर पर कुछ जानना चाहते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आपने कम्युनिस्टों भाजपाइयों तथा श्री वी० पी० सिंह पर दोषारोपण करने की चेष्टा की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पिछले शासन में किसी राज्यपाल को संविधान का उल्लंघन करने या संविधान के खिलाफ कुछ करने के लिए कोई सूचना भेजी

गई थी ।

श्री सतीश मोहन देव : महोदय क्या आपने उन्हें यह प्रश्न पूछने की अनुमति दी है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं । श्री बनातवाला अब आप बोलिए ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोलादी) : अध्यक्ष महोदय इस सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है । श्री युनुस सलीम द्वारा 'इंडियन एक्सप्रेस' को दिए साक्षात्कार से अनेक प्रश्न उठते हैं ।

महोदय, इस मामले को कि उन्हें विधान सभा की बैठक न बुलाने के लिए कहा गया था और वह भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया था । इतनी आसानी से अनदेखा नहीं किया जा सकता है । सरकार को चाहिए कि वह राष्ट्र के सामने सच्चाई को रखे । महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतः वक्तव्य न देना एक अक्षम्य कार्य है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम जानना चाहते हैं कि वह छुपा क्यों रहे हैं । (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय हमारे देश में हमारे संसदीय लोकतंत्र का भविष्य क्या है ? आप देश में संसदीय लोकतंत्र के संरक्षक हैं । इसलिए ऐसी स्थिति में आपको भी अपना खेद व्यक्त करना चाहिए । मैं सरकार पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि वह आगे आए तथा राष्ट्र के सामने सच्चाई रखे और श्री युनुस सलीम ने जो कुछ कहा है यदि वह सत्य है तो इस मामले की हर तरफ से भर्तसना की जानी चाहिए । इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए । जब कभी भी देश में संसदीय लोकतंत्र का मामला उठता है तो हम सभी को दलगत विचारधारा से ऊपर उठना चाहिए और इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आगे आए तथा पूरे देश को विश्वास में ले तथा वक्तव्य दे । उस वक्तव्य पर सदन में भी पूरी चर्चा होनी चाहिए । धन्यवाद

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : अध्यक्ष महोदय आप भलीभांति जानते हैं कि संविधान के कार्यकरण को रोकना या उसका विरोध करना किसी प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार नहीं है । यहां हमने पाया कि प्रधानमन्त्री श्री चन्द्रशेखर ने बिहार के राज्यपाल को इस सम्बन्ध में निदेश देकर संविधान के उपबंधों का उल्लंघन किया है तथा राज्यपाल के संवैधानिक दायित्वों के कार्यकरण में हस्तक्षेप किया है । इसलिए यह सभा न सिर्फ स्पष्टीकरण ही चाहेगी बल्कि पूरा स्पष्टीकरण चाहेगी कि उन्होंने ऐसा अनुदेश क्यों जारी किया तथा उन्होंने राज्यपाल को इस प्रकार क्यों कहा ?

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं श्री इन्द्रजीत के विचार का समर्थन करता हूं । यह राज्य की स्वायत्तता में केन्द्र के सस्तक्षेप का प्रश्न है । महोदय, संविधान बिलकुल स्पष्ट है । संविधान में कहा गया है कि राज्य के मन्त्रीपरिषद की सलाह पर राज्यपाल को विधान सभा की बैठक अवश्य बुलानी चाहिए । चूंकि यह बात पूर्णतः स्पष्ट है कि संविधान यह नहीं कहता है कि राज्यपाल, प्रधानमन्त्री या केन्द्रीय सरकार का एजेंट है, अतः राज्यपाल के अपने संवैधानिक दायित्व हैं ।

वह देश के संविधान की व्यवस्थाओं की रक्षा करने की शपथ लेते हैं जैसा कि राष्ट्रपति

करते हैं। अत: प्रधानमन्त्री का विधान सभा का सत्र नहीं बुलाने के मामले में जैसा कि संविधान में अपेक्षित है, उन्हें सलाह देना एक ऐसे अधिकारी द्वारा संविधान का उल्लंघन है जो कि प्रधानमन्त्री है। अत: यह देश के प्रधानमन्त्री द्वारा किया गया उल्लंघन है। संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है तथा वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। उन्हें सभा में आना चाहिए तथा यह बताना चाहिए कि क्या ऐसा हुआ था आप संसदीय लोकतंत्र के रक्षक भी हैं। अज श्री यूनस सलीम के साथ ऐसा हुआ है। महोदय, मुझे डर है कि आपके पास संविधान और इस सभा के प्रति आपके कर्त्तव्यों के निर्वाहन के सम्बन्ध में इस प्रकार के निदेश आ सकते हैं। अत: केवल यह मेरी चिन्ता का विषय नहीं है यह श्री आडवाणी या किसी अन्य की चिन्ता का विषय नहीं है, यह आपकी चिन्ता का विषय भी होना चाहिए क्योंकि आपको भी यहां अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी तथा देश के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अत:, यदि आप इस सभा को अपनी जिम्मेदारी निभाने की अनुमति नहीं देते हैं तो मैं समझता हूं कि आप गलत काम कर रहे हैं। अत: मैं इसको आपके विवेक पर छोड़ता हूं, कि आप प्रधानमन्त्री को स्पष्टीकरण देने के लिए सभा में बुलाते हैं या नहीं बुलाते।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय सदस्य, प्रो० मधु दण्डवते ने एक गम्भीर मामला उठाया है जो कि 'इण्डियन एक्सप्रेस' में छपे समाचार पर आधारित था। कभी-कभी हम समाचार पत्रों में छपे सभी तथ्यों को स्वीकार नहीं कर सकते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री तम्बि दुरै को बुलाया है। श्री नानी भट्टाचार्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर। उन्होंने आपके कार्य में विघ्न नहीं डाला है। वह जो कहना चाहते हैं, उन्हें वह कहने का अधिकार है।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : यदि यह सही है तो यह गम्भीर आरोप है। इसलिए, सरकार द्वारा पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि यह सही है या नहीं। इससे पहले हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि प्रधानमन्त्री ने कुछ बातों का उल्लंघन किया है। सब जानते हैं कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने क्या किया तथा श्री भानुप्रताप सिंह ने कर्नाटक में क्या व्यवहार किया। अत: ये लोग इस प्रकार के उपदेश नहीं दे सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधानमन्त्री ने श्री भानुप्रताप सिंह को ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था।

डा० तम्बि दुरै : चिन्ता न करें। सच्चाई एक दिन सामने आयेगी। जब केन्द्र में नई सरकारें आती हैं तो वे अपने राज्यपाल नियुक्त करती हैं हम राज्यपालों, उनके कर्त्तव्यों के बारे में इतनी बढ़-चढ़ कर से बातें करते हैं; परन्तु सब जानते हैं कि राज्यपाल किस प्रकार कार्य कर रहे हैं ? अत:, यह उचित समय है कि हम राज्यपालों की भूमिका तथा केन्द्र की भूमिका के बारे में चर्चा कर जब केन्द्र में नई सरकार आए तो राज्यपालों के लिए अच्छा है कि वे स्वयं ही त्यागपत्र दे दें। वर्ना, अपना पद खोने के बाद वे समाचार पत्रों साक्षात्कार देते हैं तथा अपने विचार व्यक्त करते हैं। हम नहीं जानते कि क्या वे सब बातें सही हैं या नहीं। ऐसा करना राज्यपालों के लिए

अच्छा नहीं है। यदि ऐसा हुआ था, तो उन्हें विधान सभा में अपने अभिभाषण के दौरान बताना चाहिए था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। परन्तु अपना पद खोने के बाद वह इस प्रकार की बात कर रहे हैं। राज्यपाल के लिए ऐसा कहना अशोभनीय है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं आपके माध्यम से यह जान सकता हूं कि श्री सन्तोष मोहन देव ने जो कहा है कांग्रेस पार्टी की इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया है। यहां पर अनेक प्रमुख सदस्य उपस्थित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस घटना पर उसकी कोई अन्य प्रतिक्रिया तो नहीं हुई है? यह सभा का सबसे बड़ा दल है। क्या इसकी यही एकमात्र प्रतिक्रिया है?

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : हमारी प्रतिक्रिया के बारे में किसी अन्य माननीय सदस्य को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रतिक्रिया विशेष रूप से तथा स्पष्ट रूप से श्री संतोष मोहन देव को बता दी गयी थी। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष द्वारा कही गयी बात का विरोध नहीं करते हैं तथा इसे विवादास्पद विषय नहीं बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कहा है कि आपको पिछले 11 महीने नहीं भूलने चाहिए जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमन्त्री थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दूसरे शब्दों में, यदि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कोई गलत काम किया था तो आप उसका उल्लेख करके इसे सही बता रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप बताइये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : बहुत ही वरिष्ठ सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त से सहमत हूं कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो गलत काम किया हमें वह नहीं करना चाहिए। इसी कारण कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह विपक्ष में बैठे हैं।

महोदय, दूसरी बात यह है कि प्रैस साक्षात्कार में एक भूतपूर्व राज्यपाल जो कि चपरासी नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चपरासी के बारे में जिक्र नहीं आना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : मैं चपरासी शब्द पर आपत्ति करता हूं जो कि राज्यपाल के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

चपरासी परमानेंट होता है गवर्नर परमानेंट नहीं होता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं कहना चाहिए। लोग अनजाने में कह जाते हैं, लेकिन नहीं कहना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : एक समाचार पत्र में कोई साक्षात्कार छपा था जिसमें

प्रधानमन्त्री पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने संवैधानिक गलती की है।

मैं इस सभा में व्यक्त किए गए विचार से तथा श्री संतोष मोहन देव द्वारा व्यक्त किए गए विचार से भी सहमत हूं, कि इस सभा को सच्चाई जाननी चाहिए।

श्री वसंत साठे : अपना पद खोने के बाद वह साक्षात्कार देते हैं तो प्रधानमन्त्री इस साक्षात्कार को गम्भीरता से क्यों लें ? मैं भूतपूर्व राज्यपाल तथा उनके साक्षात्कार को बिल्कुल गम्भीरता से नहीं लेता। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : जब तक हम इस मामले की सच्चाई नहीं जान लेते हैं तब तक इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम सच्चाई बिल्कुल नहीं जानते हैं। केवल इस कारण कि एक भूतपूर्व राज्यपाल जो अपने पद खोने से नाराज है तथा साक्षात्कार दे रहा है, हम इसे बाइबिल की तरह नहीं मान सकते हैं। एक राज्यपाल जो कि अपने पद को खोने से नाराज, उस पर विश्वास करने की बजाए मैं देश के प्रधानमन्त्री पर विश्वास करने को तैयार हूं।

उन्हें आने दीजिए तथा कहने दीजिए। जब भी वह आकर कहेंगे तो हम सहमत होंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन पर ध्यान न दें। आप अपनी बात कहें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : केवल इसलिए कि किसी भूतपूर्व राज्यपाल या किसी अन्य व्यक्ति के साक्षात्कार के ऊपर एक महान् देश के प्रधानमंत्री को प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : बिल्कुल सही।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने अपनी बात कह ली है ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : हमें कांग्रेस पार्टी की पार्टी की प्रतिक्रिया भी जाननी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रो० कुरियन बोलेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि भूतपूर्व राज्यपाल, भूतपूर्व मन्त्री आदि इस तरह से अपने वार्तालापों में सरकारी गोपनीयता के बारे में बतलाने लगेंगे, तो यह देश के हित में नहीं होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन को अपनी बात कह लेने दें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह सरकार का वास्तविक नजरिया है ? हम सरकार के कानूनी नजरिये को भी जानना चाहेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : सरकार के नजरिये को बताना सरकार का काम है। प्रधानमन्त्री या सरकार के कोई अन्य मन्त्री सरकार के नजरिये के बारे में बतलायेंगे। मेरा कहना यह है कि

हमें ऐसे साक्षात्कारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए तथा ऐसी बातों पर बहुत अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए। (व्यवधान) मैं केवल इतनी-सी बात कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (बदायूं) : अध्यक्ष महोदय, सवाल विरोधी पक्ष के लिए गम्भीर है। मैं इस बात पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्टरव्यू है यह आज एपीयर नहीं हुआ। बिहार की प्रेस में इस तरह का एक एलीगेशन नहीं है। जैसे कुरियन साहब बोल रहे थे, बात ठीक और दुरुस्त कह रहे थे। यह सरकार, जितने तरह के पाप कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक हितों के लिए करने हैं, उनके समर्थन के लिए करना चाहती है। बात यह ठीक है। बिहार की सरकार को, जिस तरह तामिलनाडु और आसाम की सरकार को, जो चुनी हुई सरकारें थीं, उनको पलटने का काम हुआ, वह पाप इनके द्वारा कराया गया। यही काम और यही सिलसिला ...(व्यवधान) गवर्नर से अकेले फोन पर प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा यानि गवर्नर के साथ मुलाकातों में भी लगातार यह बात कही गई। श्री जगन्नाथ मिश्र ने प्राइम मिनिस्टर से मिलकर के अपनी पार्टी के भीतर और बाहर के बयानों में लगातार इस तरह के प्रयास किए हैं कि जिस तरह तामिलनाडु की सरकार सोशल जस्टिस की सरकार थी ...(व्यवधान) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने फोन ही नहीं किया। होम मिनीस्ट्री का जो सचिव होता है, उसने फोन किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नर का जो अभिभाषण है उसको ले लिया जाए। राष्ट्रपति का उसमें जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति को क्रिटीसाइज करने का उसमें एक शब्द नहीं है। गवर्नर ने कहा कि मैं सफाई देता हूं कि प्रेजीडेंट की किसी तरह की आलोचना नहीं थी। ...(व्यवधान) श्री यूनुस सलीम का सार्वजनिक जीवन पचास वर्ष का है। पूरा देश जानता है : सरकार की तरफ से अभिभाषण पढ़ा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, सदन की तरफ से माननीय राष्ट्रपति जी को सिफारिश करें कि तुरन्त बिहार के गवर्नर को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। .. (व्यवधान)

श्री शरद यादव : राष्ट्रपति जी के नाम पर कहा गया कि प्रेजीडेन्ट की आलोचना हुई है। यह बहुत सरासर झूठ है। राष्ट्रपति जी के बारे में नहीं कहा गया। एक एलीगेशन था जिसमें प्रेजीडेंट का क्रिटीसीज्म हुआ। गवर्नर साहब ने कहा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं और उसकी एक कापी भेज रहा हूं। उस कापी का इन्तजार नहीं किया गया और गवर्नर को पहले बताया गया था कि जो काम का हमारा मकसद है उसमें शरीफ हो जाइए। जनता दल (एस) के माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे। मन्त्रीमण्डल में इनका नम्बर बना हुआ है। चापलूसी में ये सच बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी मंशा है और जनता दल (एस) [illegible] साफ है ...(व्यवधान) हमारा कहना है कि बिहार की चुनी हुई सरकार है। उसको बर्खास्त करना और तामिलनाडु की सरकार के रास्ते पर समाप्त करने का यह सिलसिला है और वहां गवर्नर का

अपाइन्टमेंट इस शर्त पर होने वाला है जिससे बिहार की सरकार को किसी मौके पर पलटने का का काम हो सके। श्री मधु दंडवते जी ने जो सवाल उठाया है, यह गंभीर मामला है। यह सेंसर मोशन पर है और उचित सवाल है (व्यवधान) आप चाहेंगे कि हमारे पास टेप में सारी चीज बन्द है। आप इस सेन्सर मोशन को ले लीजिए। जो गृह मन्त्री हैं, वे रोज जाकर बिहार के अन्दर वहां की सरकार को बर्खास्त करने का काम करते हैं ··· (व्यवधान) और जो यूनुस सलीम हैं, उनका सार्वजनिक जीवन, गवर्नरी के समय का ही नहीं बल्कि उनका सार्वजनिक जीवन पचास वर्ष पुराना है। वे सही आदमी और देशभक्त हैं। जिस तरह से उनको अपमानित करके हटाने का काम किया है वह किसी भी इन्सान के लिए अशोभनीय है। इसलिए यह सवाल बहुत गम्भीर है और सदन के तमाम सदस्यों की भावना बिहार सरकार बर्खास्त करने के सिलसिले में चर्चा हुई है। इस एपेट गवर्नमेंट के द्वारा, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जितने भी उसके राजनैतिक स्वार्थ है उनको सत्ता की भूख पर पूरी तरह सेंकने का काम कर रही है, इसलिए इस सवाल को गम्भीरता से लेना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बोलने दूंगा, आप बैठ जायें।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, यह सवाल इस बात का नहीं है कि बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है। सवाल यदि इतना ही होता तो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जो कुछ हो रहा है वह हम पसन्द नहीं करते। लालू प्रसाद की सरकार क्या कर रही है, कानून कैसे बिगड़ रहा है, वहां काफी कानून बिगड़ रहा है, स्थिति अच्छी नहीं है, यह बात ठीक है। लेकिन उसके लिए किसी गवर्नर का इस्तेमाल करना और गवर्नर का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिराने की कोशिश करना, सवाल इतना है कि यह निन्दनीय है या नहीं। यहां पर लालू प्रसाद के पक्ष और विपक्ष का सवाल होता तो हम दूसरी बात आपके सामने रखना चाहते थे। परन्तु इस समय सवाल केवल इतना है कि क्या प्रधान मंत्री जी ने गवर्नर को यह कहा कि असेम्बली की मीटिंग न बुलायें, सवाल यहां पर इतना आ जाता है। सवाल यह भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कितनी गलतियां कीं, जनता दल ने कितनी गलतियां कीं और जनता दल (एस) कितनी गलतियां कर रहा है। हमारे सामने सवाल यह है कि कांग्रेस ने भी 30-35 साल तक शासन किया, बेइन्तहा गवर्नरों का दुरुपयोग किया, जनता दल की सरकार ने भी इसी तरह के कार्य किए ··· जनता दल (एस) की सरकार भी यह कर रही है। सवाल यह है कि आज हमें इस समय क्या करना है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं जब सरकारिया कमीशन बैठाया गया, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हुए, करोड़ों रुपए खर्च करके उसकी रिकमंडेशंस आई हुई हैं, उस पर सदन के अन्दर चर्चा नहीं होती। उस पर चर्चा करनी चाहिए जो सरकारिया कमीशन की रिकमंडेशस हैं, वे हमारे फेडरल करेक्टर के बारे में, इस देश के संविधान को सही दिशा देने के बारे में हैं। एक बार यह तय हो जाए उसके बाद कोई भी ए० बी० या सी० गवर्नमेंट हो, किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इस प्रकार से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे। आज यहां यह सवाल उठाया गया कि प्राइम मिनीस्टर ने जो गवर्नर से कहा था वह ठीक है या नहीं। यह दो शब्दों में सीमित करके बाकी सारे सवाल छोड़ दें तो मैं समझता हूं यहां पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आपको इसको

प्रोटेक्ट करना चाहिए । यही मेरा कहना है ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव की इजाजत नहीं दी है ।

(व्यवधान)

श्री जनकराज गुप्त (जम्मू) यहां गवर्नर का इस्तेमाल करने की बात हो रही है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मुझे यह मतलब नहीं है कि क्या कहा और क्या नहीं कहा, यह तो सरकार कहेगी कि उन्होंने क्या कहा, या कहा है या नहीं कहा है । लेकिन मैं आपके नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि जब वी० पी० सिंह की सरकार थी, बी० जे० पी० वाले उनके साथ थे, सी०पी०आई० वाले उनके साथ थे तो रातों-रात तीन बजे इन्होंने आर्डर किया कि जम्मू-कश्मीर का गवर्नर तब्दील किया जाए, गवर्नर को हटाया जाए, स्पेशन फ्लाइट से वहां आदमी भेजा गया । नेशनल फ्रंट ने गवर्नर का इस्तेमाल करके डयूली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस किया । ये लोग मारेल की बात करते हैं और गवर्नर के इस्तेमाल करने की बात करते हैं । इसके बारे में इनका क्या जवाब है ? इनके तो इतने पाप हैं कि यदि गंगा में जाकर भी नहायें तो ये पाप नहीं मिट सकते हैं । (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी ने कहा कि हम लोगों ने गवर्नर का गलत इस्तेमाल करके सरकार डिसमिस कर दी, हटा दी लेकिन गवर्नर का यूज करके गलत काम करवाना यह महापराध है । यदि आपको गवर्नर को हटाना था, यूनुस सलीम को हटाना था तो आप हटा देते लेकिन उससे गलत काम करवाने की प्रवृत्ति और गवर्नर से सरकार···(व्यवधान)···अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि हमारे संविधान का जो फैडरेल स्ट्रक्चर है, यह पप्ट सरकार, कठपुतली सरकार जो कांग्रेस के इशारे पर चल रही है, इसने उनकी पीठ मे छुरा भोंकने का काम किया है और यह सरकार कांग्रेस के कहने पर जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने पर तुली हुई है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो जनता दल की सरकार बिहार और उड़ीसा में है और जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकारें थीं, तमिलनाडु में और दूसरे राज्यों में जो काम कर रही थीं और जो लैफ्ट फ्रंट की सरकारें हैं केरल और पश्चिमी बंगाल में, इससे बढ़िया शासन देश में कहीं नहीं चल रहा था । और सब जगह कम्युनल रॉयट्स हुए हैं लेकिन नेशनल फ्रंट की सरकार, जनता दल की सरकार और यह जो लैफ्ट फ्रंट की सरकारें जहां हैं, जहां भी कम्युनल रॉयट्स नहीं हुए हैं लेकिन मैं इसी बात पर इन पर चार्ज लगाता हूं कि यह जनता दल (समाजवादी) की सरकार कांग्रेस से मिलकर जनता दल की सरकार को, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को और वामपंथी मोर्चे की सरकार को खत्म करने पर तुली हुई है जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है ।

अध्यक्ष महोदय : आप खत्म कीजिये ।

श्री राम विलास पासवान . इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको बरकरार रखा जाए । जो केन्द्र से मन्त्री राज्यों में जाते हैं, वे अपने वक्तव्यों पर संयम बरतें । यह सूबेदारी नहीं चलने वाली है कि दिल्ली से आते हो और वहां जाकर कहें कि हम सरकार को खत्म करने वाले हैं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर (चिरायींकिल) : महोदय, आदरणीय मधु दण्डवते जी ने इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के आधार पर एक मुद्दा उठाया है। उन्होंने नियम 193 के तहत चर्चा तथा स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैं यह बात समझता हूं। पर मैं जानना चाहूंगा कि यहां किस प्रकार की चर्चा चल रही है। यदि आप नियम 193 के तहत इस नोटिस पर विचार करना चाहते हैं, तो आप उस पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में पूछ सकते हैं और फिर चर्चा के ऊपर उस पर निर्णय ले सकते हैं। इस पर आपको निर्णय लेना है। पर यहां तो पहले ही से चर्चा चल रही है और पता नहीं किस आधार पर चर्चा चल रही है। चर्चा के बारे में तो सिर्फ आप ही फैसला कर सकते हैं। पर जिस तरह की चर्चा यहां चल रही है वह तो अनुचित है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : माननीय अध्यक्ष जी, प्रो० दण्डवते ने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और जिस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये है, मैंने उसे बड़े ध्यान से पढ़ा है और कल इण्डियन एक्सप्रेस में बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल श्री० यूनुस सलीम का जो साक्षात्कार छपा था, उसे भी मैंने पढ़ा। मैं केवल तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो यह है कि राज्यपाल···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मालवीय जी, कृपया एक मिनट के लिए ठहरें। मैं सभा में नियम की व्यवस्था चाहता हूं। कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिये क्योंकि आपने जनता दल के चार सदस्यों को अनुमानित दे दी है।

[हिन्दी]

सवाल यह है कि यूनुस सलीम साहब के लिए कितना वक्त इस सदन का लिया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे कितनी हुकूमतें, सारी हुकूमतें (व्यवधान)

स्पीकर साहब, आपने अभी तक जो भी वक्त दिया, उसमें जनता दल के चार लोग बोल चुके हैं। जनता दल की हुकूमत में कहीं अच्छा हाल होता तो जम्मू काश्मीर में उन्होंने सरकार को नहीं गिराया होता। जहां तक यूनुस सलीम साहब का ताल्लुक है, मैंने यह देखा है कि गवर्नरी के जमाने में वह आम सियासी ताकतों की तरह काम करते थे। वहां लखनऊ के दाखिली मामलात में उन्होंने लखनऊ में जलसा किया। उस समय मैंने अपने आप से पूछा कि अगर वह गवर्नर हैं, हमारे पास एक किताब जिसको कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर के क्या इख्तियारात हैं, गवर्नर के क्या काम हैं। जब लखनऊ में उन्होंने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कांफ्रेंस करने की कोशिश की तो

[अनुवाद]

वास्तव में वह जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे।

[हिन्दी]

यह गवर्नर को शोभा नहीं देता । (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले इनका प्वाइंट ऑफ आर्डर सुन लें, आप बैठ जाएं ।

श्री राम विलास पासवान : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि गवर्नर की हैसियत से जो भूतपूर्व गवर्नर रहे हैं बिना प्रॉपर इटीमेशन के उन पर डिस्कशन करा रहे हैं और उन पर ये एलीगेशन लगा रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये एलीगेशन लगा रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया ।

श्री राम विलास पासवान : अगर ये एलीगेशन लगाते हैं तो वह कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई एलीगेशन आएगा तो वह कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपा कर बैठ जायेंगे ?

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । बिहार के राज्यपाल रह चुकने के बाद··· (व्यवधान) वह अब जनता के बीच अपनी दुर्भावना अभिव्यक्त कर रहे हैं । यह बात पद की मर्यादा के अनुरूप नहीं है । यह बात उसी समय कहनी चाहिए थी जब वह राज्यपाल थे । (व्यवधान)

श्री पॉल आर० मन्टोष : (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : महोदय, इस सभा में राज्यपाल के कार्यों पर चर्चा नहीं की जा सकती है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री होटा, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जहां तक निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने की बात है इसका उदाहरण श्री वी०पी० सिंह के नेतृत्व वाली पिछली सरकार जम्मू-कश्मीर की सरकार को बर्खास्त कर पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है । (व्यवधान) यही कारण है कि कश्मीर तबाही के कगार पर आ गया । अब किसी निर्वाचित सरकार के बारे में कुछ कहना उनको शोभा नहीं देता है ।

श्री भबानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

श्री भवानी शंकर होटा : महोदय, हम राज्यपालों की भूमिका के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपितु प्रधान मंत्री द्वारा राज्यपाल को बिहार विधान सभा का सत्र न बुलाने के लिए कहने के सम्बन्ध में उनके आचरण की चर्चा कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री होटा, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। 'व्यवस्था के प्रश्न' के संदर्भ के अन्तर्गत आपको बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री इन्द्रजीत गुप्त।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी, आप दो वाक्यों में अपनी बात कह दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री होटा, मैंने आपको कहा था कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको बोलने की अनुमति प्रदान नहीं की, कृपया आप अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री होटा को बोलने की अनुमति प्रदान नहीं की है। (व्यवधान) श्री होटा, यह क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, मैंने आपको अपने स्थान पर बैठने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री होटा, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, श्री मोहम्मद युनुस सलीम द्वारा दिए गए साक्षात्कार से हमारी लोकतन्त्र की कार्यप्रणाली के भविष्य के बारे में अनेक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। अतः मैं सभा के विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा की गई मांग का समर्थन करता हूं कि प्रधान मन्त्री को सभा में आकर मामले के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

मैंने कल केन्द्रीय कक्ष में अनौपचारिक रूप से उनके साथ इस विषय पर चर्चा की थी। उन्होंने इस बात से इन्कार किया। (व्यवधान) उन्हें सभा में आकर इस विषय पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।

परन्तु इसके अतिरिक्त, मैं समझता हूं कि इस समय हमें राज्यपाल के कर्त्तव्यों के बारे में विस्तार से चर्चा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि राज्यपाल का पद इस समय एक चपरासी के पद से भी गया बीता हो गया है। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं "चपरासी" शब्द को यूज मत करिए। उस पद की भी अपनी गरिमा है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : क्या यह वर्ड अनपार्लियामैन्टरी है सर।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, चपरासी का नाम लेकर डिस्कशन नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 'चपरासी' शब्द असंसदीय है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने मना किया है।

श्री राम विलास पासवान : चपरासी की भी अपनी इज्जत होती है, जो व्यक्ति चपरासी का काम करता है, इसमें उसकी डिगनिटी का सवाल है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय . अनपार्लियामैंटरी का प्रश्न नहीं, उस पद की अपनी गरिमा है।

[अनुवाद]

जी नहीं, जी नहीं, यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : महोदय, अन्ततः यह पद की गरिमा का प्रश्न है और मैं यह आशा करता हूं कि श्री मोहम्मद यूनुस सलीम जब राज्यपाल थे, तब उन्होंने इतना साहस और विशिष्ट आचरण दिखाया होता और उस समय यह टिप्पणी की होती तथा खुलेआम सब को बताया होता।

आज क्या हो रहा है ? हम उस परिस्थिति में पहुंच गए हैं जब राज्यपाल दैनिक आधार पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें मनमाने ढंग से हटा जा रहा है। अब हमने बिल्कुल ही नए दर्शन को अपनाया है, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के बदलने से सारे राज्यपाल अवश्य ही बदल दिए जाते हैं।

मैं यह समझता हूं कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस पर एक सुस्पष्ट तथा विस्तार चर्चा की जानी चाहिए और राज्यपाल की भूमिका के बारे में उपयुक्त मार्ग निदेश तैयार किए जाने चाहिए। अन्यथा हम घोर विपत्ति में पड़ जाएंगे।

]हिन्दी]

श्री धर्म पाल शर्मा (उधमपुर) : अध्यक्ष जी, यहां सरकारिया कमीशन की सिफारिशात के मुतल्लिक और गवर्नर के रोल पर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। आज

विजय कुमार मल्होत्रा जी बोले और कल जसवन्त सिंह जी बोले। मैं कहना चाहूंगा कि जब यहां नेशनल फ्रन्ट की सरकार सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी उसकी सहयोगी पार्टी थी और इनकी रिकमेण्डेशन पर तत्कालीन सरकार ने दो गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के बनाये। उस वक्त सरकारिया कमीशन का कहीं जिक्र नहीं था। उसमें से एक गवर्नर वे थे जो इसी 1989 के चुनाव में हमारे उम्मीदवार से हार गए थे, * उन्हें इन लोगों ने रिकमैंड करके उड़ीसा का गवर्नर बनवा दिया और दूसरे मैम्बर आफ पार्लियामैंट···(व्यवधान)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) यहां सभा में राज्यपाल का नाम लेकर चर्चा नहीं की जा सकती है। इन्होंने राज्यपाल का नाम लिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्म पाल शर्मा : आई हैव राइट टू से, कैसे नहीं ले सकता।

अध्यक्ष महोदय : किसी का नाम हाउस में नहीं लेना चाहिए। नाम मत लो।

(व्यवधान)

श्री धर्म पाल शर्मा : एक दूसरे मैम्बर आफ पार्लियामैंट थे जिन्हें मिजोरम का गवर्नर बनाया गया और आज यहां सरकारिया कमीशन की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया, आप बैठिए।

श्री धर्म पाल शर्मा : जब भारतीय जनता पार्टी के दो लोगों को गवर्नर बनाया गया तो ये किस आधार पर आज यूनुस सलीम के बारे में बातें करते हैं। (व्यवधान)

आप देखिये कि बिहार में क्या हो रहा है। इनके ही समाज के एक नेता, पासवान जी के क्षेत्र के हरिजन नेता, राम सुन्दर दास, कल यहां दिल्ली में आए थे, जो वहां जनता दल के प्रेजीडैंट हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, बहुत हो गया।

श्री धर्म पाल शर्मा : उनके घर पर वहां हमला किया गया। उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव से उन्हें खतरा है। क्या यही आपकी बिहार की सरकार है कि जो भी वहां लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोलता है उसके मकान पर हमला होता है, जो स्वयं जनता दल के प्रेजीडैंट हैं। (व्यवधान)

यदि यह हकीकत है तो वास्तव में हमारे लिए बड़ी दुखदायी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

1.00 म०प०

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण चाहता

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूं। इस राष्ट्र के संविधान में शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक और चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सबको वोट देने का अधिकार है और वोट देने वाला राज्य बनाने वाला होता है। ये जो मेरे साथी है, ये चपरासी का नाम लेकर चपरासी समुदाय का अपमान कर रहे हैं। मैं इन्द्र जीत जी को न्यौता देता हूं वे किसी चपरासी को हटाकर बता दें। ये इस प्रकार से चपरासी समुदाय का अपमान कर रहे हैं. इसलिये मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि ये अपने शब्दों को वापस लें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं। मुख्य प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था अथवा नहीं, जैसा कि उल्लेख किया गया है। वास्तव में, अन्य मामलों को उठाकर इस विषय को टाला गया है। बहुत ही सम्बद्ध और महत्व र्ण मामले है परन्तु आज जो प्रश्न उठाया गया है वह प्रधान मंत्री के आचरण के बारे में है कि क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था अथवा नहीं, जैसा कि उल्लेख किया गया है। सरकार अथवा प्रधानमंत्री को आगे आकर इस प्रश्न को स्पष्ट करना चाहिए। जो कुछ भी कहा गया हो कम से कम मैंने प्रधान मंत्री के रूप म किसी भी राज्यपाल को संविधान के विरुद्ध कुछ करने के लिए कभी भी नहीं कहा होगा और अन्य सभी भ्रान्तियां इस प्रश्न से अलग हैं. प्रश्न यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने श्री यूनुस को विधान सभा का सत्र न बुलाने के लिए कहा था अथवा नहीं। अब हमारे समक्ष यह प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : मैं समझता हू कि हमने इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए बहुत समय लगा दिया है। बरखास्त किए गए राज्यपाल द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्न की विश्वसनीयता के बारे में हम समझ सकते थे बशर्ते कि इस प्रश्न की यथातथ्यता अथवा सत्यता को स्वीकार करने का कोई प्रश्न होता। महोदय, हमने अभी तक राज्यपाल द्वारा दिए गए साक्षात्कार की यथातथ्यता को स्वीकार नहीं किया है कि क्या यह प्रमाणिक है अथवा नहीं···(व्यवधान)। दूसरे, यह भी सन्देहास्पद है कि क्या यह विचार ध्यान देने लायक है···(व्यवधान)···महोदय, अभी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इस विषय पर सफाई देने का प्रयास कर रहे थे···(व्यवधान)···जिन्होंने वास्तव में अपने समय में संवैधानिक द्रोपदी के साथ दुर्योधन और दुशासन जैसा व्यवहार किया था—यह राज्यपाल की स्थिति है—वे आज ईमानदार बनने का प्रयास कर रहे है और प्रधानमंत्री द्वारा किसी विशिष्ट राज्यपाल को कही गई किसी बात के बारे में उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं···(व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री भूतपूर्व राज्यपाल अथवा बरखास्त राज्यपाल द्वारा कही गई बात को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं अथवा नहीं···(व्यवधान) उन्हें यह स्वीकार क्यों करना चाहिए ? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह स्वीकार क्यों करना चाहिए···(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्यों नहीं ? (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मैं ऐसा नहीं समझता हूं यह पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करें अथवा अस्वीकार करें। यदि मैं प्रधान मंत्री होता, तो मैं स्वयं इस

विषय पर बिल्कुल भी ध्यान न देता ···(व्यवधान) जिस समाचार पत्र में यह साक्षात्कार प्रकाशित हुआ है वह समाचार पत्र भी ध्यान देने लायक नहीं है, क्योंकि इस राज्यपाल ने अपने व्यवहार से राज्यपाल के रूप में राज्यपाल की प्रतिष्ठा को भी नहीं बनाए रखा, जैसा कि अभी बताया है। हम जानते हैं कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के मामले को लाकर जोकि राज्यपाल के करने का कार्य नहीं है। राज्यपाल की स्थिति को नीचा कर दिया है तथा साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काया है···

प्रो० मधु दंडवते : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 353 के अनुसार यदि उच्च पदों पर आसीन लोगों के आचरण पर चर्चा करना हो तो ऐसा केवल मूल प्रस्ताव प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। वह उनके विरुद्ध उस समय की बात पर आरोप लगा रहे हैं, जब वह राज्यपाल थे। नियम 352 के अन्तर्गत मूल प्रस्ताव को छोड़कर इसकी यहां पर चर्चा करने की अनुमति नहीं है। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने यह बात उठायी है। केवल इन्होंने ही यह मामला उठाया है। यह मामला भी राज्यपाल के आचरण से संबंधित है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने प्रधान मंत्री के आचरण के बारे में चर्चा की है, राज्यपाल के बारे में नहीं।

श्री वसंत साठे : यह भूतपूर्व राज्यपाल द्वारा कही गयी बात के संदर्भ में है अन्यथा प्रधान मंत्री के आचरण के बारे में कहना युक्तिसंगत नहीं होगा। इसे उद्धरित किये बिना आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वह भूतपूर्व राज्यपाल को लाये हैं। यदि आप नियम को देखें यह उच्च पदों पर आसीन लोगों से सम्बन्धित है, भूतपूर्व राज्यपालों से नहीं अथवा विशेष रूप से पदच्युत राज्यपालों से नहीं।

इस समय वह राज्यपाल नहीं है। वह इस देश के एक साधारण नागरिक हैं। उन्होंने साक्षात्कार दिया है। वह किस हैसियत से दिया है? वह राज्यपाल के रूप में ऐसा नहीं कर सकते है। उन्होंने साक्षात्कार पदच्युत राज्यपाल के रूप में दिया है। क्या हमने यहां पर जगमोहन के बारे में चर्चा नहीं की। हमने इस सभा में अनेक भूतपूर्व राज्यपालों के बारे में भी चर्चा की है। हम भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं···(व्यवधान) यदि प्रो० मधु दण्डवते का व्यवस्था का प्रश्न सही है तो श्री यूनुस सलीम के बारे में भूतपूर्व राज्यपाल के रूप में उनके शेष जीवनकाल तक के लिए चर्चा नहीं की जा सकती है।

प्रो० मधु दण्डवते : उनके त्यागपत्र दिये जाने के बाद उनके बारे में चर्चा करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, पाइंट आफ आर्डर है।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय,···(व्यवधान) विधान सभा को बैठक कैसे बुलाई जाए। हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। संविधान में एक व्यवस्था है कि विधान सभा

की बैठक कौन बुलाए और किस आधार पर बुलाए । एक व्यवस्था यह है कि मंत्रिमंडल निर्णय करके गवर्नर को परामर्श देता है और राज्यपाल महोदय उसी परामर्श के अनुसार विधानसभा की बैठक बुलाते हैं। (व्यवधान) दूसरा सवाल प्रक्रिया और संचालन सम्बन्धी नियमों का है जिसमें अगर विधान सभा प्ररोगेट नहीं की गई है, ऐब्जर्न की गई है तब विधान सभा के अथवा लोक सभा के अध्यक्ष महोदय बैठक बुलाते हैं।···(व्यवधान) इसमें कहीं पर भी न तो प्रधानमंत्री का सवाल आता है न केन्द्रीय मन्त्री का आता है।···(व्यवधान) यदि प्रधान मन्त्री ने राज्यपाल को निर्देश दिया कि वे विधान सभा की बैठक न बुलाएं तब प्रधान मन्त्री जी ने भारतीय संविधान का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया है।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप मेहरबानी करके बैठ जाएं, कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अपनी बात करने के दौरान मैंने एक टिप्पणी की थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी, आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर क्या है ?

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मेरे द्वारा की गयी टिप्पणी को अनुचित रूप से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया और मैं इस निर्णय के विरुद्ध विरोध व्यक्त करना चाहता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमने राज्यपाल के पद को 'चपरासी' से भी बदतर पद बना दिया है। चपरासी को हटाने के लिए कम से कम नोटिस देना पड़ता है। परन्तु राज्यपालों को मनमाने ढंग से बिना किसी नोटिस दिये हटा दिया जाता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत : आप इसे कार्यवाही वृतान्त से कैसे निकाल सकते हैं। जो मैंने कहा वह असंसदीय नहीं है। अतः इसे कार्यवाही वृतान्त से नहीं निकाला जा सकता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री के०सी० त्यागी (हापुड़) : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के तहत व्यवस्था का सवाल है।

श्री के०सी० त्यागी : मेरा आपसे यह कहना है कि जो सदन के नये सदस्य हैं, उनको आप

कभी भी बोलने का मौका नहीं देते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : चपरासी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होते हैं और इनकी तुलना आज के राज्यपालों से नहीं की जानी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे : अध्यक्ष जी, यह तो बात तय हो गई है कि

[अनुवाद]

व्यवस्था के प्रश्न पर भूतपूर्व राज्यपालों के बारे में चर्चा की जा सकती है।

[हिन्दी]

प्वाइंट आफ आर्डर में कोई तुक नहीं है। सवाल यह है कि श्रीमान यूनुस सलीम साहब ने जो गुस्ताखी की, वहां असेम्बली में जो कुछ अभिभाषण दिया···(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, साठे साहब ठीक बात नहीं कह रहे हैं। ये अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह एलिगेशन न लगाएं। जो प्वाइंट है उस पर ही बोलें। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : आप दम तो रखिए। असली बात यह है कि झगड़ा किस बात पर हुआ ? गवर्नर जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जाता है, क्या वह अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी द्वारा की गई कार्यवाही की नुक्ताचीनी कर सकता है ? तमिलनाडु में प्रेसीडेंट रूल लगाए जाने के बारे में उन्होंने ऐसी ही नुक्ताचीनी की···(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आँवला) : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। संसदीय कार्य मन्त्री ही आधा बोल चुके हैं। उसके बाद से हर सदस्य बीच-बीच में बोलना शुरू कर रहे है। साठे जी तीन बार बोल चुके हैं। यह उचित नहीं है। संसदीय कार्य मन्त्री को इस पर पूरा जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय । यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : अभी हमारे मित्र शरद यादव जी ने यह कहा कि समाज सेवा करने वाली सरकार तमिलनाडु में थी···(व्यवधान) सामाजिक न्याय देने वाली सरकार वहां पर थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देशद्रोहियों को पनाह देना, ट्रेनिंग देना यह समाज सेवा का काम है···(व्यवधान) मुद्दे की बात यह है कि इसी बात को लेकर क्या देश के राष्ट्रपति जी ने वहां तमिलनाडु की सरकार को हटाया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई गवर्नर राष्ट्रपति जी की कार्यवाही को आरबिट्ररी और गलत कह सकता है ? यह उसके अधिकार में है। (व्यवधान) यही काम बिहार के उस वक्त के गवर्नर श्रीमान् यूनुस सलीम साहब ने किया और इसलिए जब

ऐसा गलत व्यवहार उन्होंने किया···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यह एकदम गलत बात बोल रहे हैं।

श्री वसंत साठे : बिल्कुल नहीं। मैंने प्रत्येक शब्द जो कहा है उस पर कायम रहता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, क्या आपने माननीय वसंत साठे जी से बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के बारे में चर्चा करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है। आपको कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है। क्या यह ठीक है ? यह कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रधान मन्त्री द्वारा बिहार के तत्कालीन राज्यपाल को दिए गए निर्देश के सम्बन्ध में है। इस पर हम यह निर्णय कर रहे हैं कि क्या आप इसकी अनुमति देंगे या नहीं। अब आप सरकार के प्रतिनिधि से स्पष्टीकरण देने के लिए सीधे कह सकते हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हम बेकार के मामलों पर इतना समय नष्ट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने इनको अनुमति इसलिए दी है क्योंकि वह स्पष्टीकरण चाहते थे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : आप जरा सुनिए। यह यूनुस सलीम साहब की यहां इतनी तरफदारी कर रहे हैं, जो युनुस सलीम साहब राष्ट्रपति जी के बारे में कह सकते हैं। आज आरोप क्या है उनका, कि प्राइम मिनिस्टर ने असेम्बली बुलाने के पहले उन्हें कहा था कि मत बुलाओ, यही कहना है न ? मैं सिर्फ हमारे भाइयों से जानना चाहता हूं, यूनुस सलीम साहब यदि इतने नेक आदमी हैं···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कोई नेक नहीं बोलता है।

श्री वसंत साठे : इतने हिम्मत वाले हैं कि बाद में इण्टरव्यू दे रहे हैं, सच्चे आदमी हैं, इतना ही कहना है न आपका ? मैं मेरे दोस्तों से पूछना चाहता हूं, यह यूनुस सलीम साहब जो इतने दिलेर, सच्चे आदमी हैं, उनको किसने रोका था, वह पहले ही गवर्नर के अभिभाषण में कह सकते थे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा ··(व्यवधान) प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ··· (व्यवधान) सुन लो भई, सुन लो।

[अनुवाद]

उन्हें विरोध स्वरूप त्यागपत्र दे देना चाहिए था। तब हमें उनके सम्मान के बारे में समझ में आता। हमने उनके पक्ष में बोलने की कोशिश होती यदि उस व्यक्ति ने उस समय प्रधान मन्त्री के तथाकथित हस्तक्षेप का विरोध करने की योग्यता दिखायी होती। मेरी समझ में यह बात आती है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, वह संसदीय मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : अब जब उन्हें पदच्युत कर दिया गया है तो उन्होंने साक्षात्कार देने का निर्णय किया है तथा इन सब बातों को दोबारा उखाड़कर प्रधान मन्त्री के विरुद्ध आरोप लगाया है। मैं कहूंगा कि यह न केवल प्रधान मन्त्री की जानकारी में लाना आवश्यक है बल्कि सम्पूर्ण सभा की जानकारी में लाना आवश्यक है। हम इस पर चर्चा करके अनावश्यक रूप से सभा का समय नष्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्य प्रकाश मालवीय।

श्री राम विलास पासवान : आपने इनको बुलाया है इसलिए मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर है। मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि हम लोगों ने एडजर्नमण्ट मोशन दिया है, वह प्राइम मिनिस्टर के बिहेवियर के ऊपर दिया है। अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है या नहीं इसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर के मन्त्री को बुलवाइये, प्रधान मन्त्री के नीचे के मन्त्री को बुलवाकर प्राइम मिनिस्ट के ··

अध्यक्ष महोदय : मैंने पार्लियामेण्टरी अफेयर्स मिनिस्टर को बुलाया है। कोई पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : आप मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई पाइण्ट ऑफ आर्डर है ही नहीं।

श्री राम विलास पासवान : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसी सदन में पिछली बार जब प्राइम मिनिस्टर के सम्बन्ध में चर्चा हुई तो मन्त्री ने कह दिया कि गलत है और प्राइम मिनिस्टर ने आकर यह कहा कि सही है (व्यवधान)

इसलिए आप प्राइम मिनिस्टर को बुलवाकर उनसे जवाब दिलवाइये।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल के इण्डियन एक्सप्रेस में श्री मोहम्मद यूनुस सलीम, जो बिहार के पूर्व राज्यपाल हैं, उनका एक साक्षात्कार छपा है और उस साक्षात्कार को खुद मैंने भी पढ़ा है ··मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री मु० यूनुस सलीम जब बिहार के राज्यपाल थे, बिहार के राज्यपाल का अपना दायित्व निर्वाह करते समय जो कुछ भी घटनाएं घटीं, उसके सम्बन्ध में साक्षात्कार देकर के उन्होंने राज्यपाल के पद की गरिमा को गिराने का काम किया है। दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि प्रधान मन्त्री जी के सम्बन्ध में जो कुछ भी बिहार के पूर्व राज्यपाल ने कहा है समाचार-पत्रों के जरिए, कोई आवश्यक नहीं है कि प्रधान मन्त्री जी उसके सम्बन्ध में इस सदन में आ करके अपना वक्तव्य दें क्योंकि श्री मु० यूनुस सलीम ने राज्यपाल के अपने शपथ ग्रहण करते समय, जब उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली होगी, उस गोपनीयता को भी उन्होंने भंग करने का काम किया है। तीसरा, इसलिए मेरा निवेदन यह है कि (व्यवधान) यह कोई ऐसा विषय नहीं है कि यह जो कार्य स्थगन सूचना है उसे स्वीकार

किया जाए। चौथा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में श्री शरद यादव ने इस सरकार के सम्बन्ध में कटपुतली शब्द का इस्तेमाल किया है वह बिल्कुल निराधार है। जो भी सरकार या जो भी राज्यपाल संविधान के विरुद्ध कार्य करेगा, उसके सम्बन्ध में यह सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करेगी।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : निर्मल बाबु, प्रो० दण्डवते का एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने स्वीकार किया है कि भूतपूर्व राज्यपाल ने गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया है जिससे ऐसा लगता है कि यह सच है। अतः प्रधान मन्त्री को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में अभी कहा है कि राज्यपाल ने गोपनीयता की शपथ ली है और उसके बाद जो गोपनीय बातें हुईं, जो अधिकृत गोपनीयता कानून के मुताबिक उन्होंने कहा है :

[अनुवाद]

शासकीय गुप्त बात अधिनियम··· (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैंने शासकीय गुप्त बात अधिनियम शब्दों का प्रयोग नहीं किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने शासकीय गुप्त बात अधिनियम शब्दों का प्रयोग किया है। आप कार्यवाही वृतान्त देख लें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या संविधान की अवमानना कोई शासकीय गोपनीयता है ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह प्रतिवर्ती क्रिया वाली बात हो गयी जिसमें दिमाग को पता चले बगैर ही कोई कार्य हो जाता है। मैंने उन्हें शासकीय गुप्त बात अधिनियम का जिक्र करते हुए खुद सुना है।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : हां, उन्होंने ऐसा कहा है। (व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : यदि कोई माननीय सदस्य यह कहता है कि उसने ऐसा नहीं कहा है तो यह माना जाना चाहिए कि उसने ऐसा नहीं कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, आप अभी कार्यवाही वृतान्त देख लें। (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आप कार्यवाही वृतान्त देख सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने ऐसा कहा है। आप कार्यवाही वृतान्त देख लीजिए। महोदय आप

रिकार्ड को देखकर अभी तुरन्त अपना विनिर्णय दें। यदि आप यह पाएं कि रिकार्ड में शासकीय गुप्त बात अधिनियम का जिक्र नहीं है तो आप भूतलक्षी प्रभाव से अपने फैसले को वापस ले सकते है। उन्होंने ऐसा कहा है। (व्यवधान) मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यदि कुछ गुप्त दस्तावेज हो, कुछ महत्वपूर्ण राजकीय गुप्त बातें जिन्हें पहले से ही गुप्त है, आप उन्हें प्रकट नहीं कर सकते। परन्तु प्रधान मन्त्री या कार्यकारी कोई असंवैधानिक कार्य करता है तो उस स्थिति में राज्यपाल के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उसे गुप्त रखे क्योंकि किसी तरह की कोई भी पत्र जो असंवैधानिक है तथा संविधान का उल्लंघन करता है उसे शासकीय गुप्त बात नहीं माना जा सकता है तथा उस पर शासकीय गुप्त बात अधिनियम लागू नहीं होता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या संविधान की अवमानना को तथाकथित शासकीय गोपनीयता के कारण नजरअंदाज किया जा सकता है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपके अनुसार संविधान की अवमानना भी अससदीय है क्योंकि यह अवमानना की बात करता है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मालवीय महोदय आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैंने शासकीय गुप्त बात अधिनियम जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है।

श्री वसंत साठे : उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मन्त्री जी ने इस सारी डेढ़ घंटे की चर्चा का जो उत्तर दिया है, उससे उन्होंने प्रधानमन्त्री जी की और सरकार की स्थिति को और भी खराब कर दिया है। उन्होंने एक प्रकार से जितनी बातें यहां पर कही गई हैं, उनका निराकरण नहीं किया है बल्कि कुछ भी न बोलते हुए उन्होंने पुष्टि की है और यह कहा है कि क्योंकि वे उस समय गवर्नर थे और प्रधानमन्त्री और गवर्नर के बीच में जो बातचीत हुई, वह गोपनीयता की परिधि में आती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। (व्यवधान)

मैं शब्दों की बात नहीं कर रहा, मैं सार की बात कर रहा हूं। आपने आफिशल सीक्रेसी या ओथ आफ सीक्रेसी का उल्लेख किया या नहीं किया, लेकिन जिस आधार पर आप वस्तुस्थिति को सदन के सामने नहीं रख रहे है, यह आधार ठीक नहीं है। यह तो उसी तरह की बात है, जिस तरह से कल चिदंबरम जी ने आरोप लगाया था कि तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री ने वहां पर उल्फा के ट्रेनिंग कैंप लगाए, अब अगर वे कहें कि आफिशल ओथ आफ सीक्रेसी मैंने ली है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि यहां पर ट्रेनिंग कैंप लगाए या नहीं लगाए। अगर कोई अन-कांस्टीट्यूशनल बात करता है तो फिर वह सीक्रेसी की परिधि में नहीं आ सकता, ओथ आफ सीक्रेसी वहां लागू नहीं होती। इस संबंध में जो प्रश्न यहां पर सदन की तरफ से उठाया गया है वह यह है कि क्या प्रधानमन्त्री ने राज्यपाल को यह कहा कि तुम अधिवेशन मत बुलाओ। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है, इसलिए ओथ आफ सीक्रेसी यहां पर लागू नहीं होगी। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब स्थिति का निराकरण तभी हो

सकता है जब प्रधानमन्त्री जी स्वयं आकर बता दें कि क्या बातचीत हुई। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) विपक्ष के नेता सहित मधु दंडवते जी ने भी अपने विचारों से हमारा दिग्दर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई असंवैधानिक बात होती है तो उसे बताया जा सकता है क्योंकि इससे शासकीय गुप्त बात अधिनियम प्रभावित नहीं होगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री पी० सी० थामस : यह बात रिकार्ड में है, यही व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इसे नियम 376 के अन्तर्गत उठा रहा हूं। यदि यह सही है चूंकि यह बात पहले ही रिकार्ड में आ चुकी है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी असंवैधानिक घटना के बाद शासकीय गुप्त बात अधिनियम या गोपनीयता शपथ के बावजूद यह राज्यपाल की जिम्मेवारी नहीं है कि वह उसी पद पर रहते समय उसे प्रकट करे। परन्तु उन्होंने बर्खास्त होने तक उसे गोपनीय रखा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : असली बात तो यह है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक तो किसी भी राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती और इस सम्बन्ध में स्पष्ट नियम है : मो० यूनुस सलीम साहब ने अपने साक्षात्कार में जो कुछ भी कहा, वह उस समय की घटना का जिक्र है, जब वे बिहार के राज्यपाल थे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में जहां तक प्रधानमन्त्री जी का सम्बन्ध है कि प्रधानमन्त्री जी ने कहा है, अगर ऐसा है तो उस समय उन्होंने कोई विरोध जाहिर क्यों नहीं किया ? उस समय न तो राष्ट्रपति के पास विरोध जाहिर किया न कोई बयान दिया। अब जब राज्यपाल नहीं रह गए हैं तब उन्होंने साक्षात्कार देने का काम किया है। इसलिए इन कारणों के आधार पर मेरा निवेदन है कि मधु दण्डवते और रामविलास पासवान जी ने जो कार्य स्थगन की सूचना आपको दी है उसको आप अस्वीकार करने का काम करें।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या आप स्पष्टीकरण देने के लिए प्रधानमन्त्री को सदन में बुला रहे हैं या नहीं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमन्त्री जी सदन में आएंगे या नहीं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि संसदीय कार्य मन्त्री के इस वक्तव्य के बाद बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रधानमन्त्री स्वयं आकर स्थिति

स्पष्ट करें। क्योंकि इनके इस वक्तव्य के बाद स्थिति और कम्पलीकेडिट हो गयी है। इसका मतलब यह है कि अभी सरकार बता नहीं पा रही है कि बात सही है या नहीं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : संसदीय कार्य मन्त्री के द्वारा दिए गए वक्तव्य को देखते हुए जिससे प्रधानमन्त्री का वक्तव्य देना जरूरी हो जाता है, हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

1.30 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की धारा उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

   (1) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

   (2) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 2155/91]

2. (एक) सेन्ट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, मद्रास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

   (दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, मद्रास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०—2156/91]

3. (एक) पेट्रोफिल्स कोपरेटिव लिमिटेड, बड़ोदा के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

   (दो) पेट्रोफिल्स कोपरेटिव लिमिटेड, बड़ोदा के वर्ष 989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०—2157/91]

4. आठवीं और नौवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण :—

(एक) विवरण संख्या 29 — छठा सत्र 1986
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 2158/91]

(दो) विवरण संख्या 27 — आठवां सत्र, 1987
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 2159/91]

(तीन) विवरण संख्या 24 — आठवें सत्र का भाग—2, 1987
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 2160/91]

(चार) विवरण संख्या 23 — नौवां सत्र, 1988
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 2161/91]

(पांच) विवरण संख्या 21 — दसवां सत्र, 1988
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 2162/91]

(छः) विवरण संख्या 17 — ग्यारहवां सत्र, 1988
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 2163/91]

(सात) विवरण संख्या 14 — बारहवां सत्र, 1988
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 2164/91]

(आठ) विवरण संख्या 13 — तेरहवां सत्र, 1989
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 2165/9]

(नौ) विवरण संख्या 10 — चौदहवां सत्र, 1989
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 2166/91]

आठवीं लोक सभा

इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड बड़ोदरा, सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, मद्रास के कार्यकरण की वर्ष 1989-90 इत्यादि के लिए वार्षिक रिपोर्ट और समीक्षा।

(दस) विवरण संख्या 8 — पहला सत्र, 1989
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० सं० 2167/91]

(ग्यारह) विवरण संख्या 7 — दूसरा सत्र, 1990
(खन्ड 1 और 2)
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० सं० 2168/91]

नौवीं लोक सभा

(बारह) विवरण संख्या 1 — छठा सत्र, 1990-91 | सभा
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० सं० 2169/91] |
(तेरह) विवरण संख्या 3 — तीसरा सत्र, 1990 |
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 2170/91] J

ग्राम विद्युतीकरण निगम लि०, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त(1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 2171/91]

1-3; म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़।

(एक) पश्चिम महाराष्ट्र के गुड़ उत्पादक किसानों की सहायतार्थ महाराष्ट्र के शीर्ष सहकारी संगठनों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को निदेश जारी करने की मांग

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ (कोल्हापुर) : पश्चिमी महाराष्ट्र, जिसमें कोल्हापुर, सांगली सतारा जिले भारत और विश्व में गुड़ उत्पादन के लिए विख्यात हैं। विदेशी मुद्रा के गंभीर संकट के शमन हेतु खाड़ी के देशों को गुड़ का प्रचुर निर्यात कर करोड़ों डालरों की आय होती है।

खाड़ी युद्ध छिड़ जाने पर आयातकर्ता देश माल नहीं उठा रहे है जबकि गुड़ बनाने का मौसम काफी समय से जोरों पर चल रहा है।

कोल्हापुर, सतारा और सांगली के बाजारों में गुड़ की बेहिसाब आमद है। नतीजन गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों और अन्य एजेंसियों की देय राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। विपणन समितियों संघों और राज्य सरकारों की बैठकें हो चुकी हैं।

हालांकि महाराष्ट्र सरकार इस गंभीर संकट को अपने सीमित संसाधनों से हल करने के प्रयास कर रही है, किन्तु समस्या हल नहीं हो सकी है क्योंकि विपणन संघ न तो गुड़ खरीदने को आगे आ रहे हैं और न ही उन्होंने किसानों को ऋण ही दिया है। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को महाराष्ट्र ने शीर्षस्थ सहकारी संगठनों और अन्य वित्तीय-संस्थाओं को स्वीकृत भण्डागारों के माध्यम से माल के मूल्य के 70 प्रतिशत तक की राशि का ऋण किसानों को देने के लिये, निश्चित रूप से दिशानिर्देश जारी करने चाहिए जिससे कि स्थिति में सुधार हो।

मुझे यह आशंका है कि यदि शीघ्र ही कोई कार्यवाही न की गई, तो किसान आंदोलन पर उतर आयेंगे और राज्य के लिए कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जायेगी और जिसका कृषि कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(दो) केरल में कोडुंगल्लुर टेलीफोन केन्द्र का विस्तार किए जाने की मांग

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : केरल के इतिहास में कोडुनगल्लूर का प्रमुख स्थान है। सेंट थाम भारत में सर्वप्रथम कोडुनगल्लुर में ही उतरे थे। भारत में पहली मस्जिद चेरमण पेरुमल ने कोडुनगल्लूर में ही बनाई थी. दक्षिण भारत के दो विख्यात हिन्दु मन्दिर, कुरुम्बा भगवती' और 'तिरुवामेहिकुलम' कोडुनगल्लुर में ही विद्यमान हैं। यहां प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। कोडुनगल्लुर में बड़ी संख्या में अनिवासी भारतीय वास करते हैं, इसलिए यह क्षेत्र प्रगति कर रहा है। सर्वाधिक जन-घनत्व और सर्वाधिक साक्षर आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण कोडुनगल्लुर केरल में एक विशालतम वाणिजिक और व्यापारिक केन्द्र है। किन्तु फिर भी कोडुनगल्लुर में पिछले कई वर्षों से टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार नहीं किया गया हैं। कुछ वर्ष पूर्व विभाग द्वारा कुछ जमीन की खरीद किये जाने के बाद बावजूद भवन निर्माण की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। इसलिए माननीय संचार मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि कोडुनगल्लुर के टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किये जायें।

(तीन) काकीनाडा को वायुसेवा से जोड़े जाने की मांग

श्री एम० एम० पल्लम राजू (काकीनाडा) : पूर्वी गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश, का सबसे बड़ा जिला है और इसकी आबादी लगभग 50 लाख है, फिर भी इसे भारत के नागर विमानन मानचित्र में कोई उल्लेखनीय स्थान प्राप्त नहीं है। यह एक ऐसा जिला है जो प्रधानत: कृषि पर आधारित है। इस क्षेत्र में गैस भंडारों का उपयोग करके भारी पैमाने पर उद्योग लगाये जा रहे हैं।

इस दृष्टि से काकीनाडा, जिला मुख्यालय की प्रगति की गति सर्वाधिक है। यहां दो

विशाल उर्वरक संयंत्र है और यहां राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का एक संयंत्र और नौसैनिक जल-भूमि युद्ध प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया जा रहा है। गैस भण्डारों की समीपस्थता के कारण गैर सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्यमी यहां कारखाने लगाने की पेशकश कर रहे हैं। पतन को भी एशियाई विकास बैंक से 134 करोड़ रुपये की सहायता लेकर गहरे जल के बन्दरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इन सभी कार्यकलापों के कारण और काकीनाडा के एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र बनने के लिए सन्नद्ध हो जाने के कारण इसका भारत के नागर विमानन मानचित्र में प्रमुख स्थान होना चाहिए। काकीनाडा को यथाशीघ्र अन्य शहरों से जोड़ने की तात्कालिक जरूरत है। आशा है कि नागर विमानन मंत्रालय इस पर गौर करेगे और इसे बजट सत्र और आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करेंगे।

(चार) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उसे उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के घनी आबादी वाले फरीदपुर कस्बे से बाहर ले जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, फरीदपुर (जनपद बरेली) का एक घनी आबादी वाला कस्बा है जिसमें छात्र/छात्राओं, व्यापारी वर्ग तथा आम जनता का आवागमन बना रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 जो कि क्षेत्र की घनी आबादी के अन्दर से होकर जा रहा है। भीड़-भाड़ होने के कारण वहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिसके कारण यातायात, आवागमन अवरुद्ध हो जाता है तथा समस्त वर्गों को भारी असावधानियों का सामना करना पड़ता है।

मेरा माननीय जलभूतल परिवहन मन्त्री महोदय से आग्रह है कि राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 24 के यातायात को घनी आबादी से कम करने हेतु एवं दुर्घटनाओं को रोकने हेतु शहर के बाहरी तरफ से मार्ग बनवाये जाने का कष्ट करेंगे।

(पांच) गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट, अहमदाबाद को नवीनतम उपकरण प्रदान किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा (पाटन) : गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद में शल्यचिकित्सीय रेडियो चिकित्सा, केमोलाजी, ग्रन्थी और प्रतिरक्षण चिकित्सा जैसी प्रक्रियाओं द्वारा कैंसर की रोकथाम, प्रारम्भिक अवस्था में ही इसके निदान और प्रति रक्षण चिकित्सा बहुमाडल उपचार को व्यापक कैंसर उपचार सेवायें प्रदान की जाती है।

गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान को भारत सरकार ने एक क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र के रूप में 1980 में मान्यता प्रदान की थी। वर्ष 1988-89 के दौरान यहां गुजरात कैंसर और अनुसधान सस्थान में 39636 रोगियों के नाम दर्ज किए गए थे, जिनमें से 14174 कैंसर के रोगी पाए गए जिनके रोग की पुष्टि क्लीनिकर रेडियोलाजी और पथ्य सम्बन्धी जाच से

हुई थी और गुजरात कैंसर और अनुसंधान केन्द्र ने उनका उचित उपचार किया। यह देखा गया कि कैंसर हस्पतालों में भर्ती किए गए 50 प्रतिशत रोगी निम्न आय वर्ग, याने 500 रुपये अथवा उससे कम आय वर्ग के थे।

भारतीय कैंसर चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दर्द निवारण संबंधी अनुसंधान के लिए गुजरात कैंसर और उपचार संस्थान का चयन किया है। गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान को कुछ और उपकरणों, जैसे, गामा कैमरा, अल्ट्रा साउण्ड उपकरण, वहनीय मम्मोग्राजी उपकरण, सीटी कैट स्केन आदि की जरूरत है ताकि संस्थान अधिक कुशलतापूर्वक कार्य कर सके।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संस्थान को ये उपकरण शीघ्र उपलब्ध कराये जायें।

(छः) मध्य प्रदेश में रीवा जिले के मांडो गांव में गैस की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों का दल भेजे जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : मध्य प्रदेश में रीवा जिले के माड़ो ग्राम में 6 फरवरी, 1991 को एक किसान श्री बी० के० सिंह अपने कुएं में बोरिंग करा रहे थे अचानक ही उस कुएं में प्राकृतिक गैस फूट पड़ी जिसके फलस्वरूप कुएं के मालिक श्री बी० के० सिंह तथा तीन केरल निवासी मजदूरों की हृदय विदारक मृत्यु हो गई। यह गैस माड़ो गांव के आठ किलोमीटर की परिधि के लगभग 50 गांवों में फैल गई तथा वहां के निवासी अपने बाल-बच्चों के साथ घर छोड़ कर बाहर भाग गए। चार दिनों तक लाशें कुएं में पड़ी रहीं। केन्द्रीय व प्रांतीय सरकार को सूचना दी गई किन्तु केन्द्रीय शासन की ओर से भी कोई वैज्ञानिक वहां नहीं भेजे गये। आज तक गैस के कारणों का पता नहीं चल सका है। मृतकों के आश्रितों को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। अतः मृतकों के परिवारों को कम से कम एक-एक लाख रुपयों की राशि मुआवजे के रूप में दी जाय तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों का एकदल वहां इस बात का पता लगाने के लिए भेजा जाए कि क्या वहां कच्चे तेल या प्रकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।

(सात) उत्तर प्रदेश में घाटमपुर के बीहड़ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान किए जाने की मांग

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर (कानपुर देहात) का अधिकांश क्षेत्र एवं उसके आस-पास का क्षेत्र यमुना नदी के बीहड़ों वाला क्षेत्र है तथा उस क्षेत्र में विकास के नाम पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है जिससे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, युवक बेरोजगार हैं, परिणामस्वरूप वह समूचा क्षेत्र दस्यु समस्या से सदैव ग्रस्त रहता है। दस्यु प्रभावित क्षेत्र होने के कारण वहां लोगों के मन में सदैव भय का वातावरण बना रहता है। इसी क्षेत्र में वर्ष 1981 में एक दस्यु महिला द्वारा 18 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी तत्पश्चात दस्यु उन्मूलन अभियान चलाया गया था, लेकिन उससे कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इस समस्या का स्थाई समाधान उस क्षेत्र का समग्र विकास ही है जिसके लिए

केन्द्र सरकार ने प्रदेश को इस योजना में सहायता के लिए कुछ धन देने का आश्वासन दिया था परन्तु अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि दस्यु उन्मूलन अभियान तथा बीहड़ सुधार योजना को प्रभावकारी बनाने, क्षेत्र का समग्र विकास करने तथा लोगों के मन से भय का वातावरण दूर करने के लिए प्रदेश सरकार को वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा उस सारे क्षेत्र में बीहड़ों को सुधारने, सड़कों को बनाने एवं अन्य विकास करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करके उसे यथाशीघ्र सम्पन्न किया जाए जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके तथा भय व आतंक का वातावरण दूर हो सके।

[अनुवाद]

(आठ) केरल के पालघाट जिले में कुन्निया कुट्टी कारापारा परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री ए० विजयराघवन (पालघाट) : केरल के पालघाट जिले के किसान काफी समय से कुन्नियारकुट्टी कारापारा परियोजना के लिए मांग कर रहे हैं। इस परियोजना से आधे जिले की सिंचाई हो सकेगी और बिजली की कमी को भी पूरा करने में सहायता मिलेगी। राज्य में पालघाट जिला ही एक ऐसा जिला है जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। हाल में प्रकाशित कुछ रिपोर्टों के अनुसार भविष्य में इस प्रवृत्ति के बढ़ने की सम्भावना है। केरल सरकार ने इस सम्बन्ध में एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दे।

———

1.46 म०प०

उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि 25 फरवरी, 1991 को भारत के उच्चतम न्यायालय से सहायक रजिस्ट्रार से एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें अध्यक्ष से 1991 की स्थानान्तरण याचिका (सिविल) सं० 105 के सम्बन्ध में कारण बताने के लिए कहा गया है। यह स्थानान्तरण याचिका जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर मामले को वापस लेने का अनुरोध किया गया है देखिए याचिका सं०—537/91, भारत के संविधान के अनुच्छेद 139 क (1) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में निपटान के लिए दायर की गई है जिसमें संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 तथा 7 की वैधता तथा संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।

सभा को सुस्थापित प्रक्रिया तथा परिपाटी के अनुसार अध्यक्ष ने नोटिस का जवाब न देने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष ने सम्बद्ध पत्रों को कानून तथा विधि मंत्रालय को उचित कार्यवाही करने के लिए भेजा गया है यदि उच्चतम न्यायालय को सही संवैधानिक स्थिति तथा सभा की सुस्थापित परिपाटी से अवगत कराया जा सके।

———

13.47 म०म०

सदस्य की गिरफ्तारी और जेल में रखा जाना

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि गृह आयुक्त दिसपुर का 25 फरवरी, 1990 का निम्नलिखित संदेश आज प्राप्त हुआ है :

'श्री रामेश्वर प्रसाद, संसद सदस्य को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर गुवाहाटी में गिरफ्तार किया गया तथा अब गुवाहाटी के मान बजार थाना में रखा गया है।'

13.47½ बजे

तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के संबंध में जारी की गई राष्ट्रपति उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प—(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सुबोध कांत सहाय द्वारा 25 फरवरी, 1991 को रखे सांविधिक संकल्प पर और आगे चर्चा करते हैं। श्री जसवंत सिंह भाषण दे रहे थे।

श्री जसवंत सिंह (जोधपुर) : मैं रुकी हुई चर्चा को शुरू कर रहा हूं। अपने भाषण के तारतम्य को बताते हुए मैं उस बात का सारांश प्रस्तुत करूंगा जो मैंने कल चर्चा रोके जाने के बाद कह रहा था।

चूंकि तमिलनाडु राज्य की परिस्थितियों के संदर्भ की कार्यवाही में कुछ बातें हैं मैं अपने मन के विचार को स्पष्ट करता हूं तथा विशेष रूप से बताता हूं कि इस संदर्भ में भाजपा का विचार क्या है। हमारा यह विचार है कि संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करना तथा राष्ट्रपति शासन लागू करना अतिवादी कार्यवाही है। हमारे विचार से राष्ट्रीय हित पर विचार करके ही ऐसा कदम उठाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ऐसा नियम लागू करते समय एक निर्वाचित विधान सभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा प्रकार के विसर्जन की कार्यवाही कार्यकारी हस्तक्षेप द्वारा जनादेश को समाप्त करने के समान है। यही कारण है कि मैंने असम राज्य, जहां विधिवत निर्वाचित विधान सभा को अपनी पूरी पांच साल की अवधि को पूरा करना था, तमिलनाडु राज्य, जहां पांच वर्ष के शासनादेशों में सिर्फ दो ही पूरे हो सके थे, के बीच के अन्तर को काफी संक्षेप में बताया है। यह एक खुला प्रश्न भी है। एक मिनट में मैं उन तर्कों को प्रस्तुत करूंगा जो माननीय गृह राज्य मन्त्री तथा कांग्रेस पार्टी के प्रथम मध्यस्थ द्वारा दिए गए हैं और यदि आप तमिलनाडु की राज्य विधान सभा को भंग करने के लिए ये सब तर्क देते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि यदि आप तमिलनाडु के लिए ऐसा करते हैं तो उत्तर प्रदेश में ऐसा करने से क्यों घबराते हैं या फिर आंध्र प्रदेश में क्यों ऐसा क्यों नहीं करते हैं जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है···(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै (करूर) : उन्हें ने राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के कारण ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था की एक मांग मानदंड नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : मुझे पिछले वक्ता द्वारा दिए गए तर्क की पूरी जानकारी है और मैं अपने मित्र श्री तम्बी दुरै द्वारा श्री चिदम्बरम की बातों को स्पष्ट करने के प्रयास की सराहना करता हूं। मैं श्री चिदम्बरम द्वारा बताई गई स्थिति की व्याख्या को पूरी तरह समझता हूं।

मैंने संक्षेप में सरकारिया आयोग का भी उल्लेख किया है तथा इस बात का भी उल्लेख किया है जो न्यायमूर्ति सरकारिया ने अनुच्छेद 356 को निरस्त करने तथा राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में कहा है। न्यायमूर्ति सरकारिया को उद्धृत किये बगैर यह कहना पर्याप्त होगा कि वास्तव में न्यायमूर्ति सरकारिया ने संविधान के जनक डा० अम्बेडकर का भी उल्लेख किया था। जिन्होंने यहां तक कहा था कि अनुच्छेद 356 एक अतिवादी कायम है तथा इसे सहज नहीं लिया जाना चाहिए तथा उनकी आशा थी कि तथा वास्तव में यह आशा संविधान के निर्माता तथा लेखक की थी कि ऐसा कदम उठाने के पहले संघ सरकार दोषी सरकार को चेतावनी देगी कि उन्हें कहां सुधार करने की आवश्यकता है। और मैंने भी इसी बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था कि इस संक्षिप्त सत्र में क्या घटनाएं घटी हैं जबकि मेरे हस्तक्षेप करने पर माननीय प्रधानमन्त्री ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। मैंने उस समय यह सुझाव दिया था कि संघ सरकार को अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि यदि संघ सरकार यह मान लेती है कि किसी राज्य में राज्य की सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है तो वह अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत ऐसे दोषी राज्य को निदेश जारी कर सकती है। मैंने प्रधान मन्त्री महोदय से यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि क्या अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत तमिलनाडु सरकार को निदेश जारी किए गए थे और क्या तमिलनाडु ने ऐसी गल्ती की थी। तब प्रधानमन्त्री महोदय ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत निदेश जारी करना अन्तिम कदम होता है और उससे वापस नहीं आया जा सकता। इसीलिए उन्होंने यह सुझाव दिया था कि वह इस प्रकार के निदेश नहीं जारी कर रहे हैं क्योंकि वह अन्तिम कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु में अचानक राष्ट्रपति शासन लागू करने से हम भौचक्के रह गए क्योंकि उस संक्षिप्त शीतकालीन सत्र और उससे भी छोटे इस संक्षिप्त बजट सत्र के बीच हमने अचानक पाया कि चन्द्रशेखर सरकार ने तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय ले लिया था। अतः मैं चाहूंगा कि सरकार यह स्पष्ट करे, यह स्पष्टीकरण मैं प्रधान मन्त्री से चाहता हूं और वह भी आज ही कि क्या केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को कुछ उपाय करने के लिए इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी किए थे और यदि उन्होंने अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत ऐसे निदेश जारी नहीं किए हैं तो उन्हें न जारी करने के क्या कारण हैं क्योंकि यह ऐसा उपबंध है जो विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू से सम्बद्ध है।

अब मैं गृह राज्य मन्त्री द्वारा अपने स्वागत भाषण में कहे विभिन्न तर्कों के प्रश्न को लेता हूं। और उन्होंने काफी गम्भीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि वस्तुतः तंजावुर जैसे जिलों

तथा अन्य 40 जगहों में सरकार का कोई प्रभाव नहीं है तथा वहां तमिलनाडु सरकार का आदेश नहीं माने जाते हैं। यदि मेरी याददाश्त सही है, तो उन्होंने कहा था कि इन जगहों पर लिट्टे का शासन चलता है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि लिट्टे की सचार व्यवस्था बहुत व्यापक है तथा वह भारत के माध्यम से हथियारों का व्यापार कर रहा है और वह तस्करी तथा तमिलनाडु राज्य में अलगाववादी गतिविधियों में संलग्न है। उन्होंने लिट्टे तथा उल्फा के परिप्रेक्ष्य में भारत-श्रीलंका के सम्बन्ध में राज्य को सम्बन्ध बनाये रखने की अनुमति दिये जाने के हानिप्रद परिणामों के बारे में भी बताया।

माननीय मन्त्री महोदय ने इस बात का सुझाव दिया था और अस्पष्ट रूप से कहा कि :

[हिन्दी]

वे एक तरह से सम्बन्ध स्थापित कर रहे थे।

[अनुवाद]

महोदय, तमिलनाडु में इस सारी स्थिति में वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि का हाथ होना बहुत ही गम्भीर आरोप है। मैं गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री के वक्तव्य के इस विरोधाभास से चकित हूं क्योंकि इतने गम्भीर किस्म के इतने आरोप लगाने वाले इस व्यक्ति ने पिछली सरकार में इसी विभाग में इसी पद पर कार्य किया था। अब मेरे लिए इस बात पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि तमिलनाडु में हो रही इन गम्भीर घटनाक्रमों की जानकारी उन्हें पिछली सरकार के वक्त नहीं थी।

श्री आर० मुथिया (पेरियाकुलम) : भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने उन्हें ऐसा निर्देश दिया होगा।

श्री जसवंत सिंह : संभवतः ऐसा हो। यह संभव है पर इसका स्पष्टीकरण उन्हीं को करना चाहिए। कि इसके बावजूद तमिलनाडु में इतनी गम्भीर स्थिति है और यदि उन्हें सभा को यह बताना था कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था तो मुझे विशेष चिंता होती है और यदि माननीय राज्य मन्त्री यह कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी थी और इसके बावजूद सरकार के तात्कालिक अध्यक्ष अथवा तात्कालिक केन्द्रीय गृह मन्त्री या तात्कालिक प्रधानमन्त्री से उन्हें ये सब बातें न बताने के निदेश मिले थे तो ऐसी स्थिति में मुझे दूसरी प्रकार की चिंता होती है। इन दोनों में से कोई भी चिंता छोटी नहीं है, न ही इन्हें कम करके आंका जा सकता है। मैं इस अवसर का उपयोग केन्द्रीय राज्य मन्त्री के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाने के लिए नहीं करना चाहता हूं। जब अवाबदेही लगातार जारी रही हो और उसके मामले अब उभरे हों तो इन मामलों की वैधानिकता के बारे में हम आश्वस्त नहीं रह सकते हैं। अपनी इस चिंता को व्यक्त किये बिना मैं नहीं रह सकता क्योंकि मैं यदि ऐसा करता हूं तो मैं अपनी जवाबदेही का निर्वाह करने में असफल रहूंगा तथा बेईमान साबित होऊंगा और यह सभा बेइमानी के लिए नहीं है। यदि मेरे संदेहों का निराकरण कर दिया जाय तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

महोदय, शिवगंगा से निर्वाचित माननीय सदस्य जिन्होंने गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री का

कार्यभार संभाला था। (व्यवधान) इस बारे में रामपुर के नवाब साहिब ने भी मेरी जानकारी को सही किया और बताया कि उन्होंने भी आंतरिक सुरक्षा का कार्य भार संभाला था। वह तमिलनाडु सरकार के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाना चाहते थे तथा मैं समझता हूं कि यदि तमिलनाडु सरकार के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो पिछली सरकार भी इन आरोपों से मुक्त नहीं रह सकती है।

14.00 बजे

दुर्भाग्यवश सहकारी समितियों के चुनाव तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण जैसी चीजों में दखल देकर उन्होंने अपने हस्तक्षेप को संकीर्ण बना दिया है। ये सब ऐसे मामले हैं जिसका राष्ट्रपति शासन के बारे में चल रही वर्तमान बहस से वस्तुतः कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बात मुझे अच्छी तरह पता है कि यदि आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति अत्यधिक महत्व की बात है तो भी इस बात को राज्यों के प्रादेशिक कायकरण के बारे में हो रही चर्चा के समय उठानी चाहिए न कि राष्ट्रपति शासन पर बहस के समय, किन्तु केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री के हस्तक्षेप तथा प्रारंभिक भाषण में लिट्टे का जिक्र था। तमिलनाडु में लिट्टे और इसकी गतिविधि के सवाल पर भाजपा का विचार हमेशा स्पष्ट रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, जो अब फतेहपुर से माननीय सदस्य हैं, ने एक सभा में श्रीलंका में व्याप्त स्थिति के बारे में हमारे विचार पूछे थे, तो सिर्फ एक वाक्य में ही मैंने यह कहा था कि भाजपा का और मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि लिट्टे की लड़ाई जायज हो या नाजायज, भारत को या तमिलनाडु को किसी भी हालत में उसका आश्रयभूमि (पश्चप्रदेश) नहीं बनना चाहिए, बाद में जब माननीय प्रधान मन्त्री तथा विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं ने इस समस्या के बारे में और ढंग से बात करना शुरू किया तो मुझे विस्मय भी हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शीघ्र समाप्त करें, आपकी पार्टी को सिर्फ 27 मिनट दिए गए हैं।

श्री जसवंत सिंह : मुझे भी समय का ख्याल है और मैं अपने भाषण को यथाशीघ्र समाप्त करूंगा···(व्यवधान) हम यह महसूस करते हैं तथा यह मानते हैं कि लिट्टे अपने देश श्रीलंका में चाहे जो करे किन्तु उसके लिए भारत को या तमिलनाडु को उसका आश्रय स्थल नहीं बनाया जा सकता है। किन्तु मैं अपने से चूक जाऊंगा यदि मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर न आकर्षित करूं कि मैं 1983 से ही श्रीमती गांधी की सरकार सहित सभी सरकारों का ध्यान भारतीय राजनीति में लिट्टे की भूमिका की ओर आकृष्ट करता रहा हूं। अगस्त, 1983 से लेकर जुलाई 1987 तक की अवधि के दौरान जबकि जल्दबाजी में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे तमिलनाडु में लिट्टे के 31 शिविर विद्यमान थे। अब सरकार ने भी यह स्वीकार किया है कि तमिलनाडु की तात्कालिक सरकार के द्वारा लिट्टे को 4 करोड़ दिए गए थे। सच बात तो यह है कि लिट्टे के दिमाग को विकृत कर दिया गया था।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि तात्कालिक तमिलनाडु सरकार ने लिट्टे को 4 करोड़ रुपए दिए थे। यह घन शरणार्थियों की

परेशानी को दूर करने के लिए दिया गया था, न कि हथियारों की खरीद तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए। स्वर्गीय श्रीमती गांधी के शासन काल में जब श्रीलंका की सरकार के द्वारा यह आरोप लगाया गया था तो भारत सरकार ने प्रैस द्वारा भारत में ऐसे किसी भी शिविर के अस्तित्व से इंकार कर दिया था। यह बिल्कुल सच है।

श्री जसवंत सिंह : यदि यह खंडन मेरे मित्र तम्बि दुरै के बजाय गृह मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मन्त्री ने किया होता तो मुझे खुशी होती। अब हम लिट्टे के कार्यकरण और क्रमशः केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा उन्हें दी गई सहायता के बारे में स्पष्ट रूप से जांच कर रहे हैं। यदि हमने सिर्फ एक के द्वारा की गई गलतियों पर विचार किया और निरन्तर की जाती रही गलतियों को नजरअंदाज किया तो हम राष्ट्रीय हित का ध्यान नहीं रख सकेंगे।

मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पाऊंगा, यदि मैं यह न बताऊं कि लिट्टे को हथियारों का प्रशिक्षण देने तथा उन्हें हथियार देने का काम खुद आई० बी० तथा आर० ए० डब्ल्यू० ने ही किया था जिसके फलस्वरूप वहां के आई० पी० के० एफ० से उन्होंने मुकाबला किया। आई० पी० के० एफ० के 3800 के हताहत होने का कारण आर० ए० डब्ल्यू० तथा आई० बी० की अदूरदर्शिता है जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

मेरी चिंता को न तो मान्यता दी जा रही है ना ही समझा जा रहा है। यदि इन 31 प्रशिक्षण शिविरों को चार करोड़ रुपये नहीं दिए गए होते और यदि उन्हें आर०ए०डब्ल्यू० तथा आई०बी० के द्वारा अगस्त 1983 से जुलाई 1987 के बीच प्रशिक्षण न दिया गया होता तो श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की ऐसी दुर्दशा न होती। यह एक ऐसा आरोप है जिसे बहस करके नहीं टाला जा सकता है, इसके बारे में तो केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री ही कुछ कह सकते हैं। यही कारण है कि जब यह आरोप लगाया जाता है कि तमिलनाडु के प्रसंग में लिट्टे का अभ्युदय अचानक हुआ है तो विश्वास नहीं होता है। हम यह मानते हैं कि वहां की परिस्थिति विकट हो गई थी, असह्य हो गई थी तथा डी० एम० के० की सरकार वहां इस तरह से काम नहीं कर रही थी कि जिससे राष्ट्रीय हित के बारे में हमारा विश्वास बन सके। पर जिस तरह मैं उपरोक्त बात कहने को तैयार हूं उसी तरह अगस्त 1983 से जुलाई 1987 तक के जो हालात रही है उसके बारे में भी मैं यही कहूंगा कि यह समस्या हमें विरासत में मिली थी। इसीलिए हम लोग यह निरन्तर कहते रहे हैं कि श्रीलंका में लिट्टे की लड़ाई का आश्रय स्थल इस देश में न बनने दिया जाए।

31 जनवरी को दिए गए बयान के अलावा सरकार द्वारा दिए गए एक वक्तव्य में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 356 को लागू करने का एक अन्य कारण यह भी है कि श्रीलंका के तमिल उग्रवादियों से निबटने में राज्य सरकार असफल रही थी और वह कार्यवाही करने से झिझक रही थी। माननीय मन्त्री ने जो कुछ कहा है उसके अलावा भी मैं यह चाहूंगा कि वह इस बात को स्पष्ट करें। उन्हें इसका प्रमाण कैसे मिला कि डी० एम० के० सरकार इस कार्यवाही के प्रति अनुच्छिक है। अनुच्छेद 256 को लागू करने के बारे में मैंने सीधे एवं विशेष रूप से पूछा है।

जब राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसे गम्भीर विषय की बात हो तो हमें पृथक-पृथक मामले पर पृथक-पृथक रूप से विचार करना पड़ता है। प्रजातांत्रिक नियमों के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए रामपुर से निर्वाचित माननीय सदस्य या किसी अन्य किसी मित्र को हमें सफाई देनी पड़ेगी। मैं भाजपा के प्रांतीय इकाई के अध्यक्ष के वक्तव्य का समर्थन करता हूं। श्री जन कृष्णमूर्ति तमिलनाड़ में राष्ट्रपति शासन की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। मैं श्री जन कृष्णमूर्ति की बातों का तथा भाजपा की प्रांतीय इकाई की मांग का मैं अभी भी समर्थन करता हूं।

जब भी संघ के किसी प्रांत पर सीधे केन्द्रीय शासन लागू किया जाता है तो इससे हमें खुशी नहीं होती है। अतः मेरे दो अनुरोध हैं। पहला यह है कि केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री तथा शिवगंगा से माननीय सदस्य श्री पी० चिदम्बरम के द्वारा डी० एम० के० सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोप इतने गम्भीर हैं कि तमिलनाड़ राज्य में विशेषकर लिट्टे के वर्तमान कार्यकलापों गतिविधियों तथा हस्तक्षेप के परिप्रेक्ष्य में डी०एम०के० सरकार की गतिविधियों के बारे में एक श्वेत-पत्र जारी किया जाना चाहिए।

इस तरह थोड़ा सा बता देने भर से काम नहीं चलेगा। हम एक श्वेतपत्र चाहते हैं।

दूसरे, जो कुछ हुआ है, मैं उसकी विस्तृत जांच की मांग को लेकर शिवगंगा के अपने मित्र के साथ हूं। यदि आवश्यक हो, तो अब जो कुछ किया गया है, उसकी जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की जाए। सरकार का यह बताना सबसे अहम है कि जो शस्त्र जब्त किए गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है, तमिल इलाम के कितने मुक्ति चीते पकड़े गए हैं, आप तमिलनाडु में प्राधिकार और शासन की बहाली के लिए क्या करने जा रहे हैं।

मैं इस बात से अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो कदम उठाया गया है, हम उसका स्वागत तो करते हैं, किन्तु अनिच्छा से, अब भी हमें कुछ परेशान करने वाली शंकाएं हैं, राजनीतिक प्राधिकारविहीन एक अल्पमत सरकार, जो प्रशासनिक मूल शक्ति से वंचित है और कांग्रेसी राजनीतिक मालिकों के तेवरों-मिजाज के सहारे है, वह खासकर तमिलनाडु जैसे अविच्छिन्न और महत्वपूर्ण राज्य में इन सभी बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी को इसी बात की बेहद फिक्र है और हम भी इसी बात से फिक्रमन्द हैं।

इसीलिए हमने अनमने मन से तमिलनाडु को राष्ट्रपति शासन के अधीन लाए जाने की अपरिहार्य आवश्यकता को स्वीकार कर लिया। हम इस घटनाचक्र से प्रसन्न नहीं है। हमारा सरकार से आग्रह है कि वह अब भी कुछ कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे देश की जो धुरी है, उसमें विभिन्नता में एकता है और उसका आधार हमारा संघीय ढांचा है। जितने पिछले कुछ महीनों के अन्दर हमारे संघीय ढांचे पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, शायद ही कभी पहले खड़े हुए हों। संघीय ढांचे का एक आधार यह है कि राज्यों में वहां की जनता को अपनी सरकार चुनने

का अधिकार हो और उसको अपनी अवधि तक चलने का अधिकार मिले जब तक कि कोई ऐसा संवैधानिक संकट न हो। पहले जब भी किसी सरकार को हटाने की बात उठाती थी तो कम से कम इस औपचारिकता का निर्वाह होता था और इस बारे में राज्यपाल की रपट ले ली जाती थी लेकिन अब की बार राज्यपाल की रपट की औपचारिकता का भी निर्वाह नहीं किया गया। राज्यपाल सम्भवतः उस समय दिल्ली में थे जिस रात को यह आदेश हुआ। मैं नहीं जानता कि प्रधानमन्त्री जी ने औपचारिक रूप से उनसे सलाह की या नहीं और वहां की स्थिति के बारे में जानकारी ली या नहीं? राज्यपाल जी की जिम्मेदारी राष्ट्रपति जी के प्रति होती है। उनको ऐसा कोई अवसर मिला या उनको इस तरह से बुला कर रपट या जानकारी ली गई या नहीं मुझे मालूम नहीं।

एक प्रश्न आता है

[अनुवाद]

राज्यपाल के रिपोर्ट पर या अन्यथा

[हिन्दी]

अदरवाइज प्रेज जो हैं, हम उसका उपयोग करते हैं। अगर ऐसे राज्य सरकारें हटा दी जायेंगी तो किसी भी राज्य सरकार के सामने एक बहुत बड़ी आशंका हर समय बनी रहेगी कि इस क्लॉज के अन्दर चाहे राज्यपाल की रपट आये या न आये, कभी भी हमें हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं भविष्य में ऐसी परिपाटी के दरवाजे खुल जायेंगे। ऐसी आशंका बनी रहने से हमारे संघीय ढांचे में जो एकात्मकता है, उस पर गहरा आघात पड़ता है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि विधान सभा भंग करने की क्या बात है? मान लीजिए कोई भी और चीजें हों, जो सरकार तर्क देती है, लेकिन ऐसे में विधान सभा को भंग करना जनमत का हनन करना है और जनता के अन्दर कुण्ठा पैदा करना है क्योंकि कोई कारण नहीं है कि एक चुनी हुई विधान सभा को भंग कर दिया जाए। जबकि कोई ऐसा आधार नहीं है और यही आधार होता है कि जब न्याय होता है तो वहीं से अलगाववाद का भी एक बीज बोने का रोपण होता है और बार-बार जनता सोचती है इस व्यवस्था के अन्दर अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हर अन्याय जो है, वहां पर कहीं न कहीं लकीर खींच दी जाती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह का अन्याय करके लकीर खींचने का काम इस सरकार ने किया है। जो कि हमारे देश की एकता के लिए, उसकी भावनात्मक एकता के लिए घातक है।

मैं तमिलनाडु गया था और अन्य राज्यों में भी गया था, एक मंच पर एक ऐसा अवसर आया कि श्री नम्बुदरीपाद बैठे थे और उनकी बगल में श्री एन० टी० रामाराव और करुणानिधि जी भी बैठे थे, श्री बोम्मई उस समय दूसरे राज्य में थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि 356 के उपयोग के ये जीते-जागते उदाहरण दक्षिण के राज्यों के है। उस समय क्या भावना पैदा हुई और उसके बारे में हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की बात है? अब रही बात लॉ एण्ड आर्डर की, इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि करुणानिधि जी लॉ सम्भालते रह गए और आर्डर जय ललिता जी की ओर से आ गया। इसीलिए राजनैतिक रूप से अगर देखा जाए तो मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए करुणानिधि जी की सरकार का कत्ल किया। असली जो राजनैतिक तथ्य है वह यह है कि हम लोगों को जो बताया जाता है कि डेड लाइन्स थीं कि अगर सरकार नहीं हटाई जाती है तो सपोर्ट हटा लिया जाएगा। इसलिए हमारा

ख्याल है कि कांग्रेस से भी कुछ राय इसकी पुष्टि करते हुए जरूर आएगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै : हमारे दल ने कभी सशर्त समर्थन नहीं दिया, जय ललिता जी ने भी एक प्रैस वक्तव्य में यही कहा था कि श्री चन्द्रशेखर को कोई सशर्त समर्थन नहीं दिया जा रहा है। हमने उस आरोप को झूठा बताया है···(व्यवधान)। हम इस आरोप को झूठा कहते हैं। (व्यवधान)

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : हम वहां नहीं हैं। यही हमारे बिना शर्त समर्थन का प्रमाण है। (व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : हमारे समर्थन के बिना भी वे सरकार चला सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बहरहाल कुछ ऐसा आभास होता है, अगर बाण्डेड लेबर एक्ट का कहीं उपयोग करना है, तो बाण्डेड लेबर एक्ट का उपयोग करके सरकार को वही कराना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० वेंकट रेड्डी (अनंतपुर) : महोदय, क्या मैं पूर्व प्रधानमंत्री से अंग्रेजी में बोलने का अनुरोध कर सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें, तो अनुवाद सुन सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं अंग्रेजी में बोल लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं माननीय सदस्य की बात मान सकता हूं।

एक बात और महत्वपूर्ण है। हमने कई बार अखबारों में पढ़ा है कि श्री करुणानिधि जी जितनी भी बार प्रधानमन्त्री से मिले, उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि "वहां ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप अपनी सरकार के बारे में चिन्तित मत होइये।"

हमने वक्तव्य देखा है। करुणानिधि जी ने निजी तौर पर मुझे बताया था कि उन्होंने सदा ही ऐसा आश्वासन दिया। (व्यवधान)

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दन : ये कूटनीति का प्रश्न हैं। कोई प्रधानमंत्री यह नहीं कहेगा "मैं तुम्हारी विधान सभा भंग कर दूंगा।"

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब आपका समय आए, तब आप अपना जवाब दे सकते हैं, आप पूरा भाषण दे सकते हैं। मगर मैं तो अपनी बातें कह रहा हूं। आप बारी आने पर जवाब

दे सकते हैं। हां, तो कुल मिलाकर यही करुणानिधि जी ने मुझे बताया था, उन्होंने कहा "मैं जब कभी मिला, उन्होंने कोई पूर्वाभास नहीं दिया और यही कहा "बेफिक्र रहो, और इस बारे में और आश्वस्त रहो।"

ये गम्भीर बातें थीं। और कम से कम मुख्यमन्त्री को कुछ तो आभास हुआ होगा। अचानक कुछ रोज के भीतर ही तमिलनाडु में सबकुछ गड़बड़ा जाता है। वहां कोई भरोसा नहीं है क्योंकि विभिन्न मंत्रियों, और साथ ही प्रधान द्वारा किए गए पिछले प्रमाण पत्रों में करुणानिधि को इस बात से आस्वस्त किया गया है कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। (व्यवधान) यदि आप कानून और व्यवस्था का प्रश्न लें, तो यदि आप उत्तर प्रदेश को देखें तो···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मिली-जुली बातें न करो। वरना रोकना बहुत कठिन हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि आप उत्तर प्रदेश, बिहार अथवा गुजरात को देखें, तो वहां तो कानून और व्यवस्था की हालत तमिलनाडु से भी बदतर है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्वयं पर नियन्त्रण कीजिए। कृपया चुप हो जाइये।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उत्तर प्रदेश, गुजरात में जो दंगे हुए हैं, अथवा जहां नक्सलवादियों की समस्या है, हर तरह से मिलाकर यह कहना कि हमने कानून और व्यवस्था की वजह से ऐसा किया, उचित नहीं लगता। जहां तक कानून व्यवस्था का मामला है, देश में किसी को यह महसूस नहीं हुआ कि वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। वस्तुतः यह सच है कि जहां तक दंगों की बात है, बिहार और उड़ीसा में जहां जनता दल सरकार है, पश्चिम बंगाल और केरल में जहां वामपंथी सरकार है, तमिलनाडु में जहां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सरकार है, केवल यहीं दंगे नहीं हुए, वरना अन्यत्र सब कहीं दंगे हुए। वस्तुतः यह स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि द्रमुक, वामपंथी सरकार और राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार की यह उपलब्धि रही है।

कल चिदम्बरम जी ने एक लम्बा वक्तव्य दिया था जिसमें तथ्यों का तिथिवार ब्योरा दिया गया था। उन्होंने तस्करी की बाबत भी कहा था। खशोगी के पार्टी प्रेजीडेन्ट द्वारा स्वागतोपरान्त तस्करों से ऐसी एलर्जी कैसे हो गई ? जो भी हो हम तस्करों के साथ आनन्द नहीं करते। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : हाजी मस्तान ने तुम्हें खत लिखा, खशोगी मुझसे नहीं मिला।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ये तो आरोप ही है। किन्तु यह तो व्यक्तिगत आरोप है। आओ तमिलनाडु के घटनाचक्र को हम थोड़ा और गहराई से देखें। मैं आपको 1983 से पहले के समय में ले जाता हूं जब श्री लंका की वेल्लिकडई कारागार में नरसंहार के बाद, 1983 में ही तमिल विरोधी दंगे होने लगे थे। उसी समय से तमिल ईलाम के मुक्ति चीते, ईलाम जनमुक्ति

मोर्चा, पी० एल० ओ० टी० ई०, टी० ई० ए०, ई० एन० डी० एल० एफ० ई० पी० डी० बी० और टी० ई० एल० ओ० के तमिल विद्रोहियों के दल तमिलनाड के कई हिस्सों में घुस गए और वे 1983 से बार-बार शिविर लगाकर सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। क्य यह सच नहीं है? कई बातों का उत्तर देना है। क्या तमिलनाडु के विभिन्न भागों में ये प्रशिक्षण शिविर नहीं थे? तमिलनाडु के विभिन्न भागों में 31 प्रशिक्षण शिविर थे। (व्यवधान) आपको कई सवालों का जवाब देना है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप भी मन्त्रिमण्डल थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वित्तीय सहायता दी गई थी। (व्यवधान) किन्तु मैं किसी बात का खण्डन नहीं कर रहा हूं, कृपया बैठ जाइये। आप क्यों बीच में बोलने लगते हैं। जब मैं भर्त्सना करता हूं, तो सच्ची ही करता हूं। मैं इसका खण्डन नही कर रहा हूं। आप करिये। मैं तो सही बात कह रहा हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : आप इसकी भर्त्सना भी नहीं कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तब तो आप इस बात से सहमत ही हों जाइये। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : तब हम विरोधी दलों में थे। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ये बात कार्यवाही वृतान्त में दर्ज की जाए कि उन्होंने इसकी भर्त्सना नहीं की। उस समय अखिल भारतीय अन्नाद्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सत्ता में थी और उसका भी इन सभी समूहों के प्रति सहानुभूति का रुख था फिर भी कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी के अनेक मामले हुए। 1984 में मीनाम्बकम हवाई अड्डे पर बम विस्फोट की दो बड़ी दुर्घटनायें हुईं जिसमें 30 व्यक्ति मारे गये थे, और मद्रास में ई० पी० आर० एल० एफ० और जनता के बीच झड़पें भी हुई।

हम हर बात की गहराई में न जाकर, वहां जो हो रहा है, उसको लेकर एक-दूसरे के प्रति ईमानदार रहें।

डा० तम्बि दुरै : उस समय आप कांग्रेस में थे और आपको यह सब कहने की जरूरत महसूस नहीं हुई।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह आप नाराज क्यों हो रहे हैं। मैं सच्चाई में अपना कुछ भी नही जोड़ रहा हूं और तथ्यों से आप बौखला रहे हैं। यदि मैं अपनी टिप्पणी भी दे दूं, तो क्या हो जाएगा?

श्री तम्बि दुरै : आपने 1983 में जो कुछ किया मैं उससे क्षुब्ध हूं। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम तथ्यों पर विचार करें। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। वस्तुतः उस तरफ से टिप्पणियों की जा रही हैं।

हाल के इतिहास की कहता हूं, उसके बाद हुआ यह कि 7.11.1986 को तमिलनाडु पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया जिसमें उन्होंने मद्रास में विभिन्न श्री लंकाई तमिल

उग्रवादी समूहों से शस्त्र जब्त कर लिए शस्त्र बाद में लौटा दिए गए थे।

श्री आर० मुथैया (पेरियाकुलम) : मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा।

श्री आर० मुथैया : मैं जानना चाहूंगा कि 1983 में हुई वारदात महज एक हादसा थी, या सोच-विचार कर की गई थी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एम० जी० आर० सरकार ने बाद में एस० टी० टी० ई० को हथियार लौटा दिए थे···(व्यवधान)···श्री लंकाई तमिलों के विभिन्न उग्रवादी समूहों से जो हथियार जब्त किए गए थे, उन्हें एम० जी० आर० सरकार ने बाद में लौटा दिया था। हालांकि वे विभिन्न समूहों से जब्त किए गए थे, किन्तु वे लौटाए गए सिर्फ तमिल ईलाम के मुक्तिचीतों को ही, न कि उन्हें जिनके हथियार थे : यह भी सच है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सेलम) : यह झूठ है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 30 अप्रैल, 1987 को तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन ने मद्रास में तमिल ईलाम के मुक्तिचीतों के प्रतिनिधियों को दो चैकों के रूप में 3 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपए, कुल 4 करोड़ रुपए दिए थे। दूसरे पहलुओं की श्री चिदम्बरम को अवश्य भलीभांति जानकारी होगी। मैं अन्य क्षेत्रों में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे लिए उनके कार्यकलापों के अन्य क्षेत्रों पर विचार करना उचित नहीं होगा।

कुल मिलाकर तमिल ईलाम के मुक्तिचीतों को गिरफ्तार किया गया। हाल के इतिहास को कहता हूं—8-8-1988 को मद्रास और मदुराई में तमिल ईलाम के 142 मुक्ति चीतों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। 11.9.1988 को 15 और गिरफ्तार किए गए। जब आई० पी० के० एफ० के साथ वैमनस्य शुरू हुआ, तो इस प्रकार गिरफ्तार किए गए तमिल ईलाम के 157 मुक्ति चीतों को बाद में रिहा कर दिया गया, और 9.10.1988 को भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा श्रीलंका भेज दिया गया। अब आप लोग सशास्त्र विद्रोह आदि की बातें कर रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : हम इसे मानते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय यह सच है और वे इसे स्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान) यह बात कार्यवाही वृतांत में शामिल की जाए कि श्री चिदम्बरम ने इन सभी बातों को स्वीकार किया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब क्या मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूं कि वे भाषण के दौरान कोई चर्चा न छोड़े ? इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। (व्यवधान) पहले मुझे यह कहने दीजिए। आप हर बार उठ खड़े होते हैं। इसकी अनुमति नहीं है। यह ठीक नहीं है और यदि आपके भाषण के दौरान कोई उठ खड़ा हो जाएगा, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को समझता हूं कि श्री वी०पी० सिंह को बिना व्यवधान के बोलने दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हर किसी सदस्य को बिना टोका-टाकी के भाषण करने दिया जाना चाहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : उन्हें बिना व्यवधान बोलने दिया जायेगा, उन्हें अपनी बात पूरी कहनी चाहिए। किन्तु मैं दो बातें कहना चाहता हूं। (व्यवधान)। कल व्यवधान आए थे और मैंने उनके चलते भाषण किया था। वस्तुतः मैं उनके व्यवधान के दौरान बीच में बोल रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसे आज भी इस सभा में जारी रखा जाना चाहिए ?

श्री पी० चिदम्बरम : हम आज ऐसा नहीं करेंगे। किन्तु यदि वे मुखाग्र वक्तव्य देते हैं, यदि वे हमारा जिक्र करते हैं, तो हमें उसका उत्तर देने का अवसर मिलना ही चाहिए। यदि वे जिक्र करते हैं, तो उन्हें कभी न कभी झुकना ही पड़ेगा क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिदम्बरम, यह तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री पी० चिदम्बरम : उन्हें किसी का जिक्र न करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक बात।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, वे जिक्र न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सही है। आप इस मुद्दे पर जो कुछ कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं। कल आप एक घंटा बोले थे, अब आपके दल के कुछ सदस्यों को पुनः बोलना है, उन्हें उत्तर देने दीजिए; हम व्यक्तिगत संदर्भ नहीं देंगे और आपस में बात न करें। हां, श्री वी० पी० सिंह।

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुण्डु (बालासोर) : महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको यह बता दूं। (व्यवधान) कल श्री चिदम्बरम ने सब कुछ कहा था।**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को यह बता दूं कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री बहुत गम्भीर मुद्दे पर बोल रहे है ? हममें उनकी बात सुनने का शिष्टाचार होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री शिकिहो सेमा (नागालैंड) : हर सदस्य की बात इसी प्रकार सुनी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। किन्तु वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कई बातों की

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

आनकारी है ।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं 4 फरवरी, 1988 के "फारईस्टर्न इकानामिक रिव्यू' में छपे एक समाचार को उद्धृत करता हूं जिसमें कहा गया है :

"तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों को तमिलनाडु में विशेष दर्जा मिल गया है, वे स्वतंत्र रूप से शस्त्रों का आयात कर उनके जखीरे बना रहे हैं । तमिल ईलाम में मुक्ति चीतों को एम० जी० आर० और उसके दल का पूर्ण समर्थन प्राप्त है ।"

इसमें आगे कहा गया है :

"जब तक एम० जी० आर० जीवित रहे, तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों की तेज गतिवाली नौकायें तमिलनाडु और जाफना के उत्तरी तट के बीच लगभग हर रात निर्विघ्न रूप से आती जाती थीं ।"

महोदय, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार ने 27 जनवरी, 1989 को पदभार ग्रहण किया था । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें इस तरह न टोकिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, 16 मार्च को जब मुख्यमन्त्री दिल्ली आए, तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने उन्हें यह सुझाव दिया कि तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों से श्री लंका में उत्तरपूर्वी प्रान्तीय परिषद के फिर से बनाने की पेशकश की जा सकती है जिसमें कि उन्हें बहुमत दिया जाए और यदि आवश्यक हो, तो तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री को स्वयं अथवा ससद सदस्यों के शिष्टमंडल के साथ इस प्रयोजन के लिए श्रीलंका जाना चाहिए । यह मार्च 1989 की बात है जब भारतीय शान्ति सेना वहां थी और उनकी तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों के साथ झड़पें शुरू हो गई थीं, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मुख्यमन्त्री से यह अनुरोध किया था कि वे तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों के साथ सम्पर्क साधें । (व्यवधान) । मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं । किन्तु सच्चाई तो सच्चाई है, और अब आपको यह शोभा नहीं देता कि आप दूध के धुले बनें । (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : श्रीलंका के साथ हुए समझौते के बारे में क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तथापि 25 मार्च, 1989 तक तमिलनाडु की राजनीति बदल गयी तथा अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक तथा कांग्रेस एक साथ आ गए और उस नीति का अनुसरण नहीं हुआ । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रकार खड़े होंगे तो आप बोलेंगे तब मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप हर बार खड़े होकर इतनी सारी बातें कहें। आप इन सब बातों को अपने भाषण में कह सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मई, 1989 में मुख्यमन्त्री ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी को, जब वे मद्रास से जा रहे थे, तब बताया था—मैं स्थान तथा तराख बता रहा हूं—

कि इन प्रयासों को तेज करने में देरी का दुर्भाग्यशाली परिणाम यह हुआ है :

कि लिट्टे श्रीलंका सरकार से सीधी बातचीत के लिए और करीब आ गई है। तमिलनाडु में राजनीति में परिवर्तन के बाद वे सुस्त हो गए। उस समय प्रधानमन्त्री द्वारा जो प्रयास स्वीकृत किए गए थे, उन पर जोर नहीं दिया गया। अतः वे लिट्टे के माध्यम से श्रीलंका सरकार के पास नहीं गए थे।

इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने थिरू मरोसोली मारन संसद सदस्य से निवेदन किया था कि वह अगले दिन दिल्ली में उनसे मिलें तथा उन्हें सूचित किया कि लिट्टे को यह बता दिया जाए :

कि वे राष्ट्रपति प्रेमदासा के साथ सीधी बातचीत करने से अपने आप को रोकें। और यदि वे ऐसा करते तो भारत सरकार इस बात तक के लिए तैयार थी कि उनके लिए एक स्वतंत्र राज्य हासिल कराती। यह सब कुछ हो रहा था आपको बहुत जवाब देही करनी है। (व्यवधान)

आप इसका खण्डन करें। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : इनके हाथ में रिपोर्ट की प्रति है और वह उस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। वह ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कि यह उनका अपना भाषण हो। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है। हो सकता है राष्ट्रीय आवश्यकता ही ऐसी रही हो, कि यही एक सही तरीका हो। मैं इससे असहमत नहीं हूं। परन्तु बात यह है कि हमें एक-दूसरे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। यदि ऐसा था तो अब हमें त्याग नहीं करना चाहिए और अब कहें उनके सम्पर्क थे; जबकि आप पूछ रहे थे। वे उन्हें यह बताए तथा उनसे सम्पर्क स्थापित करें और उनके सम्पर्क में रहें। (व्यवधान) नहीं, नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय हित में इसकी जरूरत हो सकती थी। सम्भव है वही सही रास्ता हो। मुद्दा यह था कि दिल्ली से कहा गया था कि करुणानिधि लिट्टे के साथ अपनी बातचीत जारी रखें। (व्यवधान) वास्तव में जब हमारी सरकार आयी तो हमें भी यह दिलचस्पी थी कि तमिल मूल के लोगों की लोकतान्त्रिक आकांक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए; तथा जिन अधिकारों के बारे में वायदा किया गया था वह दी जानी चाहिए तथा शक्ति का हस्तांतरण होना चाहिए। हमारी नजरों में यही सही था कि तमिल मूल के विभिन्न लोग एक साथ मिल जाने चाहिए। यदि वे एक जुट हो जाते हैं तो वे अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर पायेंगे और यह हमारे राष्ट्रीय हित में होगा यह बात स्पष्ट थी। अतः हमने यह भी कहा है, कि यदि आप इस बात के लिए प्रयास करें कि वे एक जुट हो सकते हैं तथा तमिल मूल के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है; यह कि वांछनीय भूमिका होगी और हम

श्रीलंका की अखण्डता का सम्मान भी करते हैं। हम अपने देश के किसी हिस्से को उग्रवादियों की गतिविधियों का सम्मान नहीं बनने देंगे।

अतः यह सब बातें स्पष्ट थीं।

मैंने श्री करुणानिधि से भी बात स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने ने भी इस सम्बन्ध में प्रयास किया था। जब मैं प्रधानमंत्री था तब मैंने उनसे कहा था कि वे विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने की कोशिश करें। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : किस प्रकार ?

क्या यह इस प्रकार होगा कि एक वर्ग या दूसरे वर्ग के नेता की हत्या कर दी जाए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्री करुणानिधि के साथ यह बात नहीं थी। उन्होंने अवश्य ही प्रयास किया था कि विभिन्न वर्गों को एक साथ लाया जाए, परन्तु फिर स्थिति बिगड़ती चली गई तथा बहुत जटिल हो गई और हर प्रकार इस दिशा में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी।

जहां तक की गई कार्यवाही का सवाल है हमारे शासनकाल में भी द्रमुक सरकार ने विभिन्न ग्रुपों के विरुद्ध कार्यवाही की है। मैं यह साबित करने के लिए उदाहरण दे सकता हूं कि उन्होंने उग्रवादियों के विरुद्ध कार्यवाही की है। 20 जनवरी 1990 को पुलिस ने रामनाड जिले में अगंवलसई में 5 करोड़ रुपये के मूल्य के भारी मात्रा में हथियार एवं गोलाबारूद बरामद किया।

21-1-90 को त्रिची में दो लिट्टे उग्रवादी गिरफ्तार कर लिए गए।

30-3-90 को श्री नगाईमुगन रामचन्द्रन को गिरफ्तार किया गया था।

मेरे पास इस बात का ब्योरा है कि कितने उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया था।

श्री आर० मुथिया : उन्हें छोड़ा कैसे गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 27-4-90 को भी 60 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया था, 17-5-90 को लिट्टे के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 6-6-90 को पी० नेदुमारन के नेतृत्व में बनी तमिलन देसीय इयाक्कम (तमिल राष्ट्रीय आन्दोलन) पार्टी के तीन पदाधिकारियों को तंजावूर में लिट्टे का समर्थन करने तथा भारतीय शान्ति सेना की आलोचना करने वाले फोटो तथा बैनर दिखाने के कारण गिरफ्तार किया। अतः यह सब कार्यवाही की गई थी। मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं।

करुणानिधि सरकार ईमानदारी से अनेक कार्यवाही कर रही थी। 25-7-90 को पांच लिट्टे उग्रवादियों सहित एक मारुति वैन को रोका गया, जुलाई 1990 में एक हथियार बेचने वाले को लिट्टे के साथ सम्बन्ध होने के शक पर गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान सरकार के आने के बाद भी कार्यवाही की गई। कम से कम वर्तमान सरकार को श्री करुणानिधि से कोई शिकायत नहीं हो सकती।

30-11-90 को 10 लिट्टे उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया।

22-1-91 को 162 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकार 26-1-91 को बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, तेजाब तथा नकद रुपया पकड़ा गया।

27-1-91 को 5 लिट्टे उग्रवादी गिरफ्तार किए गए। 29-1-91 को एक लिट्टे उग्रवादी दो अन्य लिट्टे उग्रवादियों के साथ गिरफ्तार किया गया। (व्यवधान) अतः वर्तमान सरकार द्रमुक सरकार के विरुद्ध यह कहकर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता कि उसने उग्रवादियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। इस समय कुछ भी कहा जा रहा है या द्रमुक सरकार को जो फतवे दिये जा रहे हैं। वे सही नहीं हैं। वास्तव में श्री विद्याचरण शुक्ल जब श्रीलंका गए थे तो मद्रास में रुके थे। उस समय उन्होंने द्रमुक सरकार को निर्दोष ठहराया था। अब यह समझा जा सकता है कि अचानक इस प्रकार की कार्यवाही दबाव में की गई है केवल राजनीतिक दबाव के कारण। वरना अन्य कोई कारण नहीं है। ...(व्यवधान) आज हमें दुःख हो रहा है। कम से कम हमने गहन प्रयास करके अन्तर्राज्य सम्बन्ध बनाए थे। संघीय भावनाओं को मजबूत किया था तथा अन्तर्राज्यीय परिषद स्थापित की थी। राष्ट्रीय विकास परिषद एक जीवित मंच बन गया था जहां हमने निर्णय लिये। राष्ट्रीय अखण्डता परिषद को पुनर्जीवित किया गया था। पहली बार राज्यों को न केवल राज्यों के विषयों में बल्कि राष्ट्रीय विषयों में भागीदारी की भावना की अनुभूति हुई थी। इसमें भागीदारी की भावना का विकास हुआ था और निर्वाचित सरकार के रूप में राष्ट्रीय विषयों पर उनके विचारों को दखल प्राप्त था।

डा० तम्बि दुरै : उन्होंने भारतीय शान्ति सेना के बारे में क्या कहा था ? वह उन्हें लेने क्यों नहीं गए ? (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या टिप्पणी की गयी थी अब दिल्ली, मद्रास द्वारा शासित नहीं होगा। (व्यवधान)

प्रश्न यह नहीं है कि दिल्ली का नियन्त्रण मद्रास द्वारा किया जाता है या मद्रास का नियन्त्रण दिल्ली द्वारा होता है। यह तो आपकी भागीदारी है।

हम लोग समान आधार लेकर चल रहे हैं। यह एक संघीय ढांचा है और यही रवैया पृथकतावादी दृष्टिकोण का जनक बना है।

रवैया यह है कि उन्हें एक कालोनी समझा जाए जैसा कि उन्हें यहां से निर्देश लेने चाहिए। और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। यहां तक कि यदि राज्यपाल भी रोकना चाहें तो भी उन्हें हटा दिया जाएगा। हम यही सब देख रहे हैं। हमने सुबह देखा कि बिहार में क्या हो रहा है। कनिष्ठ मन्त्री पटना अथवा अन्य राज्यों में जाते हैं और यह घोषणा करते हैं कि सरकार बर्खास्त की जा रही है, और वह बर्खास्त कर दी जाती है। (व्यवधान)

मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं किन्तु उन्होंने ऐसा कहा है। मुद्दा यह है कि केन्द्रीय

मन्त्री चुनी हुई सरकारों को धमकी दे रहे हैं। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। इससे हमारे प्रजातंत्र हमारे संघीय ढांचे की नींव को ही चोट पहुंचती है।

यह कार्रवाई सीधे-सीधे राजनीतिक दृष्टि से ब्लैकमेल करने की कार्रवाई है। इसका तथ्यात्मक या संवैधानिक या कानूनी या राजनीतिक वैधता नहीं है। इस कार्य से राज्य एवं लोग केन्द्र से विमुख हो जाएंगे। मैं सोचता हूं कि यही समय है कि हम सब मिलकर संविधान की धारा 356 के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करें। अब जैसा आवश्यक हो या तो इसमें संशोधन किया जाए या संविधान से इसका लोप किया जाए। अब समय आ गया है जब हमें इसके बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं डी०एम०के० सरकार को हटाए जाने की कार्यवाही की निंदा करता हूं। यही समय है जब हम प्रजातंत्र तथा संघीय ढांचे की रक्षा के लिए दलगत विचारों से ऊपर उठकर एकजुट होकर इस पर विचार करें।

श्री पी० चिदम्बरम : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मुझे मौका देने का वायदा किया था। मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा।

1987 से पहले, हालांकि वी०पी० सिंह की पार्टी नहीं थी, पर तमिलनाडु के सभी दलों ने एकमत से यह मांग की थी कि एल०टी०टी०ई० समेत श्रीलंका के सभी उग्रवादी समूहों को नैतिक एवं आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। उस समय इसी नीति का पालन किया गया। वह उस समय कैबिनेट में थे। वह मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं उन दिनों मंत्री परिषद का एक सदस्य था, कैबिनेट में नहीं था। उस समय भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका के सभी उग्रवादी संगठनों को नैतिक एवं आर्थिक समर्थन देने की एक सुविचारित नीति का पालन किया गया था। 29-7-1987 को जब समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो नीति में परिवर्तन किया गया। नीति में इस परिवर्तन की वजह से, गृह राज्य मन्त्री के रूप में मैं खुद मद्रास गया तथा तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन से विस्तृत बातचीत की और तब हमने उग्रवादियों को मनाना शुरू किया। (व्यवधान)

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह निर्भर है कि क्या माननीय सदस्य और भूतपूर्व मन्त्री के वक्तव्य से गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन नहीं होता है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो बात कही है वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। दूसरी बात यह कि सदन में दिया गया किसी भी बयान का अपना महत्व है, जो सदस्य बोल रहे हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

श्री ए०के० राय : महोदय, आप यह क्या कह रहे हैं, वह उग्रवादियों की मदद करने के बारे में तत्कालीन सरकार तथा मुख्य मन्त्री के बीच हुई बातचीत के बारे में बता रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां न्यायाधीश नहीं हूं। मुझे जो कहना है मैंने कह दिया है। कृपया आप बैठ जाएं।

श्री पी० चिदम्बरम : मुख्य मन्त्री तथा सरकार के बीच चर्चा गोपनीय नहीं थी। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक प्रस्ताव पर कोई भी सदस्य दो बार नहीं बोल सकता।

श्री पी० चिदम्बरम : उन्होंने कहा था कि वह मुझे मौका देंगे पर उन्होंने नहीं दिया। मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा। तब यह नीति थी ..(व्यवधान) महोदय, कृपया उन्हें बैठने के लिए कहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें और बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : एल० टी० टी० ई० तथा अन्य उग्रवादी संगठनों को मनाने की एक सुविचारित नीति अपनाई गई थी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कहते समय आपको इसके लिए जवाबदेह होना होगा।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं इसके लिए पूर्ण रूप से जवाबदेह हूं, महोदय। उन्हें श्रीलंका वापस जाने को कहा गया था। वास्तव में उनमें से अधिकांश को श्रीलंका वापस जाने के लिए राजी कर लिया गया था। (व्यवधान)

श्री ए०के० राय : यह जिम्मेवारी वाला वक्तव्य नहीं है। हमें अफसोस है कि देश के आंतरिक मामलों में दूसरे देश हस्तक्षेप कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं।

श्री पी० चिदम्बरम : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी इसी नीति का पालन किया कि उग्रवादियों को समझा-बुझाकर श्रीलंका वापस भेजा जाना चाहिए तथा वे वहां से वापस न आएं। (व्यवधान) ··· मुझे इसका स्पष्टीकरण देना होगा।···(व्यवधान) मैं महोदय, मैं इतनी जोर से कैसे चिल्ला सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : 1989 के बाद जब भारत सरकार की यह नीति थी कि उग्रवादियों को श्रीलंका में होना चाहिए, उन्हें भारत आने दिया गया तथा उन्हें भारत की भूमि पर अपनी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी गई। ...(व्यवधान) यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की दोहरी नीति है। इस नीति का पालन करते हुए सरकार उग्रवादियों के एक समूह को उन्होंने अपनी गतिविधियां जारी रखने तथा अन्य समूहों को मिटाने की छूट दी। (व्यवधान)

कृपया मुझे बोलने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री पी० चिदम्बरम : आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया था। अब आप दबाव में आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। इसे रिकार्ड में शामिल नहीं जाएगा।

(व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : चिदम्बरम महोदय, मैंने असाधारण हालातों में आपको अनुमति दी थी। आपको जितना समय दिया जा सकता था उससे ज्यादा समय आपने ले लिया।

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे अफसोस है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आपको कुछ कहना है तो आप अपने सदस्य को बता दें। मैं आपको अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसके लिए खेद है।

(इस समय श्री वक्कम पुरुषोत्तमन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के पास खड़े हो गए।)

(व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें। कृपया, जो मैं कह रहा हूं उसे सुनिए। मैंने यह कहा था कि श्री चिदम्बरम को अपनी बात कहने दी जानी चाहिए। मैंने उन्हें एक मिनट का समय दिया परन्तु उन्होंने एक मिनट से अधिक समय लिया।

(व्यवधान)

3.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मुझे सभा की कार्यवाही जारी रखने दें। हां, मैंने उन्हें बोलने के लिए कुछ समय दिया था। मैं उन्हें बोलने के लिए कुछ समय दूंगा। परन्तु यह समय एक मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं श्री चटर्जी को बोलने के लिए बुलाऊंगा यदि वह उनके विरुद्ध कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। परन्तु कृपया, जब वे बोलें तो आप बीच में बाधा न डालें, और तमाशा न बनाएं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं पूरे 60 सैकण्ड का समय लूंगा। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत सरकार की नीति जो इस सभा में और बाहर बताई गई, उसके अनुसार उग्रवाद दलों

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

को श्रीलंका वापस जाने के लिए मनाया जाए और यह कार्य केन्द्रीय सरकार और श्री एम०जी० रामचन्द्रन सरकार द्वारा किया गया था। वर्ष 1988 में वहां कुछ उग्रवादी थे, जैसा कि श्री करुणानिधि ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा कि 142 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया था और श्रीलंका वापस भेजा गया था। प्रश्न यह है कि श्री वी०पी० सिंह की सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्होंने संसद में तथा बाहर उस नीति की पुष्टि की थी। परन्तु हमने उन पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया क्योंकि सिद्धान्त रूप से उस नीति को स्वीकार करने के बाद उन्होंने गुप्त रूप से इस नीति को छोड़ दिया और एल०टी०टी०ई० को गुप्त रूप से भारत आने दिया और प्रत्येक अन्य ग्रुप को समाप्त करने दिया। ···(व्यवधान) उनके विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, 9 नवम्बर, 1988 को 157 एल०टी०टी०ई० के लोगों को वापस भेजा गया जब आई० पी० के० एफ० एल० टी० टी० ई० के विरुद्ध लड़ाई कर रही थी। वे अपना बलिदान दे रहे थे। यह दोहरी नीति है। भारतीय सेना बलिदान दे रही थी। (व्यवधान) इसी दोहरी नीति का अब भांडा फूटना होगा। जब 9 नवम्बर, 1988 को भारतीय सेना एल०टी०टी०ई० के लोगों के साथ लड़ाई लड़ रही थी, एल०टी०टी०ई० के 157। उग्रवादियों को सैनिक विमान द्वारा वापस श्रीलंका भेजा गया। (व्यवधान) यह दोहरी नीति है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सोमनाथ चटर्जी को सुनें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करना संवैधानिक नैतिकता का उपहास सत्ता का खुला दुरुपयोग, संघवाद के मूलभूत सिद्धान्तों तथा इस देश में संसदीय लोकतन्त्र के सिद्धान्तों की जानबूझकर अवहेलना करना है। राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी करने का निर्णय तदर्थ सरकार के आदेश से किया गया कार्य है।

इस देश में अनुच्छेद 356 का इतिहास राजनैतिक और संवैधानिक सिद्धान्तों का पालन करने का इतिहास है और यह इस देश में बाद में आने वाली कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए दुरुपयोग के उदाहरणों से भरा पड़ा है। (व्यवधान) सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से यह सिद्ध हो गया है। श्री सरकारिया किसी वामपंथी दल से सम्बन्धित नहीं थे। परन्तु आश्चर्यजनक बात इस सरकार की निर्लज्ज दोहरी नीति और धृष्टता है और नीच कार्य है जो इस सरकार ने ए० आई० ए० डी० एम० के० द्वारा दिए गए समर्थन को वापस लिए जाने की धमकी के कारण अपनी सरकार को बचाने के लिए किया है। यह कार्य जनता दल (एस) और कांग्रेस की मिली भगत से हुआ है।

हमारे यहां ऐसी सरकार है जिसके पास न तो कोई नीति है, और न ही कोई कार्यक्रम है, न ही पूर्ण बहुमत है, न ही राजनैतिक अधिकार और न ही वैधता है और यह सरकार बजट भी पेश नहीं कर सकती। यह सरकार हमारे संविधान और देश की परम्पराओं का पालन नहीं कर रही है। शायद, मैं वही बात दोहरा रहा हूं जो अन्य सदस्यों ने कही है, परन्तु इसे नकारा

नहीं जा सकता कि यह सरकार बदनाम और भ्रष्ट राजनैतिक लोगों की बन्धुआ मजदूर है और उनके खुशामदियों की तरह से कार्य कर रही है। वह सरकार जो जनादेश का उल्लंघन करके सत्ता में आई हो, जनादेश का सम्मान नहीं कर सकती और यह केवल दो साल पहले तमिलनाडु के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश की जान बूझकर सरकार द्वारा की गयी अवहेलना से जाहिर होता है।

एक दल जो स्वयं सभा में गणपूर्ति नहीं कर सकता और जिस दल का तमिलनाडु अथवा इस देश में कहीं भी आधार नहीं है, केवल राजनैतिक साझेदारी से सत्ता को प्राप्त करने की लालसा को सन्तुष्ट करने के लिए संविधान का उल्लंघन कर रहा है। क्या यह देश अपनी अनेक समस्याओं का सामना करते हुए ऐसी सरकार को बनाए रख सकता है जिसकी कोई विश्वसनीयता, जिम्मेदारी और राजनैतिक नैतिकता नहीं है? क्या इस सरकार को अन्य राजनैतिक दलों के साथ सुर मिलाकर अपनी राजनैतिक शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है? हमने आश्चर्यजनक तमाशा देखा है। ए०आई०ए०डी०एम०के० लोकसभा में अपने 11 सदस्यों के बल पर सरकार से मनमाने काम करवा रही है। इस दल के नेता हैदराबाद में छुपे रहते हैं और वहां की निर्वाचित सरकार गिर जाती है। (व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? वे ऐसे शब्द नहीं कह सकते। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे मित्र इसे नकार सकते हैं। (व्यवधान) क्यों नहीं। हमने यह समाचार पत्र में पढ़ा है परन्तु इस बात का खण्डन नहीं किया गया कि ए०आई०ए०डी०एम०के० चाहती है कि राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए। उनकी पहली इच्छा के फलस्वरूप निर्वाचित सरकार को मनमाने ढंग से हटाया गया और दूसरी इच्छा के परिणामस्वरूप राज्यपाल को हटाया गया क्योंकि वह ऐसे दल का समर्थन नहीं करना चाहते थे जो संविधान का उल्लंघन करे। (व्यवधान) मैं यह दिखाऊंगा कि उनके साथ कितना अभद्र व्यवहार किया गया था। भारत के संविधान और अन्य संस्थानों के प्रति आपका दिल में यही सम्मान है। मैं यह आरोप लगाता हूं कि यह सरकार, जिसकी अपनी कोई वैधता नहीं है, को सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस (ई) दल और ए०आई०ए०डी०एम०के० के पर निर्भर है।

इससे संविधान का रूप बिगड़ रहा है तथा सिर्फ कुछ तथाकथित व्यक्तियों तथा राजनैतिक अवसरवादियों की राजनीतिक इच्छाओं के लिए देश में लोकतन्त्र की अवमानना की जा रही है तथा लोकतन्त्र को दूषित किया जा रहा है।

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट आपके पास है। इस तर्क पर कि आपने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट अभी स्वीकार नहीं की है—यह तर्क श्री राजीव गांधी की सरकार दिया करती थी, आप उसमें की गई सिफारिशों का उल्लंघन नहीं कर सकते है।

सरकारिया आयोग ने यह सिफारिश की हैं कि ऐसे अधिकांश मामलों में जहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है वहां संविधान के उपबंधों का खुलकर दुरुपयोग किया गया। यह पक्षपातपूर्ण था। दो दलों की लड़ाई और मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था ये निष्कर्ष मेरे नहीं हैं। ये निष्कर्ष उस उच्च अधिकार प्राप्त आयोग के

है। जिसके विरुद्ध अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है। इस संबंध में यह नहीं कहा गया कि ये निष्कर्ष गलत हैं। इस आशय की निश्चित सिफारिश की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 356 का बहुत कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि कोई राज्य सरकार आन्तरिक गड़बड़ी को रोकने में नाकामयाब है तो अनुच्छेद 355 के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए"

अनेक अन्य सिफारिशें की गई हैं। सरकारिया आयोग ने यह सिफारिश की है कि "अनुच्छेद 350 का इस्तेमाल अति विशेष मामलों में अन्तिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए जब संविधानिक तन्त्र को सफल बनाने के सारे विकल्प असफल हो जाएं।" इसमें कहा गया है कि राज्य विधान मण्डल को राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति द्वारा जब तक भंग नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उदघोषणा संसद के समक्ष न रख दी जाए और उसे उस पर विचार करने का अवसर न मिल जाए। इस बात का सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 356 में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।

बिना संशोधन के ऐसा किया जा सकता है। अब हुआ क्या है? अब तक कम से कम राज्यपाल की रिपोर्ट का बहाना तो था। केन्द्रीय सरकार कहा करती थी कि राज्यपाल से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है जबकि उनमें से ज्यादातर बनी बनाई रिपोर्ट होती थी। ये रिपोर्ट केन्द्र द्वारा मंगवाई जाती थी। यहां यह बहाना भी नहीं है। राज्यपाल को रिपोर्ट भेजने के लिए तैयार नहीं किया जा सका क्योंकि राज्यपाल के अनुसार जैसा कि हमें पता चला है तामिलनाडु में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। श्री चिदम्बरम ने ठीक ही कहा है "उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था की जानकारी नहीं है। अब वे बेहतर जानते हैं। अब केन्द्रीय सरकार किसकी बात को स्वीकार करेगी? किसके निर्णय पर केन्द्रीय सरकार काम करेगी? संविधानेतर अधिकारी भारत के यथार्थ गृहमन्त्री के निर्णय पर न कि राज्यपाल जो कानूनन राज्य का प्रमुख है उसके निर्णय पर? इस सरकार का यह रवैया है। इस सरकार ने कांग्रेस (आई) अन्नाद्रमुक की राजनैतिक चालों के आगे घुटने टेक दिये हैं। अधिकार से वे सत्ता में नहीं आ सकते। और यही कारण है। मुझे नहीं मालूम कि अन्नाद्रमुक तथा कांग्रेस, डा० तम्बी दुरै और श्री चिदम्बरम के बीच यह नया समझौता सिद्धांतों कब तक रहेगा।

श्री पी० चिदम्बरम : जैसा आप चाहें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जनवरी 1989 में ही आप एक दूसरे के खिलाफ लड़े। अब किन और नीति पर आपने हाथ मिलाया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : प्यार और युद्ध सब कुछ जायज हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : राष्ट्रपति उद्घोषणा में राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। इस सम्बन्ध में कोई प्रेस विज्ञप्ति भी जारी नहीं की गई है। हमें यह भी पता नहीं कि सरकार ने किस प्रकार तामिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने को तर्कसंगत ठहराया गया है। हमें इस बारे में प्रथम सूचना राष्ट्रपति के अभिभाषण से मिली तथा बनावटी कारण देने के लिए काफी प्रयास करने के बावजूद हम हैरान हैं कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति

शासन लागू करने जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को कितना सहज तौर पर लिया है। राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा 8 में कहा गया है कि :

> "श्रीलंका के पूर्वोत्तर प्रांत में स्थिति बिगड़ने से शरणार्थी काफी संख्या में मुख्यतया तमिलनाडु राज्य में आये हैं। शरणार्थियों के अतिरिक्त एल०टी०टी०ई० के अनेक उग्रवादी तमिलनाडु को इस्तेमाल अपनी गतिविधियों के लिए कर रहे है।"

अब उन्हें प्रोत्साहन दिया गया, उन्हें हथियार दिए गए, उन्हे चार करोड़ रु० दिए गए उन्हें शिविर लगाने की अनुमति दी— आप जानते है किस दौरान में दी गई। श्री एम० जी० आर० की सरकार और श्री राजीव गांधी की सरकार के दौरान ···(व्यवधान)

श्री ए० अशोकराज (पैरम्बतूर) : वे ऐसे हथियारों के लिए नहीं दिए गए थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इसे द्रमुक सरकार को बर्खास्त करने का कारण माना जा सकता है जो उस समय सत्ता में थी ही नहीं ' (व्यवधान) मैं जानता हूं कि आपको परेशानी हो रही है। शायद अभी जमीर बाकी है। परन्तु मुझे इस पर शक है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में आगे कहा गया है:

> "केन्द्रीय सरकार द्वारा जाहिर चिन्ता के बावजूद तमिलनाडु में स्थिति बिगड़ी है और आम तौर पर यह समझा जाता है कि एल०टी०टी०ई० अपनी गतिविधियां आराम से जारी रख पायेंगे।"

क्या इससे भी अस्पष्ट वक्तव्य दिया जा सकता है इस सम्बन्ध में कोई अवधि कोई विवरण नहीं दिया गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं यह भी नहीं बताया गया। ये गतिविधियां कितनी गंभीर हैं, इस बारे कुछ भी नहीं बताया गया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में आगे कहा गया है ···(व्यवधान) मैं आपके राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ रहा हूं ···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या वे आपके राष्ट्रपति नहीं है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस अभिभाषण को आपने तैयार किया था ···(व्यवधान) आप उनका दुरुपयोग करके उनके पद की अवमानना कर रहे है।

मैं पुनः राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख करता हू :

> "एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एल०टी०टी०ई० के लोग प्रतिद्वंदी तमिल ग्रुप के 15 व्यक्तियों की हत्या करने में ही सफल नहीं हुए अपितु वे बचकर भी भाग निकले।"

यह घटना कब घटी ? यह घटना 19 जून को घटी।(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : उस वक्त प्रधान मन्त्री कौन था ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : सिर्फ एक घटना या 19 जून, 1990 की घटना के लिए आपने

30 जनवरी, 1991 को सरकार बर्खास्त कर दी ? ···(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै (करूर) : हमने उस समय भी इसकी मांग की थी (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं कोई खास कारण सोच भी नहीं सकता ···(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : कितनी लज्जाजनक बात है, आपने इसे उचित ठहराया है (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसी घटना का बहाना लेकर सात महीने बाद, आपने सरकार को बर्खास्त कर दिया (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (मिदनापुर) यदि यह कारण नहीं है जो आपने इसका उल्लेख क्यों किया ? ···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : राष्ट्रपति के अभिभाषण में आगे कहा गया है :

"संवेदनशील तटवर्ती क्षेत्रों में पुलिस की अपेक्षित गश्त नहीं जा रही तथा राज्य सरकार ने केन्द्र की सहायता प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।"

निसंदेह द्रमुक द्वारा तैयार किए गए ज्ञापन में विवरण दिया गया है परन्तु उन्होंने उल्लेख किया है (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : तो क्या जो बात मैंने सभा में कही हैं वे गलत हैं ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय मुझे यह विश्वास है कि श्री कुमारमंगलम इस विषय हर कुछ कहने जा रहे हैं। उन्हें इसका खण्डन करने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि श्री पी० चिदम्बरम खड़े होकर हमारा समय बर्बाद करें ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम यह ध्यान रखें कि अगले वक्ता वे ही होंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह भी उल्लेखनीय है कि द्रमुक सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया था कि जीमा सुरक्षा बल की चार बटालियन भेजकर वह राज्य की पुलिस शक्ति को बढ़ाए। यह आवश्यक था क्योंकि तामिलनाडु ने अपने पुलिस बल के 1240 जवानों को दिल्ली तथा अन्य राज्यों को कानून व्यवस्था के लिए दिया था। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने उनके इस अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया। और अब यह कहा जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव को द्रमुक सरकार ने ठुकरा दिया।

मैं पुनः राष्ट्रपति के अभिभाषण को उद्धृत करता हूं :

"एल०टी०टी०ई० की अनेक गैरकानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट तथा शांति बनाये रखने के प्राथमिक कर्त्तव्य को निभाने में राज्य सरकार की असफलता के बाद सरकार के पास तामिलनाडु राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।"

असली सवाल सिद्धान्त का है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। क्या केन्द्र सरकार कोई सुपर पुलिसमैन है ? ···(व्यवधान)

डा० तुम्बि दुरै : हां

श्री सोमनाथ चटर्जी : ए०आई०ए०डी०एम०के० का कहना है—हां है। हम आज 'संयुक्त राष्ट्र अमेरिका' के रवैये की इसी आधार पर निंदा कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दूसरे राज्यों और सरकारों का कोई सुपर अभिभावक नहीं है। यहां केन्द्र सरकार क्या कर रही है ? संविधान की क्या मान्यता है ?

डा० तम्बी दुरै : उन्होंने यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा की खातिर उठाया है न कि कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ कानून व्यवस्था का जिक्र किया है। इस तरीके से ही वे संविधान की व्याख्या कर रहे हैं एवं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या लिखित संविधान से शासित किसी देश की सरकार को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए ? इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया है। विधान सभा को भंग करने की क्या जरूरत थी ? यदि थोड़ी देर के लिए यह भी मान लिया जाये कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति आपत्तिजनक हो गई थी हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं—तो भी विधान सभा को जिसका कार्यकाल अभी तीन साल और शेष था, उसे भंग करने की क्या जरूरत थी ? इस देश में कई अवसरों पर ऐसा हुआ है जबकि विधान सभा को निलंबित रखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। पर वे ऐसा तभी करते हैं जब इससे उनका मकसद पूरा हो। इस बार उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि वो किसी तरह चुनाव करवाना चाहते थे तथा इस सरकार से मुक्ति पाना चाहते थे, क्योंकि वे सत्ता के भूखे हैं। इस सरकार ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिये बड़े ही बेशर्मना तरीके से विधान सभा को भंग किया है। वे राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिए जाने लायक कोई कारण भी नहीं खोज सके। इस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यालय का भी दुरुपयोग किया है। 'द हिन्दू—जिसके बारे में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि यह वामपंथियों के द्वारा चलाया जाने वाला समाचार पत्र है ने अपने 1 फरवरी 1991 के संपादकीय में लिखा है :—

> "यह स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई भी वास्तविक संकट नहीं आया था, अतः इस काम को करने के पहले अनुद्घटित तथा अप्रमाणित खुफिया सूचना का आधार बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे का बहाना गढ़ना पड़ा।
>
> एक बड़ी मजे की बात यह है कि एल०टी०टी०ई० के जिन संपर्कों का उल्लेख करके डी०एम०के० सरकार को भंग किया गया है वे वस्तुतः कांग्रेस (आई) तथा ए०आई०ए०डी०एम०के० की पहली करतूतें की ही देन है। 1983 के बाद से तमिलनाड़ में शरणार्थियों का आगमन तथा केन्द्र में इन्दिरा गांधी एवं श्री राजीव गांधी की सरकारों तथा एम० जी० रामचन्द्रन की सरकार द्वारा विभिन्न तमिल उग्रवादी संगठनों को दिए गए समर्थन एवं राजनैतिक वैधानिकता के बारे में सबका पता है।

यदि राजीव-जयवर्धने समझौते तथा श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में आई०पी०के०एफ० की कार्यवाहियों के पश्चात कांग्रेस (आई) और ए०आई०ए०डी०एम०के० की विचारधारा में बदलाव आया तो डी०एम०के० ने भारतीय सेना से जूझ रहे तमिल उग्रवादियों के प्रति साफ साफ अपनी सुहानुभूति दिखाई इसमें कोई संदेह नहीं है कि एल०टी०टी०ई० तथा अन्य उग्रवादी संगठनों ने इस सुहानुभूति का नाजायज फायदा उठाया और राज्य में गोली चलने, डकैती तथा तस्करी की छिटपुट घटनायें भी हुई। सबसे बुरी हालत में भी कानून तथा व्यवस्था की स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी थी तथा न ही उनसे किसी राष्ट्र विरोधी प्रवृति का संकेत मिलता था।"

इस संदर्भ में क्या क्या उदाहरण दिये गये हैं ? कल हमें बताया गया कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बार कई बातों का पता चला है। अब वे लोग इस कार्यवाही को बाद में हुई खोजों से सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है तथा इसमें कोई संदेह नहीं रहा है कि इस सरकार ने अपने क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थों के लिए संविधान एवं देश दोनों के धत्ता बता दिया है। यदि सरकारों को बर्खास्त करने का ऐसा भी आधार हो सकता है तब तो इस बारे में जनता को ही इसका फैसला करना होगा और जनता ऐसा करेगी।

अब समय आ गया है, बल्कि ऐसा तो पहले ही होना चाहिए था कि संविधान की धारा 356 पर गंभीर रूप से विचार होना चाहिए। हम लोगों ने मांग की है तथा हम लोग फिर मांग करते हैं कि इस धारा को रद्द करना चाहिए क्योंकि यह हमारे संसदीय प्रजातन्त्र तथा राष्ट्र के संघीय स्वरूप के खिलाफ है। यदि उनमें हिम्मत है तो उन्हें सारे देश में चुनाव करवाना चाहिए। इस मुद्दे पर संसद को भंग करके हमें फिर से जनता के पास जाना चाहिए। (व्यवधान) जनता दल (स) नाम की यह तथाकथित पार्टी जानती है कि इसके दिन थोड़े हैं। ···(व्यवधान) देश भर में कहीं भी इनका कोई भविष्य नहीं है अतः उनमें जनता के पास जाने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो कि अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है और इस सिद्धांतहीन तथा गैर कानूनी सरकार प्रोत्साहित कर रही है, उसमें भी भारत के लोगों का सामना करने का साहस नहीं है। यही कारण है कि वे इसके हर तरह के दूराचरण से समझौता कर रहे हैं। इस कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने बड़े स्पष्ट रूप से एवं बेइज्जत करके अपदस्थ किया है। उन्हें उनकी सही जगह बतला दी गई है। केरल के चुनावों से यह पता चल गया है कि जनता उनके साथ कैसा व्यवहार करती है। यही कारण है कि जनता का सामना करने की बजाय देश के संसदीय प्रजातन्त्र के सिद्धांतो की अवमानना करने में हैं इस तथाकथित सरकार के अपवित्र षड़यन्त्रों में सहभागी बन रहे है। यह एक बड़ी गंभीर बात है (व्यवधान) मैं आपको चुनौती देता हूं। आप इस मुद्दे पर जनता के पास जायें। संसद को भंग कर दें। यही हमारी मांग है। हमें जनता के पास जाना चाहिए। उनमें हिम्मत ही नहीं है। यही कारण है कि वे इस तरह की चालबाजियां कर रहे हैं। (व्यवधान) यह संविधान की दुखद अवमानना के सिवा कुछ नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत के लोग जो इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि उन्हें कब अपना निर्णय देने का मौका मिलेगा वे मौका मिलते ही अपना निर्णय बड़े स्पष्ट रूप में देंगे और इन निंदित लोगों शीघ्र ही इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

*श्री एम० सेल्वाराज् (नागापट्टिनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से तामिलनाडु में राष्ट्र पति शासन लागू करने की उदघोषणा का विरोध करता हूं।

मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, क्योंकि यह लोकतन्त्र की हत्या है। यह तामिलनाडु के लोगों का घोर असम्मान है जिन्होंने विधानमण्डल को पांच वर्ष की अवधि के लिए चुना था। यह उदघोषणा तामिलनाड के लोगों की भावनाओं एवं लोकतान्त्रिक आकांक्षाओं के विरुद्ध है। (व्यवधान)

आरम्भ में मुझे अपने बारे में कुछ शब्द बोलने दीजिए। तामिलनाडु के 40 चुनाव क्षेत्रों में से मैं एकमात्र सदस्य ऐसा हूं जोकि द्रमुक के गठबन्धन से चुना गया हूं। मैं यह क्यों कहता हूं? मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि यहां पर कोई भी मेरे चुनाव क्षेत्र में मेरा मुकाबला करने की हिम्मत न करे। मैं उन सब को चुनौती देता हूं। वो सब जो ताली बजाते हैं तथा मेजे थपथपाते हैं वे अगले चुनावों में मेरे चुनाव क्षेत्र में मेरा मुकाबला नहीं कर पायेंगे। (व्यवधान)

महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। चाहे अन्ना द्रमुक की सरकार हो या द्रमुक की सरकार, किसी भी लोकतान्त्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराना संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। हमारी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। आज द्रमुक सरकार के साथ ऐसा हुआ, कल अन्नाद्रमुक सरकार के साथ ऐसा होगा। अतः मैं कहता हूं कि देश तथा लोकतान्त्रिक संस्थानों के सम्मान के लिए लोकतान्त्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों की इस प्रकार की बर्खास्तगी भर्त्सना के योग्य है। इस प्रकार हम संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं दूसरी ओर, हम इसका उल्लंघन करते हैं। अतः मैं कहता हूं कि इस तरह की बातों को रोकना चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि इस प्रकार के कदम सरकारिया आयोग तथा राजामन्नार समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। ये सिफारिशें सभा में लगातार चर्चा का विषय रही है। वास्तव में ये सिफारिशें सभा द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। परन्तु इस अल्पमत सरकार ने, इस बदनाम सरकार ने, इस अयोग्य सरकार ने बहुमत वाली सरकार को गिराया है। अतः, मैं इस सभा से आग्रह करता हूं, कि इस चर्चा के समाप्त होने से पहले इस अल्पमत सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका जाना चाहिए ताकि वह अन्य संवैधानिक हत्याएं न कर पाए। इस चन्द्रशेखर सरकार को तुरन्त हटा देना चाहिए। यह मेरी तथा मेरी पार्टी की मांग है। (व्यवधान)

माननीय भूतपूर्व गृह राज्य मन्त्री, कांग्रेस सदस्य श्री चिदम्बरम कुछ कह रहे हैं। वह विधि के ज्ञाता हैं। मुझे कानून की इतनी जानकारी नहीं है। परन्तु एक किसान हूं। मैं समाज के निम्न वर्ग का हूं। मेरे परिवार ने कांग्रेस शासन के दौरान बहुत नुकसान उठाया है क्योंकि उसने भूमि सुधार लागू नहीं किए। हमारा परिवार कृषि श्रमिक ही रह गया। इसलिए मैं उतना नहीं

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पढ़ पाया जितना श्री चिदम्बरम पढ़े हैं। अत: मैं स्वीकार करता हूं कि भाषण देने में मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा।

महोदय, एक बात स्पष्ट है कि बर्खास्तगी का यह कदम और कुछ नहीं बल्कि चन्द्रशेखर सरकार को खुद के बचाने का एक प्रयास है। पिछले लोकसभा चुनावों में, तमिलनाडु में सुश्री जयललिता ने खुले रूप में चुनावों में यह कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आयेगी। केन्द्र द्रमुक सरकार को बर्खास्त कर देगी तथा विधानसभा चुनावों में अन्नाद्रमुक पार्टी सत्ता में आएगी। सुश्री जयललिता द्वारा लोगों को कहा गया था।

कल तक वह एक ही बात बार-बार कह रही थीं।

चन्द्रशेखर सरकार ने अपने बचाव के लिए उनका समर्थन प्राप्त करके उनके सपनों को ठोस रूप प्रदान किया। वास्तव में, ऐसा ही हुआ है। लोगों की इच्छा की कीमत पर सत्ता प्राप्त करने का उनका संजोया गया सपना पूरा होना राजनीतिक दृष्टि से एक साजिश है।

यह गांवों में दिखाये जाने वाले कठपुतली के तमाशे जैसा है। सिनेमा थियेटर हाल ही में शुरू हुए हैं, गांवों में अभी भी कठपुतली का तमाशा दिखाया जाता है। एक कठपुतली पर्दे के सामने होती है। लोग इकट्ठे होते हैं और पर्दे के पीछे से कोई अन्य व्यक्ति डोरी खींचता है। कठपुतली न तो बोल सकती है, न चल सकती है, तथा नहीं अपने अंग हिला-डुला सकती है।

इसके अलावा, कठपुतली सोच भी नहीं सकती। परन्तु कठपुतली सीता, राम, अर्जुन और दुर्योधन की भूमिका अदा करती है।

इसी प्रकार डोरी खींचने का काम राजीव गांधी तथा जयललिता द्वारा किया गया तथा तमाशा एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना।

अंदाज लगाइये कि कठपुतली कौन है।

महोदय, तमिल लोग बुद्धिमान हैं। अन्य लोगों ने कहा है कि वे बेवकूफ नहीं हैं। मुझे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने पर क्षमा कीजिए। 1980 में संसदीय चुनावों में कांग्रेस-द्रमुक ने मिलकर भारी बहुमत से विजय प्राप्त की थी। इसके बाद विधानसभा चुनावों में द्रमुक पूरी तरह से हार गई थी।

कुछ माननीय सदस्य : वह एम०जी०आर० थे।

श्री एम० सेल्वाराजू : जी हां वे एम०जी०आर० थे, परन्तु जयललिता एम०जी०आर० नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री आर० मुथिया : परन्तु आप देखने जा रहे हैं।

श्री सी० श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : यह आपकी राय है।

***श्री एम० सेल्वाराजू** : महोदय ये लोग अब राष्ट्रीय अखण्डता के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं।

* मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

परन्तु आज इस सारे मामले से गलत संकेत मिल गया है तमिलनाडु में बार-बार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता रहा है। तमिल लोगों के दिमाग में यह राय बनती जा रही है कि जो लोग दिल्ली में शासन करते हैं वे लोग तमिलनाडु में अपनी मनमानी चलाते हैं। जो लोग दिल्ली में शासन करते हैं वे दक्षिण को नजरन्दाज कर देते हैं। इसलिए इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्यों ने राष्ट्रीय अखण्डता के विरुद्ध आम धारणा बनाने का अवसर प्रदान किया है।

जहां तक हमारा सवाल है, हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। हम अलगाववादी गतिविधियों के सख्त विरुद्ध हैं। परन्तु चन्द्रशेखर सरकार के अलोकतांत्रिक कार्य ने अलगाववाद की आग में और ईंधन डाला है। युवा लोग वास्तव में परेशान हैं। उनके दिमाग में उत्तर-दक्षिण के विभाजन की बात भर गई है तथा यह बात भर गई है कि दक्षिण की संस्कृति पर उत्तर का उपनिवेशवाद हावी है। वह पूछते हैं कि तमिलनाडु सरकार को बार-बार क्यों बर्खास्त किया गया? यह कुछ नहीं है बल्कि अनेक संवैधानिक साजिशों का एक हिस्सा है जोकि कांग्रेस द्वारा किया गया है या करवाया गया है। उदाहरण के लिए कांग्रेस को लीजिए। 40 वर्ष बीत चुके हैं, वे अभी तक अपने चुनाव घोषणा पत्रों में किए गए वायदों को पूरा करने में असफल रहे हैं, उन्होंने कहा था कि वे बेनामी भूमि के कब्जों को समाप्त कर देंगे। परन्तु अब तक वह अनेक एकड़ बेनामी भूमि को समाप्त नहीं कर पाए हैं परन्तु अब तक*** अनेक एकड़ बेनामी भूमि को समाप्त नहीं कर पाये हैं।

15.34 म०प०

(डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : आरोप मत लगाइए।

नाम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन व्यक्तियों के नाम मत लीजिये जो सभा में उपस्थित नहीं हैं।

यह नाम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं।

***श्री एम० सेल्वाराजू :** महोदय, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था कि वे सभी किसानों को भूमि का पट्टा देंगे। अब तक पट्टा नहीं दिया गया है।

परन्तु द्रमुक सरकार ने बहुत कम समय में यहां तक कि पिछले हफ्ते ही कुल मिलाकर 10,000 कृषि श्रमिकों को भूमि का पट्टा दिया है। वदापराई मंगलम तथा करुम्बुकुडाई क्षेत्रों में 4000 एकड़ भूमि को पट्टे के रूप में किसानों को द्रमुक सरकार द्वारा दिया गया। क्या इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था।

*** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

एक सरकार जिसने किसानों को भूमि प्रदान की है उसे बर्खास्त कर दिया गया है। दूसरी ओर वह पार्टी जिसने किसानों को भूमि प्रदान करने के अपने वायदे पूरे नहीं किए वह बर्खास्तगी का समर्थन कर रही है। श्री चिदम्बरम ने बताया कि सैकन्ड्री ग्रेड अध्यापकों की भर्ती में गड़बड़ी हुई थी। परन्तु इसकी जांच होनी चाहिए। आपको पता लगेगा कि महिला तथा पुरुष जिनकी भर्ती की गयी थी या जो भर्ती के लिए उम्मीदवार थे वह यह बताएंगे कि शक की कोई गुंजायश नहीं है तथा भर्ती में ईमानदारी बरती गई थी। (व्यवधान)

ऐसी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया।

महोदय, द्रमुक सरकार के विरुद्ध मुख्य आरोप यह है कि द्रमुक सरकार ने उग्रवादी कैम्पों को लगने दिया।

*श्री सी० श्रीनिवासन : बस काफी है।

*श्री एम० सेल्वाराजू : महोदय, यह मेरी बारी है।

आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं न बोलूं।

आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

महोदय, वे लोग बीच में बोल रहे हैं। मैं कैसे समाप्त करूं।

श्रीलंका के शरणार्थी जब भारत में आए थे, तो विभिन्न गुट थे। ई०पी०आर०एल०एफ०; लिट्टे, ई०एन०डी०एल०एफ०, टी०ई०एल०सी०ओ० तथा अन्य गुट थे। इनको सबसे पहले किसने शरण दी? एम०जी०आर० ने। इसको कोई मना नहीं कर सकता है। इनको हथियार किसने दिए थे? 1983 में केन्द्र सरकार के कहने पर एम०जी०आर० ने इन्हें हथियार दिए थे। इस बात को भी ये लोग नकार नहीं सकते हैं।

जी हां, श्रीलंका के लोगों को एम०जी०आर० सरकार ने हथियार दिए थे। केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि एम०जी०आर० ने उनको चार करोड़ रुपए का चैक दिया था। अचानक इनको 3 करोड और 1 करोड़ रुपए का चैक दिया गया। परन्तु जब करुणानिधि ने लिट्टे को 25,000 रुपए का चैक दिया तो प्रभाकरन ने उसे स्वीकार नहीं किया, प्रभाकरन को किसने प्रोत्साहन दिया था। बताईये प्रभाकरन को किसने प्रोत्साहन दिया था। (व्यवधान)

अतः, लिट्टे उग्रवादियों को अन्ना द्रमुक द्वारा बढ़ावा दिया गया था। अन्ना द्रमुक ने उन्हें हथियारों से सुसज्जित किया गया।

एम० जी० आर० के शासनकाल के दौरान लिट्टे के 31 कैम्प थे। तंजावूर, ओरतेनाड़, कुम्बाकोणम और वेदरनायम में उनके कैम्प थे तथा एम० जी०आर० सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। एम०जी०आर० ने इन्हें हथियार क्यों दिए थे? आज, कांग्रेस तथा अन्ना द्रमुक यह आरोप लगा रहे हैं कि द्रमुक ने तमिलनाडु को हथियारों का केन्द्र बना दिया है, परन्तु उन्हें हथियार किसने दिए? कांग्रेस तथा अन्ना द्रमुक ने अब वे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

तमिलनाडु उग्रवादियों का केन्द्र बन गया है तथा वहाँ पर बड़ी संख्या में हथियारों की फैक्ट्रियाँ हैं, इत्यादि।

अतः इन लोगों को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यदि आप लिट्टे को शस्त्र देंगे, तो क्या वे उन्हें अपने पास सुरक्षित रखेंगे। निश्चितत: वे उन्हें लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए महोदय, तमिलनाड़ में आतंकवाद का मूलभूत ढांचा कांग्रेस और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा किया गया और उस समय श्री चिदम्बरम गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री थे।

महोदय, वे बता रहे हैं कि यह मुख्य मन्त्री श्री करुणानिधि की गम्भीर भूल थी कि वह भारतीय शांति सेना के लौटने पर उसकी अगवानी करने नहीं गये (व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे वक्ता को बोलने दें।

***श्री एम० सेल्वाराजू** : स्वयं हमने इसकी भर्त्सना की है कि मुख्य मन्त्री भारतीय शांति सेना की अगवानी करने नहीं गये।

कुछ माननीय सदस्य : वह राष्ट्र विरोधी है।

***श्री एम० सेल्वाराजू** : इन लोगों को उन्हें ऐसा कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। केवल अखिल भारतीय अन्ना मुनेत्र कड़गम (ए०आई०डी०एम०के०) और कांग्रेस देश में राष्ट्र-विरोधी तत्वों की संवृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं।

जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह समुद्र तट रेखा पर नागापत्तिनम से प्रारंभ होकर पुडुकोट्टई तक 100 कि०मी० का भूभाग है। वे आज कह रहे हैं कि लिट्टे शस्त्रों और पेट्रोल की बाहर तस्करी कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार लोगों का पर्दाफाश करना मेरा कर्त्तव्य है। वेदनारायणम में केवल एक पेट्रोल बंक है। मैं उसके मालिक का नाम नहीं बताना चाहता। वे उसे जानते हैं। वह कौन है? श्री चिदम्बरम जानते हैं। पेट्रोल बंकों के मालिक भारत से बाहर पेट्रोल की तस्करी के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। इसमें उनका निहित स्वार्थ है। उन्हें सच्चाई लेकर सामने आने दो। वेदनारायणम में पेट्रोल बंक का मालिक कौन है।

महोदय केवल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के शासनकाल में ही अनेक कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया था। उदाहरण के लिए, बच्चों को पोषक आहार योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले भोजन में प्रत्येक भोजन के साथ एक अंडा मिलाकर उसे सचमुच पोषक बनाया गया था। शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को, उनके अर्जित अंकों से 5 अंक अधिक दिए गए।

महोदय, वे अब कानून और व्यवस्था की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन में यह ठीक नहीं है। राष्ट्रपति शासन के दौरान कल तंजावूर में एक जिला कलेक्टर को दरांती से काटकर मार डाला गया, तो किसलिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। (व्यवधान) महोदय, जब उन्होंने द्र०मु०क० सरकार को सत्ताच्युत करने की मांग को लेकर आन्दोलन किया था, उस समय कांग्रेस

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

और अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने भारी पैमाने पर हिंसा की, उन्होंने बसें फूंक दीं जन सम्पत्ति को नष्ट किया। अब वे हिंसा की बात करते हैं।

महोदय, माननीय सदस्य चुनावों के बारे में कह चुके हैं। हम शीघ्र चुनावों का सामना करने को तत्पर हैं। हम लोग इस बात को देखें कि तमिलनाडु की जनता लोकतंत्र की पक्षधर है। अथवा संविधान विधिकों की। उसका निर्णय निश्चय ही लाभकर होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री आर० मुथैया (पेरियाकुलम) : सभापति महोदय, मैं भारी मन से अ० अ० भा० द्र०मु०क० की ओर से तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन के संकल्प का समर्थन करता हूं। हम उस स्थिति से प्रसन्न नहीं हैं जिसमें राष्ट्रपति का शासन नितान्त आवश्यक हो गया। कारण यह है कि जब 1980 में एम०जी० रामचन्द्रन तमिलनाडु की जनता को बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहे थे, तो उनकी सरकार गिरा दी गई। श्री बी० पी० सिंह ने बहुत विचित्र रूप से बताया कि पहली बार द्र०मु०क० सरकार को बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के सत्ताच्युत कर दिया गया है। किन्तु मैं उन्हें बता देना चाहूंगा कि जब 1980 में पुरात्ची थालैवर एम०जी० रामचन्द्रन की सरकार सत्ताच्युत की गई थी उसे भी राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना पदच्युत किया गया था। इसलिए श्री बी० पी० सिंह यह कहते समय पूरी तरह गलती पर थे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सरकार को राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना ही सत्ताच्युत कर दिया गया है। इसी राज्य में 1980 में एम०जी० रामचन्द्रन की सरकार को राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना ही हथिया लिया गया था, उस समय श्री बी० पी० सिंह केन्द्रीय मन्त्री थे जो कुछ हो चुका है, हम उस पर विलाप नहीं कर रहे हैं, किन्तु हम इस बात से बहुत क्षुब्ध है कि एक राज्य को वहां के मुख्य मन्त्री ने तमिलनाडु को राष्ट्र से अलग करने की अपनी राष्ट्रविरोधी हरकतों से ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि वहां राष्ट्रपति का शासन बुरा होने पर भी आवश्यक हो गया। हम इस बारे में बहुत दुखी हैं। तथापि श्री जसवंत सिंह और माननीय सोमनाथ चटर्जी ने तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन को लागू करना लोकतन्त्र की हत्या बताया है। इसका उन्होंने कारण यह बताया है कि निर्वाचित सरकार से सत्ता छीन ली गई है। किन्तु उन्हें यह पता होना चाहिए कि चुनाव 1989 में ही नहीं, 1989 में भी हुए थे। उन्हें पता होना चाहिए कि दिसम्बर 1989 के चुनावों में जो सरकार सत्ताच्युत की गई थी, उसे जनता ने सीधे नकार दिया था और इसलिए वह एक निर्वाचित नहीं, अस्वीकृत सरकार थी जिसे नकार दिया गया था, पिछले आम चुनावों में विधान सभा के 230 निर्वाचन क्षेत्रों में से द्रमुक को केवल 4 स्थान प्राप्त हुए, 230 निर्वाचन क्षेत्रों में उन्हें साफ तौर से शिकस्त मिली, तो आप पदच्युत सरकार को निर्वाचित सरकार कैसे कह सकते हैं, तमिलनाडु के एक साम्यवादी सदस्य ने यह ठीक ही कहा था कि वही ऐसा एकमात्र सदस्य है जो पिछले आम चुनाव में तमिलनाडु से निर्वाचित होकर आया है। हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने चुनौती दी है कि यहां हमसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनका मुकाबला कर सकता है। किन्तु यहां सच्चाई अवश्य बता दी जानी चाहिए, पिछली बार वह

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपने निर्वाचन क्षेत्र से कैसे विजित हुए थे ? हमारी नेता पुरात्ची थालैवी जयललिता पिछले आम चुनाव में 39 में उनमें से केवल 38 ससदीय चुनाव क्षेत्र का दौरा कर पाई थी, भारी वर्षा के कारण वह उनके निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं कर पाई थीं, जयललिता द्वारा दौरा किए गए उन 38 निर्वाचन क्षेत्रों में हमारी पार्टी और हमारे सहयोगी दल भारी बहुत से विजयी हुए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से विजित होकर आया है, वह इस महान सभा में चुनौती दे रहा है, मैं उनकी चुनौती स्वीकार करने को तैयार हूं।

हम उनसे उनके चुनाव क्षेत्र में सामना नहीं करेंगे। किन्तु हमारे दल का एक नया कार्यकर्ता भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनका विरोध करेगा और हम देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने इस सभा में चुनौती दी है, वह इस सभा में पुन आ भी सकता है या नहीं। किन्तु मैं उन्हें यह चेतावनी भी देना चाहूंगा कि उन्हें स्वयं को अयाचित कीर्तिमण्डित नहीं करना चाहिये। आखिरकार सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से केवल दो ही में तो वह अधिक मत प्राप्त कर सके हैं।

सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने उस संकल्प पर भाषण दिये हैं उन्होंने बारबार यह राय दोहराई है कि अ०भा०अ०मु०क० ने प्रधानमंत्री को धमकियां दी हैं और उन पर द्र०मु०क० सरकार को बर्खास्त करने के लिए जोर डाला है। माननीय सोमनाथ चटर्जी ने यह राय व्यक्त की है, श्री वी०पी० सिंह ने भी दबाव में अपनी राय प्रकट की है। किन्तु उन्हें इस तथ्य का विश्लेषण करना चाहिये कि जब पिछले नवम्बर में हमने वर्तमान सरकार को शर्तहीन समर्थन दिया था। हमने केन्द्र में एक स्थिर सरकार लाने के विचार से समर्थन दिया था। कई अखबारों ने तो उस समय यह भविष्यवाणी भी की थी कि अ०भा० अ०द्र०मु०क० केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में शामिल होगी, इन अफवाहों के विपरीत हमने केन्द्रीय सरकार के गठन में भाग नहीं लिया। हमने साफ तौर से यह बता दिया था कि हमारा समर्थन शर्तहीन होगा। इसलिये मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह अंदेशा कैसे लगा लिया गया कि हमने चन्द्रशेखर सरकार पर, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सरकार को सत्ताच्युत करने के लिए दबाव डाला है।

4.00 म०प०

यदि यह मान भी लिया जाये, कि हमने उन पर दबाव डाला है, तो भी इन माननीय सदस्यों को, जो आरोप लगा रहे हैं, यह मालूम होना चाहिये कि चन्द्रशेखर का मन्त्रिमण्डल हमारे समर्थन के बिना भी चल सकता है। यदि हम समर्थन देना बंद भी कर दें तो भी चन्द्रशेखर मन्त्रिमण्डल को कोई खतरा नहीं होगा। महोदय इसलिए यह अन्देशा, या यह आरोप कि चन्द्रशेखर मन्त्रिमण्डल पर दबाव डाला गया, निराधार और एक पूर्वानुमान भाग है।

गृह मंत्रालय में माननीय राज्य मन्त्री और भूतपूर्व गृह राज्य मन्त्री, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने द्र०मु०क० की सरकार को बर्खास्त किये जाने के कारण बताये हैं। इन कारणों से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि बर्खास्तगी मुख्यमंत्री द्वारा की गई आत्महत्या मात्र थी, उसने स्वयं अपने सिर पर मिट्टी डाली है, इसके लिए वह और उनके कारनामों से ज्यादा कोई जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने तमिल ईलम के मुक्ति चीतों का समर्थन किया, उन्हें आमन्त्रित किया, उन्हें कानून व्यवस्था को भंग करने दिया, उल्फा से उनके सम्पर्क बनने दिये। तमिल ईलम के

मुक्ति चीतों के उल्फा, नक्सलवादियों और भारत के अन्य उग्रवादी संगठनों से सम्बन्ध थे। मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये घृणित गतिविधियां सफलतापूर्वक चलीं। इसलिए श्री करुणानिधि को जाना पड़ा।

दूसरी ओर श्री वी० पी० सिंह ने एक और प्रश्न उठा दिया है। उन्होंने पूछा कि : तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों का भारत में प्रवेश कब हुआ। वह कहते हैं तमिल ईलाम के मुक्ति चीते 1983 से तमिलनाडु में आने लगे थे। उन्होंने बताया कि इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी और एम० जी० रामचन्द्रन के समय में इस राज्य में तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों की कार्यवाहियां बेरोकटोक जारी रहीं। इसलिए उन्होंने श्री करुणानिधि को उन सब गैर जिम्मेदार कार्यवाहियों से छुटकारा दिलाने की चेष्टा की है जिनके लिए उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। इन बातों को भी श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी दोहराया है। उन्होंने बार-बार कहा कि एम० जी० रामचन्द्रन ने तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों को शस्त्र सप्लाई किए हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि आज इन सब बातों के लिए करुणानिधि को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। किन्तु आपने कर्तव्यवश मुझे इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी और एम० जी० रामचन्द्रन द्वारा इन विद्रोहियों को दी गई सहायताओं में और करुणानिधि द्वारा उन्हें दी गई सहायता के अन्तर को स्पष्ट करना ही होगा। जब श्रीलंका के तमिल भारत में शरणार्थी बनकर आए थे, इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी और एम० जी० रामचन्द्रन ने बन्धुत्व भाव से उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक सहायता दी थी। इन तीन महान नेताओं ने हमारे जातीय सम्बन्ध के कारण इन शरणार्थियों का दोस्ताना हाथ बढ़ाकर स्वागत किया। इसलिए उन्हें तब दी गई सहायता किसी और प्रसंग में दी गई थी। इन शरणार्थियों ने यह शपथ ली थी कि उन्हें विश्वास था कि उस कठिन समय में भारत में उनका जीवन सुरक्षित है। उन्होंने श्रीलंका में सिंहलियों के दमनचक्र से बचने के लिए भारत की शरण ली। महोदय, किन्तु वह सहायता जो करुणानिधि द्वारा तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों को प्रदान की गई थी गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न प्रकार की थी। मेरे हाथ में एक वीडियो कैसेट है। इस कैसेट में द्र० मु० क० के एक जिम्मेदार संसद सदस्य को श्रीलंका में मुक्ति चीतों के शिविरों में दिखाया गया है। इस संसद सदस्य और श्रीलंका के आतंकवादियों के बीच हुई बातचीत में भारतीय सेना की एक विदेशी सेना के रूप में निंदा की गई और उसे एक कब्जा करने वाली सेना कहा गया। इस कैसेट में यही बताया गया है। इसलिए महोदय जब इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी और एम० जी० रामचन्द्रन ने इन श्रीलंकाइयों की सहायता तब की जब उन्होंने भारत को अपनी शरणस्थली के रूप में स्वीकार किया। किन्तु जब करुणानिधि ने सहायता प्रदान की थी, तो तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों ने भारतीय सेना को एक कब्जा करने वाली सेना और हत्यारों की सेना बताया था। यही अन्तर है। इसलिए श्री वी० पी० सिंह और करुणानिधि ने तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों का समर्थन तब किया जबकि तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों ने हमारी सेना को हत्यारों की सेना बताकर निंदा की। हमारी सेना हमारी प्रभुसत्ता का प्रतीक है। हमारी सेना पर हुआ हमला हमारी प्रभुसत्ता पर हमला है। इसलिए श्री वी० पी० सिंह और श्री करुणानिधि द्वारा दिया गया समर्थन राष्ट्रविरोधी था। द्र० मु० क० के सदस्य को जनता में यह कहने का साहस है कि यदि जरूरत पड़ी, तो वे भारतीय सेना को, जिसने श्रीलंका के आतंकवादियों की

ाति के आधार पर भारी पैमाने पर हत्या की, अपने बूटों तले कुचल देंगे। क्या यह राष्ट्र-
रोधी वक्तव्य नहीं है ? इस सभा में बैठे अनेक सदस्यों ने जनता में बांटे जा रहे इन कैसेटों को,
साम्प्रदायिक दुर्भावनायें बढ़ा रहे हैं, निन्दा की है। किन्तु जो कैसेट मेरे हाथ में है, उसके
रे में क्या विचार है ? यह पूर्णतः राष्ट्रविरोधी है। यह पूर्णतः धर्म विरोधी है। यह द्र०मु०क०
रा तमिलनाडु के सभी भागों में दिखाई जा रही है। इसमें भारतीय सेना को बहुत क्षुद्र बताया
ा है। इसमें भारतीय सेना का अपमान किया गया है किन्तु द्र० मु० क० द्वारा कैसेट बजाये जा
हैं और जनता को दिखाए जा रहे हैं। कैसेट द्रमुक द्वारा अबाध रूप से जनता में बांटे जा रहे
। महोदय, इसलिए श्रीलंका के तमिलों को श्री करुणानिधि द्वारा दी गई सहायता और श्री
म० जी० रामचन्द्रन द्वारा दी गई सहायता में अन्तर है। श्री एम० जी० रामचन्द्रन
किसी दल विशेष का समर्थन नहीं किया। उन्होंने केवल तमिल ईलाम के मुक्ति
तों का ही समर्थन नहीं किया, उन्होंने मुक्ति चीतों के अतिरिक्त ई०पी०आर०एल०
फ०, ई०एन०डी०एल०एफ० और अन्य दलों को समर्थन दिया। किन्तु करुणानिधि ने श्रीलंका
सशस्त्र गतिविधियों और भारत में उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जारी रखने के लिए
ल मुक्ति चीतों को ही समर्थन दिया। इसलिए श्री करुणानिधि यह नहीं कह सकते कि
ुोंने भी तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों की उसी प्रकार सहायता की थी जिस आधार पर श्री
०० जी० रामचन्द्रन ने की थी। जब एम० जी० रामचन्द्रन ने यहां आए श्रीलंकाई तमिलों की
ायता की थी तो उन्होंने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा था कि ये शरणार्थी राज्य की शांति
न करें, राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों में भाग न लें और ऐसा कोई कार्य न करें जो भारत के
विधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। उन्होंने उन्हें उल्फा और अन्य अतिवादी संगठनों से सम्पर्क
ीं बनाने दिया था। उन्होंने तमिलनाडु में सभी तमिल चीतों को नियंत्रण में रखा और बंधुत्व
ना से उन्हें जीवित रखने के लिए उनके लिए भोजन व्यवस्था की, इस प्रकार वह एक ऐसा
मास्टर था जिसके नियंत्रण में ये सभी चीते संविधान के अनुसार चल रहे थे। किन्तु श्री
० पी० सिंह और श्री करुणानिधि की तुलना एम० जी० रामचन्द्रन से कदापि नहीं की जा
ती है। ये निर्बल व्यक्ति, एम० रामचन्द्रन के विपरीत जो शेरों के साथ पिंजरे में और उसके
पास रहा करते थे, मात्र अर्दली के जो किसी के कहने पर पिंजरों के दरवाजे खोलते, बन्द
ते थे। जब उन्होंने इसे खोला तो उन्हें चीतों ने अपनी आतंकवादी गतिविधियों से जख्मी कर
ा। एम० जी० रामचन्द्रन की इतनी सामर्थ्य थी और श्री वी० पी० सिंह और श्री करुणानिधि
ये कमजोरियां थीं।

चीतों के साथ अकुशलता पूर्वक व्यवहार करने और श्री वी० पी० सिंह और श्री
गानिधि की कमजोर कार्यवाहियों के कारण राज्य में आतंकवादी मुक्ति चीतों की भारी
ने पर घुसपैठ हुई जिससे आतंकवादियों के शिविरों की संख्या बहुत बढ़ गई और उल्फा तथा
के अन्य उग्रवादी संगठनों के साथ उनके सम्पर्क बन गए।

महोदय, देश की आबादी 80 करोड़ है। ऐसे में जबकि हमें इस विशाल आबादी के
ाण के लिए कार्य करना है, द्रमुक सरकार ने पड़ोसी देश से बड़ी संख्या में आतंकवादियों को
में आने दिया है। उन्होंने स्थानीय पुलिस को यह आदेश जारी कर दिए थे कि वे भारत में

उनकी घुसपैठ को न रोके। उन्होंने पुलिस को उन्हें भारत में आने में और तमिलनाडु में बेरोक टोक फिरने में सहायता प्रदान करने के आदेश जारी किए थे। इसलिए आने वाले आतंकवादियों को किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इससे उनकी यह धारणा बन गई कि वे मुक्त रूप से भारत में अपनी घृणित गतिविधियां जारी रख सकते हैं। मुझसे पूर्व के वक्ता माननीय सदस्य ने हिन्दू की एक सम्पादकीय टिप्पणी का उद्धरण देने का प्रयास किया था। किन्तु मैं 9 जुलाई 1990 के इण्डियन एक्सप्रेस में छपे एक समाचार को उद्धरित करना चाहूंगा। कुछ दिन पूर्व 16 जून को मद्रास में ई०पी०आर०एल०एफ० के नेता पदमनाभ सहित 16 व्यक्तियों की मुक्ति चीतों द्वारा दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद इण्डियन एक्सप्रेस में यह समाचार छपा :—

"30 जून को तमिल ईलम के मुक्ति चीते चार नौकाओं में अपने सहयोगियों को लाए जो उनके अनुसार हाल में हुई लड़ाई में घायल हो गए थे।

नौकायें रात को उचीपुली के समीप मरक्कापालायम में रुकी। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस के गश्ती दलों को संकेत देने के लिए इन विद्रोहियों ने तट की ओर संकेतन हेतु तेज रोशनी फेंकी, बिना किसी विरोध के वे उन्हें उतारकर वहां गायब हो गए।

दूसरी घटना में तमिल ईलाम का शस्त्र रहित एक मुक्ति चीता 28 जून को मण्डपम शरणार्थी शिविर में घुस गया और वह वहां रहने वाले लंका के कुछ तमिल शरणार्थियों द्वारा पीटा गया। उसे दूसरे लोगों ने छुड़ाया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिसने बाद में उसे छोड़ दिया गया।"

इस प्रकार श्रीमान समाचारों में बताई गई ये सब घटनायें तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों द्वारा मद्रास ई०पी०आर०एल०एफ० के 16 व्यक्तियों की नृशंस हत्या होने के तत्काल बाद की बताई गई हैं। इसके बावजूद माननीय सदस्य एम० जी० रामचन्द्रन द्वारा दी गई सहायता की, श्री करुणानिधि द्वारा दी गई सहायता से तुलना कर रहे हैं। करुणानिधि की सहायता का अर्थ था आतंकवादियों को राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों के लिए भारत में आने का संकेत देना। किन्तु श्रीलंका के तमिलों को सहायता देते हुए एम० जी० रामचन्द्रन ने पुलिस को हमारे देश में सत्ता विरोधी कार्यवाहियों में श्रीलंकाई आतंकवादियों की सहायता करने के निर्देश नहीं दिए थे। दूसरी ओर श्री करुणानिधि ने ऐसा किया। मैं यह भी बता दूं कि जब एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कार्मिक ने तमिलनाडु में आतंकवादियों की निर्बाध आवाजाही को रोकने की कोशिश की तो क्या हुआ। मंडपम में एक पुलिस कर्मी ने संदेह हो जाने पर श्रीलंकाई आतंकवादियों को ले जा रही एक वैन को रोकने का प्रयास किया, पुलिस कर्मी के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया और श्रीलंका के आतंकवादी वैन भगा कर ले गये। यह घटना अप्रैल 1990 में हुई थी। करुणानिधि सरकार ने आतंकवादियों को गिरफ्तार करने की कोई कार्रवाई नहीं की। इस देश की 80 करोड़ की आबादी है और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी देश में काम कर रहे हैं। किन्तु एक पड़ोसी देश का एक आतंकवादी आता है और पुलिस वाले को गोलियों से छलनी कर साफ बच निकलता है। श्री करुणानिधि द्वारा ऐसा होने दिया जा रहा था। केवल यही नहीं कि

राज्य सरकार के तत्कालीन गृह सचिव श्री नागराजन ने समाचार पत्रों के संवाददाताओं को बुलाया और यह धमकी दी कि यदि यह खबर उन्होंने छापी तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उस समय वहां कोई चिदम्बरम अथवा कुमार मंगलम नहीं था। उस समय केन्द्र में श्री वी० पी० सिंह थे और राज्य में करुणानिधि थे क्या यह शर्म की बात नहीं है ?

श्रीमान केवल यही नहीं ये विद्रोही हमारी ही समुद्र सीमा में मछली पकड़ रहे 300 मछुआरों का अपहरण कर उन्हें श्रीलंका ले गये। 10 दिनों बाद इन विद्रोहियों ने भारत को चेतावनी जारी की और उन्हें छोड़ दिया। यह मामला कांग्रेस और अ०भा०अ०द्र०मु०क० द्वारा विधान सभा में उठाया गया था। आप जानते है मुख्य मंत्री ने तब क्या जवाब दिया था ? उन्होंने मछुआरों और सीमा शुल्क अधिकारियों के अपहरण की निंदा नहीं की। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह उन विद्रोहियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे। दूसरी ओर उन्होंने मामले को गम्भीरतापूर्वक न लेते हुए इसे समाप्त कर दिया। उन्होंने सदस्यों को सांत्वना दी कि मछुआरे आतंकवादियों की हिरासत में थे और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था। उग्रवादी मछुआरों को बिरियानी देते और उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि सदस्यों को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह सभा निर्णय ले कि क्या ऐसे मुख्य मंत्री को अपने पद पर बना रहना चाहिए जो लोगों के कल्याण के प्रति इतना अधिक गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अनभिज्ञ है। क्या आप अभी भी यह समझते हैं कि हम श्री करुणानिधि को देश भक्त के रूप में स्वीकार करें।

मैं दुबारा मद्रास में ई०पी०आर०एल०एफ० के 13 व्यक्तियों की निर्मम हत्या के मामले का उल्लेख करता हूं। ई०पी०आर०एल०एफ० संगठन के कार्यकर्ता भारत में क्यों आए ? इसका यह कारण था कि जब हमारी सेना श्रीलंका में तैनात थी, इन ई०पी०आर०एल०एफ० के लोगों ने श्रीलंका में हमारी सेना के हितों की देखभाल की। जब श्रीलंका से हमारी सेना वापिस बुलाई जानी थी, वहां ऐसा वातावरण बन गया था जिसमें श्रीलंका और एल०टी०टी०ई० के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित हो गए थे। यह आशंका होने पर कि उनके जीवन को खतरा है, ई०पी०आर०एल०एफ० के लोगों को, जो श्रीलंका में भारतीय हितों की देखरेख में पूर्ण सहयोग कर रहे थे, भारत में शरण लेनी पड़ी। स्वयं भारत सरकार ने ई०पी०आर०एल०एफ० के लोगों को शरण प्रदान की और उन्हें दो जहाजों में भारत आने की अनुमति प्रदान की। परन्तु श्री करुणानिधि ने ई०पी०आर०एल०एफ० के लोगों की, जो हमारी सरकार के निमन्त्रण पर भारत आए थे, एल०टी०टी०ई० के उग्रवादियों के साथ मिलकर उनकी हत्या करने के लिए सांठ गांठ की। एल०टी०टी०ई० के हत्यारों को तामिलनाडु में 400 कि०मी० तक आने दिया गया और उन्हें श्रीलंका में भाग जाने दिया गया। यह विश्वासघात अक्षम्य है। जो लोग हमारे मेहमाने के रूप में यहां आए थे उन्हें हमने मार डाला। यह अक्षम्य अपराध है। इसलिए श्री करुणानिधि, उन पुलिस अधिकारियों जो इसमें शामिल थे और श्री वी० पी० सिंह जिन्होंने यह चाहा कि श्री करुणानिधि की सरकार आम चुनावों में पराजित होने के बावजूद भी बने रहे के विरुद्ध एल०टी०टी०ई० द्वारा ई०पी०आर०एल०एफ० के लोगों को मरवाने का षडयंत्र रचने

के लिए मुकदमे दायर किए जाने चाहिए। तब भी हम हमारे देश की प्रतिष्ठा और सम्मान को सुरक्षित रख पाएंगे।

कांग्रेस दल के माननीय सदस्य और भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री श्री पी० चिदम्बरम ने डी०एम०के० सरकार के विरुद्ध आरोपों की एक सूची दी है और यह सिद्ध किया है कि श्री करुणानिधि राष्ट्रवादी और देशभक्त नहीं हैं। वह राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के विरुद्ध हैं।

माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त आ गए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तमिलनाडु यूनिट के महासचिव श्री मनिकम ने 3 जनवरी, 1989 को एक पत्रकार को साक्षात्कार दिया था। पत्रकार ने श्री मनिकम से यह पूछा कि डी० एम० के० के साथ समझौता न होने के क्या कारण है ? जबकि उनके सहयोगी दल सी०पी०आई० (एम) डी०एम०के० के साथ समझौता हो गया है। श्री मनिकम ने उत्तर दिया कि श्री करुणानिधि का कोई आत्म सम्मान नहीं है। इसी कारण से वह श्री करुणानिधि के साथ समझौता करना नहीं चाहते थे। पत्रकार ने यह भी पूछा कि क्या श्री करुणानिधि के साथ समझौता न होने का कोई और राजनैतिक कारण भी है।

4-17 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुथिया आप लगभग 25 मिनट तक पहले ही बोल चुके हैं।

***श्री आर० मुथिया** : महोदय, यह विषय तामिलनाडु से सम्बन्ध है। तामिलनाडु से सम्बन्धित एक मात्र दल हमारा ही है। प्रत्येक सदस्य ने अनेक प्रश्न पूछे हैं। हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

इस प्रश्न के उत्तर में श्री मनिकम ने उत्तर दिया कि श्री करुणानिधि देश की एकता और अखण्डता के विरुद्ध हैं। श्री करुणानिधि अपने विचारों और कार्यों से देश द्रोही हैं और इसलिये वह डी० एम० के० के साथ गठजोड़ नहीं करना चाहते थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब आप शैतान का उल्लेख कर रहे हैं।

***श्री आर० मुथिया** (पेरियाकुलम) : वह दल अब श्री करुणानिधि का समर्थन कर रहा है जिसने विधान सभा चुनावों के समय उन्हें राष्ट्र विरोधी कहा था। चन्द्रशेखर सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने डी०एम०के० सरकार की बरखास्तगी की मांग नहीं की। हम बहुत समय पहले से लगातार यह मांग कर रहे हैं। हमने यह मांग उस समय की थी जब ई० पी० आर० एल० एफ० के 16 लोगों की नृशंस हत्या की गई थी। हमने वी० पी० सिंह सरकार से अनुरोध किया था कि डी०एम०के० सरकार की बरखास्तगी में कोई विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। हमने मांग की थी कि एक मुख्य मन्त्री, जिसने भारतीय सेना का अपमान किया हो, को पद पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। श्री करुणानिधि की राष्ट्र-विरोधी

*मूलतः तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सरकार के विरुद्ध की गई हमारी सारी मांगें अनसुनी कर दी गईं। आज हमें इन चौंकाने वाले तथ्यों का पता चला है कि वी० पी० सरकार किस प्रकार की करुणानिधि सरकार के साथ मिली हुई थी। एक-एक करके अनेक तथ्य सामने आ रहे हैं। अतः मैं यह आरोप लगाता हूं कि पिछले दो वर्षों से तमिलनाडु में चल रही सभी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए केवल श्री वी० पी० सिंह और उनके सहारे चलने वाले श्री करुणानिधि जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं इस महा सभा से अनुरोध करता हूं कि इन सभी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की केवल तभी पोल खोली जा सकती है जब पिछले दो वर्षों में श्री वी० पी० सिंह और श्री करुणानिधि की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की जाँच करने के लिए जाँच आयोग की नियुक्ति की जाएगी।

वे कहते हैं कि डी० एम० के० सरकार को सत्ता हथियाने के उद्देश्य से बर्खास्त किया गया है। परन्तु उन्हें यह समझना चाहिए कि जब डी०एम०के० सरकार को बर्खास्त किया गया था तो जनता को यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि शीघ्र ही चुनाव कराए जाएंगे चुनाव शीघ्र कराए जा सकते हैं यहां तक कि कल ही चुनाव कराए जा सकते हैं। विधान सभा भंग कर दी गई ताकि हम जनता के पास जा सकें। लोगों के पास जाने का यही एक रास्ता है। लोगों को ही इस मामले पर निर्णय लेने दिया जाए और वे हमारे पक्ष में ही निर्णय लेंगे। यह निर्णय इतना सही होगा जो विधान सभा भंग करने के निर्णय को न्यायसंगत ठहराएगा।

इन शब्दों के साथ मैं तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्वीकृति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : महोदय, गृह मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : मैं गृह मन्त्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए सभा में उपस्थित हूं।

श्री पी० आर० कुमारमंगम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद हुए विकास कार्यों की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। महोदय, तमिलनाडु में वर्ष 1989 के प्रारम्भ में हुई राजनैतिक घटना के फलस्वरूप डी०एम० के० सत्ता में आई थी। वास्तव में ऐसा परिस्थितिवश हुआ क्योंकि बहुत समय बाद, वह दल जिनकी एक समान विचारधारा थी और जो संयुक्त रूप से डी० एम० के० के विरुद्ध थे, पहली बार अलग-अलग चुनाव लड़े थे। इससे डी०एम०के० को लाभ प्राप्त हुआ जिसके कारण वह अल्पमत प्राप्त करके भी सत्ता में आ गए।

परन्तु आश्चर्यजनक बात यह थी कि न केवल हाल ही में हुए उपचुनावों में अपितु कुछ ही महीनों में जब नवम्बर 1989 में लोक सभा चुनाव हुए थे, लोगों ने डी०एम० के० को अस्वीकार कर दिया था। वास्तव में यह अस्वीकृति एक संयोग नहीं था क्योंकि लोक सभा चुनावों के दौरान डी०एम०के० और श्री करुणानिधि ने पोस्टरों के रूप में और प्रत्येक जनसभा में हर प्रकार से यह नारा दिया :

"यदि आप करुणानिधि का शासन जारी रखना चाहते हो तो उगते हुए सूर्य को वोट दें।"

"उगता हुआ सूर्य" डी०एम०के० का चुनाव चिन्ह था। इस हद तक जनता ने उन्हें अस्वीकार किया कि

अन्त में केवल उनके सहायक श्री सालवराज चुनावों में विजयी हो पाए और कोई भी अन्य सभा में चुनकर नहीं आ पाया। लोगों ने पूर्ण रूप से डी०एम०के० को अस्वीकार किया। उनकी पराजय में वोटों का अन्तर बहुत अधिक था। लोगों ने एकदम यह स्पष्ट कर दिया कि वह डी० एम०के० का शासन नहीं चाहते।

दुर्भाग्यवश, इस स्पष्ट जनादेश का परिणाम यह निकला कि डी०एम०के० ने यह महसूस किया कि यदि चुनाव होते हैं तो वह सभी सत्ता आएंगी। हम सबने श्री करुणानिधि को त्यागपत्र देने के तथा विधान सभा भंग करके चुनाव कराने की सिफारिश करने को कहा था। परन्तु उन्होंने इसे दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया यद्यपि चुनाव अभियान के दौरान वह यह कहते थे कि यदि 39 सीटों में से वह 5 सीटों पर भी हारेंगे तो वह दुबारा चुनाव कराएंगे।

उन्होंने कभी भी अपने वायदे को पूरा नहीं किया। यह आम बात है, परन्तु गिरावट इतनी हुई कि उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। वास्तव में सत्तारूढ़ दल अर्थात द्रमुक का काम लोगों की सेवा करना नहीं रह गया था, वह अपने ही फायदे के लिए काम कर रहा था, भ्रष्टाचार चरमसीमा तक पहुंच गया था। इसे संस्थागत रूप दे दिया गया था। भ्रष्टाचार के बारे में कुछ भी छुपा नहीं है। खुलेआम मांग की जाती है खुला पैसा लिया जाता है, ठेका दिया जाता है और किसी को भी बुरा नहीं लगता। इतना ही नहीं शक्ति का इस्तेमाल लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जा रहा था, ऐसे व्यक्ति विधान सभा के निर्वाचित सदस्य थे या राज्य सरकार के मंत्री, या उनके रिश्तेदार, कानून का दुरुपयोग पुलिस को पंगु बनाने जैसी घटनाएं पिछले 24 महीनों, विशेषकर लोक सभा चुनाव के 12 महीने के बाद हर समय घटनी शुरू हो गई।

इससे भी बुरी बात तो यह थी कि ऐसे लोग जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे लोगों की रक्षा करेंगे और कानून लागू करेंगे, वे अपने स्वार्थों के लिए इसका उल्लंघन कर रहे थे। इतना ही नहीं वे लोग तस्करी और नशीली दवाओं के व्यापार तथा हथियारों की बिक्री में संलग्न थे और उन पर किसी प्रकार की रोकटोक नहीं थी। इससे भी बढ़कर इन लोगों की असम, पंजाब और आंध्र के उग्रवादियों से सांगठांग थी और वे इसे बढ़ावा दे रहे थे। यही नहीं वे निश्चित थे कि सरकारी तंत्र संचार व्यवस्था तथा संबंध स्थापित करने से उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे बुरी उनकी सुनियोजित योजना थी। उनकी योजना एक संगठित हथियारबंद गिरोह बनाने की थी जो चुनाव में गड़बड़ी करने, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करके सत्ता हथियाने में मदद करे। ऐसा कभी नहीं हुआ। तमिलनाडु में पहली बार नगर निगम के चुनाव में ऐसा हुआ— श्री जसवंत सिंह ने भाषण देते वक्त नगर निगम के चुनाव में श्री चिदम्बरम का उल्लेख किया था और कहा था कि यह काफी संकीर्ण बात है। मुझे लगता है कि वे मामले को नहीं समझ सके। मामला यह था कि चुनाव किस प्रकार कराया गया, हमने पुलिस को देखा, हमने अधिकारियों को देखा हमने हथियार बंद भाड़े के गिरोह, गुंडों को मतदान केन्द्रों पर अबरन कब्जा करते देखा। उन लोगों ने मतदाताओं को अन्दर जाने नहीं दिया। वे उम्मीदवारों को उठाकर ले गये। इन सबके पीछे बस एक ही उद्देश्य था, कि एक गिरोह तैयार किया जाए जो राज्य में लोकतांत्रिक

प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर दे क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें जनता का समर्थन नहीं है। भाषण देते समय श्री सोमनाथ चटर्जी ने चुनावों का उल्लेख किया था और कहा था कि जनता चुनाव में अपना निणय देगी।

जी हां जनता ही चुनाव में निर्णय करेगी। तमिलनाडु के लोग आपको बताएंगे कि मई, 1990 के आपका निर्णय सही था और आज यह गलत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही कारण है कि आप सभा भग करके जनता के सामने नहीं जाना चाहते हैं, आप चुनाव का सामना नहीं करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : दुर्भाग्यवश समस्या यह है कि माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी काफी अच्छे वक्ता हैं लेकिन जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो वे आलंकारिक शब्दों का सहारा लेते हैं और हल्की गालियों का सहारा लेते हैं। लेकिन इस बार, हमने देखा कि उन्होंने इन शब्दों का भरपूर उपयोग किया है, इस बात के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं, बहरहाल उनमें यह प्रतिभा है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यों ही श्री वी०पी० सिंह की सरकार बनी, गड़बड़ शुरू हो गई, द्रमुक के साथ एस०टी०टी०ई० के सम्बन्ध सुदृढ़ हो गए। द्रमुक की ओर से उन्हें कुछ आश्वासन दिये गये जिनमें आई०पी०के०एफ० को हटाना तथा गोलाबारूद से उनकी सहायता करना शामिल था। अन्य तमिल ग्रुपों का सफाया करने तथा अन्य गुप्त कार्यकलापों में सरकार उनकी सहायता कर रही थी। मैं वामपंथी दल के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इसे ध्यान से सुनें। यह योजना बनाई गई थी कि तमिल उग्रवादियों के सभी लोकतांत्रिक प्रगतिशील ग्रुप का सफाया कर दिया जाए।

यह योजना बिना तैयारी के नहीं थी और ई०जी०आर०एल०एफ० के नेता पदमनाभन सहित 15 व्यक्तियों की हत्या यूं ही नहीं कर दी गई। एल०टी०टी०ई० के 'हिट स्कवाड' को स्पष्ट तौर पर राज्य गुप्तचर विचार द्वारा सूचना दी गई थी जिसे वास्तव में यह जानकारी थी कि पदमनाभ कब घर आये हैं और उनका दल कहां ठहरा हुआ है। योजना को कार्यरूप दिया गया। सबसे बुरी बात तो यह थी कि घटना के तुरन्त बाद उसके बारे में बिना कुछ जाने पुलिस महानिदेशक ने एल०टी०टी०ई० के बचाव में कहा कि "एल०टी०टी०ई० का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।" किसी प्रकार की जांच नहीं की गई यहां तक कि उस समय कोई बयान भी रिकार्ड नहीं किया गया।

यह योजना आंशिक रूप से सफल हुई। मैं सिर्फ एक संसद सदस्य के रूप में ही नहीं बल्कि इस देश के नागरिक के रूप में भी कृतज्ञ हूं तथा तमिलनाडु का होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य को बचा लिया गया है। यदि ऐसा न किया जाता और यदि द्रमुक को कुछ महीने और अपने तरीके से सरकार चलाने का मौका दिया जाता तो वहां असम या पंजाब से भी खराब हालत हो जाती क्योंकि उनके पास हथियार और नशीली दवाइयां दोनों थीं।

इस बात को मैंने यूं ही नहीं कहा है । मैं कहना चाहूंगा कि जब मई के मध्य में 14 मई, 1990 को हथियार बनाने के एक भूमिगत फैक्ट्री के बारे में मामला दायर किया गया था तो मेरे मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी जो दुर्भाग्यवश यहां नहीं है, ने इस मुद्दे को सभा में उठाया था और पूछा था कि इस बारे में क्या किया जा रहा है जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की गतिविधियों की अनुमति दी गई तो ये पूरे देश में फैल जाएगी और वे ज्यादा मजबूत हो जाएंगे । उन्होंने आंकड़ों का भी उल्लेख किया ।

दुर्भाग्यवश मैं समझता हूं कि उनके नेता ने फिलहाल अपना विचार बदल दिया है। (व्यवधान) और वे स्पष्टीकरण दे रहे है । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आपके पास इस बात की सूची है कि आपने कितनी बार द्रमुक को और कितनी बार अन्नाद्रमुक को समर्थन दिया है ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम . हमने आपसे कम बार समर्थन दिया है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हमने कम बार समर्थन दिया है। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि वहां ग्रेनेड, बारूदी सुरंग और बम बनाये जा रहे थे जोकि मुख्यतया सैनिक हथियार हैं, ये साधारण बम नहीं थे, ये ग्रेनेड बारूदी सुरंगें और उनके खोल राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे थे । बाजार के लिए भेजे जाने वाले विस्फोटक सामग्री को इन फैक्ट्रियों में भेजा गया इससे भी बुरी बात यह थी कि मई, 1990 के मध्य में एक मामला दायर किए जाने के बाद भी फैक्ट्री में निर्माण होता रहा, और उदयन नामक व्यक्ति जो एल०टी०टी०ई० का एक विशेषज्ञ था जिसे हथियार बनाने के लिए तकनीकी सहायता देने के लिए लाया गया था, को राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ही गिरफ्तार किया गया था । इससे बेहतर सबूत आपके पास क्या हो सकते हैं कि राज्य सरकार को वहां हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री होने की पूरी जानकारी थी । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्री सोमनाथ चटर्जी सभा से बाहर जा रहे हैं ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : और वे सैफुद्दीन चौधरी से पूछ रहे हैं कि आपने क्या कहा था ?

श्री पी० चिदम्बरम : सैफुद्दीन इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं । सैफुद्दीन ने जो कुछ कहा वह सही है और श्री सोमनाथ चटर्जी इस पर झगड़ा न करें ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ई०पी०आर०एल०एफ० के नेतृत्व को समाप्त करने की बात सोची जा रही थी और ऐसा किया जा रहा था तो 'हिट स्कवायड' 350 कि०मी० दूर समुद्र तट तक गाड़ियों में गया, उसने नावें पकड़ीं और वे भाग गये । इतना ही नहीं उन्होंने वी०एच०एफ० संचार माध्यम का इस्तेमाल कर अपना वाहन मंगवाया और पुलिस को अपने मार्ग की सूचना दी । केवल एक अकुशल रेडियो आपरेटर ने यह बातचीत सुनी और पुलिस उन्हें नहीं पकड़ सकी । यही आश्चर्यजनक बात थी । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह हत्या सरकार और द्रमुक के कार्यकर्ताओं की सहमति से हुई थीं, वास्तव में ऐसा हुआ । (व्यवधान)

इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब केन्द्रीय सरकार ने इस बेतार उपकरण की पहचान करने और उसे खोज निकालने के लिए कदम उठाया—एक खास तरीका है जिसके द्वारा आप प्रसारण स्रोत का पता लगा सकते हैं, तो इस बात की जानकारी तरन्त एल०टी०टी०ई० को दी गई ताकि वे उचित कार्यवाही कर सकें और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रसारण की कोई दूसरी प्रणाली अपना सकें।

अतः उनको तुरन्त नहीं पकड़ा जा सका; और इसका यह कारण था कि वायरलैसदुर्भाग्यवश केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में था। और इसीलिए जब वायरलैस सलाहकार ने इस निर्देश पर निर्णय लिया कि उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए तो राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास किया कि इसे लागू न किया जाए।

सबसे बदतर बात यह हुई कि वर्ष 1990 में यह बात सम्पूर्ण विश्व के सामने आ गई कि लिट्टे ने अन्तर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के व्यापार और वितरण में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। जनवरी 1990 में न्यू ओर्लियन्स बन्दरगाह में दो लिट्टे के कार्यकर्ता 20 किलो कोकीन के साथ पकड़े गए जिसकी कीमत लगभग दो मिलियन डालर थी। यही नहीं, पश्चिम जर्मनी में लिट्टे का प्रमुख, जिसका नाम सूर्य कुमारन सेल्वादराई था, ने सन्डे टाइम्स लन्दन के रिपोर्टर को बताया था कि वह 40,000 पाऊण्ड की दर से 1 किलो नशीली दवा लन्दन में कहीं भी ले जा सकता है। यह समाचार छपा था। फरवरी 1990 में लिट्टे के दो व्यक्ति 340 ग्राम हैरोईन के साथ मद्रास अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आते हुए कोलम्बो हवाई अड्डे पर पकड़े गए। आश्चर्य की बात यह है कि तमिलनाडु राज्य में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

अतः यह सर्वविदित तथ्य है कि अनेक छापे मारे गए, नशीली दवाएं प्राप्त की गयीं, सोना पकड़ा गया, और केवल यही नहीं, बल्कि हथियार भी पकड़े गए थे। परन्तु प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसने लिट्टे को चुनौती दी या उसका विरोध किया—उसको ही दण्डित किया गया। पुलिस कॉस्टेबल मार दिए गए; ऐके-47 का प्रयोग हुआ, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। और हम यहां पर सुन रहे हैं कि जो कार्यवाही की गई वह न्यायोचित थी। केवल इतना ही नहीं, वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि नशीली दवाओं का व्यापार एशियाई क्षेत्र में हो रहा है और इसका संचालन मुख्यतः लिट्टे के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, और यह तथ्य सारे विश्व में पता है, और यह सूचना सभी अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपी है। 4 से 10 नवम्बर, 1990 के बीच इस बारे में एक लेख छपा था। लेख का शीर्षक था 'इन्डेप्थ'। इस लेख में सम्पूर्ण विश्लेषण किया गया था और तथ्य सामने लाए गए थे। फिर भी, यद्यपि केन्द्र सरकार ने निर्देश दिया है कि उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए जिनकी पहचान 'कोफेपोसा' के अन्तर्गत की गई है या जिनको कोफेपोसा के अन्तर्गत पकड़ा गया है जोकि तस्करी करते हैं। इनकी एक सूची भी दी गई थी, परन्तु राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके विपरीत कस्टम अधिकारियों का अपहरण किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा उनको धमकी दी गई। वास्तव में यही कुछ हो रहा है।

जब मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध आरोप लगाता हूं तो मुझे विश्वास है कि आप

इसके बारे में जानना चाहते होंगे। मैंने श्री करुणानिधि पर भी यह आरोप लगाया था कि वह तथा उनके परिवार के सदस्य नशीली दवाओं के व्यापार में अंतर्ग्रस्त हो रहे हैं।

उन्होंने मुड़कर प्रेस के माध्यम से उत्तर दिया, "इसमें कोई बात गलत नहीं है।" (व्यवधान)

सबसे पहले उन्होंने कहा, "मेरे दादा तब केन्द्रीय मंत्री थे। कभी-कभी उनकी जीप नशीली दवाएं ले जाने के काम में आती थी।"

जब मैंने उनसे साबित करने को कहा था तथा मैंने उन्हें चुनौती दी थी तो वे अपनी बात से मुकर गए थे। परन्तु सच्चाई यह है कि लिट्टे का सहायता करने का आधार यह है कि नशीली दवाओं के व्यापार से बहुत लाभ प्राप्त हो रहा था, आज द्रमुक के पास हथियार तथा नशीली दवाएं हैं, तथा वे अब भी इस धन्धे में शामिल हो रहे हैं। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि यह धन्धा न हो तथा नशीली दवाओं के व्यापार को समाप्त कर दिया जाए। आपके माध्यम से मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को बताना चाहता हूं कि वे यह जानते हैं—

परन्तु यदि वे इसके बारे में नहीं जानते हैं तो उन्हें जानना चाहिए कि श्री करुणानिधि न तो देश के प्रति वफादार है, न ही अपनी पार्टी के प्रति, न ही अपने राज्य के प्रति और न ही आपके मोर्चे के प्रति वफादार हैं यह आपको धोखा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे। यह उस सांप की तरह हैं जिन्हें आप दूध पिला रहे हैं। हथियारों के व्यापार में सबूत मौजूद है। श्री चिदम्बरम ने पहले ही बहुत कुछ ि काडं प्रस्तुत कर दिया है। परन्तु सब जानते हैं कि लिट्टे को द्रमुक पार्टी के एक संसद सदस्य की सहायता प्राप्त थी जिनके घर पर वे ठहरे थे, प्रतिनिधि वहां ठहरा था, श्री रंगप्पा वहां ठहरे थे, श्री करुणाकरन वहां ठहरे थे तथा वह कैसेट था जो श्री मुथैय्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे। परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ए०के० 47 राइफलें, अरूस 89 ग्रिनेड क्लेनर तथा बारुदी सुरंगें उल्फा को आंध्र प्रदेश में नक्सलवादियों को तथा पंजाब के उग्रवादियों को बेची थीं। असली चाल यह थी कि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि शेष भारत में उग्रवादी अपनी आवाज उठाते हैं या नहीं, क्योंकि असली उद्देश्य पूरे तमिलनाडु को अस्थिर बनाना था और इसी उद्देश्य के लिए वे योजना बना रहे थे। तथा यह निश्चित रूप से श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की आंखों में धूल झोंककर किया जा रहा था। यह बात उनको पता थी कि नहीं, यह मुझे नहीं मालूम। (व्यवधान)

अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब केन्द्र सरकार ने विशेष रूप से निर्देश दिए थे कि तटीय क्षेत्रों पर निगरानी चौकियां होनी चाहिए तथा दी जाने वाली ए० के० 47 उन जवानों को दी जानी चाहिए जो वहां पर तैनात हो, तो भी न तो निगरानी चौकियों पर हर समय जवान तैनात रहते थे, और न ही केन्द्र सरकार द्वारा सप्लाई की गई ए० के० 47 राइफलें जोकि पुलिस के लिए दी गयी थीं, निगरानी चौकियों पर तैनात जवानों को दी गईं।

मुझे विश्वास है कि गृह मन्त्रालय स्पष्ट करेगा कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह सही है या गलत है। मैं उन स्त्रोतों के आधार पर नहीं बोलता रहा हूं जो जिनको लेकर श्री

जसवन्त सिंह बोलते रहे है। मैं तो वह बात कहता हूं जो तमिलनाडु के आम लोगों को मालूम है।

जहां तक सत्ता के दुरुपयोग का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में जिस शहर से मैं तथा मेरे पूर्वज चुनकर सम्बन्धित हैं, वह है सलेम। बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं यहां कहना चाहता हूं कि स्थानीय मंत्री तथा उसके परिवार ने आतंक मचाया। उन्होंने करीब 20 युवतियों, जिनमें नर्सें कालेज की अध्यापिकायें तथा छात्रायें भी शामिल हैं, के साथ बलात्कार किया था और सार्वजनिक रूप से भण्डाफोड़ होने के बावजूद भी वे हर मामले पर पर्दा डालते रहे और सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहां जो लोग बैठे है वे यह नहीं समझते हैं कि तमिलनाडु के लोग क्या महसूस करते होंगे। जब चुनाव होगे तो द्रमुक तथा राष्ट्रीय मोर्चे की जो पिटाई होगी, वह स्पष्ट हो जायेगी। तब मुझे आशा है, कम से कम उस समय तो उनकी आंखें खुल जाएंगी और प्रेस में जो अचानक परिवर्तन आया है उसको वे महसूस कर लेंगे। यह हमने पिछले कुछ वर्षों से देखा है। वास्तव में पिछले कुछ दिनों से, जबसे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तबसे देखा है। तब तक वे दूसरा ही राग गा रहे थे। यदि आपने 'द हिन्दू' अथवा 'एक्सप्रैस' अथवा 'द स्टेट्समैन' पढ़ा हो या अन्य कोई समाचार पत्र जो सीधे ही द्रमुक तथा उनसे सहानुभूति रखने वालों का समर्थन करते हैं, तो आपने यह देखा होगा कि लेख पर लेख छापे गये जिनमें तमिलनाडु की स्थिति का भण्डाफोड़ की आलोचना की गई थी। परन्तु जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उनके स्वर में ही परिवर्तन आ गया। क्योंकि वे जानते है कि अब खतरा टल गया है और संदेहास्पद लगने वाले विचारों से राजनैतिक फायदा उठाने का समय आ गया है। मैं एक या दो चीजों की ओर जिक्र करना चाहूंगा और उनका जवाब देना चाहूंगा।

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : आपकी जानकारी के लिए मैं यह बतला देना चाहूंगा कि डी०एम०के० की सरकार ने प्रेस के खिलाफ 16 मामले दर्ज करवाए हैं। यह रिकार्ड में है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : पर उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री जसवंत सिंह ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से अनुरोध किया था कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के पहले अनुच्छेद 256 के अंतर्गत एक निर्देश जारी किया जाना चाहिए था। कार्रवाई करने के बारे में केन्द्र सरकार ने एक नहीं बल्कि कई निर्देश जारी किए थे हालांकि ये सब धारा 256 के अन्तर्गत नहीं भी हो सकते हैं। उन निर्देशों में यह भी बताया गया था कि कौन-कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह 'कांफेपोसा' या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत या सीमाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से हो। या फिर पुलिस के द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखने अथवा सुयोग्य निगरानी करना या उग्रवादियों को नियन्त्रण में रखना जैसे हर मामले में कई निर्देश दिए गए।

अब मैं आपको और आपके द्वारा श्री वी०पी० सिंह को यह कहना चाहूंगा कि उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के नामपर जिन उग्रवादियों को पकड़ा गया उनमें से कोई भी एल०टी०टी०ई० का

सदस्य नहीं था बल्कि वे लोग किन्हीं दूसरे ग्रुपों के थे जिन्हें श्री करुणानिधि विश्वास-घाती और देशद्रोही कहते थे। ...(व्यवधान) ...क्या आप चाहते हैं कि मैं दब जाऊं?... (व्यवधान)

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : जब श्री जसवंत सिंह जी ने निर्देशों का जिक्र किया था, उस वक्त उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि उन्होंने यह सवाल प्रधानमंत्री से भी पूछा था जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि 'चूंकि वह सबसे आखिरी कार्रवाई होगी, अतः मैं निर्देश नहीं दे रहा हूं।' (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यदि कोई अनुच्छेद 256 पढ़े तो वह पाएगा कि यह मूलतः कानून से सम्बन्धित है न कि सांविधानिक तंत्र के ध्वस्त होने के मुद्दे से। जब कोई ऐसी कार्रवाई होती है जो कानून सम्मत नहीं हो तो निर्देश दिए जा सकते हैं। अतः कतिपय कार्रवाइयों के कानून सम्मत न होने की दशा में ही निर्देश जारी किए गए थे, जिनके लिए हो सकता है कि उनमें अनुच्छेद 256 का स्पष्ट उल्लेख न हो।

महोदय, अनुच्छेद 356 के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सिर्फ राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही आश्रित रहा जाता है। श्री बी०पी० सिंह भी इसे जानते होंगे। उसमें 'अदरवाईज' (अन्यथा) जैसे भी एक शब्द है, जिस पर संविधान के निर्माताओं ने काफी विचार किया था। वास्तव में डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि राष्ट्रपति की नजरों में कुछ खास तथ्य आते हैं तथा उनके पास राज्यपाल की रिपोर्ट नहीं भी पहुंचे तो भी संविधान की मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेवारी पहले की धाराओं में केन्द्र सरकार को दी गई है, अतः इस हालत में राष्ट्रपति को वही करना चाहिए जिसे वह उचित समझता है और उसे यह शक्ति मिलनी चाहिये। ये शब्द डा० अम्बेडकर के हैं किसी और व्यक्ति के या मेरे नहीं हैं। संविधान के निर्माताओं ने इस स्थिति का पूरा विश्लेषण किया था और तमिलनाडु की जैसी स्थिति की पूर्व-कल्पना कर ली थी। दुर्भाग्य वश तमिलनाडु की स्थिति ऐसी है जिससे न सिर्फ देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता को ही, वरन् पूरे तमिलनाडु राज्य के समूचे संरचनात्मक ढांचे को ही खतरा था।

हम लोगों ने पहले भी देखा है कि डी०एम०के० न केवल नशीली दवाओं के व्यापार, हथियार-संचालन तथा अन्य गैरकानूनी कार्यों एवं भ्रष्टाचार में लिप्त थी, बल्कि एल०टी०टी०ई० के हर गैरकानूनी कार्य पर पर्दा डालने की भी कोशिश कर रही थी। पर उससे भी बुरी बात यह है कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने संसद के भीतर और बाहर एक-दो बार नहीं वरन कई बार याचिकाओं के द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट किये जाने के बाद भी इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहा। पर मैं निश्चय ही यह जानना चाहूंगा कि क्या भूतपूर्व गृहमंत्री श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद को मद्रास दौरा सिर्फ श्री करुणानिधि की इस धमकी के कारण रद्द किया गया था कि यदि श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद तटीय इलाकों पर एल०टी०टी०ई० या सरकार के नियंत्रण की सच्चाई का पता लगाने के लिए तमिलनाडु की धरती पर पैर भी रखेंगे तो श्री करुणानिधि इस्तीफा दे देंगे। यदि श्री बी०पी० सिंह यह सत्य जानते हैं तो उन्हें उत्तर देना चाहिए। यदि ऐसा सचमुच

हुआ है तो यह स्पष्ट है कि सरकार ने तमिलनाडु के हालातों को जानते हुए भी राजनैतिक लाभ के लिए अपनी आंखें बन्द रखीं। असाम के बारे में भी यही स्थिति थी। मुझे विश्वास है कि यदि वह सरकार कुछ और दिनों तक कायम रहती तो कुछ अन्य राज्यों की भी यही स्थिति हो जाती।

महोदय, मैं सरकार को इस दूरदर्शी निर्णय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, परन्तु इसके साथ-साथ अभी यह भी जरूरी है कि डी०एम०के० जिन तथाकथित कानूनी एवं गैर-कानूनी गतिविधियों में तथा भ्रष्टाचार में संलग्न थी तथा जिनसे राष्ट्र की सुरक्षा तथा राष्ट्र को खतरा पैदा हुआ था, उनकी पूरी-पूरी जांच करवाई जाए ताकि देश की जनता को यह पता चल सके कि किस तरह से उन्होंने तमिलनाडु राज्य के सारे खजाने को लूटा था।

महोदय, इसके साथ-साथ सत्तासीन लोगों या उनके रिश्तेदारों द्वारा की गई हत्याओं की भी सी०बी०आई० के द्वारा जांच करवानी जरूरी है ताकि जिस अपराध पर पर्दा डालने के लिए तमिलनाडु पुलिस को मजबूर किया गया है, उनका खुलासा हो सके तथा वास्तविक अपराधियों को पकड़ा जा सके।

अन्त में मैं यह बात जोर देकर करना चाहूंगा कि वहां लोकप्रिय सरकार का होना अत्यावश्यक है। तमिलनाडु हर संसद सदस्य की यही मांग है कि वहां शीघ्र चुनाव हों। यदि सरकार मेरी तरफ से इन अनुरोधों पर विचार करे तो मैं अनुगृहित होऊंगा।

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : मैं श्री कुमारमंगलम से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप इसका जिक्र अपने भाषण में कर सकते हैं।

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : पर मुझे मौका नहीं भी मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : तमिलनाडु में पिछले वर्ष की अपनी चार यात्राओं के बाद मेरी जो व्यक्तिगत जानकारी है उसके अनुसार मैं यह कहना चाहूंगा कि करुणानिधि सरकार के शासनकाल में तमिलनाडु की स्थिति बुरी थी। जहां तक एल०टी०टी०ई० के साथ सम्बन्धों की बात है, यह आरोप भी सही है। कानून व्यवस्था नाम की भी कोई चीज वहां नहीं थी। जहां तक डिंडिगुल की बात है, वहां तो एक तरह से अघोषित आपातकाल था। कुछ नागरिक जिन्होंने जनसभाओं में शिरकत की थी उनको परेशान किया गया था। दंगों में मारे गए एक व्यक्ति की पत्नी को धन की एक थैली भी देने की अनुमति नहीं दी गई। इस तरह से डिंडिगुल में करीब एक-दो महीने तक अघोषित आपातकाल रहा था।

समुद्र तट पर तस्करी भी जारी थी। यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि करुणानिधि सरकार ने उसमें मदद की तथा उसको बढ़ावा दिया। मैं श्री चिदम्बरम की इस बात से भी सहमत हूं कि राज्य का गृह सचिव भी सरकार से साठ गांठ थी और वह एक नौकरशाह के रूप में काम

नहीं कर रहा था। अत: एल०टी०टी०ई०, कानून व्यवस्था की स्थिति तस्करी, अफसरशाहों के व्यवहार तथा इस हालत में डी०एम०के० की भूमिका इन सबको मिलाकर मेरे ख्याल से स्थिति बहुत ही बुरी थी।

4.58 म०प०

(डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए)

श्री कुमारमंगलम ने यहां पर यह जिक्र किया था कि निर्देश दिए गए थे। मैं यह जानने में असमर्थ हूं कि श्री कुमारमंगलम को यह बात कैसे पता है।

5.00 म०प०

जब इसका जिक्र यहां पर श्री जसवन्त सिंह द्वारा किया गया और जब उन्होंने प्रधानमंत्री से विशेष प्रश्न पूछा कि क्या निर्देश जारी किए गए थे तब प्रधानमंत्री ने पिछले सत्र में ही नकारात्मक उत्तर दिया। अत: भारतीय जनता पार्टी ने निर्देशों के बिना राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन नहीं किया था। हमारी केवल इतनी आपत्ति है कि यह आखिरी उपाय तब होना चाहिए था तथा यह कदम तब उठाना चाहिए था जब जो भी आवश्यक हो वह कर लिया गया है यथा राज्यपाल की रिपोर्ट, निर्देश, चेतावनी आदि परन्तु नई सरकार द्वारा कड़ा कदम उठाया गया है। (व्यवधान) यदि ये अन्य कदम उठाए जाते तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में हमें कोई आपत्ति नहीं होती।

अनुच्छेद 356 का बहुत कम प्रयोग होना चाहिए। सभी औपचारिकताओं का पालन किया जाना चाहिए। अत: मैं गृह राज्य मंत्री से जानना चाहूंगा—वह पिछली सरकार में भी गृह विभाग को देखते थे—क्या ऐसी कोई अवस्था आ गई थी कि राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता इतनी आवश्यक रूप से पड़ गयी थी। इस सरकार द्वारा इतना कठोर कदम क्यों उठाया गया था? तीन महीने पहले भी वह गृह मन्त्री थे।

अत. मैं श्री सहाय से जानना चाहता हूं कि उनकी भूमिका क्या थी? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दोहरी भूमिका।

प्रो० राम गणेश कापसे : दोहरी भूमिका के बारे में हम जानना चाहेंगे। हम इस कार्यवाही का समर्थन नहीं करते हैं, परन्तु हम श्री चिदम्बरम से सहमत हैं तथा उनके बाद बोलने वाले वक्ताओं से सहमत हैं कि तमिलनाडु में स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो रही थी तथा यह समय यह राष्ट्रीय हित में है कि ऐसी विघटनकारी गतिविधियां नहीं चलती रहनी चाहिए। परन्तु एक बात बाकी रह गई है और वह यह है कि क्या विधान सभा भंग किए जाने की कोई आवश्यकता थी। जब आप गोआ में एक कदम उठाते हैं, तथा तमिलनाडु में दूसरा कदम उठाते हैं यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आप कांग्रेस (आई) तथा अन्ना द्रमुक के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है। अत: हम इस कार्यवाही का समर्थन नहीं कर सकते हैं।

मैं यही कहना चाहता था।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : माननीय सभापति जी, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और अभी मैं तमाम सीनियर सदस्यों की बात सुन रहा था, तो मैं सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किसी दबाव में आकर नहीं की गई और यह एक संवैधानिक दायित्व का निर्वाह किया गया है। अभी जो तथ्य भाई कुमार मंगलम जी ने और कल श्री चिदम्बरम जी ने इस सदन में पेश किए हैं और जो तथ्य समाचार-पत्रों के माध्यम से, सरकार की अपनी एजेन्सियों के माध्यम से सरकार के पास आए हैं वे सचमुच बहुत ही चौकाने वाले हैं। क्योंकि उन सूचनाओं के आधार पर यह बात साबित होती है कि जिस प्रकार का आचरण डी० एम० के० की सरकार तमिलनाडु में कर रही थी और जो उसका रवैया था उससे केवल कानून-व्यवस्था को ही खतरा नहीं था, बल्कि उससे देश की सुरक्षा, सप्रभुता और एकता को भी खतरा था। क्योंकि मान्यवर ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि वहां के मुख्यमन्त्री ने जो भारत सरकार की गोपनीय सूचनाएं थीं, उन सूचनाओं को एल०टी०टी०ई० ग्रुप के उग्रवादियों तक पहुंचाया, उसके साथ-साथ जो डी०एम०के० पार्टी के सीनियर लीडरान थे, वे भी सरकारी फैसलों और नीतियों की सूचना लिट्टे उग्रवादियों को देते थे और इसके साथ-साथ राज्य के जो अधिकारी थे, उनका सम्बन्ध लिट्टे ग्रुप के लोगों से था और केन्द्र सरकार के बड़े अधिकारियों से जो आपस में विचार-विमर्श होता था, जो निर्णय होते थे, इन निर्णयों की जानकारी भी लिट्टे ग्रुप के लोगों को दी जाती थी। इस बात को प्रधानमंत्री स्वयं पिछले सत्र में 10 जनवरी को यहां कह चुके हैं, मैं कोट करता हूं—

[अनुवाद]

"मेरे पास सूचना है कि कोई सूचना जो मुख्यमंत्री को दी गयी थी वह लिट्टे के मुख्यालय में पहुंच गई थी, केवल तमिलनाडु में नहीं बल्कि जाफना में भी। यह बहुत ही गम्भीर बात है। इसके बावजूद मैंने लगातार यह कहा था कि सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं किया जाएगा।"

[हिन्दी]

इतना ही नहीं, यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि आसाम का उल्फा ग्रुप, आंध्र के उग्रवादी संगठन, पंजाब के उग्रवादी संगठन, इन लोगों का सीधा रिश्ता लिट्टे ग्रुप के लोगों से था और तमिलनाडु इन लोगों की एक प्रकार से शरणस्थली बन गया था। एके 47 राइफल्स बाकायदा वहां से इन सारे प्रदेशों के उग्रवादी, अलगाववादी तत्वों को बांटी जा रही थीं। प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में एक बार कहा था कि ए के 47 रायफल्स सबसे सस्ती दरों पर तमिलनाडु में उपलब्ध हैं। मान्यवर, आप स्वयं बताइए कि अगर किसी प्रदेश की सरकार संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह न करे, अगर किसी प्रदेश की सरकार में कानून का राज्य खत्म हो जाए, अगर वहां की सरकार वहां के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा न कर सके, अगर वहां की सरकार देश के हित और देश की सुरक्षा के खिलाफ आचरण करे तो आखिर केन्द्र सरकार

की क्या जिम्मेदारी होती है।

अभी यहां एक सवाल उठाया गया कि माननीय राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। माननीय कुमार मंगलम जी ने ठीक ही जवाब दिया कि हमारे संविधान के निर्माता अंबेडकर जी थे, उन्होंने उस समय इस बात की पूर्व-कल्पना की थी और इसीलिए संविधान में उसका प्रावधान रखा था और यहां पर प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में और भी कई अवसरों पर इस बात को कहा कि जब वहां के गवर्नर साहब को यहां बुलाया गया, उनसे बात की गई और उनसे वहां के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने वहां की जानकारी के बारे में पूर्ण अनभिज्ञता जाहिर की, परन्तु जब प्रधानमंत्री जी ने अपनी सूचनाएं जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय को मिली थीं, जब उन सूचनाओं को उनको दिखाया तब उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे अंधेरे में रखा गया। अब आप खुद सोचिए कि जिस प्रदेश सरकार की पूरी मशीनरी एक साजिश में शरीक हो, जब इस प्रकार की कार्यवाही की सूचना गवर्नर को न पहुंच पाए, तो आखिर कैसे प्रशासन चलेगा और कैसे संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति जी ने जो सूचना गृह मंत्रालय द्वारा, जो सूचना भारत सरकार द्वारा, सरकार की खुफिया एजेंसियों द्वारा उपलब्ध की, उन सूचनाओं के आधार पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की और विधान सभा को भंग किया गया। पूर्व प्रधानमन्त्री, श्री वी० पी० सिंह ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जो लिट्टे ग्रुप था उसका सम्बन्ध पुरानी डी० एम० के० की सरकार से था। जैसे कि ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि बाद में मौजूदा सरकार ने तमिलनाडु की सरकार से बराबर सलाह किया और मशविरा किया और इन तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाया।

[अनुवाद]

"किसी भी तमिल उग्रवादी संगठन को भारतीय भूमि पर कोई भी गतिविधि जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जो लोग ऐसा करते हुए पाए जायें उनको कारावास में रखा जाना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा :

"लिट्टे उग्रवादियों तथा तस्करों के विरुद्ध कोफेपोसा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए। श्रीलंका के तमिल उग्रवादियों के किसी भी संगठन को तमिलनाडु का उपयोग प्रशिक्षण के उद्देश्य अथवा सैन्य संचालन के लिए दी जाने वाली सहायता के लिए नहीं किया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

मगर बजाए वहां की सरकार ने केन्द्र की सरकार के सुझावों को स्वीकार करने के इसके विपरीत आचरण किया। मान्यवर, इसकी चर्चा कुमारमंगलम जी ने की है कि वहां पर अंडर-ग्राउंड फैक्टरी पकड़ी गई, जहां हथियार बनते थे, जहां पर खतरनाक हथगोले बनते थे। इसके साथ ही साथ वहां पर हाई-फ्रिक्वेंसी के संचार उपकरण और बाकायदा उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। ये सारी कार्यवाहियां डी० एम० के० सरकार द्वारा की जा रही थीं।

इतना ही नहीं, मान्यवर, हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की बेहद कमी है, परन्तु प्रदेश की सरकार की साजिश के जरिए पेट्रोल और डीजल उन उग्रवादियों को उपलब्ध कराया जा रहा था और यह उनके ट्रेनिंग कैम्प में जा रहा था। जो वहां के अस्पतालों में दवाइयां थीं उन अस्पतालों की दवाइयां भी उनको उपलब्ध करवाई जा रही थीं। उसके साथ ही साथ जो सरकारी फण्ड थे, आप चन्दा करते, अपने साधनों से पैसा उपलब्ध करवाते, मगर सरकारी फण्ड का इस प्रकार से दुरुपयोग करना कि जो वहां की जनता के लिए, वहां की मुसीबतजदा लोगों के लिए धन उपलब्ध था वह जनता को उपलब्ध न करवा कर उग्रवादियों को उपलब्ध करवाया गया। इसी के साथ ही साथ वहां पर सोने की तस्करी, दवाइयों की तस्करी, हथियारों की तस्करी होती थी। तटवर्ती इलाकों में जिस प्रकार से नौकाओं का आना-जाना करते थे और 40 ऐसे सुरक्षित स्थान थे जहां लैंडिंग की व्यवस्था थी और केन्द्र सरकार का निर्देश था कि वहां पर मुस्तैदी बरती जाए। चैक-पोस्टों पर पुलिस तैनात की जाए, मगर सारे सुझावों की अवहेलना वहां की सरकार ने की। आसाम में उनके ऐक्टीविस्टस थे। ये प्रमाण मिले हैं कि किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी गई, किस तरीके से वेलोर के अन्दर जो वहां के ऐक्टीविस्टस थे, उनको पकड़ा गया।

मान्यवर, जोवेल गोगिया जो एस० पी०, डिब्रूगढ़ की हत्या में मुख्य अभियुक्त था वह तमिलनाडु में आकर शरण ले रहा था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। परन्तु जैसे ही वर्तमान सरकार आई तो वहां जोवेल गोगिया पकड़ा गया। इस तरीके से अन्य जो देश में उग्रवादी संगठन हैं उनको भी लिट्टे ग्रुप द्वारा संरक्षण मिला।

मान्यवर, यह अति गम्भीर प्रश्न है, क्योंकि आज देश में जिस प्रकार से अलगाववादी और उग्रवादी आंदोलन चल रहे हैं, जिस तरीके से हथियारों की तस्करी हो रही है, जिस तरीके से देश की एकता को खण्डित करने की कोशिश हो रही है, ऐसे वातावरण में अगर कोई सरकार जान बूझकर संविधान की धज्जियां उड़ा कर खुले रूप से विद्रोह करने की कोशिश करे तो इस पर केन्द्र सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

लोग बहुत-सी बातें करते हैं कि यह माइनोरिटी गवर्नमेंट है। यह किसी दूसरे के समर्थन पर टिकी हुई सरकार है। सरकार, सरकार ही होती है। यह बात हमारे माननीय प्रधानमन्त्री जी ने कही कि चाहे सरकार रहे या चली जाए जब तक यह सरकार है तब तक इस सरकार का कर्तव्य होगा कि देश की एकता और सम्प्रभुता को बचाए रखना। हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। इसके साथ ही साथ वहां के मुख्यमन्त्री जी ने बराबर चेतावनी दी और एक दिन अखबार में कहा कि मैं केन्द्र की सरकार से आखिर दम तक लड़ूंगा। जो सुझाव होता है तो प्रधानमन्त्री अपने मुख्यमन्त्री को देता है। संविधान की परिधि के अन्दर उन बयानों का खुलासा वहां के मुख्यमन्त्री ने समाचार पत्रों में दिया। उनका ऐसा रवैया था कि जैसे वे किसी संघर्ष में थे। ऐसी सूचना अखबारों में आई है कि "ग्रेटर तमिल लैंड" की बात कही है। ऐसी भी सूचना आई है कि तमिलनाडु के अन्दर बहुत से उग्रवादी संगठन पनप रहे थे और वे ताकतवर हो रहे थे। देश में इस प्रकार के अलगाववादी संगठनों को सशस्त्र कार्यवाहियों की तरफ प्रेरित किया जाता रहा

या संरक्षण दिया जाता रहा तो आखिर पूरे देश की एकता कैसे सुरक्षित रह सकती है। यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। राजनीतिक हितों के माध्यम से यह बात कही। प्रधानमन्त्री ने बराबर इस सदन में कहा कि किसी भी प्रकार से आखिरी दम तक कोई अप्रिय कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। जब पानी नाक से ऊपर चला गया तब मजबूरन यह कार्यवाही करनी पड़ी। जैसा कि माननीय सदस्यों ने मांग की है, यह उचित है कि वहां राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई है। वहां विधान सभा भंग की गई है। वहां शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनाव के बाद जो भी जनप्रिय सरकार होगी वह सरकार वहां का शासन चलाएगी। संवैधानिक ढांचे और लोकतंत्र का यह मतलब नहीं है कि कोई भी प्रदेश की इकाई संविधान से अलग हो, देश से अलग हो। मैं इन शब्दों के साथ राष्ट्रपति घोषणा का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

5.18 म० प०

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं तमिलनाडु में राष्ट्रपति अधिघोषणा की स्वीकृति देने सम्बन्धी संकल्प का विरोध करता हूं। कारण बहुत ही स्पष्ट है। प्राथमिक रूप से सिद्धान्त के आधार पर तथा अनुभव के आधार पर पिछले 40 वर्षों से संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया जाता रहा है।

मेरे विचार से तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करना सच्चाई, न्याय, लोकतंत्र तथा संघीय ढांचे को समाप्त करना है। इन शब्दों का प्रयोग मैं जागरूक होकर कर रहा हूं। मैं इन शब्दों का प्रयोग अंजाने में नहीं कर रहा हूं, तथा न ही मैं इन शब्दों के अर्थ को बिना समझे तथा बिना विचार किए कर रहा हूं। यदि हम मामले के तथ्यों का गहराई के साथ विश्लेषण करें तो इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि राष्ट्रपति शासन जिसकी अधिघोषणा 30 जनवरी 1991 को की गई थी, वे देश के संविधान का जल्दीबाजी में, बिना सोचे समझे, अव्यावहारिक रूप से किया गया उल्लंघन था। एक शब्द में, मैं अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं कि संविधान के उपबंधों का तोड़-मरोड़ कर ऐसा प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि कुछ राजनीतिक संगठनों जैसे कांग्रेस (आई) तथा अन्नादुमुक की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। ये तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है और मैं इस सम्बन्ध में और कुछ दोहराना नहीं चाहता हूं।

मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा विशेषकर कांग्रेस (आई) तथा अन्नादुमुक के माननीय सदस्यों द्वारा की गयी टिप्पणी को भी अभिलेख में रखना चाहता हूं। जिसमें द्रमुक को राष्ट्रविरोधी बताया गया है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। मेरे विचार से आप इस पर प्रकाश डालेंगे। आप कृपया स्पष्ट करें कि इसका क्या मानदण्ड है कि किसी राजनीतिक दल के स्वरूप को, देश के किसी राजनैतिक दल को किस आधार पर राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है? इसके लिए निर्णयात्मक मानदण्ड क्या हैं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आपको राष्ट्रविरोधी होना होगा।

श्री चित्त बसु : इस विशेष मामले में मैं समझता हूं एकमात्र दिक्कत लिट्टे तथा देश के

कुछ राजनीतिक संगठन के बीच सम्बन्ध की है। यदि यह एक कारण है तो क्या श्री चिदम्बरम देश के अन्दर कुछ राष्ट्रविरोधी तत्त्वों को प्रोत्साहन, न देने सहायता न करने तथा बढ़ावा न देने की स्वयं की जिम्मेदारी ले सकते हैं।

श्री संफुद्दीन चौधरी : उन्होंने ऐसा किया था।

श्री चित्त बसु : वे कहते है कि उन्होंने ऐसा किया था। एम०जी०आर० पर भी यही आरोप लगाना चाहिए। अन्नाद्रमुक पर भी यही आरोप लगाया जा सकता है। परन्तु वह कहते हैं कि लिट्टे के साथ सम्बन्ध रखना भी इस बात के मानदण्डों में से एक मानदण्ड है कि कोई राजनीतिक संगठन राष्ट्रविरोधी है या नहीं। वह इस बात से सहमत हैं कि यह भी उनमें से एक मानदण्ड है।

श्री पी० चिदम्बरम : मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या कह रहे हैं। क्या करना चाहिए।

श्री चित्त बसु : देश के एक हिस्से में काम करने तथा संविधान के सिद्धांतों का पालन करने और संविधान के अंतर्गत शपथ लेकर सरकार चलाने वाली एक पार्टी को किसी दूसरी पार्टी के माननीय सदस्य के द्वारा राष्ट्रविरोधी कहा जाना एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। यदि आप इस तरह के कार्यों में इस तरह से संलग्न हो जायेंगे तो आपके कारण देश में अराजकता, पृथकता और अन्ततोगत्वा बिखराव की स्थिति पैदा हो जायेगी।

सिर्फ संघवाद ही राष्ट्र की एकता एवं मजबूती को फिर से सुदृढ़ कर सकता है। यहां पर धारा 356 को लागू किए जाने की वजह से उसी संविधान-सम्मत सिद्धांत यानि संघवाद पर हमला हुआ है। संघवाद पर प्रहार करने तथा राज्यों के अधिकार को छीनने तथा संविधान का घोर बेशर्मी से उल्लंघन करने के बाद सिर्फ किसी राजनैतिक संगठन को देशद्रोही कहकर और उसकी कितनी ही जोरदार निंदा करके आप राष्ट्रीय एकता और अखंडता का बचाव नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कई कारण दिए हैं उनमें से एक कारण तस्करी गतिविधियां भी हैं। यदि तस्करी गतिविधियाँ सरकारों को बर्खास्त करने का आधार हो तो सभी राज्य सरकारों को भंग करना पड़ेगा।

श्री पीयूष तीरकी (अमीपुरद्वार) : केन्द्रीय सरकार सहित।

श्री चित्त बसु : आप खुद अपने आपको इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते हैं, इस अत्यल्प मत की सरकार का तो कहना ही क्या है। मैं यह महसूस करता हूं। हममें से अधिकांश लोग धारा 356 के दुरुपयोग के बारे में जानते हैं। मै उन्हें नहीं दुहराऊंगा। पर मैं श्री चंद्रशेखर को—प्रधानमंत्री को नहीं अपितु—चंद्रशेखर को यह याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ वर्ष पहले केन्द्र राज्य सरकार के सम्बन्धों पर उन्होंने श्रीनगर में एक कांफ्रेंस में हिस्सा लिया था। उन्होने सारी राजनैतिक पार्टियों के साथ उचित सलाह-मशविरे के बाद बनी एक विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर भी किए थे जिसमें यह कहा गया था कि धारा 356 का दुरुपयोग किया गया है और इसे निरस्त किया जाना, हटाया जाना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं होता है कि चन्द्रशेखर ने ही जनता पार्टी

के अध्यक्ष के रूप में उस समय संविधान की 356 वीं धारा के निरस्त किए जाने सम्बन्धी सूत्र पर हस्ताक्षर किए थे। मुझे तो इसमें कोई साजिश नजर आती है।

सभापति महोदय : कृपया जल्दी समाप्त करें। आप अपनी बात को संक्षेप में कहने की कोशिश करें।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : मेरे विचार से आप इस बात से संतुष्ट नहीं है। संभवतः आप मेरे विचार पसन्द न करें। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : अध्यक्ष पीठ के प्रति आरोप न लगाएं। आप अध्यक्ष पीठ के प्रति आरोप नहीं लगा सकते है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने मुझसे सिर्फ यह कहा था कि वह अपना भाषण समाप्त करके जल्दी जाना चाहते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : उन्होंने कहा है :—"आप मेरे विचारों को पसन्द नहीं करते हैं।" अध्यक्ष पीठ की कोई पसंद-नापसंद नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : श्री चिदम्बरम, जब मैंने वैसा कहा था तो मैंने 'अध्यक्ष पीठ' को नहीं आपको कहा था। 'आप' का मतलब उस तरफ बैठने वाले हर आदमी से है। आप भी यहां है। आप मेरे विचारों को नहीं भी पसंद कर सकते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : हां, मैं नहीं करता। मैंने अपनी नापसन्दगी जाहिर कर दी है।

श्री चित्त बसु : आपने अपनी नापसंदगी जाहिर की है, पर मैं आपको नजरअंदाज कर सकता हूं। अब मैं उस विषय पर वापिस आता हूं। मुझे इसमें कोई साजिश नजर आती है। साधारणतया राष्ट्रपति की घोषणा के पहले राज्यपाल की एक रिपोर्ट आती है। यहां तो एक नया उदाहरण स्थापित कर दिया गया है। मुझे लगता है कि ऐसा किया गया है और इसके लिए संविधान की धारा 356 के एक विशेष शब्द 'अन्यथा' की सहायता ली गई है। यदि इस बहुअर्थी शब्द 'अन्यथा' को अधिक गभीरता से लिया जाए तो इससे केन्द्रीय सरकार को अधिनायकवादी ताकत मिल जाएंगी। महोदय, मेरे पास इन बातों पर विस्तार में जाने का समय नहीं है। पर, मैंने संविधान सभा की कार्यवाहियों को पढ़ा है। इस 'अन्यथा' शब्द के प्रयोग अथवा अभिव्यक्ति पर एक लम्बी बहस हुई थी। श्री एच०वी० कामथ, श्री एच०एम० कुजरू तथा कई अन्य प्रख्यात व्यक्तियों ने जो हमारे संविधान के निर्माताओं में से थे, इस 'अन्यथा' शब्द के उपयोग अथवा शामिल किए जाने के प्रति गंम्भीर आपत्ति प्रकट की थी।

श्री पी० चिदम्बरम : डा० अम्बेडकर का क्या कहना था ?

श्री चित्त बसु : यदि आप डा० अम्बेडकर की ही राय जानना चाहते हैं तो उनकी भी यही दृढ़ राय थी कि संविधान की इस धारा को अप्रचलित ही रखा जाना चाहिए। यही कारण है कि 'अन्यथा' शब्द के संभावित अर्थ के आधार पर जब संविधान की धारा 356 का उपयोग

होता है तो मुझे बड़ी चिंता होती है। इसका प्रयोग केन्द्र में सत्तारूढ़ किसी सरकार द्वारा किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ किया जा सकता है। यही नहीं, इसका उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने ही दल की राज्य सरकार के खिलाफ भी किया जा सकता है। ...(व्यवधान) यह स्वाभाविक है कि मैं इस कार्रवाई के कारण तथा संघवाद के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ इस अधिनायकवाद के कारण चिंतित हूं।

महोदय, ऐसा सरकारिया आयोग की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए किया गया है। आपको पता होगा कि सरकारिया आयोग धारा 356 को लागू करने से प्राप्त अनुभवों का गंभीर विश्लेषण करने के बाद धारा 356 को लागू करने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं। मेरा यह कहना है कि इन मानदंडों की अवहेलना की गई है और इनका ध्यान नहीं रखा गया है। इस मामले में धारा 356 के उपयोग के लिए सरकारिया आयोग द्वारा बड़ी सावधानी से तैयार की गई सिफारिशों और मानदंडों को पूरी तरह नजरअन्दाज करते हुए किया गया है।

जहां तक केन्द्रीय एवं तमिलनाडु सरकार के बीच के सम्बन्धों का सवाल है, उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। किन्तु ये आरोप प्रमाणित नहीं किए गए थे। यदि कोई आरोप है तो उसकी जांच होनी चाहिए।

किन्तु जहां तक उपलब्ध साक्ष्य का सम्बन्ध है नवम्बर, 1990 से जनवरी 1991 के दौरान जबकि केन्द्रीय सरकार वर्तमान सरकार के प्रति आक्रामक हुई थी उस समय तमिलनाडु में कोई आंतरिक गड़बड़ी नहीं थी, और द्रमुक सरकार बहुमत से निर्वाचित हुई थी, लोकप्रिय थी और सभा में उसका पूर्ण बहुमत था। वहां कोई दंगा फसाद नहीं था। इसकी जांच क्यों नहीं हुई?

श्री पी० चिदम्बरम : इसकी जांच अब कर ली जाए।

श्री बिप्लब बसु : इस अवधि के दौरान वहां न कोई दंगा हुआ था, न ही कोई झगड़ा। वहां शांति और सदभावना में कोई व्यवधान नहीं हुआ था। वहां विद्रोह या उथल-पुथल जैसी कोई बात नहीं थी। अतः इस तरह की कार्यवाही की कोई जरूरत नहीं थी। यह एक कार्यवाही थी जिसके बारे में कम से कम नम्रतापूर्वक यही कहा जा सकता है।

अब अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। लिट्टे तथा उल्फा के आपसी सम्बन्धों के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं उल्फा का कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। इस बात पर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पर राज्यपाल के सलाहकार श्री कार्तिकेयन ने क्या कहा है? एक प्रेस वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में कोई उल्फा-शिविर नहीं पाया गया है। यह वक्तव्य गत 5 फरवरी को दिया गया था। चिदम्बरम महोदय, यह बात खुद कार्तिकेयन ने कही है जो इस समय तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन के सलाहकार है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि तमिलनाडु में उल्फा का कोई शिविर नहीं है। अब मैं यह कैसे विश्वास कर लूं कि आपके आरोप सही हैं और आपके आरोप

एक मनगढ़न्त कहानी अथवा झूठे आरोप नहीं हैं। श्री कार्तिकेयन को सरकार के प्रशासक के रूप में पुनः बहाल कर लिया गया है। अतः मैं इस घोषणा का विरोध करता हूं। मेरा ख्याल है कि सभा को इस प्रस्ताव को फेंक देना चाहिए क्योंकि यह प्रजातंत्र को प्रभावित करता है तथा बिखराव के रास्ते को बढ़ावा देता है।

श्री आर० प्रभु (नीलगिरि) : सभापति महोदय, हम कल से तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने सम्बन्धी सांविधिक संकल्प पर विभिन्न वक्ताओं के भाषण सुनते आ रहे हैं। हमने कई सदस्यों से इस प्रस्ताव की आलोचना सुनी है, किन्तु हम इस बारे में एक ही आलोचना को स्वीकार करते हैं, वह यह कि राष्ट्रपति शासन लागू करने में विलम्ब किया गया है। श्री चन्द्रशेखर की सरकार के कार्यभार संभालने के बाद और दो तीन महीनों तक तमिलनाडु की जनता को अत्याचार सहने पड़े। श्री चन्द्रशेखर जी ने श्री करुणानिधि को बहुत ढील दी तथा इस सभा में भी अनेक चेतावनियां दीं और अन्ततः सही निर्णय लिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की।

राष्ट्रपति ने अपनी रिपोर्ट के पैरा-8 में, जिसे श्री सोमनाथ चटर्जी ने पढ़कर हमें सुनाया है, राष्ट्रपति शासन लागू करने के कारण संक्षेप में बताए हैं। तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों और द्रमुक सरकार के बीच की सांठगांठ को तमिलनाडु में हर कोई, और तो और तमिलनाडु से बाहर की जनता भी भली भांति जानती है। लिट्टे द्वारा तमिलनाडु की सम्पूर्ण सभ्यता को बदलकर रख दिया गया है। तमिलनाडु शांतिप्रिय राज्य है जहां जनता शांतिपूर्वक रहती है। किन्तु उस पर अत्याचार किए गए। हत्याएं, तस्करी, हथियारों का अवैध व्यापार रोजमर्रा की बातें हो गई थीं और तमिलनाडु के लोगों को हिंसा का मूकदर्शक बनने और उसका अभ्यस्त हो जाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। द्रमुक शासन के दौरान तमिलनाडु में एक नारा प्रचलित था 'बम्बूक लेकर मनचाहे घूमो'। मुझे खुशी है कि अब स्थिति बदल गई है और तमिलनाडु में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया है।

सभा में अनेक सदस्यों ने बताया है कि इस तरह की कार्यवाही संघीय व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर डालेगी। इसे कदाशयता प्रेरित, मनमानीपूर्ण, राजनीतिक अवसरवादिता से प्रेरित और सांविधानिक तौर पर असमर्थनीय बताया गया है। उन्होंने इसे लोकतन्त्र की हत्या और बदले की भावना में की गई अनोखी कार्यवाही बताया है। ये सभी आरोप तमिलनाडु की वास्तविक स्थिति से अनजान होने के कारण और किताबी सिद्धान्तों को दृष्टिगत कर लगाए गए हैं। कुछ लोग केवल अपने मित्र करुणानिधि को मात्र समर्थन देने के लिए आ गए हैं, उन्हें वहां विद्यमान स्थिति की जानकारी तक नहीं है। द्रमुक सरकार के पक्ष में जिन 39 वक्ताओं ने बोला, उनमें तमिलनाडु के केवल एक वक्ता थे। हमारे विचार से तमिलनाडु में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और हमारे महान राष्ट्र की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कायम रखने के लिए यह एक सही समय पर की गई सुधारात्मक कार्यवाही है। यदि यह कार्यवाही न की गई होती, तो हम और भारत सरकार तमिलनाडु को एक और पंजाब बनाने और देश की सुरक्षा के लिए एक समस्या

पैदा करने के जिम्मेदार हो गए होते।

मुझसे पहले के वक्ता श्री सोमनाथ चटर्जी और अभी श्री चित्त बसु ने अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट मंगाए बिना ही लागू कर दिए जाने का औचित्य जानना चाहा है। हमें इस सूचना व्यवस्था पर गौर करना चाहिए कि राज्यपाल को रिपोर्ट कैसे मिल सकती है और रिपोर्ट लेने और रिपोर्ट देने के विषय में उसको क्या जानकारी है। उसे केवल राज्य की पुलिस, राज्य के प्रशासन और संभवतः राज्य के मुख्य मन्त्री के बारे में जानकारी होती है। केन्द्रीय सरकार और भारत के राष्ट्रपति को और क्या जानकारी मिल पाती है। उन्हें और क्या जानकारी मिलेगी और इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? भारत सरकार की बहुत सी एजेंसियां हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो है, राजस्व आसूचना, नौसैनिक आसूचना, थलसेना आसूचना और सूचना प्राप्त करने के विभिन्न साधन हैं।

अनुच्छेद 356 के जिस खण्ड का ये लोग अलाप कर रहे हैं, वह यह है कि "राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर अथवा अन्यथा"। मेरे विचार से इस अनुच्छेद 356 में अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि "यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती तो वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने की उदघोषणा जारी कर सकता है।" यह बात राज्यपाल की रिपोर्ट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

अब हम सभी यह जानते हैं कि तमिलनाडु में क्या कुछ हो रहा है। अनेक सदस्यों ने इस बारे में बताया है। वस्तुतः कल श्री चिदम्बरम ने, और आज श्री कुमारमंगलम ने द्रमुक सरकार पर विशिष्ट आरोप लगाए हैं। मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा, न ही उन्हें दोहराऊंगा। किन्तु हमें भी ज्ञात है, संसद सदस्यों और तमिलनाडु की जनता को पता है कि लिट्टे हत्याएं, नशीली दवाओं का धंधा, तस्करी और शस्त्रों का व्यापार करते रहे हैं। वस्तुतः हाल में जब मैं रामेश्वरम मंदिर गया था, मैं एक होटल में ठहरा था और वहां आकर किसी ने मुझे 12,00 रुपए में ए०के० 49 राईफल देने की पेशकश की थी। वहां सब जगह ए०के० 47 राइफल मिल सकती है। क्या यह देश के हित में है।

मुझे कुछ ऐसी भनक है कि अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस ने भारत सरकार को एक सूचना दी है कि तमिलनाडु श्रीलंका से यूरोप को की जाने वाली नशीली दवाओं की तस्करी के केन्द्र हैं और तमिलनाडु सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। भारत सरकार ने नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

अनेक सदस्य इस बारे में कह चुके हैं कि श्री पद्मनाभम और ई०पी०आर०एल०एफ० के 16 अन्य सदस्यों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हममें से जो लोग मद्रास की भीड़भाड़ के बारे में जानते हैं, उन्हें पता है कि कोदम्बकम इतना भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है कि कारोबार की सर्वाधिक व्यस्तता के समय, अर्थात 6 या 7 बजे वहां दो किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय हो पाती है। फिर भी श्री पदमनाभम और उनके साथियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई

और अपराधी अपनी मारुती वैन में बैठकर भाग गए, उन बेहद भीड़ वाले इलाकों को पार तमिलनाडु के 300 कि०मी० क्षेत्र की दूरी तय की, एक तीव्र गति वाली नौका के लिए 12 घंटे प्रतीक्षा की और तदन्तर भाग निकले। उन्हें विदा करने के लिए कोई पुलिस वाला तक नहीं था।

इस घटना में विडम्बना यह है कि केवल दो तीन हफ्ते बाद, जब कांग्रेस और अ०भा० अ०द्र०मु०क० के संसद सदस्यों और विधायकों ने राज्यपाल को एक याचिका देनी चाही, तो हमने हजारों पुलिसकर्मियों को राजभवन के सामने खडे पाया। राज्य में कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति है। ऐसा नहीं कि तमिलनाडु पुलिस अक्षम है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि तमिलनाडु की पुलिस देश के सर्वाधिक सक्षम बलों में से एक है। किन्तु उन्हें उनके राजनीतिक आकाओं ने नपुंसक बना दिया था।

जब कभी तट रक्षकों अथवा नौसेना द्वारा लिट्टे के उग्रवादी पकड़े गए, उनके पास उन्हें हिरासत में रखने का कोई साधन नहीं था। इसलिए वे उन्हें जुबानी पुलिस के सिपुर्द कर देते थे। आपको पता चलेगा कि दो तीन दिन बाद पुलिस बेवजह उन्हें छोड़ देती। यह मैंने नहीं बताया है, यह श्री रामदास ने बताया है जो नौसेना प्रमुखों में से हैं।

तमिलनाडु की पारम्परिक मेहमाननवाजी की उस समय धज्जियां उड़ा दी गईं जब श्रीलंका के इन शरणार्थियों को जहाजों द्वारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भेज दिया गया और तमिलनाडु नहीं आने दिया गया क्योंकि वे लिट्टे के प्रति आक्रामक थे। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने सभा में और सभा से बाहर कहा था कि जब कभी श्री करुणानिधि को कोई अहम जानकारी दी गई तो वह शीघ्र लिट्टे को दे दी गई। जिस किसी ने लिट्टे के विरुद्ध आवाज उठाई, उसे तत्काल धमकी भरे पत्र मिले। और तो और तमिलनाडु कांग्रेस (आई) समिति के प्रेजीडेंड श्री राममूर्ति, जो इस सभा के सदस्य हैं, को सुरक्षा गार्ड दिए गए हैं क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है।

मैं आपको गये समय की बात बताता हूं। श्री सोमनाथ चटर्जी ने अभी कहा था कि तमिलनाडु विधान सभा में विपक्ष की पिछली नेता कु० जयललिता हैदराबाद में छुपी थीं। उन्हें पता नहीं कि वे किस किस बारे में बोल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि 25 मार्च 1989 को विधान सभा में क्या हुआ। इस बात को ताक पर रख कर कि वह एक स्त्री है, उस दिन विधान सभा में उनकी हत्या की कोशिश की गई। क्या यह लोकतन्त्र की परम्पराओं का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन नहीं था? यही नहीं, वे पाण्डिचेरी के चुनावों में प्रचार के लिए गई हुई थीं। लौटते समय एक लारी, जो वहां खड़ी थी, जो अपने नियमित मार्ग पर नहीं थी, बाकी कारों के सारे काफिले को छोड़कर विशेष रूप से उनकी कार से जा टकराई मुझे बताया गया है कि वहां पुलिस थी जो वायरलैस सैट लेकर उनके आगमन पर नजर रखे हुए थी और उसने लारी को स्टार्ट करने, गन्तव्य और हमले के लक्ष्य की जानकारी दी थी और विडम्बना यह है कि लारी के ड्राइवर पर कोई गम्भीर आरोप नहीं लगाया। उस पर 1750 रुपए का जुर्माना किया गया और उस मामले को एक सप्ताह में समाप्त कर दिया गया। मद्रास में उनकी जिन्दगी को

खतरा था।

हम यह नहीं कहना चाहते कि यह मात्र कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक न होने का मामला है। हम यह कहना चाहते हैं पुलिस बल और अपराधियों की पूरी मिलीभगत थी, इसी से कानून और व्यवस्था बिगड़ गयी। राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा था। वस्तुतः 11 दिसम्बर को 12 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया था जो 102 पृष्ठों का था। जिसमें द्रमुक सरकार और अधिकारियों की सांठगांठ के बारे में अनेक आरोप लगाये गये थे। मैं उन आरोपों को दोहराऊंगा नहीं क्योंकि सचमुच मेरे पास समय नहीं है।

श्री जसवंत सिंह ने कहा था कि जब हम सहकारी समितियों के चुनावों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहते हैं तो हमें संकीर्ण विचार वाला न कहा जाता है। हमें संकीर्ण विचारों वाला कैसे कहा जा सकता है जबकि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर अपने राज्य में भारी पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कहते हैं— गरीबों को राशन की दुकानों में आवश्यक वस्तुएं न मिलने के बारे में कहते हैं? हमें संकीर्ण विचारों वाला कहा जा सकता है? यदि हम इस मुद्दे को यहां नहीं उठा सकते, तो इसे और किस मंच पर उठा सकते हैं?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम ने ठीक ही कहा है कि वहां सहकारी समितियों के चुनाव में जबर्दस्ती भारी पैमाने पर वोट डलवाये गए, न केवल जबर्दस्ती भारी पैमाने पर मतदान करवाया गया, बल्कि नामांकन पत्र भरते समय भी धोखाधड़ी और पुलिस के साथ सांठगांठ की गई। वस्तुतः मैं एक दो ऐसे मामले बता सकता हूं जिनसे मेरी बात साफ हो जाएगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नीलगिरि में एक सहकारी समिति है— एन० सी० एम० एस० है। जांच के दौरान द्रमुक सदस्यों द्वारा भरे गए नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए क्योंकि वे गलत भरे गए थे। इसलिए तत्काल सहकारी समितियों के चुनावों को रद्द कर दिया गया और दोबारा चुनाव करवाए गए। इस प्रकार चुनावों की प्रक्रिया को ही नष्ट कर दिया गया। कोयम्बटूर स्थित एक अन्य सहकारी बैंक में नामांकन पत्र दस से 11 बजे के बीच भरे जाने थे। पुलिस आई और वहां खड़ी होगी, द्रमुक के 50 लोगों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया और 11 बजे बाद उन्होंने नामांकन पत्र लेने से मना कर दिया। इस प्रकार वे चुनाव की प्रक्रिया को नष्ट कर रहे थे। वे स्वयं को लोक तन्त्रवादी कैसे कह सकते हैं? (व्यवधान) स्वाभाविक है कि हमें इस बारे में कहना है, किन्तु आप नहीं कह सकते। ...(व्यवधान) महोदय, जिन सदस्यों ने यहां भाषण दिये, उन्होंने कहा कि वहां कानून-व्यवस्था की समस्या है—यह समस्या आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि में भी है। किन्तु वह एक सी बात नहीं है। वहां पुलिस बल की कोई सांठगांठ नहीं है और इसलिए इसे कानून व्यवस्था में गड़बड़ी कहा जा सकता है किन्तु यहां पुलिस बल के बीच सांठगांठ है और इसलिए कानून व्यवस्था चरमराई है। कल एक सदस्य ने कहा था कि एक अधिकारी को जो श्री करुणानिधि का बायां हाथ था, उसे वहां गृह सचिव बना दिया गया। पता नहीं वह बायां हाथ है, या दायां, किन्तु मैं यह जानता हूं कि वह बहुत कनिष्ठ अधिकारी है और राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सूची में उसका 89वां स्थान है, उसे गृह सचिव बना दिया गया है और उसे पुलिस, कानून-व्यवस्था, उत्पाद शुल्क और मद्यनिषेध विभाग और गृह विभाग

का कार्यभार दे दिया गया है। इससे पता चलता है कि जो भी अधिकारी उनसे सांठगांठ कर लेता है उसे ईनाम दिया जाता है।

आओ, हम पुनः राज्यपाल के मुद्दे पर चर्चा करें। मैं राज्यपाल बरनाला के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं। किन्तु चलो हम उस राज्य में चलें जहां के वे हैं। वे पंजाब के हैं। पंजाब की संस्कृति को देखिए। आप उसका तमिलनाडु की संस्कृति से कैसे तुलना कर सकते हैं, पंजाब में तो हर किसी के पास बन्दूक है, हर कोई तलवार लेकर चल रहा है, जबकि तमिलनाडु में इनकी अनुमति नहीं है। इसलिए उनके विचार अलग हैं, कानून और व्यवस्था के ठप्प पड़ जाने के बारे में उनकी भावनायें ही पूर्णतः भिन्न प्रकार हैं, उनके मानदण्ड ही भिन्न हैं। उनसे ऐसी रिपोर्ट की आशा कैसे की जा सकती है कि राज्य में कानून-व्यवस्था ठप्प हो गई है।

जब उनका स्थानान्तरण किया गया था, तो मेरे विचार से एक निष्ठावान सिख होने के नाते वे गुरु नानक के जन्म स्थान पटना जाने के विचार से प्रसन्न हुए होंगे। यह सिक्खों के पांच महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में एक है। किन्तु नहीं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।

उनके त्यागपत्र के पीछे क्या घटनाक्रम है। राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष श्री एन० टी० रामाराव ने राज्यपाल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने से बहुत पहले ही उनके त्यागपत्र की घोषणा कर दी। यदि आपको याद हो तो उस समय राष्ट्रीय मोर्चा के सभी नेतागण मद्रास में ही थे। एक कारण यह हो सकता है कि वे सत्ता से बाहर थे। श्री वी०पी० सिंह पदहीन हैं। श्री करुणानिधि पदहीन हैं। श्री एन० टी० रामाराव के पास कोई पद नहीं है, तो बरनाला ही उच्च पद पर क्यों रहें। आप उनको भी हटा दो। इसीलिए उन्होंने उनके त्यागपत्र की घोषणा उनके त्यागपत्र देने से पहले ही कर दी थी। त्यागपत्र की घोषणा दूरदर्शन पर बाद में प्रसारित की गई, मैं यह सब गढ़कर नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

राज्यपालों के स्थानान्तरण के विषय में बहुत कुछ कहा गया। राज्यपाल के पद का किसने राजनीतिकरण किया? श्री वी० पी० सिंह ने सत्ता में आते ही अपने अल्प कार्यकाल में राज्यपालों को बर्खास्त किया गया या उनसे त्याग पत्र दिलवाये गए। यदि किसी ऐसे राजनीतिक व्यक्ति को, जो चुनाव में खड़ा हुआ है। खपाना पड़ता है। उसे राज्यपाल बना दिया गया और बर्खास्त कर दिया गया, यह बात तो मैं समझ सकता हूं। यह तो राजनीति है। किन्तु अलेक्जेण्डर जैसे राज्यपाल को, जिसका सिविल सेवा का बेदाग रिकार्ड था, जो देश का एक वरिष्ठ अधिकारी था, उसे बर्खास्त कर दिया गया। वह तमिलनाडु का राज्यपाल था। उससे त्यागपत्र क्यों दिलाया गया? ताकि आप राष्ट्रीय मोर्चे की इच्छा से काम करने किसी व्यक्ति को वहां लगा सकें। और वे ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बात करते हैं। वे अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग किए जाने की बात करते हैं।

हाल में कर्नाटक में क्या हुआ? स्वयं आपने यह इस बात को मुद्दा उठाया था। सिर्फ इसलिए कि एक मुख्यमन्त्री बीमार था और विधायक दल ने किसी अन्य को मुख्यमन्त्री नियुक्त करना चाहा तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दी कि इस विधान सभा को भंग किया जाए

और राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई। वस्तुतः राज्यपाल इस हद तक बढ़ गए कि वे । ग्रेस विधायक दल की बैठकें बुलाने लगे। क्या यह लोकतन्त्र है? जब वहां ऐसे राज्यपाल हैं तो आप किसी राज्यपाल की रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा करके कैसे इस सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। आप इंतजार कैसे कर सकते हैं? आज श्री वी० पी० सिंह ने स्वयं कहा कि उन्होंने रिपोर्ट मिलने की औपचारिकता भी पूरी नहीं की। श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा उन्होंने रिपोर्ट मिलने का आडम्बर तक नहीं किया अतः वे सोचते है कि यह मात्र एक औपचारिकता और आडम्बर है और वस्तुतः इसकी जरूरत है ही नहीं।

महोदय, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की रिपोर्ट कोई पूर्व शर्त नहीं है। राष्ट्रपति और भारत सरकार अन्य माध्यमों से यह जान सकती है कि राज्य में क्या हो रहा है। उनकी अन्य अनेक सूचना व्यवस्थायें हैं। यही बात कि अनुच्छेद 356 में बिना यह स्पष्ट किए कि राष्ट्रपति के पास ऐसे अन्य कौन-कौन से उपाय हैं, का अर्थ यह है कि संविधान निर्माता यह समझते थे कि सूचना प्राप्ति के अन्य साधन हो सकते हैं और इसलिए वे राज्यपाल की रिपोर्ट को अधिक विश्वसनीयता प्रदान नहीं करना चाहते थे। सो इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। राष्ट्रपति कार्यवाही करने से पहले राज्यपाल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करे, इसका कोई औचित्य नहीं है। उसने इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कार्यवाही की है।

इस सभा के वे सभी दल जो बर्खास्तगी आदि के बारे में कह रहे हैं, कभी न कभी, 1977 में अथवा 1980 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बर्खास्तगी की कार्यवाही में शामिल रहे हैं। आज वे राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाकर हमारी और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं। 1977 में बर्खास्तगी क्यों की गई थी? क्योंकि उन्हें लगा था कि राज्य सरकार जनमत, जनता की राजनीतिक इच्छा खो चुकी है यहां क्या हुआ है? जैसे कि श्री करुणानिधि जनता की राजनीतिक इच्छाओं को पूरा कर रहे हों। 1989 में सत्ता में आने के बाद, जब लोक सभा के चुनाव हुए, तो द्रमुक को उनमें से एक भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सिवाय तीन निर्वाचन क्षेत्रों के, हर निर्वाचन क्षेत्र में हमें एक लाख से अधिक मतों से बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस, अ० भा० द्रमुक गठबंधन के उम्मीदवारों को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख से अधिक मतों से बहुमत प्राप्त हुआ। यदि श्री करुणानिधि सच्चे लोकतन्त्रवादी होते तो उन्हें तत्काल त्याग पत्र देकर कहना चाहिए था कि "मैं जनमत प्राप्त करूंगा।" लोकतन्त्र क्या है। यह जनता की इच्छा है और लोकतन्त्र की प्रक्रिया से जन इच्छा ही प्रतिबिम्बित होती है। केवल भारतीय लोकतन्त्र में ही ऐसी बातें हो सकती हैं, आप देख सकते हैं कि इस सभा में एक भी सदस्य न होने पर भी द्रमुक को राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार में प्रतिनिधित्व दिया गया। ऐसा केवल हमारे लोकतन्त्र में ही हो सकता है, किसी अन्य लोकतन्त्र में नहीं। इसे कहते हैं 'लोकतन्त्र' किन्तु जब राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्दे नजर कुछ किया जाता है तो वे कहते हैं: "यह लोकतन्त्र विरुद्ध है।" मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि मैं तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करके सही समय पर सही कदम उठाने के लिए राष्ट्रपति और भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पीयूष तोरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, तमिलनाडु में जो प्रेसीडेंट रूल लागू किया गया है, मैं उसकी घोर निन्दा और घोर विरोध करता हूं। इसके द्वारा संविधान की धारा 356 का मिसयूज हुआ है। जिन राज्यों में गैर कांग्रेस आई सरकारें आई हैं वहां की सरकारों को बर्खास्त करने की कोशिश में कांग्रेस आई रहती है। जहां भी उसे कोई बात सुविधा-जनक मालूम नहीं होती है वहीं वह वहां की सरकार को अपदस्थ करने की फिराक में लग जाती है। तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त करने के जैसे बहाने बताये गए है वे सब किसी मतलब के नहीं हैं। जिस चीज को उठाकर उन्होंने कहा था कि वहां इस कारण से प्रेसीडेंट रूल लगाना पड़ा वही बात हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी है। वहां हरिजन मारे जा रहे हैं, ला एंड आर्डर की स्थिति खराब है और बहुत जोरों से स्मगलिंग हो रही है। लेकिन इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस ने चन्द्रशेखर सरकार पर दबाव डालकर ये सब करवाया। यही चन्द्रशेखर हैं जिन्होंने कहा था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने स्वर्ण-मंदिर में सेना भेजकर भारी भूल की थी। इसीलिए मुझे विश्वास है कि उनकी मर्जी से ये सब नहीं हुआ है। आज कांग्रेस आई की सरकार उनको जबर्दस्त गलत रास्ते पर ले जा रही है। जब इलेक्शन तमिलनाडु में होगा तो उसका अन्जाम इनको पता लग जाएगा।

जहां-जहां पर भी प्रेजीडेंट रूल लगा है—चाहे वह पंजाब, असम और जम्मू कश्मीर में लगा हो, वहां लॉ एंड आर्डर की हालत बदत्तर होती गई है। यदि यह कुछ दिन और आगे चला तो वह और बदत्तर हो जाएगा। इसीलिए मेरा ऐसा विचार है कि वहां बहुत जल्दी चुनाव कराये जायें। कांग्रेस और अन्ना डी०एम०के० की सम्मिलित शक्ति जो आज बहुत जोर दिखा रही है आगे आने वाले समय में सब समाप्त हो जाएगी। उन्होंने जिस ढंग से वहां करुणानिधि जी की सरकार को अपदस्थ किया है उसको लेकर वहां की जनता में बहुत रोष है। कांग्रेस आई यह हिसाब लगा रही है कि लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन होने के बाद हमें इतनी सीटें मिल जायेंगी लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ज्यों-ज्यों समय बीतता जाएगा उसकी सीटें कम होती जायेंगी। आज वह गलतफहमी की शिकार हो रही है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस समय कांग्रेस और अन्ना डी०एम०के० की शक्ति बिल्कुल सर्वनाश हो गई है।

वी० पी० सिंह की सरकार को गिराने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। वी० पी० सिंह की सरकार तो बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही थी लेकिन कांग्रेस ने ऐसी चाल चली जिससे उनकी सरकार गिर गई। लेकिन देश की जनता कांग्रेस को कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी। इतना ही मुझे कहना है।

श्री डी० पंडियन (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, मैं तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की उदघोषणा का समर्थन करता हूं। आरम्भ में, मैं राज्य के अन्य भागों से तथा विभिन्न दलों के संसद सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमारी बात को कुछ महत्व दें क्योंकि जो जूते पहनता है उसी को पता चलता है कि वह कहां पर चुभ रहा है, अर्थात जा तन लागे, वो तन जाने। आप एक दर्शक हैं। आप पालिश की ओर देखते हैं तथा जूते की कीमत के बारे में बात

करते हैं। परन्तु हम पंजे की चुभन के बारे में परेशान रहते हैं। अतः कम से कम तमिलनाडु के लोगों की आवाज को थोड़ा-बहुत तो सम्मान प्रदान करें। आप लोकतन्त्र की बात करते हैं तथा आपने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह लोकतन्त्र से दूर हट रही है परन्तु आप यह भूल रहे हैं कि हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में तथाकथित लोकप्रिय पार्टी, द्रमुक पार्टी का तमिलनाडु में सफाया हो गया है। वह कुल डाले गए वोटों का केवल 33 प्रतिशत ही प्राप्त कर पायी है। और जब हम बात करते हैं, तो हम अपने पक्ष में 62 प्रतिशत वोटों के समर्थन को लेकर बात करते हैं। अतः हमारी आवाज तमिलनाडु की आवाज है। अब तो इसे नजरन्दाज न करें। (व्यवधान)

सारी बात तब शुरू हुई जब फारवर्ड ब्लाक के नेता माननीय श्री चित्त बसु ने हमसे पूछा था कि किस मानदण्ड के अन्तर्गत आपने हमने उन्हें राष्ट्र विरोधी बताया है। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रकार का विचार व्यक्त किया। उनकी स्मृति ताजा करने के लिए मैं मार्क्सवादी दल को याद दिलाना चाहता हूं कि मार्क्सवादी पार्टी की राज्य समिति ने भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर होने के तथा भारतीय शांति सेना के वहां भेजे जाने के तुरन्त बाद एक पुस्तिका जारी की थी। वह आपका अधिकारिक दस्तावेज था। बेशक यह तमिल भाषा में है तथा आपके राज्य सचिव द्वारा इसकी भूमिका लिखी गई है तथा उसमें न केवल एक या दो बल्कि बहुत सारे आरोप हैं। उन्होंने विशिष्ट रूप से एक व्यक्ति का नाम बताया था जोकि सभा में नहीं है परन्तु आप उस दस्तावेज में उनका नाम देख सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम तथा उसके विरुद्ध वे आरोप जो यहां उपस्थित किसी सदस्य अथवा श्री चिदम्बरम ने नहीं लगाए हैं, परन्तु आपके अपने दस्तावेज ने उनको सी० आई० ए० का एजेन्ट बताया है। यह बात लिखित रूप में है। आप उस वक्तव्य को पढ़ सकते हैं। आपने न केवल उनको सी० आई० ए० का एजेन्ट बताया है बल्कि उन्हें राष्ट्रविरोधी, अलगाववादी, तथा ऐसी ही ताकतों का प्रतिनिधि बताया है तथा उनके विरुद्ध पूरी ताकत से लड़ने का दृढ़ निश्चय किया है।

जब भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यह घोषणा की थी। आपका भिन्न मानदण्ड था, क्योंकि, मैं आपको याद दिला दूं कि तब आपने आल इंडिया अन्ना द्रमुक के साथ गठबन्धन कर रखा था। आप श्री एम० जी० रामचन्द्रन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। आपने समझौते का समर्थन किया था और मैं समझता हूं कि आपके दल का रवैया आज भी वही है। आप इस पर पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी रवैया वही है। केवल तमिलनाडु में एक ही पार्टी ऐसी थी जिसने भारत-श्रीलंका समझौते का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने इसे श्रीलंका के हाथों में अपने को बेचना तथा उनके आगे आत्म समर्पण करना बताया था। उन्होंने सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगाना शुरू किया कि उन्होंने तमिलों के हितों के साथ न्याय नहीं किया है। परन्तु विधानसभा चुनावों के बाद वह चुप हो गए, क्योंकि वे कुछ निश्चित से नहीं थे और उनके अनुसार, केन्द्र सरकार उस समय उनके प्रति मित्रतापूर्ण रवैया नहीं रख रही थी।

तथापि केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के आने के बाद उनके हौसले बढ़ गए। तब

उन्होंने धीरे-धीरे अपना कार्य शुरू किया क्योंकि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार भी भारतीय शान्ति सेना की वापसी चाहती थी। द्रमुक ने भी यही कहा तथा लिट्टे ने भी यही कहा। ये तीनों एक ही बात कह रहे थे तथा यह मांग कर रहे थे कि भारतीय शान्ति सेना को वापस बुला लिया जाए। इससे पहले क्या हुआ ?

केन्द्र सरकार ने लिट्टे से बातचीत करने का अधिकार विदेश मंत्री को नहीं बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को दिया। उस समय इस पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि श्री करुणानिधि द्वारा बातचीत किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फिर अन्त में क्या हुआ ? श्रीलंका, जाफना, तमिल भाषी क्षेत्रों में चनाव हुए। 62 प्रतिशत वोटों से एक सरकार बनी। तथा वह राज्य सरकार जो कभी भी श्रीलंका में नहीं बनी थी, उसका उदय भारत-श्रीलंका समझौते के परिणामस्वरूप हुआ। पहली बार श्रीलंका के तमिल भाषी लोगों को निर्वाचित सरकार मिली।

6-00 म०प०

आज वह सरकार कहां है ? भारतीय शान्ति सेना की वापसी के बाद वह सरकार हवा में उड़ गयी। जो लोग तमिल हितों तथा उनकी रक्षा की बात करते हैं, उस मुश्किल से प्राप्त तमिल राज्य का श्रीलंका में क्या हुआ ? अब वह चली गयी है, और राज्य सरकार गठित कराने और सुरक्षा न देने के बाद भारतीय शान्ति सेना वहां नहीं गयी जैसा कि अमेरिका के नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय सेनाओं ने किया था जोकि उसे मुक्त कराने के नाम पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के आधार पर कुवैत में प्रवेश कर रही थीं। भारतीय शान्ति सेना को श्रीलंका की सरकार की सहमति से तथा समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए वहां भेजा गया था। और द्रमुम को छोड़कर सबने इसका स्वागत किया था। वह अवसर का इन्तजार कर कर रही थी। इसी कारण जब भारतीय शान्ति सेना केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार वापस बुला ली गयी थी, तो मुख्यमंत्री ने उसका स्वागत करने की भी परवाह नहीं की थी। और विधानसभा में उन्होंने कहा था, "वह एक किराए की सेना थी जो श्रीलंका में तमिल लोगों को कुचलने के लिए गयी थी।" और मुझे यहां पर सभी सदस्यों को जिसमें हमारे युवा साथी भी सम्मिलित हैं, यह याद दिलाने दी जाए कि जिन्होंने इस सभा में बिना मुख्यमन्त्री का जिक्र किए उनकी भर्त्सना की थी। सम्पूर्ण सभा ने एक स्वर से इस वक्तव्य को 'राष्ट्र-विरोधी' कहकर इसकी भर्त्सना की थी। हमारे प्रतिष्ठित नेता श्री चित्त बसु ने उस दिन स्वयं को 'राष्ट्रविरोधी' कहे जाने के मानदण्ड पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था। मुझे श्री चित्त बसु तथा अन्य दलों के अन्य सदस्यों से पूछने दीजिए। आप हर समय कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध लड़ते हैं। मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी तथा फारवर्ड ब्लाक दल नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के समय से लेकर श्री चित्त बसु के समय तक कांग्रेस से लड़ते आए हैं तथा कांग्रेस सरकार द्वारा कितना भी दबाए जाने के बावजूद क्या उन्होंने कभी भी क्रोध में आकर यह कहा था कि पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं रहेगा तथा इसे भारत के नक्शे से हटा दिया जाएगा। परन्तु श्री करुणानिधि ने ऐसा कहा था : "यदि केन्द्र सरकार ने द्रमुक सरकार पर किसी प्रकार का आघात किया तो तमिलनाडु का नक्शा भारत के नक्शे से अलग हो जाएगा।" यदि यह राष्ट्र विरोधी बात नहीं है

तो आप बताइए कि राष्ट्र विरोधी बात क्या होती है? इसके लिए इसके अलावा आप और कौन सा मानदण्ड चाहते हैं। आप किसी दल के साथ संघर्ष कर सकते हैं, आप शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध लड़ सकते हैं परन्तु किसी दल के साथ संघर्ष की आड़ में आप यह कैसे कह सकते हैं कि तमिलनाडु को भारत के नक्शे से काट दिया जाएगा। ऐसा हुआ है और यदि यह बात किसी मंच से किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा कही गई होती तो इसे नजरन्दाज किया जा सकता था। मुख्यमंत्री के रूप में जिसने संविधान के अन्तर्गत शपथ ली हो, यदि वह यह घोषणा करे कि तमिलनाडु भारत का हिस्सा नहीं रहेगा तो क्या फिर भी आप चाहते हैं कि हम चुप रहें तथा इस दुःखद नाटक को मूक दर्शक के रूप में देखते रहें?''' (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इसी कारण हम यह बात हमेशा सलाह देते हैं कि इस प्रकार के अलोकतान्त्रिक कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। मामला यह नहीं है कि करुणानिधि कुछ कह रहे हैं या नहीं। इस प्रकार के कदम वास्तव में देश के विभिन्न भागों में अलगाववाद को भड़काते हैं। अतः केन्द्र को इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि इस प्रकार की अलोकतांत्रिक गतिविधियों में न पड़े। इसी कारण हमने असम में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भर्त्सना की थी तथा इसका समर्थन नहीं किया था, यद्यपि हम सब एकजुट होकर उल्फा से लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं।

यही संक्षिप्त बात है जो उन्होंने मेरे लिए कही है।

श्री डी० पंडियन : मैं स्पष्टीकरण के लिए आपका धन्यवाद देता हूं और इसका कुल सार यह हुआ कि वे मुझसे सहमत हैं कि यदि कोई बात राज्य सरकार के नियन्त्रण के बाहर हो जाती है, तो जो सरकार केन्द्र में है वह यह देखे कि देश की एकता बनायी रखी जाय तथा भारत के सभी भागों में स्थिति में सुधार हो और सभी भागों का विकास हो क्योंकि केन्द्र सरकार सम्पूर्ण भारत के लिए जिम्मेदार है न कि किसी भाग विशेष के लिए। अतः मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। (व्यवधान)

कुछ माननीय तथा वरिष्ठ नेता जिनको अधिक अनुभव है और जिनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, ने भी कहा है कि तमिलनाडु से अत्यधिक दंगे फसाद होते रहे, तमिलनाडु में अत्यधिक खून खराबा होता रहा, जैसा कि असम और पंजाब में हो रहा है, आदि आदि।

मुझे दुख है कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि तमिलनाडु में ऐसी बातों को होने से रोकने के लिए तो हम संघर्ष कर रहे थे। परन्तु क्या आप यह महसूस करते हैं कि हम तब तक इन्तजार करें जब तक तमिलनाडु एक अन्य पंजाब या असम में बदल जाए और फिर यह कहने के लिए हम लोकसभा में आये कि अब जबकि सब कुछ हमारे नियन्त्रण से बाहर हो गया है तथा लोगों की बड़ी संख्या में हत्यायें हो रही हैं? तब आप तक यह कह देते कि अब तो इसमें काफी देरी हो गई है तथा आप भी इस देरी पर खेद प्रकट करेंगे। तमिलनाडु के बुद्धिमान लोगों को यह मांग करने की अक्ल है कि इलाज से अच्छा बचाव है। और उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया है।

सभापति महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि 28 फरवरी 1991 को सभा की बैठक नहीं होगी। और कल हमें कश्मीर का मामला भी लेना है। मुझे माननीय सदस्यों से काफी अनुरोध प्राप्त हुए हैं जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं। यदि आप सब सहयोग करें तो हम सभा को 7 बजे तक बढ़ा सकते हैं ताकि हम भाषणों को पूरा कर सकें। कल मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं श्रीमान्...(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जैना (कटक) : महोदय, आप हम पर अपनी इच्छा थोप रहे हैं।

अनेक माननीय सदस्य : हम देर से नहीं बैठना चाहते हैं।

सभापति महोदय : कुछ सदस्य जिन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भाग लिया था कृपया इस बात की याद को कि उन्होंने ऐसी स्थिति में देर से बैठना स्वीकार किया था जबकि कोई विधेयक पारित किया जाना हो। वे कृपया सहयोग करने की कोशिश करें।

श्री श्रीकान्त जेना : क्या यह भी किसी प्रकार की जबर्दस्ती है।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। किसी भी प्रकार से कुछ भी थोपा नहीं जा रहा है। यह सभा की मर्जी की बात है। यदि आप निर्णय करें तथा सहयोग करें तो हम उन सभी सदस्यों को अवसर दे सकते हैं जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : ठीक है श्रीमन, आप समय बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : हम लोग सात बजे तक बैठेंगे।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं माननीय सदस्य से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। पंजाब में भी निर्वाचित सरकार को गिरा दिया गया था। क्या आप समझते हैं कि इस अलगाववादियों को नियंत्रित किया जा सका है।

श्री डी० पंडियन : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके लिये उचित उत्तर दिये जाने की आवश्यकता है। यदि आप यह समझते हैं कि आप ऐसा प्रश्न पूछें, जिसका उत्तर कोई न दे पाये, तो आपको ऐसा करने का अधिकार है। परन्तु मैं आपको उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। (व्यवधान)

उन्होंने पंजाब और तमिलनाडु दोनों को एक समान समझा है।

पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बाद भी उग्रवाद में कमी नहीं आई है। दूसरी ओर इससे इसको बढ़ावा मिल रहा है।

यदि आप सिद्धान्तों की बात करें और कहें कि क्या निर्वाचित सरकार को हटाया जा सकता है तो यह चर्चा का विषय है। हर पार्टी को यह अधिकार है कि इस पर स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचार व्यक्त करे। मैं समझता हूं कि इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। ...(व्यवधान)

यदि द्रमुक सरकार ने कानून लागू करने वाले तंत्र को अपेक्षा के अनुसार उचित कदम उठाने की अनुमति दी होती तो स्थिति यहां तक न आती। आरोप तो यह है कि द्रमुक सरकार

ने न केवल कानून लागू करने वाले तंत्र को हथियारों की तस्करी रोकने की अनुमति नहीं दी थी बल्कि प्रान्त की राजधानी में जो हत्यायें हुई थी उनका पता लगाने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए गए थे। (व्यवधान)

प्रत्येक सदस्य को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है। यदि आप यह पूछें कि दूसरे सदस्य ने ऐसा क्यों कहा है, तो इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। आपको स्वयं उनसे पूछना होगा। द्रमुक सरकार ने कभी भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभायीं। तथा उसने लोगों के जीवन एवं अधिकारों की रक्षा करने तक की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभायी। यह आरोप केवल राजनीतिक दलों द्वारा ही नहीं लगाया गया है बल्कि अन्य लोगों द्वारा भी लगाया गया है। आप कह सकते हैं कि हम सरकार को हटाना चाहते हैं अथवा आप यह कह सकते है कि हम जितना जल्दी हो सके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। परन्तु लोगों के समर्थन के बिना कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। आप यह बात याद रखें। अतः अन्तिम निर्णय के लिए आपको लोगों के ही पास जाना होगा। (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : आप श्री चन्द्रशेखर की चोरी छिपे सत्ता में आना चाहते हैं।

श्री डी० पंडियन : यदि आप इस समय तमिलनाडु जाने चाहें तो मैं आपका गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं, आप हमारा आतिथ्य प्राप्त करेंगे। आप लोगों से मिल सकते है। आप अपनी पूरी योग्यता के साथ लोगों के सम्मुख अपने विचार रख सकते हैं तथा उनका निर्णय प्राप्त कर सकते हैं। मैं दरवाजे बन्द नहीं करना चाहता हूं। (व्यवधान)

हमने इससे पूर्व विद्यमान श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार तथा लोकसभा का भी ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि किस प्रकार लिट्टे तथा अन्य उग्रवादी शक्तियां तमिलनाडु में गतिशील है तथा इस राज्य को हथियार खरीदने के बाजार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। हमने सबूत भी दिए। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ने इसकी जांच करने का वायदा किया था परन्तु उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के वक्तव्यों तक का खण्डन नहीं किया गया। परन्तु इसके बाद तो और भी बहुत कुछ हुआ था, अर्थात निरन्तर रूप से तस्करी। हम तस्करी, भ्रष्टाचार आदि की सामान्य रूप से बातचीत नहीं कर रहे है क्योंकि यह सब जगह देखी गयी है। इस बात पर इसको न्यौचित नहीं ठहराया जा सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि केवल इसी कारण द्रमुक सरकार को हटा देना चाहिए क्योंकि वहां तस्करी तथा भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं यह कह रहा हूं कि हथियारों की तस्करी तमिलनाडु के आम नागरिकों तक पहुंच गयी है। हम इसे दूर करना चाहते हैं। मान लीजिए, साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं तो दोनों पक्ष आधुनिक हथियारों, का प्रयोग करेंगे तथा पुलिस इसको किसी भी तरह दबा नहीं पायेगी।

इस तरह की बातें सम्पूर्ण तमिलनाडु में फैल रही हैं। हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे तथा इसको रोके।

एक माननीय सदस्य : वहां तो ए०के० 47 राइफलें भी हैं।

श्री डी० पांडियन : ए०के० 47 तथा अन्य आधुनिक हथियार भी हैं। दसवीं कक्षा के छात्रों को बारूदी सुरंगें बिछाना सिखाया जा रहा है। उन्हें इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अब यह तमिलनाडु के सभी दूर दराज भागों तक भी फैल गया है। हम सबूत दे चुके हैं कि किस फैक्ट्री से हिस्से-पुर्जे निर्मित हो रहे हैं तथा किस प्रकार उन्हें श्रीलंका ले जाया जा रहा है। यह बात नहीं है कि हम लिट्टे से लड़ना चाहते हैं। यदि वे अपनी सरकार से अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो उन्हें लड़ने दीजिए। परन्तु हमारी भूमि पर उन्हें हमारे देश के कानूनों का सम्मान करना होगा। (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : श्री चिदम्बरम तथा एम०जी०आर० के लिट्टे से सम्बन्ध के बारे में आपके क्या विचार है।

श्री डी० पंडियन : उस समय 'लिट्टे' वाले यहां पर थे। वे भारत का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि उस समय उनकी भारत से मित्रता थी। केवल श्रीलंका वापस जाने के बाद ही वे भारत विरोधी हो गये तथा राष्ट्रविरोधी हो गए तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त होने लगे। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए तथा यही सही होगा, भले ही इसमें देरी ही क्यों न हो गई हो। इतने अनुचित मामले में तर्क देना चाहे यह तर्क श्री जसवन्त सिंह और श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे उत्कृष्ट वक्ताओं द्वारा ही क्यों न दिए गए हों, फलदायक सिद्ध नहीं होगा। अतः अपना समय तथा बुद्धिमत्ता व्यर्थ न करें।

हम तमिलनाडु में आपका स्वागत करते हैं। शीघ्र ही तमिलनाडु आइए और तब आप कहेंगे कि तमिलनाडु में वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र स्थापित हुआ है तथा तमिलनाडु सम्पूर्ण राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करेगा। आप कम से कम इसके बाद तो तमिलनाडु के लोगों के निर्णय का सम्मान करेंगे तथा महसूस करेंगे कि हमने जो कुछ भी कहा है, वह इस संदर्भ में सही है।

राष्ट्रीय एकता और धर्म निरपेक्षता के स्वरूप के सम्बन्ध में या कानून और व्यवस्था के बारे में हमारी स्थिति दूसरे दलों के साथ तालमेल से नहीं बदलती है जैसा कि दूसरे कुछ दलों के साथ होता है।

अन्त में, मुझे खेद है क्योंकि मुझे तमिलनाडु से अपने प्रिय मित्र श्री सेल्वाराज को भी जवाब देना है।

उन्होंने चुनौती दी है और पूछा है कि क्या कोई संसद सदस्य उनके विरुद्ध नागापट्टीनम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के काबिल है। इस बारे केवल एक बात यही है कि यह सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर मुझे चुनाव लड़ने की मनाही है। मेरे विचार में उन्हें यह मालूम है और इसीलिए उन्होंने चुनौती दी है। लेकिन उनको मेरे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मनाही नहीं है। इसलिए मैं उन्हें आमन्त्रित करता हूं और उनके किसी भी शीर्षस्थ नेताओं को उस निर्वाचन क्षेत्र में आमंत्रित करता हूं। मैं इसी समय त्यागपत्र देने को और दुबारा किसी भी दिन लोगों का निर्णय जानने के लिए तैयार हूं। तब उनको तमिलनाडु के लोगों के मन और उनकी आवाज,

जिसका कि वे यहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, के बारे में पता चलेगा।

आपने बुरी संगत को अपना लिया है और उसके साथ ही चल रहे हैं। अन्तत. मैं केवल यही कह सकता हूं कि मुझे आपके साथ हमदर्दी है। कृपया आइए। (व्यवधान) आपके निर्वाचन क्षेत्र नागापट्टीनम सहित मुझे चुनौती स्वीकार है।

6.15 म०प०

कार्य-मंत्रणा समिति

बीसवां प्रतिवेदन

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

6.15½ म०प०

तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के सम्बन्ध में जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी

श्री समरेन्द्र कुन्डु (बालासोर) : मैं संक्षेप में कहूंगा और वास्तव में केवल 1 या 2 विषयों पर कहूंगा। मैं अपने अ०भा०अ०द्र०मु०क० और कांग्रेस के सभी मित्रों समेत हर व्यक्ति से अपील करता हूं। मान लीजिए डेढ़ या 2 वर्ष के बाद तमिलनाडु में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कोई दूसरी सरकार बर्खास्त की जाती है। ऐसी स्थिति में उनसे उस आपत्तिजनक व्यवस्था 'या अन्यथा' के बारे में विचार करने के बारे में कह रहा हूं और उनसे अपने आप से यह पूछने का आग्रह करता हूं कि क्या वे उस समय भी ऐसी ही अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग सत्तारूढ़ सरकार के विरुद्ध करेंगे ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें विचलित न करें क्योंकि उनके पास बहुत कम समय है।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : कृपया ध्यान रखें कि हम सब संघीय ढांचे में हैं। तमिलनाडु के लोग भारत की आत्मा हैं। भावात्मक एवं सांस्कृतिक तौर पर वे भारत के श्रेष्ठ लोगों में से हैं। उनकी भावनाओं की इज्जत करते हुए तथा उनके साथ हमदर्दी रखते हुए और उनकी पहचान को कायम रखते हुए संघात्मक स्वरूप बनाए रखना है। अन्यथा वे सभी बातें जो पंजाब, कश्मीर और असम में में हो रही हैं, दोहराई जाती रहेंगीं। मैं निदान में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन कृपया विश्लेषण कीजिए कि पंजाब में क्या हुआ है और कैसे ए०के० 47 और अन्य ऐसे हथियार वहां आए हैं। असाम में जो हुआ है उसका विश्लेषण कीजिए। यदि हम असहनशील बन गए, यदि

हम अपने हितों के लिए संविधान को हर सप्ताह बर्खास्त करने में इस्तेमाल करते रहे। ऐसा ही सम्पूर्ण भारत में दोहराया जाता रहेगा।

यह संघात्मक ढांचे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। (व्यवधान)

6.18 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं भारत के सभी लोगों में एकता चाहता हूं जिनको भारत रूपी माला में फूलों की तरह रहना चाहिए। मैं यह जानता हूं कि क्या तमिलनाडु सरकार की बर्खास्तगी का यह कुकर्म श्री चन्द्रशेखर और मेरे अपने मित्र श्री सहाय द्वारा किया जाना था। मैं उनके दिल की बात अच्छी तरह जानता हूं। उनका ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं थी, परन्तु उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। श्री चन्द्रशेखर द्वारा जनवरी 1991 को मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र को देखिए। उन्होंने तमिलनाडु में तब कानून और व्यवस्था का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने केवल पंजाब और असम का जिक्र किया था (व्यवधान)।

श्री इरा अन्बारासु (मद्रास मध्य) : जी नहीं, उन्होंने इसका जिक्र किया था।

श्री समरेन्द्र कुण्डु : 26 जनवरी, 1991 की गणतंत्र दिवस के भाषण में आपने तथ्यों को क्यों नहीं जांचा था? मुझे भी तथ्य प्राप्त हुए हैं—राष्ट्रपति ने तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने पंजाब, कश्मीर और असम का जिक्र किया था। तमिलनाडु का मुद्दा नहीं उठाया गया था। मैं जानता हूं श्री सहाय और श्री चन्द्रशेखर के समक्ष अन्तिम शर्त रखी गई थी। इसके अतिरिक्त जयललिता एक तेजस्वनी महिला के आकर्षण ने भी इन घटनाओं में मुख्य भूमिका निभाई थी।

मैंने राजनीति में ऐसी कोई अन्य महिला नहीं देखी है। वह एक चमकते हुए सूरज की तरह है और तब कुछ बादल आए और वह छिप गई।

श्री आर० मुथैया : वह राजनीति में है। आप यह कैसे कह सकते हैं?

श्री समरेन्द्र कुण्डु : उस महिला के सौन्दर्य, उस तेजस्वनी महिला की प्रशंसा न केवल श्री राजीव गांधी ने की बल्कि श्री चन्द्रशेखर और आंशिक रूप से हमारे युवा मित्रों ने भी की है। परन्तु श्री सुबोध कान्त सहाय जी आपने बर्खास्तगी के आदेश पर अपने हस्ताक्षर करके बहुत घोर अन्याय किया है। यदि मैं किसी अच्छे राज्यपाल का स्मरण करता हूं तो मुझे केवल एक ही पंजाबी भद्र पुरुष का नाम आता है और वह हैं श्री बरनाला। मैंने उनके साथ काम किया है। वह पूर्णरूपेण एक भद्र पुरुष हैं। वह एक चमकते हीरे की तरह पवित्र हैं।

श्री आर० मुथैया : उसकी श्री करुणानिधि के साथ सांठगांठ थी। उनका पक्ष मत लीजिए।

श्री समरेन्द्र कुण्डु : लेकिन ऐसा किसी भी राज्य में नहीं हुआ है कि राज्यपाल की रिपोर्ट

के बिना सरकार को बर्खास्त किया गया हो। .. (व्यवधान) मेरे पास जानकारी भी है। वह चट्टान की भांति अड़ गए। कुछ लोगों ने मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं—रिपोर्ट देने के लिए श्री बरनाला के पैर पकड़े थे। उनमें कुछ उच्च पदाधिकारी, रॉ और अन्य लोग शामिल थे। उन्होंने कहा, "मैं कुछ नहीं करूंगा।" मैं सब कुछ जानता हूं। यहां वस्तुतः कानून और व्यवस्था की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके कारण सरकार बर्खास्त करनी पड़े। यह एक राजनैतिक बैर भाव का मामला है। क्या श्री पी० चिदम्बरम यह कहना चाहते थे कि सरकार को केवल इसलिए बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि वहां पर तस्करी गतिविधि हो रही हैं? ऐसी तस्करी गतिविधियां गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में बढ़ती रही हैं। क्या यह सलाह देना चाहते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए? सरकार के बर्खास्त किए जाने के बाद कुछ रेशेदार वस्तु की नवें पकड़ी गई जिन्हें उनके तस्करी मे शामिल होने के साथ जोड़ा गया और इसलिए इसी आधार पर तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था का उल्लंघन की स्थिति पैदा हो गई थी। मैंने उस घटना को दूरदर्शन पर देखा था। एक बड़ी-बड़ी मूंछों वाले आई०जी० को कुछ करेंसी नोटों और ट्रांजिस्टरों के साथ दिखाया गया था। आपको ट्रांजिस्टर हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन आज यही घटना राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना सरकार बर्खास्त करने का जरिया बन गई। यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात है? आप न केवल अपने लिए बल्कि हमारे लिए भी कबर खोद रहे हैं। कृपया अपनी पार्टी के आन्तरिम झगड़ों को संविधान को खत्म करने के लिए इस्तेमाल न कीजिए। यह आपकी पार्टी का आन्तरिक मामला हो सकता है। एक संसद सदस्य होने के नाते मैं अपनी और जनता की भावनाओं को आपके प्रति व्यक्त कर रहा हूं।

जब मैं यहां का सदस्य नहीं था तब मैं पड़ोसी देशों के संगठन के अध्यक्ष के नाते पड़ोसी देशों के साथ मित्रता बढ़ाने के लिए तीन देशों पाकिस्तान, माले और श्रीलंका में गया था। मैं श्री जयवर्धने से श्रीलंका में मिला था। श्रीलंका में दीवारों और गलियों में लिखा हुआ था— "भारतीय कुत्तो वापिस जाओ।" अपना मुंह दिखाना हमारे लिए यह बड़ी शर्म की बात थी। श्रीलंका में सेना भेजने पर हमें आक्रमणकारी की संज्ञा दी गई? श्रीलंका के लोगों ने चेतावनी दी कि भारतीय कुत्तों को यहां से चले जाना चाहिए नहीं तो दूसरे देशो से सेना बुलाएंगे।

आज लिट्टे के लोग बुरे हैं, कुछ समय पूर्व उस समय लिट्टे के लोग अच्छे थे, सुदन्र थे और आनन्द के साथ मुस्कराते थे जब उन्हें ए०के० 47 बन्दूकें दी गई थीं और हमारी सेना के अधिकारियों ने उन्हें भारत की भूमि पर पैंतीस शिविरों में प्रशिक्षण दिया था। हमने उन पर करोड़ों रुपया खर्च किया है। हम उनकी मदद भी कर रहे थे। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने मुझे उन ग्यारह शिविरों की तस्वीरें दिखायीं जिनमें हम उन्हें प्रशिक्षण दे रहे थे। उसने कहा, "आप उग्रवादियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और आप हमें यहां बताने आए हैं कि हम पाकिस्तान में प्रशिक्षित उग्रवादियों को पंजाब भेज रहे हैं।" मैंने इसका विरोध किया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ।

जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है यह तभी सुदृढ़ होगा जबकि राज्य सुदृढ़ होंगे। यदि हमारे

राज्य सुदृढ़ हैं, संघीय ढांचा भी सुदृढ़ होगा और बर्खास्तगी इस प्रकार आसानी से नहीं हो पाएगी। इसलिए कृपया ऐसी गलती न कीजिए।

मैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री रामचन्द्रन जी को जानता हूं जो अब नहीं हैं। वह मेरे अच्छे मित्र थे। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी उनसे व्यक्तिगत मित्रता थी। जब वे न्यूयार्क में थे, हमने इकट्ठे कुछ समय बिताया। मैं जानता हूं जब उनकी सरकार इन्दिरा गांधी द्वारा बर्खास्त की गई थी—उन्होंने इसके बारे में मुझे क्या बताया था। और श्री रामचन्द्रन और उनकी पार्टी इन्दिरा गांधी का सामना नहीं कर सकी थी। तब उनकी पार्टी ने इस प्रजातन्त्र को बन्धक प्रजातन्त्र का नाम दिया था, बर्खास्तगी को अनुचित और तानाशाही कदम बताया था। कागजों को देखिए। बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। (व्यवधान)

इसलिए, दैनिक जीवन में लघु परिधि का प्रश्न ही नहीं उठता। (व्यवधान)

श्री इरा अन्बारासु : द्रमुक सरकार को श्री करुणानिधि के कहने पर बर्खास्त किया गया था। इसलिए श्री करुणानिधि का विरोध करने का कोई हक नहीं है।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : यदि ऐसा है तो मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। (व्यवधान) मुझे इससे घोर आपत्ति है। यदि मैं यहां पर एक बात न कहूं तो मेरी गलती होगी। जब 1975 और 1977 में सारे देश में आपातस्थिति थी, जब हममें से अधिकतर लोग 18 महीने से जेल में थे उस समय श्री करुणानिधि और उनकी सरकार ही थी जोकि इन्दिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के सामने चट्टान की भांति खड़ी थी। और इसलिए उन्हें स्वतंत्रता, समता और संघ को मजबूती प्रदान करने की कीमत चुकानी पड़ी। और दुबारा 1991 में फिर वही कुछ हुआ क्योंकि श्री करुणानिधि ने राष्ट्रीय मोर्चा को समर्थन दिया था। आपको अपने कार्यकलापों को विधानसभा में निपटाना होगा। आपने संविधान में एक राज्य विधान सभा का नाम दिया है। वहां पर विधान सभा केवल इसलिए नहीं है कि श्री करुणानिधि को कोई हानि पहुंचाई जाए। (व्यवधान) आप उन्हें उकसा रहे हैं। आपने हिंसा के द्वारा श्रीमती जानकी की सरकार को 29 दिनों में ही उखाड़ दिया और आपने द्रमुक सरकार को गिराने के लिए विधानसभा में हल्ले-गुल्लों से षडयंत्र रचा। उसके द्वारा आपने महान देशभक्त डा० अम्बेदकर द्वारा रचित संविधान को धोखा दिया। अनुच्छेद 356 आपत्तिजनक है। आप जानते होंगे कि उन्होंने कहा था कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसका बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मेरी मांग है कि अनुच्छेद 356 को पूर्णतः संशोधित किया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : इसे निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : इतना नहीं कि उसे निकाल ही दिया जाए बल्कि इसे इस प्रकार संशोधित करना चाहिए ताकि राज्य सरकारें अपनी आजादी को महसूस कर सकें कि वे पांच वर्ष के लिए चुनी गई हैं और उन्हें पांच वर्ष तक शासन करना है।

श्री आर० मुथिया : 1977-78 में क्या हुआ था ?

श्री समरेन्द्र कुन्डु : मैं अ०भा०अ०द्र०मु०क० के अपने मित्र से सहमत हूं। 1977-78 में हमें अनुच्छेद 356 को संशोधित कर देना चाहिए था। ऐसा एक प्रस्ताव था, लेकिन समय नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अध्यक्ष को सम्बोधित नहीं करेंगे तो आपको हर बात का जवाब मिलेगा।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : ऐसा एक प्रस्ताव था कि अनुच्छेद 356, जोकि राज्यों के अधिकारों में बाधा उत्पन्न करता है, को संशोधित किया जाना चाहिए। यह प्रगति हुई थी। जो कोई भी अच्छा कार्य करना चाहता है, अल्पायु होता है। अच्छे व्यक्ति 40 या 50 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहते। हम लोग—पापी—59 या 60 तक भी जीवित है। इसी प्रकार जनता दल सरकार अच्छे कार्य करना चाहती थी। लेकिन वह ग्यारह महीनों में ही बर्खास्त कर दी गई। आपने एक हड़ताल की थी।

श्री आर० मुथिया : आपने स्वतः ही अपने आपको बर्खास्त किया।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : यह एक अच्छी बात है। कांग्रेस और अ० भा० अ० द्र० म० क० ने मंडल आयोग के पक्ष में हड़ताल की थी। 27 प्रतिशत आरक्षण के बजाय द्र० मु० क० सरकार 50 प्रतिशत आरक्षण चाहती थी क्योंकि तमिलनाडु में 50 प्रतिशत आरक्षण है। लेकिन कुछ समय बाद अ०भा०अ०द्र०मु०क० और कांग्रेस (ई) ने तमिलनाडु में हड़ताल का आयोजन किया। इसलिए जब यह सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण की बजाय 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग करती हुई आई। द्रमुक 50 प्रतिशत आरक्षण चाहती थी दूसरी हड़ताल 50 प्रतिशत से भी अधिक आरक्षण के लिए थी। यह सब कुछ मंडल आयोग जोकि ज०द० सरकार की देन है के लिए हमदर्दी के तौर पर था।

इसलिए प्रश्न यह उठता है कि जब भी जैसे सरकार को बर्खास्त करना जैसे गंभीर मामले आते हो तो हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। हमें अपने आपको उजागर करना चाहिए और उसे तेजी से करना चाहिए। श्री चिदम्बरम ने जो कुछ कहा, मुझे उससे अत्यधिक निराशा हुई है। उनके समय में एक प्रकार की खुफिया एजेंसी गृह मंत्रालय को चला रही थी। पुलिस गुप्तचरों की सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने लोगों और सरकार को तोड़ने और बांटने की कोशिश की और उन्होंने ऐसे भ्रष्ट और गंदे लोगों की सुरक्षा की जो उन राज्य सरकारों को तोड़ने में सक्षम थे जो प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी की हठधर्मी के आगे नहीं झुकते थे। इसलिए बैठने से पहले मैं एक बार फिर आग्रह करता हूं कि जो कुछ भी किया गया वह संविधान और प्रजातांत्रिक ढांचे का विनाश है। हमें संघीय ढांचे को बरकरार रखना होगा। जो कुछ भी हुआ है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें देखना होगा कि भविष्य में ऐसा न हो। आप चुनाव लड़ेंगे, चाहे जीते या नहीं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुन्डु यहां पर बहुत से लोगों को बोलना है।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : मुझे गलती करना अच्छा लगता है। दोबारा फिर वही खुफिया प्रणाली गृह मंत्रालय में पनपने लगी है। श्री सहाय कृपया मुझे माफ करें। आप एक युवा व्यक्ति हैं। कृपया आप उसका शिकार न होवें, वे बहुत बड़े सुचारु ढंग से चुनावों की तैयारी में लगे हैं मुझे बताया गया है ...(व्यवधान) जब मुझे कोई सूचना मिलेगी, सदन में आऊंगा। श्री सहाय, यह अच्छा होगा कि आप स्वच्छ चुनाव कराएं। आप एक युवा हैं। आपका एक लम्बा भविष्य है। कृपया उनके सुझाव से सहमत न हों। आप किसी ऐसी व्यवस्था के भागीदार न बनें जिसमें कि आपको प्रजातन्त्र और संविधान के विनाश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का कुछ समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं दिन के इन अन्तिम क्षणों में संक्षेप में ही अपनी बात कहने की पूरी कोशिश करूंगा।

इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो भी हुआ है वह संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हुआ है। राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त करना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति को स्वविवेक से कार्य करने की छूट है। इसके बावजूद, मैं जिस ढंग से यह सारा कार्य हुआ उसके लिए अपनी हताशा प्रकट करता हूं। मेरे विचार से जिस ढंग से इस कार्य को किया गया वह न केवल भद्दा और फूहड़ ही था बल्कि वह संविधान की आत्मा के प्रतिकूल था। मैं यह कहने का साहस करता हूं जिसकी संविधान के निर्माता डा० अम्बेडकर ने कल्पना और उम्मीद की थी। डा० अम्बेडकर ने जो कहा है उसका बहुत उल्लेख किया गया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे डा० अम्बेदकर की कही गई कुछ पंक्तियों का उल्लेख करने की अनुमति देंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति शासन केवल अन्तिम उपाय के तौर पर ही लागू करना चाहिए। और तब उन्होंने कहा :

> "जिस उचित बात का हमें ध्यान रखना चाहिए वह यह है कि ऐसे अनुच्छेदों को कभी भी प्रयोग में नहीं लाया जाएगा और वे निष्क्रिय ही रहेंगे।"

तदन्तर में उन्होंने जो कहा था वह मेरे विचार से और महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा :

> "यदि वे अन्ततः प्रयोग में लाए जाते हैं तो मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति, जिसमें यह शक्ति निहित है, क्षेत्र के शासन को शासन को निलंबित करने से पहले उचित एहतियात बरतेगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मन में एक भावना आई है, अत्यधिक खेद की भावना कि राष्ट्रपति ने उन एहतियातों की ओर ध्यान नहीं दिया जिस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए था। इस सन्दर्भ में मेरा पहला तर्क यह है कि जहां तक मेरी समझ में आता है उन्होंने राज्यपाल के साथ अलग से चर्चा नहीं की। राज्यपाल ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी थी। उन्होंने दबाव में आने से इन्कार कर दिया और राष्ट्रपति को ऐसे में स्वविवेक से निर्णय लेने का पूरा हक था। लेकिन मैं ऐसा भी सोचता हूं कि राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय के लिए, जोकि हड़बड़ी में लिया गया, राज्यपाल से बात

कर लेनी चाहिए थी मेरा विचार है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति को डा० अम्बेदकर के अनुसार इस हड़बड़ी में लिए गए निर्णय पर पहुंचने से पहले, सभी उचित एहतियात बरतने चाहिए थे। इसके अलावा मैं दृढ़तापूर्वक महसूस करता हूं कि इस कार्यवाही में विश्वास और विश्वसनीयता की कमी थी क्योंकि लिट्टे ने जो कुछ किया है उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। शायद यह एक अच्छा मामला हो, शायद श्री चिदम्बरम ने जो आज पहले कहा है वह सच हो। वास्तव में, मैं सोचता हूं कि उनके द्वारा लगाए गए अभियोगों की संसदीय जांच कराना राष्ट्रीय हित में होगा। शायद वह सच हो। इसलिए यदि केन्द्र के पास यह जानकारी थी कि श्री करुणानिधि की लिट्टे के साथ सांठ-गांठ थी, तो इस जानकारी का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से किया जाना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, जैसा कि आपको विदित है, हमारे पास अनुच्छेद 256 नाम का एक अनुच्छेद है।

यह अनुच्छेद केन्द्र को आवश्यक मार्गनिर्देश जारी करने की शक्ति प्रदत्त करती है। यदि मैं अनुच्छेद 256 को उद्धृत करूं, तो उसमें यह कहा गया है कि हर राज्य को अपनी कार्यकारी शक्तियों का इस तरह से प्रयोग करना होगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का तथा राज्य पर लागू होने वाले किसी अन्य वर्तमान कानून का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके तथा सब कार्यकारी शक्तियों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे गए राज्यों को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी।

मेरे विचार से केन्द्र द्वारा तमिलनाडु की राज्य सरकार को यह मार्गनिर्देश देना चाहिए था कि वह राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरोध में कार्य कर रही है। उस समय ऐसा करना बहुत ज्यादा अच्छा होता। मैं सोचता हूं कि ऐसी चेतावनी जारी की जानी चाहिए थी। पिछले दिनों बातचीत के दौरान में सभा के एक सदस्य ने मुझे बताया, सच तो यह है कि इस तरह के निर्देश कभी भी जारी नहीं किए गए। कभी न कभी इस तरह की पहल तो की जा सकती थी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात तो कानून पर लागू होती है।

प्रो० एन० जी० रंगा : चेतावनी के तौर पर प्रधानमंत्री ने ऐसी सलाह दी थी।

श्री इन्द्रजीत : प्रो० रंगा कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने समुचित चेतावनी थी। यदि यह चेतावनी केन्द्र से मार्गनिर्देश के रूप में दी गई होती तो मुझे यह बात ज्यादा अच्छी लगती। केन्द्र सरकार यह भी कह सकती थी कि राज्य सरकार ने अपने कार्यों से राष्ट्र की एकता और अखंडता को नजरअंदाज किया था।

प्रो० एन० जी० रंगा : प्रधानमंत्री ने ऐसी चेतावनी दी थी...(व्यवधान)

श्री इन्द्र जीत : मुझे खुशी है कि प्रो० रंगा जैसे अनुभवी तथा सम्मानित व्यक्ति ने अपनी बात दुहराई। मेरा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री ने यदि कोई चेतावनी या मार्गनिर्देश दिया था, तो उससे सम्बन्धित कागजातों को सभा-पटल पर अवश्य रखा जाना चाहिए था। मेरी जानकारी के अनुसार मौखिक रूप से कुछ बातें ही कही गईं। यदि कोई लिखित मार्गनिर्देश, लिखित सलाह या लिखित चेतावनी दी गई थी तो उसे सभा के पटल पर अवश्य रखा जाना चाहिए था। इससे सरकार की कार्यवाही को अधिक प्रामाणिकता मिल गई होती। इस पूरी कार्रवाई को

संविधान की भावना के अनुरूप ही किया जाना चाहिए था ··(व्यवधान)

मेरे ख्याल से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वह समय आ गया है, जब सभा को राज्यपालों की नियुक्ति, उनकी शक्ति और केन्द्र को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इससे सम्बन्धित सारे सवालों पर पूर्ण विस्तार से विचार करना चाहिए यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तथा राज्यपालों के सम्बन्धों, उनके आचार तथा राज्यपाल के प्रति केन्द्र के व्यवहार आदि सम्बन्धों को विवेकपूर्ण नहीं बनाते हैं, तो हम निश्चित रूप से किसी बड़ी विपत्ति में फंस जायेंगे। अत: निष्कर्ष के रूप में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कदम उठाया जाना चाहिए। राज्यपाल के कार्य-करण के सम्बन्ध में केन्द्र को मार्गनिर्देश देते समय संशयमुक्त होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने सुबह मेरी कुछ बातों पर आपत्ति प्रकट की थी। बाद में जब मुझे उनसे बात करने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि सुबह में मैंने जो कहा था उसे कार्यवाही से नहीं निकाला गया है। सच तो यह है कि राज्यपाल के पद को हमने चपरासी के पद से भी गया-बीता बना दिया है, क्योंकि चपरासी को भी, जो सरकार का सबसे निम्न कार्यकारी है, हटाने के पहले नोटिस दी जाती है, आज राज्यपाल को इच्छानुसार हटाया जा सकता है। यही कारण है कि केन्द्र सरकार को संकट का सामना करना पड़ रहा है, मैं जानता हूं कि इसी कारण अच्छे लोग आगे नहीं आ रहे हैं। आखिर हम राज्यपाल का पद किस प्रकार का चाहते हैं, अत: मूल समस्या यही है तथा मुझे आशा है कि तमिलनाडु की घटना में श्री बरनाला तथा श्री मोहम्मद युनुस सलीम के साथ जो हुआ, उसे देखते हुए सभा राज्यपालों की नियुक्ति उनकी भूमिका तथा उनके पद के बारे में गंभीरता से विचार करेगी। महोदय, धन्यवाद।

*श्री आर० जीवरतनम (आर्कोनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन के पक्ष में संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा।

शासन में आने के बाद श्री वी० पी० सिंह की पहली गम्भीर गलती यह थी कि उन्होंने श्री करुणानिधि को एल०टी०टी०ई० के साथ बातचीत करने की अनुमति दे दी। इस कारण बहुत सारे एल०टी०टी०ई० उग्रवादियों को तमिलनाडु में आने का और वहां की शांति भंग करने के लिए प्रोत्साहन मिला। एल० टी० टी० ई० के साथ बातचीत करने की जिम्मेवारी को श्री करुणानिधि को सौंपने के कारण ही तमिलनाडु में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में एल० टी० टी०ई० के उपयोग की अचानक शुरूआत हुई। अपने 2000 जवानों की आहुति देने के बाद जब भारतीय शांति सेना वापस लौटी तो मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि उनकी अगवानी करने नहीं गए। यह दूसरी बड़ी भूल थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा को राष्ट्रीय महत्व की कुछ गम्भीर जानकारी देना चाहता हूं। यह आरोप लगाया जाता है कि लिट्टे ने करुणानिधि से राष्ट्रविरोधी कार्यों के लिए एक बड़ी रकम की मांग की थी, उसके बाद यह भी बताया जाता है श्री करुणानिधि ने उन्हें श्री वी० पी० सिंह से मदद मांगने की सलाह दी। फिर श्री वी० पी० सिंह ने उन्हें श्री जार्ज फर्नान्डीज के

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

पास भेजा। यह भी कहा जाता है कि एल० टी० टी० ई० की मदद के लिए उन्होंने उन्हें फोन भी किया था। यह बात शत-प्रतिशत सही है। मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं।

एक दूसरी घटना भी उल्लेखनीय है। तमिलनाडु पुलिस ने 'तमिल चीते' को पकड़ा था जो एक हत्या के मामले में शामिल था। पुलिस ने इस मामले के बारे में कार्यवाही करने के विषय में मुख्यमंत्री से सम्पर्क किया। मुख्यमंत्री ने इस मामले को न्यायालय में ले जाने की सलाह दी तथा न्यायालय में इस मामले का ऐसा जोड़ तोड़ किया गया कि उसे सिर्फ जुर्माना करके छोड़ दिया गया।

श्री पाल आर० मनटोष (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने कहा है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने लिट्टे की सहायता की है। यह उनके खिलाफ एक सीधा आरोप है।...(व्यवधान)

श्री आर० जीवरतनम : एल० टी० टी० ई० ने करुणानिधि से अनुरोध किया था, श्री करुणानिधि ने श्री वी० पी० सिंह से कहा और श्री वी० पी० सिंह ने श्री जार्ज फर्नान्डीज से कहा, तथा श्री जार्ज फर्नान्डीज ने धन दिया। मैं यह बात जानता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को एक बार फिर चेतावनी देता हूं कि वे अपने भाषण के दौरान ऐसा कुछ नहीं बोलें जो सचमुच अच्छा एवं सही नहीं हो।

***श्री आर० जीवरतनम** : अब मैं राज्यपाल श्री बरनाला के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। कई सदस्यों ने उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। जब उन्होंने पद तथा गोपनीयता की शपथ ली थी तो उन्होंने कसम खाई थी कि वे संविधान की रक्षा करेंगे तथा सरकारी गोपनीयता अधिनियम का पालन करेंगे। पर 30 जनवरी 1991 की सुबह जब वे नई दिल्ली में आये तो उस समय भी राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा चल रही थी। किन्तु 4 बजे शाम होते होते असामाजिक तत्वों ने मद्रास शहर का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। संभावित बर्खास्तगी के समाचार आखिर 4 बजे तक ही क्यों पहुंच गए ? 4 बजे मद्रास की एक जन-सभा को संबोधित करते हुए श्री करुणानिधि ने कहा था कि कुछ ही घंटों में वह बर्खास्त किये जा सकते हैं। जबकि वास्तव में राष्ट्रपति ने इस घोषणा पर 10.15 बजे रात्रि में हस्ताक्षर किए थे। इस स्थिति में किसने आम जनता को ये खबर अग्रिम रूप से चार बजे ही दे दी जिसके कारण बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई। श्री बरनाला एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, पर वह सरकार की संभावित बर्खास्तगी से सम्बन्धित राजकीय सूचना को गुप्त नहीं रख सके। सिर्फ इसी एक कारण के लिए उन्हें आवश्यक रूप से दंडित किया जाना चाहिए। किन्तु माननीय प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी ने उन्हें उदारतापूर्वक दूसरे राज्य में भेज दिया। श्री बरनाला ने इस स्थानान्तरण को स्वीकार नहीं किया और इस्तीफा दे दिया। यहां तक कि मद्रास से अपनी वापसी

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

के बाद भी वह चुप नहीं रहे। उन्होंने पत्रकारों को बुलाया और कहा कि उन्होंने ऐसा अपने सदविवेक के आधार पर किया है। बर्खास्तगी के स्वविवेक के विरुद्ध होने के बारे में यह सबसे बड़ा आरोप है। राज्यपाल का यह बयान संविधान के खिलाफ है। श्री वी० पी० सिंह ने भी यही किया। हालांकि मद्रास में सुबह उन्होंने बर्खास्तगी पर कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया, किन्तु शाम को उन्होंने राष्ट्रपति के पद की घोर आलोचना की। श्री वी० पी० सिंह ने उसी राष्ट्रपति की जबर्दस्त आलोचना की जिन्होंने उन्हें प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त किया था। राष्ट्रपति का पद अत्यधिक पवित्र है। सिर्फ परमात्मा ही उससे बढ़कर है, किसी को भी राष्ट्रपति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह स्मरणीय है कि श्री वी० पी० सिंह को सदन में बहुमत प्राप्त नहीं था। फिर भी कानून को मानने वाले राष्ट्रपति ने प्रावधानों के मुताबिक उन्हें प्रधानमन्त्री के रूप में नियुक्त किया था। फिर वी० पी० सिंह ने बड़े ही अकृतज्ञतापूर्ण तरीके से उनकी कटु आलोचना की। यहां तक कि करुणानिधि एवं द्रमुक के अन्य लोगों ने भी अपनी अनुचित आलोचनाओं से राष्ट्रपति को नहीं बख्शा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी को आवंटित समय से काफी ज्यादा समय दे दिया गया है। अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री आर० जीवरतनम : हमारी पार्टी को दिया गया होगा। पर मैं तो सिर्फ एक तमिल वासी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है।

***श्री आर० जीवरतनम** : कृपया मुझे एक या दो मिनट का समय दें, मैं अपने विषय से हटा। चुक हूं कृपया मुझे फिर अपने विषय पर आने दें।

अब मैं एल०टी०टी०ई० की गतिविधियों के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विद्यालयों को एल०टी०टी०ई० के लोगों के रहने के लिए काफी अर्से से बन्द कर दिया गया है, इन विद्यालयों में छोटे बच्चों की पढ़ाई की कीमत पर एल०टी०टी०ई० के लोगों को खिलाने और ठहराने की व्यवस्था हो रही है। माननीय गृह मन्त्री को इस मामले की अवश्य ही जांच करनी चाहिए।

महोदय, श्री करुणानिधि तमिलनाडु में एल०टी०टी०ई० के विद्रोहियों की भारी संख्या में घुसपैठ के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं। एल०टी०टी०ई० और श्री करुणानिधि के लक्ष्य एक समान ही हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, वह यह कि श्री वी० पी० सिंह के प्रधानमन्त्रीत्व काल में श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा एल०टी०टी०ई० को किस मकसद के लिए धन दिया गया था? क्या उसे राज्य सरकार के खिलाफ प्रयुक्त किया करना था? जिस प्रधानमन्त्री ने उग्रवादियों को धन दिया था वह अब अपने पद पर नहीं है। जिस मुख्यमन्त्री ने उग्रवादियों की मदद की थी तथा राज्य की शांति को भंग किया था उसे भी पदमुक्त होना ही चाहिए। इस घोषणा ने उसे पद-

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

भार से मुक्त कर दिया, अतः मैं तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन का स्वागत करता हूं।

डा० विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, प्रो० रंगा सभा के सम्मानित सदस्य हैं। जब उन्होंने इस चेतावनी का जिक्र किया था, तो मेरे ख्याल से वह संसद के पिछले सत्र की बात कर रहे थे जिसमें कांग्रेस (आई) और अ० भा० अन्ना द्रमुक ने तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। उस समय प्रधान मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दो हिस्सों में व्यक्त की थी। पहली बार उन्होंने स्पष्ट कहा कि तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह आशा भी प्रकट की थी कि तमिलनाडु की सरकार सभा की चर्चाओं पर ध्यान देगी। इसे एक चेतावनी के रूप में लिया जा सकता है। मेरा कहना यह है कि चूंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, तो उसके बाद ऐसी कौन सी बात हो गई कि तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त करना पड़ा?

कांग्रेस (आई) के सदस्यों ने पिछली कई घटनाओं का जिक्र किया है पर वे ऐसा साबित करने में असफल रहे कि पिछले सत्र में प्रधानमंत्री के स्पष्ट आश्वासन के पश्चात स्थिति में इतनी गिरावट आई है कि राष्ट्रपति शासन अत्यावश्यक हो गया था। वे ऐसा करने में असफल रहे हैं। उन्हें ऐसा कुछ कहना चाहिए था। मेरे ख्याल से यह एक बहुत अहम बात है।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे कुछ समय दिया। हमारी सम्पूर्ण चर्चा से जो एक महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आया है, वह हमारे देश की संघीय व्यवस्था तथा संविधान से संबंधित है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बारे में कोई भी निर्णय अनुच्छेद 356 के अधिनियम के बाद हमारे संविधान निर्माता डा० अम्बेडकर के इस कथन के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए कि यह अनुच्छेद द्वारा एक अपालित नियम की तरह बनी रहेगी। अब स्थिति यह है कि यह इस तरह की नब्बेवीं घोषणा है और इसे गिनीस बुक ऑफ रिकार्ड में लिखा जा रहा है। दुर्भाग्यवश जहां कहीं भी संघवाद तथा लोकतन्त्र को आहत किया जा रहा है, उसके साथ धोखा किया जा रहा है या उसकी हत्या की जा रही है हमारे द्वारा की जा रही कार्यवाहियां दुनिया के अन्य उन सभी देशों की अपेक्षा अधिक अतिवादी स्वरूप की हैं, यह बहुत विकृत स्थिति है। मूल समस्या यह है कि अन्य कई प्रावधानों के होने के बावजूद जब श्री चिदम्बरम जैसे प्रख्यात वकील एवं संविधान विशेषज्ञ ने अनुच्छेद 356 को लागू करने की अपील की तो मैं स्तब्ध रह गया। हमें 352, 353 तथा 354 जैसे अनुच्छेदों की सुविधा प्राप्त है जिनके तहत किसी राज्य में आंतरिक गड़बड़ी या आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है और केन्द्र सरकार को न केवल प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति मिल जाती है, बल्कि संसद को कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। अतः राष्ट्रपति तथा केन्द्र सरकार ने एल०टी०टी०ई० की राष्ट्र की एकता के लिए खतरनाक गतिविधियों में संलग्नता के बारे में बिल्कुल आश्वस्त होने के बाद अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत ऐसा करने का विकल्प क्यों नहीं चुना? मैं यह कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से ही जब 1959 में नबुदिरीपाद की सरकार को बर्खास्त किया गया तथा उसके बाद से

इसकी बारंबार पुनरावृति हो चुकने के बाद अब समय आ गया है जबकि दलगत नीतियों से ऊपर उठकर अनुच्छेद 356 को लागू करके उसकी प्रासंगिकता, सदुपयोग और दुरुपयोग पर विचार किया जाना चाहिए। असम उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में नागालैंड सरकार की बर्खास्तगी की निंदा, आलोचना तथा भर्त्सना की थी तथा न्यायमूर्ति श्री हंसारिया ने कहा था कि इस शक्ति का दुरुपयोग बार-बार किया जा रहा है और इस तरह की सांविधानिक अवमानना के कारण संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन करने, इसे हटाने, निष्काम्य या उसे अधिव्याप्त करने वाला अनुच्छेद बनाने के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। राज्यपाल से सलाह लेना या न लेना कोई मुद्दा नहीं है। राज्यपाल से सलाह ली जा सकती है। संविधान 'अथवा अन्यथा' के रूप में भी शक्ति देता है। अतः यह निश्चित है कि राज्यपाल से सलाह लिए बगैर भी अनुच्छेद 356 को लागू किया जा सकता है, हालांकि यह एक हितकर प्रावधान है। असली मुद्दा यह है कि क्या सांविधानिक तंत्र इतना बिखर चुका था कि राज्य सरकार काम कर ही नहीं सकती थी? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले में निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर बहुत पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है तथा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा तथा विधान सभा को भंग किए जाने को किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। यह सच है कि करुणानिधि की सरकार से लोग दुखी थे। मैं वहां तीन बार गया था और मैंने देखा कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई थी। पर कानून व्यवस्था की स्थिति सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, और कई राज्यों में भी बिगड़ी हुई है। एल०टी०टी०ई० की समस्याओं के अलावा तस्करी आदि की समस्याएं बहुत गौण महत्व की हैं क्योंकि तस्करी तो पूरे देश में, खास कर के बम्बई तथा कलकत्ता हवाई अड्डों पर तथा अन्य जगहों में होती है, अतः संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करने के ख्याल से यह बहुत छोटी बात है। यह कोई वैध आधार नहीं है। फिर भी तमिलनाडु में नागरिक अधिकारों का दमन इतना बढ़ गया था कि करुणानिधि वहां अलोकप्रिय हो गए थे। जब विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवानी को बिहार में गिरफ्तार किया गया था तो तमिलनाडु में भी बहुत सारे लोगों को अकारण ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें बिना कोई मुकदमा चलाए दुकानों एवं सड़कों से गिरफ्तार कर लिया गया था। वहां पहले ही से असंतोष व्याप्त था और यही कारण है कि कुछ लोग उनकी बर्खास्तगी से काफी खुश हैं। पर इससे ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा और राज्य विधानसभा को भंग करने को सही नहीं ठहराया जा सकता।

अतः मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनुच्छेद 356 को लागू करने के संबंध में सभी दलों को पुनर्विचार करना चाहिए जो कि इस खास मामले में संघवाद के साथ धोखेबाजी तथा लोकतन्त्र की हत्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय लिया गया था कि आज की बैठक सात बजे तक चलेगी। चूंकि डा० तम्बि दुरै तथा एक या दो अन्य सदस्यों को अभी बोलना है अतः शिष्टाचार के नाते मैं सदस्यों को यह अनुमति देता हूं कि वे चर्चा को सात बजे के बाद भी चलायें।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : हमें कितनी देर बैठना होगा ?

डा० तम्बि दुरै : यदि हमें सात बजे के बाद नहीं बैठना है, तो कृपया मुझे अगले दिन बोलने की अनुमति प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : कल और भी काम हैं। इस संकल्प का जवाब देना है और जम्मू कश्मीर विषयक उद्घोषणा से सम्बन्धित संकल्प भी है। अत: हमें 7.30 बजे अपराह्न तक चर्चा जारी रखना चाहिए।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर कुछ बोलने के लिए मुझे समय दिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने अनुच्छेद 356 तथा विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इस अनुच्छेद का प्रयोग करने के तरीके के बारे में बोला है। मैं विपक्षी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 1971 और 1980 में क्या हुआ, उन्होंने 1971 में अनुच्छेद 356 का उपयोग व राज्य विधान सभाओं को भंग करने तथा राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए किया, उस समय राज्यों में कांग्रेस आई की सरकार थी। उस समय विपक्षी दल की सरकार ने कहा कि चूंकि कांग्रेस आई राज्य सरकारों ने जनादेश खो दिया है अत: उन्होंने उन सभी राज्य सरकारों को बर्खास्त किया है, यही बात 1980 में भी हुई। जब कांग्रेस आई 1980 में सत्ता में आई उन्होंने 9 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने की सिफारिश की। हमारे प्रिय नेता एम० जी० आर० तमिलनाडु में सरकार चला रहे थे, उन्होंने ढाई वर्ष भी पूरे नहीं किए थे परन्तु उस समय यह कड़ा कदम उठाया गया। इसी सभा ने उस कार्यवाही का समर्थन किया।

मैं मा०क०पा० के सदस्यों के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। जब 1976 में करुणानिधि की सरकार को अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर भंग कर दिया गया था तो इसी मा०क०पा० ने उसका स्वागत किया था। अब वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, उस समय उन्होंने कुप्रशासन और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए करुणानिधि सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। हमारे साथ मा०क०पा० ने भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस समय भी वही बात हुई है।

7.00 म०प०

भा०ज०पा० के सदस्य श्री जसवंत सिंह ने कहा है कि उनके दल की राज्य शाखा ने इस आरोप पर द्रमुक सरकार को भंग करने की मांग की थी कि करुणानिधि सरकार असोकसांत्रिक तरीके से काम कर रही थी। यह सच्चाई है क्योंकि तमिलनाडु के जनप्रतिनिधि ही तमिलनाडु के लोगों की वास्तविक भावना को जान सकते हैं। हम यहां उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

जब 1989 में चुनाव हुए तो मतदाताओं के समक्ष यह बात रखी गई कि क्या द्रमुक सरकार चलनी चाहिए या नहीं। यह मामला तमिलनाडु के मतदाताओं के समक्ष रखा गया क्योंकि करुणानिधि ने तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक को खत्म करने की कोशिश की थी। उन्होंने चुनाव में अनेकों बार यह बात कही कि क्या द्रमुक सरकार चलनी चाहिए या नहीं।

25 मार्च, 1989 को उनके द्रमुक के सदस्यों ने तमिलनाडु विधान सभा में हमारी नेता कुमारी जयललिता पर हमला किया। द्रमुक सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या का यह पहला मामला था। अपने नेता पर इस कातिलाना हमले के खिलाफ हमने सभा में आवाज उठाई थी।

डा० बिप्लव दासगप्त : क्या श्री करुणानिधि पर इस तरह का आरोप लगाया जा सकता है? क्या वह ऐसा कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें उन लोगों के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो अपना बचाव करने के लिए यहां नहीं हैं।

डा० तम्बि दुरै : द्रमुक सदस्यों ने कुमारी जयललिता पर विधान सभा में कातिलाना हमला किया। उन्होंने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि वह एक महिला हैं। तमिलनाडु के उपचुनाव में वे मरूगापुरी और मदुरै पूर्व में चुनाव हार गए। द्रमुक के सदस्यों ने महसूस किया कि वे लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में नहीं आ सकते हैं। यही कारण है कि वे अन्नाद्रमुक तथा कुमारी जयललिता को समाप्त कर देना चाहते थे और इसी कारण उन्होंने इस प्रकार की अनेक योजनाएं बनाई ताकि हमारी नेता तमिलनाडु से बाहर चली जाएं। श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि वह हैदराबाद में छुप गई थीं। यह सच्चाई नहीं है। उन्होंने विस्तार से बताया था कि किस प्रकार द्रमुक सरकार ने उन्हें परेशान किया। वह तमिलनाडु में रहकर इलाज भी नहीं करवा सकीं। उनके डाक्टरों को धमकी दी गई थी कि वे उनका इलाज न करें। इसी कारण वह हैदराबाद गई और वहां इलाज करवाया। बात यही हुई, क्या विपक्षी दल और उसके नेता को खत्म करना ही लोकतंत्र है? हम महिलाओं की समानता की बात करते हैं, जब तमिलनाडु में एक महिला सामाजिक न्याय से लड़ने के लिए आगे आई और राजनीति में प्रवेश किया तो द्रमुक ने चाहा कि उन्हें राजनीति में नहीं होना चाहिए। लोकतन्त्र में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं विशेष कर श्री करुणानिधि से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बात बस यही हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया किसी व्यक्ति का नाम न लें।

डा० तम्बि दुरै : मैं इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूं। इसी प्रकार की अनेक घटनाएं घटी हैं। हमने मतदाताओं के सामने यह बात करनी थी कि द्रमुक सरकार को सत्ता में रहना चाहिए या नहीं। मतदाताओं का निर्णय क्या था? द्रमुक के सभी सदस्य बुरी तरह हार गये थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि द्रमुक के इतिहास में कभी ऐसी घट सकती है? द्रमुक लोकसभा का एक भी स्थान नहीं जीत सकी।

डा० बिप्लव दासगुप्त : क्या वे एक सीट भी नहीं जीत सके ?

डा० तम्बि दुरै : उन्हें तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं मिली।

डा० बिप्लव दासगुप्त : बंगाल में कांग्रेस का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें। वे नहीं मानेंगे।

डा० तम्बि दुरै : 1980 में हमने बंगाल से कम से कम लोकसभा के 2 सदस्य भेजे थे। द्रमुक के लोग क्या चाहते थे ? वे हमारी सरकार को बर्खास्त करना चाहते थे। आपने 1980 में हुई कार्यवाही का भी सभापतित्व किया था। आपका नाम भी यहां पर है। उस समय लोकसभा में द्रमुक के नेता ने भी भाषण दिया था और मांग की थी कि एम० जी० आर० सरकार को बर्खास्त किया जाए क्योंकि इसने 1989 के लोकसभा चुनाव में जनमत खो दिया था। एम०जी० आर० सरकार को बर्खास्त करने के लिए उन्होंने अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल के लिए कहा था, उस सरकार ने अपनी पूरी अवधि के ढाई वर्ष ही पूरे किए थे। वे इस बहाने पर हमारी सरकार को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करना चाहते थे कि हमने तमिलनाडु में जनादेश खो दिया है, क्या उस समय कानून व्यवस्था खराब हो गई थी ? उन्होंने कहा कि हमने जनादेश और जनइच्छा खो दिया है।

नवम्बर 1989 में क्या हुआ ? क्या द्रमुक का कोई प्रतिनिधि यहां है ? इस सरकार को काफी समय पहले नवम्बर 1989 में ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। वी० पी० सिंह सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए था और उन्हें द्रमुक सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था। जब वी० पी० सिंह सत्ता में आये तो उन्होंने द्रमुक सरकार को बर्खास्त करने के बजाय वी०पी० सिंह सरकार ने द्रमुक के तत्कालीन मुख्यमन्त्री के साले को मन्त्रिमण्डल में शामिल कर लिया। लोकसभा चुनाव में द्रमुक के खिलाफ जनादेश के बावजूद तत्कालीन मुख्यमन्त्री को यह लाभ मिला। तत्कालीन मुख्यमन्त्री को एक भी सीट लोकसभा चुनाव में नहीं मिला। परन्तु वी० पी० सिंह सरकार के साथ समझौता हो जाने के कारण वह तमिलनाडु में सरकार चलाने की चेष्टा करते रहे।

डा० बिप्लव दासगुप्त : फिर वही घटना घटी।

डा० तम्बि दुरै : मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया।

श्री पास आर० मन्तोष : आपने कु० जयललिता का नाम लिया था।

डा० तम्बि दुरै : मैंने नामों का जिक्र कभी नहीं किया।

डा० बिप्लव दास गुप्त : इस प्रकार के राजनैतिक ध्रुवीकरण की इजाजत नहीं होनी चाहिए (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० तम्बि दुरै, कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

डा० तम्बि दुरै : अब मैं अध्यक्षपीठ को ही सम्बोधित कर रहा हूं। मैं उस समय घटित घटना को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी, यदि यह एक आरोप नहीं है, तो यह भद्दी बात है। उन्हें तथ्य पर आना होगा। (व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : जब कल मैंने कहा था कि 1980 में द्रमुक सरकार का हमारी सरकार को बर्खास्त करवाने में हाथ था, तो श्री वि० प्र० सिंह ने मुझसे पूछा था : "क्या आप इसे साबित कर सकते हैं?" मैंने कहा मैं इसे साबित कर सकता हूं। तुगलक नाम की पत्रिका जोकि तमिलनाडु में काफी लोकप्रिय है। इसमें द्रमुक की मुरासोली पत्रिका में 20-1-1980 को प्रकाशित हुआ था जिसमें द्रमुक कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। यह प्रस्ताव लोकसभा चुनावों के बाद पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में एम०जी०आर० सरकार की बर्खास्तगी की मांग की गई थी। वह उनका प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव के पारित होने के बाद ही हमारे एम०जी० आर० की सरकार बर्खास्त की गई थी। यह क्या दर्शाता है? इससे पता चलता है कि वे हमारी सरकार को बर्खास्त करवाने में जिम्मेदार थे क्योंकि यह उनकी मांग थी...(व्यवधान)। द्रमुक ने उस समय यही कहा था। वे उस समय हमें कोई दण्ड देना चाहते थे। उस समय हमें यही सजा दी गई थी, वही दण्ड अब उन्हें मिला है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें मत टोको। वह अब अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कर रहे हैं।

डा० तम्बि दुरै : जी हां, मैं अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कर रहा हूं। हमारे नेता जो कुछ समय पहले बोल रहे थे, ने कहा था कि तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है वह उससे खुश नहीं हैं। मैं भी ऐसे ही महसूस कर रहा हूं। 1980 में द्रमुक ने कैसा बर्ताव किया था? उन्होंने बहुत ही निर्दयतापूर्वक कार्य किया था। उस समय उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी। बहुमत से निर्वाचित हमारी सरकार को बर्खास्त कर दिया था किन्तु हम जनता के पास गए और दोबारा जीतकर सत्ता में आए। अब श्री करुणानिधि को अपनी लोकप्रियता सिद्ध करनी है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हम तमिलनाडु में जल्द ही चुनाव की मांग कर रहे हैं। यदि वे जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव का सामना करना चाहिए। हाल में, तत्कालीन मुख्यमन्त्री ने कहा था कि वह जल्द ही चुनाव के पक्ष में नहीं हैं। वह चन्द्रशेखर पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने चन्द्रशेखर द्वारा उन्हें लिखे गए उस पत्र का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि 1991 की जनगणना के कारण चुनाव के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। उनके लिए वही डर है, वे मतदाताओं का सामना करने के योग्य नहीं है। उनके लिए यही समस्या है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं?

अब मैं अगले विषय पर आता हूं, बहुत से सदस्य संविधान के अनुच्छेद 356 पर बोल चुके हैं। हम भी इसके विरुद्ध हैं। परन्तु उन्हें इसे संशोधित करने दो। जनता सरकार अब सत्ता

में आई थी, तब उसने भी इस अनुच्छेद में संशोधन नहीं किया। वे इसे अपने शासन में संशोधित कर सकते थे। जब किसी को नुकसान हो रहा है तब वे इसकी आलोचना कर रहे होते हैं। अब वे इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यह उपयुक्त समय है, आप इसमें संशोधन कर दीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब वे यह बता रहे हैं कि द्रमुक सरकार को कैसे बर्खास्त किया गया था। कुछ लोगों ने कहा कि द्रमुक सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना ही बर्खास्त कर दी गई थी। यह कोई बहाना नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 356 में अन्यथा शब्द निहित है। कृपया उस बात पर विचार कीजिए जो भूतपूर्व मन्त्री श्री मुरासोली मारन, जो अब राज्य सभा के सदस्य हैं, ने उस समय क्या कहा था। 1980 में उन्होंने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 356 को राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना हमारी सरकार को बर्खास्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने यह कहा था। इसका प्रमाण है, उन्होंने यही तर्क दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : दोबारा ऐसा मत करना।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : दूसरा प्रश्न राज्यपाल की भूमिका से सम्बन्धित है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। कई सदस्यों ने राज्यपालों के वर्तमान व्यवहार की चर्चा की है परन्तु इस समय हम किसी व्यक्तिगत मामले पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, मुद्दा यह है कि राज्यपाल न्यूनाधिक तौर पर केन्द्र सरकार की कठपुतली बन गए हैं। यह एक तथ्य है। श्री वी० पी० सिंह के शासन में क्या हुआ था? आपने कश्मीर विधान सभा की बर्खास्तगी का विरोध नहीं किया था। यहां तक कि भाजपा के कुछ सदस्यों ने भी फारूख अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। उस समय किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की थी। नेशनल फ्रंट सरकार ने क्या किया था? उन्होंने वहां की विधान सभा को भंग कर दिया था। आपने कुछ भी नहीं कहा। (व्यवधान)

डा० बिप्लब दासगुप्त : हमने सख्त तौर पर इसका विरोध किया था। हमने यह मुद्दा उठाया था।

डा० तम्बि दुरै : आपने क्या किया था? उस समय आप श्री वी० पी० सिंह का समर्थन कर रहे थे। प्रजातन्त्र को बचाने के लिए आपको समर्थन वापस ले लेना चाहिए था।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

डा० बिप्लब दासगुप्त : मैं अब अभिलेख ही रखूंगा। हमने श्री जगमोहन के इस्तीफे की मांग की है। श्री जगमोहन को केवल हमारी मांग पर ही त्यागपत्र देने को विवश होना पड़ा। हमने उसकी मांग की थी। यह केवल हमारी मांग के कारण ही जगमोहन को करना पड़ा।

डा० तम्बि दुरै : हमारी राय है कि द्रमुक सरकार को केवल तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण ही बर्खास्त नहीं किया गया—यह शत प्रतिशत ठीक

नहीं है—परन्तु इसलिए बर्खास्त किया गया था क्योंकि वे राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। कई सदस्य इस बात को सिद्ध कर चुके हैं। वस्तुतः आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की समस्या बनी हुई है। यह बात पूर्णतः पृथक है : इसकी तुलना तमिलनाडु की स्थिति से नहीं की जा सकती है। परन्तु हम तमिलनाडु में हो रही स्थिति को दूसरे राज्यों, जैसे— आंध्र या उत्तर प्रदेश के साथ नहीं तौल सकते हैं। यह हमारा मत है। (व्यवधान) उन्होंने यह भी कहा है कि एम०जी०आर० सरकार ने उस समय लिट्टे की मदद की थी। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने विभिन्न हालातों मे सहायता की थी। उस समय पूरी सभा ने श्रीलंका के तमिलों की मदद के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था : वे भारत में श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों के रूप में आए। उस समय उनकी मदद करना हमारे देश की नीति थी। इसलिए एम०जी०आर० ने उनकी सहायता करने के लिए उन्हें धन दिया था न कि शस्त्र खरीदने और प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और राष्ट्र विरोधी कार्य करने के लिए। उल्फा और पंजाब के आतंकवादियों के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करना हमारी मंशा नहीं है। उस समय यह नीति थी कि यह सुनिश्चित करना था कि तमिल लोगों को श्रीलंका मे बराबरी के अधिकार मिलें। यहां तक कि श्री वी० पी० सिंह ने आज कहा है कि वे श्रीलंका में श्रीलंका के तमिलों को उनके वांछित अधिकार दिलाने के पक्ष में हैं। (व्यवधान)

डा० बिप्लब दासगुप्त : यह बहुत गम्भीर बात है। उनका कहना है कि लिट्टे की सहायता करना और इस प्रकार श्रीलंका जाना और श्रीलंका सरकार की मदद के लिए लड़ना राष्ट्रीय नीति है। क्या यह हमारी सरकार की नीति है ? हमने ऐसी घोषणा कभी नहीं की। क्या इसकी चर्चा संसद में हुई थी ? किसने यह फैसला किया था कि यह राष्ट्रीय नीति है ? मेरे विचार से ऐसा व्याख्यान नहीं दिया जाना चाहिए था। शाम के समय श्री चिदम्बरम ने एक व्याख्यान दिया था और मुझे विश्वास है कि अब वह पश्चाताप कर रहे होंगे। उन्हें ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। यह एक भारतीय संसद है। हम जिम्मेदार लोग हैं। हमें महसूस करना चाहिए कि जो कुछ भी हम कहते हैं वह श्रीलंका में कहा जाएगा। यह बहुत ही गम्भीर विषय है जो यहां पर हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तम्बि दुरै, श्री गुप्ता जो कह रहे हैं उसमें बहुत कुछ निहित है। मैं सदस्यों को चेतावनी देता हूं कि वे ऐसी व्याख्या न दें जिसका गलत इस्तेमाल किया जा सके।

डा० तम्बि दुरै : मेरा ऐसा आशय नहीं था। लिट्टे के लोग और दूसरे उग्रवादी संगठन भारत में शरणार्थियों के रूप में आए थे। हमने मानवता के आधार पर उनकी सहायता की थी, न कि भारत की भूमि पर कोई सैनिक कार्रवाई करने के लिए। ऐसी हमारी नीति नहीं है। जब वे भारत वर्जनीय दशा में आए थे, हमने केवल उनके जीवनयापन और उन्हें शरण देने के लिए उनकी सहायता की थी। (व्यवधान) हम डा० एम० जी० आर० के समय की स्थिति की श्री करुणानिधि के समय की स्थिति से तुलना नहीं कर सकते। हमने भारतीय शांति सेना को तमिल

लोगों की सहायता के लिए भेजा था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लिट्टे समेत सभी उपद्रवी संगठन एक हो जाएं और उनकी सभी समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक ढंग से हो सके और उन्हें लोकतंत्र की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। हम चाहते थे कि वे श्रीलंका की एकता को बनाए रखकर अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। भारतीय शांति सेना ने भारत सरकार के निदेश पर अपनी सेवाएं समर्पित की थीं। जब वे वापिस घर आए तो उनके साथ क्या हुआ ? मुख्य मंत्री ने उस समय क्या कहा था ? उन्होंने कहा था, "क्योंकि उन्होंने युद्ध में लिट्टे के लोगों की हत्या की है इसलिए वे हत्यारे हैं।" क्या मुख्य मंत्री के कार्य करने का यही तरीका है ? जब वे ऐसे पद पर हैं तो उन्हें इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देने चाहिए।

नवम्बर 1989 के चुनावों के बाद उनको मालूम हो गया कि उनकी पार्टी निकट भविष्य में किसी भी चुनाव में सफल नहीं हो सकेगी। इसलिए गुप्त रूप से उन्होंने लिट्टे ग्रुप के साथ सम्पर्क किया और लिट्टे के लोगों ने ब्रमुक संवर्ग में तमिलों को प्रशिक्षित किया जिससे कि चुनावों के दौरान वे हिंसा फैला सकें। तत्कालीन मुख्य मंत्री का केवल यही उद्देश्य था। इसलिए हम तमिलनाडु में इस प्रकार की स्थिति आने का समर्थन नहीं कर सकते। लोकतंत्र की इस प्रकार हत्या नहीं की जा सकती है। हाल ही में, तमिलनाडु में कोआपरेटिव चुनाव हुए थे। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। वे कहा करते थे कि उन्हें शहरी क्षेत्रों में समर्थन प्राप्त है परन्तु उनकी मद्रास, मदुराई और कोयम्बटूर में कारपोरेशन के चुनाव कराने तक की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने इसे क्यों स्थगित किया ? उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनकी पार्टी किसी भी चुनाव में सफल नहीं हो सकती है। 25 मार्च 1989 के बाद जब उन्हें यह अहसास हुआ कि वे सफल नहीं हो सकते तो उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी प्रकार के हथकण्डे अपनाने शुरू कर दिए।

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह भक्कासर (बीकानेर) : अगर इस चुनाव में डी०एम०के० जीत जाती है, तो आप सारे लोग इस्तीफा दे देंगे क्या ?

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै : ठीक है, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, सभा में आप आपस में कोई ठेका नहीं करेंगे।

डा० तम्बि दुरै : बहुत से सदस्यों ने अपने भाषण में यह कहा है कि 1983 के बाद से बहुत सी अवांछनीय गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया। यह सही नहीं कहा गया है। जब सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया था तो हमारी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने इस आरोप का खण्डन किया। जब श्रीलंका ने यह आरोप लगाया था कि हम प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, उस समय भी हमने इसका जोरदार खण्डन किया था और कहा कि हमारे यहां इस प्रकार के

प्रशिक्षण शिविर नहीं हैं। यह बात समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी। (व्यवधान)

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। बहुत से सदस्य पहले ही यह विस्तार से बता चुके हैं कि तमिलनाडु में द्रमुक सरकार क्यों बर्खास्त की गई थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वह राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही थी और उनकी यह कोशिश भी रही कि अ०भा० अन्ना द्रमक और कांग्रेस जैसे विरोधी दल कोई राजनैतिक कार्यकलाप न करें। उनकी यह मंशा थी। यहां तक कि जब हम लोकतांत्रिक ढंग से कोई आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने हमें उसे भी उपयुक्त ढंग नहीं करने दिया। उन्होंने हमें गिरफ्तार करने का प्रयास किया और हमारे विरुद्ध झूठे मुकदमे दायर किए।

यद्यपि हम द्रमुक सरकार की बर्खास्तगी से बहुत प्रसन्न नहीं हैं फिर भी हम यह समझते हैं कि उसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण उसे बर्खास्त करने के सिवाए कोई विकल्प नहीं था इसलिए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करे कि तमिलनाडु में शीघ्र चुनाव कराए जाएं।

*श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

विरोधी दल के सदस्यों ने इस संकल्प पर बोलते हुए तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की आलोचना की है। लेकिन वह इस वास्तविकता को भूल गए हैं कि जब 1976 में यही विरोधी दल सत्ता में आया था तो सत्ता में आने के 8 माह के भीतर ही उन्होंने कुछ राज्य सरकारों को निर्दयतापूर्वक गिरा दिया था।

मैं इस महान सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन ऐसी अवस्था में लगाया गया जब वहां प्रशासन के सभी क्षेत्रों में बेरोकटोक भ्रष्टाचार व्याप्त था, जब वहां कानून और व्यवस्था खराब थी, जब वहां सहकारी समितियों के चुनावों और राज्य पुलिस की भर्ती में भ्रष्ट तरीके अपनाए जा रहे थे।

वर्ष 1984 में, जब द्रमुक पुनः चुनाव हार गया, द्रमुक के नेता श्री करुणानिधि ने चेतावनी दी थी कि तमिलनाडु राज्य पंजाब जैसा बन जाएगा। वे जब 1989 में सत्ता में आए तो इन्होंने तमिलनाडु राज्य को पंजाब जैसा बनाने में जुट गए। यही कारण है कि द्रमुक सरकार बर्खास्त कर दी गई है ताकि तमिलनाडु भारत का अखण्ड भाग बना रहे। महोदय, श्री वी० पी० सिंह के सत्ता में आने के बाद ही तमिलनाडु हथियारों और उग्रवादियों का अड्डा बना। लेकिन एम० जी० रामचन्द्रन के शासन के 11 माह के दौरान तमिलनाडु में शान्ति बनी रही।

अब वे मंडल आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इस महान सभा को इस बात से

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

अवगत कराना चाहूंगा कि दशकों पूर्व तमिलनाडु में श्री कामराज ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करवाई थी।

माननीय साम्यवादी सदस्य और श्री वी० पी० सिंह ने राष्ट्रपति शासन के विरुद्ध विचार व्यक्त किए। श्री वी० पी० सिंह इस प्रकार कैसे कह सकते हैं? तमिलनाडु में यह कहावत प्रचलित है कि परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो वे छाती पीटने और विलाप करने के लिए भाड़े के लोग बुलाते हैं। इसी प्रकार श्री वी० पी० सिंह ने श्री करुणानिधि की मृत सरकार के लिए किराए पर विलाप किया और आंसू बहाए।

माननीय सदस्य श्री चिदम्बरम ने बड़ी गरिमापूर्ण ढंग से अपने विचार व्यक्त किए और तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन के समर्थन में अकाट्य तर्क दिए हैं। केवल उनका खण्डन करने के लिए इन माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति शासन का विरोध किया। इस समय कोई साम्यवादी सदस्य नहीं बैठा है। इससे क्या जाहिर होता है? आपको इस बारे में सोचना ही चाहिए। यह इन मानसंवादी सदस्यों ने केवल कुछ सीटों के लिए श्री करुणानिधि का साथ दिया। मैं अपने साम्यवादी मित्रों को बताना चाहूंगा कि मुझे दो बार साम्यवादी उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव में खड़ा किया गया। दोनों बार वह हारे हैं और अब उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र का परित्याग करने का निश्चय कर लिया है।

हम उन लोगों में से हैं जो तमिलनाडु की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को बारीकी से देखते हैं। मैं सहकारी समितियों के चुनावों में अपनाए गए भ्रष्ट तरीकों को बयान नहीं कर सकता। जब मैं उन चुनावों में वोट डालने गया, तो मैंने पाया कि मेरी वोट पहले ही डाल दी गई थी। ऐसी स्थिति थी। गुंडों की सहायता से बल,वंक वोट डलवाए गए।

चावल, ताड़ का तेल जैसी अन्य आवश्यक वस्तुएं, जो उचित दर की दुकानों से कमजोर वर्गों, हरिजनों और गरीबी की रेखा से नीचे लोगों के लिए वितरित की जाती हैं, उनकी द्रमुक संवर्गों के प्रयोग के लिए चोर बाजारी की गई। द्रमुक संवर्गों ने पोषक आहार योजना के तहत बच्चों के लिए रखी गई खाद्य सामग्री को भी नहीं छोड़ा।

महोदय, जो लोग अब आंसू बहा रहे हैं उन्होंने ही 1980 में यह कहा था कि अ० भा० अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम को चुनावों में केवल दो सीटें मिली हैं, अतः अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम सरकार को राज्य में बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और यह बर्खास्त कर दी गई। इसी प्रकार हाल के संसदीय चुनावों में द्रमुक को कोई सीट नहीं मिली और इसीलिए यदि राज्य में द्रमुक सरकार को बर्खास्त कर दिया गया तो क्या अन्याय हो गया?

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

*श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : यदि आप द्रमुक सरकार को कुछ और समय दे देते, तो सत्ता

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

पक्ष की बेंचें खाली हो गई होतीं, उन्होंने रेलवे स्टेशनों को भी न बख्शा होता। इसलिए महोदय सरकार को बर्खास्त करना बहुत आवश्यक है।

यहां तक कि राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई वित्तीय सहायता भी गरीबों तक नहीं पहुंचती थी। इसे गबन कर इसका द्रमुक के कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए उपयोग किया गया।

एम० जी० रामचन्द्रन के समय में गरीब जनता को भूमि के पट्टे दिए गए थे। उन्होंने प्रत्येक झोपड़ी में बिजली उपलब्ध कराई थी। लेकिन द्रमुक के समय में झोपड़ियों को ही हटा दिया गया। राज्य में पुलिस देश की सबसे समर्थ बल है। द्रमुक द्वारा इसके हाथ बांध दिए गए। इससे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार और अन्य समाज विरोधी गतिविधियां बढ़ीं। गोपीचेट्टिपालायन में एक पुलिस अधिकारी को ए० के० 47 से मार दिया गया। तमिलनाडु में गोला-बारूद फैक्टरियां खुले आम चल रही हैं। ऐसी स्थिति में महोदय, क्या आप यह नहीं मानते कि राष्ट्रपति शासन वहां आवश्यक है?

मैं अपनी बात इस अनुरोध के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि वहां विधान सभा चुनाव शीघ्र कराए जाने चाहिए। जिन्होंने यहां अपने विचार व्यक्त किए हैं वे सभी तमिलनाडु में आए। कांग्रेस और अ० भा० अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम को 234 सीटों में से कम से कम 225 स्थान मिलेंगे और इससे साफ पता चल जाएगा कि लोगों का झुकाव किस ओर है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

7.27 म० प०

श्री पी० सी० थामस (मुव्वत्तुपुजा) : महोदय, अब जबकि बहुत देर हो चुकी है, मैं अधिक लम्बा भाषण न करके केवल कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ नई बातें कहिए।

श्री पी० सी० थामस : एक नया मुद्दा मैं यह उठाना चाहता हूं कि तमिलनाडु के बहुत निकटवर्ती स्थान से संसद सदस्य होने के नाते, हम भी वास्तव में केरल के पूर्वी भाग में हुई कुछ हत्याओं और कुछ अनभिज्ञात अपराधियों की कुछ वारदातों से बहुत व्यथित हैं। (व्यवधान) परन्तु मैं समझता हूं कि केरल सरकार के कुछ बेहद करीबी कुछ राजनैतिक व्यक्ति और नेता भी इन कार्यकलापों का मौन रूप से प्रचार कर रहे हैं—शायद इसलिए कि ऐसे मामलों का पता नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है कि वे तमिल ईलाम के मुक्ति चीतों (एल०टी०टी०ई०) के माध्यम से ऐसा कर रहे हैं और इस कारण वे इन मामलों का पता लगाने में असमर्थ हैं।

मैं केवल यह बताने का प्रयास कर रहा था कि एल०टी०टी०ई० उग्रवादी संगठन के कार्य कलाप और अत्याचार इस हद तक बढ़ गए हैं कि उनकी गतिविधियां उन शांति पूर्ण राज्यों में भी फैल गई हैं जहां उग्रवादी गतिविधियां अधिक नहीं हैं, यद्यपि उन राज्यों में अन्य प्रकार के अत्याचार होते हैं। मैं समझता हूं कि सम्बन्धित प्राधिकारियों, केन्द्रीय सरकार को गम्भीरता पूर्वक

इस पर विचार करना चाहिए था। दुर्भाग्यवश, श्री वी० पी० सिंह के प्रधान मंत्रित्व काल में वहां 1 महीने तक उनका शासन रहा। हमें श्री वी० पी० सिंह की सरकार से कोई उपयुक्त उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। परन्तु मुझे याद है कि इस सभा में श्री वी० पी० सिंह और उनके समर्थक अन्य दलों से, जो उन्हें समर्थन देते थे, हमने एक-दो बार यह सुना कि द्रमुक और श्री करुणानिधि सरकार द्वारा किए गए कुछ क्रियाकलापों को केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। मुझे याद है कि जब हम कुछ अत्याचारों पर चर्चा कर रहे थे, मैंने दूसरी ओर बैठे अपने एक मित्र से जो इस समय भी यहां उपस्थित हैं, यह सुना था कि हम वहां द्रमुक के सभी कार्यकलापों का समर्थन नहीं करते। मुझे याद है कि मैंने उन्हें यह भी कहते सुना था कि "हम द्रमुक सरकार द्वारा किए गए किसी राष्ट्र-विरोधी कार्यकलाप का समर्थन नहीं करेंगे।"

मुझे प्रसन्नता है कि उनमें से एक सदस्य ने यह स्वीकार भी किया है। अतः अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या राज्य सरकार द्वारा किए गए राष्ट्र-विरोधी कार्यकलाप की केन्द्र द्वारा गम्भीरता पूर्वक जांच की जानी चाहिए अथवा नहीं। यदि ऐसा है तो केन्द्र सरकार को इस मामले को किस प्रकार गम्भीरता से लेना है? एक तो उन्हें निर्देश देकर। एक बात यह कि हो सकता है कि वह दिशानिर्देश दे रही हो परन्तु हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि प्रधान मंत्री और संसद के राजनैतिक नेताओं की ओर से भाषणों और उद्घोषणाओं के रूप में दिए गए निर्देश तमिलनाडु सरकार और उस राज्य के मुख्य मंत्री के पास बहुत उपयुक्त ढंग से पहुंचे हैं। परन्तु हमें अभी द्रमुक सरकार की ओर से उपयुक्त उत्तर प्राप्त होना है। इस समय राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों, जैसे तस्करी, जिनका यहां उल्लेख किया गया है, कुछ व्यक्तियों द्वारा नहीं अपितु उग्रवादी संगठन द्वारा किए जा रहे हैं। मैं इस प्रश्न पर जोर देने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि ऐसा सरकार की साठगांठ से किया जा रहा था अथवा उस राज्य की सरकार के उकसाने पर ये गतिविधियां चल रही थीं। क्योंकि समय की कमी है और देर हो रही है, मैं इस समय इन गतिविधियों का वर्णन नहीं करता। अतः यह स्थिति है। मेरे विचार अनुसार अनुच्छेद 350 का प्रयोग बहुत कम किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब सांविधानिक मशीनरी तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति पूर्ण रूप से बिगड़ गई हो, जिस पर राज्य द्वारा नियन्त्रण न किया जा सकता हो। केवल उसी मामले में केन्द्र सरकार को इस सीमा तक हस्तक्षेप करना चाहिए। इस मामले में हम देखते हैं कि द्रमुक सरकार इस स्थिति तक पहुंच चुकी है। यह केवल कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ जाने का मामला नहीं है, अपितु अनेक गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों के आधार पर कानून तथा व्यवस्था के विफल हो जाने का मामला है जिसमें यह सरकार भी शामिल थी। यह केवल तमिलनाडु राज्य में ही नहीं हो रहा, अपितु विदेशों में भी ऐसा हो रहा है, यह गतिविधियां असम और पंजाब जैसे अन्य राज्यों में भी चल रही हैं। उग्रवादी संगठनों के इन राज्यों के साथ सम्बन्ध हैं और इसमें सरकार का हाथ है। यदि यह सच है तो मैं समझता हूं कि यही उपयुक्त समय है जबकि केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इसलिए मैं इस प्रस्ताव का

समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे। अब सभा कल 11.00 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

7.31 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 27 फरवरी, 1991 8 फाल्गुन, 1912 (शक) के 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

बी० एल० एस०—48/14/4/91 (एन०)

© 1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, दक्षिणी मोजपुर, दिल्ली-53 द्वारा मुद्रित।